VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

अप्रैल 2024

मासिक समसामयिकी

8468022022 | 9019066066 www.visionias.in

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी
हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

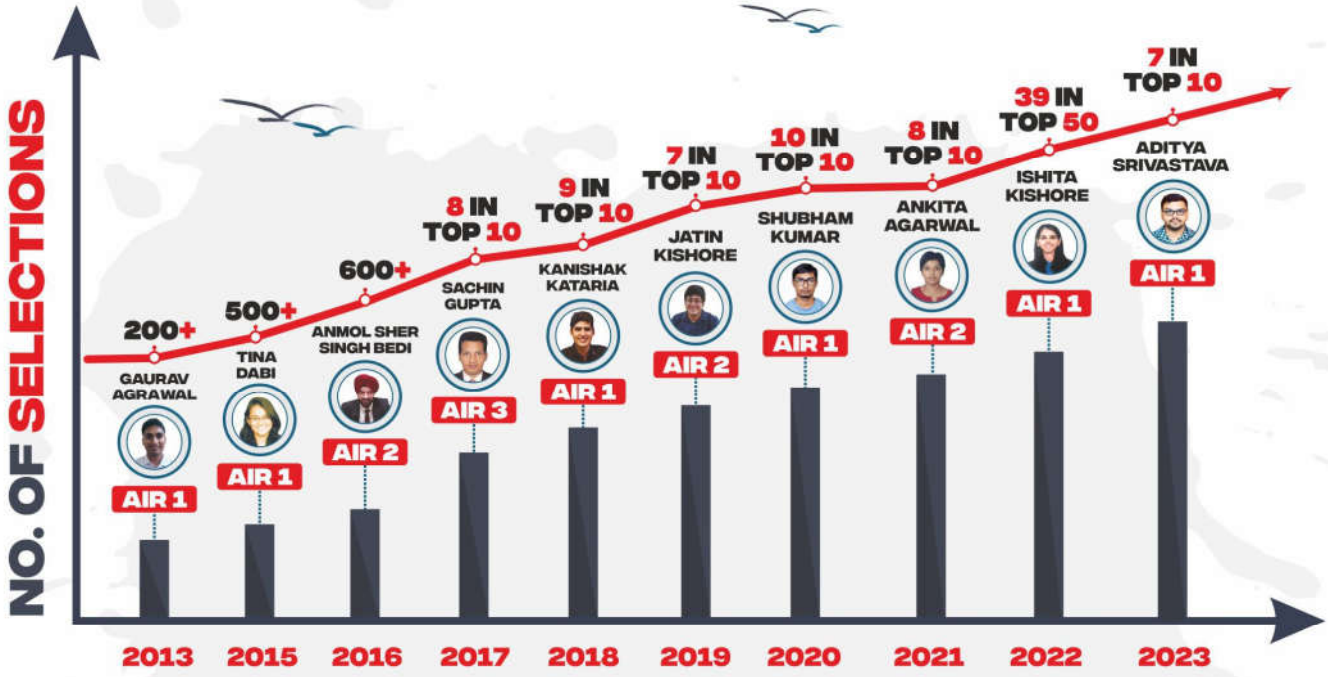

LIVE/ONLINE Classes Available

www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2025

DELHI: 4 JUNE, 9 AM | 20 JUNE, 5 PM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 21 MAY, 5:30 PM

AHMEDABAD: 20 JUNE | **BENGALURU:** 18 JUNE | **BHOPAL:** 21 MAY | **CHANDIGARH:** 20 JUNE

HYDERABAD: 5 JUNE | **JAIPUR:** 30 MAY | **JODHPUR:** 30 MAY | **LUCKNOW:** 17 MAY | **PUNE:** 5 MAY

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2025

▶ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI: 11 जून, 9 AM | **14** मई, 9 AM | **BHOPAL: 23** जुलाई | **LUCKNOW: 18** जुलाई | **JAIPUR: 30** मई | **JODHPUR: 20** मई

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc | /c/VisionIASdelhi | /c/VisionIASdelhi | /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: HEAD OFFICE: 1st floor, Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, 1/8 b, Pusa Road, Karol Bagh, Delhi – 110005 | CONTACT: 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance) 5

1.1. राजकोषीय संघवाद 5

1.2. शासन में सिविल सेवकों की भूमिका 7

1.3. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन-वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (EVM-VVPAT) 9

1.4. दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 11

1.5. स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 15

1.6. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 18

1.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियां 21

1.7.1. चुनाव आयोग द्वारा होम वोटिंग की शुरुआत 21

1.7.2. राजनीति का अपराधीकरण 21

1.7.3. चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना 22

1.7.4. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया 22

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) 24

2.1. बंदरगाहों का भू-राजनीतिक महत्त्व 24

2.2. आपदा राहत कूटनीति 26

2.3. पश्चिम एशिया में अस्थिरता 28

2.4. भारत ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा साझेदारी 30

2.4.1. ऑकस 32

2.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां 35

2.5.1. बिम्सटेक चार्टर 35

2.5.2. आसियान फ्यूचर फोरम 35

2.5.3. यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत की आधिकारिक यात्रा की 35

3. अर्थव्यवस्था (Economy) 37

3.1. भारत में आय और संपत्ति में उच्च असमानता 37

3.1.1. धन के पुनर्वितरण के एक साधन के रूप में विरासत कर 39

3.2. भारत में बेरोजगारी 40

3.3. सकल स्थायी पूंजी निर्माण 43

3.4. ग्रामीण भारत में स्टार्ट-अप्स 45

3.4.1. ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, 2024 47

3.5. रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण 47

3.6. बेसल III एंडगेम 50

3.7. परिसंपत्ति मुद्रीकरण 54

3.8. परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां 56

3.9. अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते 58

3.10. सतत विकास के लिए वित्त-पोषण रिपोर्ट 2024 61

3.11. सेटलमेंट चक्र 63

3.12. उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण 63

3.13. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 64

3.14. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना 66

3.15. संक्षिप्त सुर्ख़ियां 69

3.15.1. मराकेश समझौते की 30वीं वर्षगांठ 69

3.15.2. अंकटाड को संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास को नया नाम दिया गया 69

3.15.3. जीवन-निर्वाह मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी 70

3.15.4. ऋण-जमा अनुपात 70

3.15.5. सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (स्कोर्स 2.0) 71

3.15.6. क्लस्टर विकास कार्यक्रम सुरक्षा/ Suraksha 71

3.15.7. गिफ्ट सिटी पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट 71

3.15.8. पेमेंट एग्रीगेटर 72

3.15.9. इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024 जारी 72

4. सुरक्षा (Security) 74

4.1. भारत का रक्षा निर्यात 74

4.2. वर्चुअल परिसंपत्तियां और आतंकवाद का वित्त-पोषण 77

4.3. अंतरिक्ष का सशस्त्रीकरण 79

4.4. सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम 81

4.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां 84

4.5.1. साइबर खतरा: मैक्रो-फाइनेंशियल स्थिरता के लिए चिंता 84

4.5.2. वैश्विक सैन्य व्यय का ट्रेंड, 2023 रिपोर्ट 84

4.5.3. संयुक्त राष्ट्र शांति-रक्षक सेना के खिलाफ अपराधों की रोकथाम के लिए पहलें 85

4.5.4. इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड 85

4.5.5. स्वदेशी प्रौद्योगिकी आधारित क्रूज़ मिसाइल (ITCM) का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण 85

4.5.6. "अग्नि-प्राइम" का सफल परीक्षण 86

4.5.7. सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन (SPACE)} 86

4.5.8. हाइपरसोनिक मिसाइल 87

4.5.9. क्रिस्टल मेज 2 ____ 87
4.5.10. C-डोम रक्षा प्रणाली ____ 87
4.5.11. सुर्ख़ियों में रहे युद्धाभ्यास ____ 87
5. पर्यावरण (Environment) ____ 89
5.1. पर्यावरणीय मुद्दों का संवैधानिकीकरण ____ 89
5.1.1. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण ____ 90
5.2. भारत में पर्यावरणीय आंदोलन ____ 92
5.3. सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप्स कांफ्रेंस ____ 95
5.4. ई-अपशिष्ट ____ 96
5.5. मिलेट्स ____ 98
5.6. बेसफ्लो ____ 100
5.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 102
5.7.1. ग्रीन क्रेडिट रूल ____ 102
5.7.2. CPCB द्वारा फंड का उपयोग नहीं होना ____ 102
5.7.3. जियोपार्क्स ____ 103
5.7.4. जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र और नेटवर्क ____ 103
5.7.5. वन मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज ____ 104
5.7.6. क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव ____ 104
5.7.7. भारत का वार्षिक भूमि उपयोग और भूमि आवरण एटलस (LULC) ____ 104
5.7.8. ग्रीन एंड सोशल बॉण्ड इम्पैक्ट रिपोर्ट, 2023 ____ 105
5.7.9. स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 ____ 105
5.7.10. क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस प्रोग्राम ____ 105
5.7.11. UNEP रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन 2024 106
5.7.12. पर्माफ्रॉस्ट क्षेत्र ____ 106
5.7.13. चौथी वैश्विक व्यापक कोरल ब्लीचिंग (प्रवाल विरंजन) परिघटना ____ 107
5.7.14. गैप लिमिटेशन ____ 108
5.7.15. वासुकी इंडिकस ____ 108
5.7.16 बटरफ्लाई सिकाडा ____ 108
5.7.17. आरोग्यपचा (ट्राइकोपस ज़ेलेनिकस) ____ 108
5.7.18. रिंगवूडाइट ____ 109
5.7.19. बाओबाब वृक्ष ____ 109
5.7.20. दक्षिणी महासागर क्षेत्र में सबसे स्वच्छ वायु के पीछे के कारण ____ 109
5.7.21. अफ़ार ट्रायंगल ____ 110
5.7.22. अरल सागर ____ 110
5.7.23 माउंट एटना ज्वालामुखी में वॉल्कैनिक वॉरटेक्स रिंग्स 110
5.7.24. हिंद महासागर अवलोकन प्रणाली ____ 110
5.7.25. नेगेटिव लीप सेकंड ____ 111
5.7.26. जीरो शैडो डे ____ 111
5.7.27. शुद्धि-पत्र ____ 112
6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) ____ 113
6.1. भारत में शहरी निर्धनता ____ 113
6.2. अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ____ 115
6.3. अंग प्रत्यारोपण ____ 118
6.4. खेलों में डोपिंग ____ 121
6.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 124
6.5.1. बाल देखभाल अवकाश ____ 124
6.5.2. 98% शहरी महिलाओं को घरेलू वित्तीय निर्णयों में शामिल करना ____ 124
6.5.3. यूनेस्को की "टेक्नोलॉजी ऑन हर टर्म्स" रिपोर्ट ____ 125
6.5.4. विश्व जनसंख्या स्थिति, 2024 रिपोर्ट ____ 126
6.5.5. लॉन्गविटी इंडिया पहल ____ 126
6.5.6. क्वीर समुदाय के लिए अधिसूचित पैनल ____ 127
6.5.7. UNHRC ने इंटरसेक्स अधिकारों के लिए अपनी तरह का पहला संकल्प अपनाया ____ 127
6.5.8. IOM ने "ए डिकेड ऑफ डोक्युमेंटिंग माइग्रेंट डेथ्स" रिपोर्ट जारी की ____ 128
6.5.9. खाद्य अपशिष्ट सूचकांक (FWI) रिपोर्ट 2024 ____ 129
6.5.10. द ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फ़ूड क्राइसिस ____ 129
7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) ____ 131
7.1. हिग्स बोसॉन ____ 131
7.2. अंतरिक्ष पर्यटन ____ 133
7.3 स्वास्थ्य देखभाल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ____ 134
7.4. ग्लाइसेमिक इंडेक्स ____ 136
7.5. इंडिया टीबी (TB) रिपोर्ट 2024 ____ 137
7.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 139
7.6.1. हबल टेंशन ____ 139
7.6.2. आर्यभट्ट की लॉन्चिंग के 50 वर्ष पूरे हुए ____ 139
7.6.3. ड्रैगनफ्लाई मिशन ____ 140
7.6.4. तियांतोंग-1 ने स्मार्टफोन से सीधे सैटेलाइट कॉल करना संभव बनाया ____ 140
7.6.5. टाटा सैटेलाइट-1A ____ 141
7.6.6. कलाम-250 ____ 141
7.6.7. नेटवर्क-एज-ए-सर्विस ____ 141

7.6.8. शैलोफेक ____ 141
7.6.9. बिटकॉइन हैल्विंग ____ 141
7.6.10. एक्सोस्केलेटन ____ 142
7.6.11. स्वदेशी कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर (CAR) T- सेल थेरेपी लॉन्च हुई ____ 142
7.6.12. मैग्नेटिक रेज़ोनेंस इमेजिंग (MRI) प्रौद्योगिकी ____ 142
7.6.13. कोरोनावायरस नेटवर्क (CoViNet) ____ 143
7.6.14. यूविकोल-S ____ 143
7.6.15. वजन घटाने वाली दवाएं ____ 143
7.6.16. स्नेल म्यूसिन ____ 144
8. संस्कृति (Culture) ____ 145
8.1. स्मारकों को संरक्षित सूची से हटाना ____ 145
8.2. भगवान महावीर जैन की शिक्षाओं की वर्तमान में प्रासंगिकता ____ 147
8.3. वायकोम सत्याग्रह ____ 148
8.4. कला के विभिन्न रूप और डिजिटल प्रौद्योगिकियां ____ 151
8.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 152
8.5.1. वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी ____ 152
8.5.2. पड़ता बेट ____ 152
8.5.3. तेलंगाना में नए पुरातत्व स्थल ____ 152
8.5.4. केसरिया स्तूप ____ 153
8.5.5. सोलिगा जनजाति ____ 153
8.5.6. शोम्पेन जनजाति ____ 153
9. नीतिशास्त्र (Ethics) ____ 155
9.1. खाद्य सेवा और सुरक्षा की नैतिकता ____ 155
9.2. राजनीतिक नैतिकता और हितों का टकराव ____ 158
10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) ____ 162
10.1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) ____ 162

नोट:

प्रिय अभ्यर्थियों,

करेंट अफेयर्स को पढ़ने के पश्चात् दी गयी जानकारी या सूचना को याद करना और लंबे समय तक स्मरण में रखना आर्टिकल्स को समझने जितना ही महत्वपूर्ण है। मासिक समसामयिकी मैगज़ीन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, हमने निम्नलिखित नई विशेषताओं को इसमें शामिल किया है:

	विभिन्न अवधारणाओं और विषयों की आसानी से पहचान तथा उन्हें स्मरण में बनाए रखने के लिए मैगज़ीन में बॉक्स, तालिकाओं आदि में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।
	पढ़ी गई जानकारी का मूल्यांकन करने और उसे याद रखने के लिए प्रश्नों का अभ्यास बहुत जरूरी है। इसके लिए हम मैगज़ीन में प्रत्येक खंड के अंत में स्मार्ट क्विज़ को शामिल करते हैं।
	विषय को आसानी से समझने और सूचनाओं को याद रखने के लिए विभिन्न प्रकार के इंफोग्राफिक्स को भी जोड़ा गया है। इससे उत्तर लेखन में भी सूचना के प्रभावी प्रस्तुतीकरण में मदद मिलेगी।
	सुर्ख़ियों में रहे स्थानों और व्यक्तियों को मानचित्र, तालिकाओं और चित्रों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इससे तथ्यात्मक जानकारी को आसानी से स्मरण रखने में मदद मिलेगी।

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2025
इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम
• प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
• मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
• एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
• अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
• योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
• नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
• सीसैट कक्षाएं
• PT 365 कक्षाएं
• MAINS 365 कक्षाएं
• PT टेस्ट सीरीज
• मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
• निबंध टेस्ट सीरीज
• सीसैट टेस्ट सीरीज
• निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
• करेंट अफेयर्स मैगजीन
नोट: ऑनलाइन छात्र हमारे पाठ्यक्रम की लाइव वीडियो कक्षाएं अपने घर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। छात्र लाइव चैट विकल्प के माध्यम से कक्षा के दौरान अपने संदेह और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। वे अपने संदेह और प्रश्न नोट भी कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र में हमारे कक्षा सलाहकार को बता सकते हैं और हम फोन/मेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देंगे।
Scan the QR CODE to download VISION IAS app
DELHI: 11 जून, 9 AM | 14 मई, 9 AM
BHOPAL: 23 जुलाई
LUCKNOW: 18 जुलाई
JAIPUR: 30 मई
JODHPUR: 30 मई

Lakshya
MAINS MENTORING PROGRAM 2024
25 जून 2024
(मुख्य परीक्षा – 2024 के लिए एक लक्षित रिवीजन, प्रैक्टिस और परामर्श कार्यक्रम)
70 दिवसीय विशेषज्ञ परामर्श
मेंटर्स की अत्यधिक अनुभवी और योग्य टीम
GS मुख्य परीक्षा, निबंध और नीतिशास्त्र के प्रश्न–पत्रों के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस की सुनियोजित योजना
शोध आधारित विषयवार रणनीतिक दस्तावेज
स्ट्रेटेजिक डिस्कशन, लाइव प्रैक्टिस और सहपाठियों के साथ चर्चा के लिए निर्धारित ग्रुप सेशन
अधिक अंकदायी विषयों पर विशेष बल
लक्ष्य मेन्स प्रैक्टिस टेस्ट की सुविधा
मेंटर्स के साथ वन–टू–वन सेशन
निरंतर प्रदर्शन मूल्यांकन और निगरानी

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
SANDHAN

संधान के जरिए पर्सनलाइज्ड तरीके से UPSC प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए

(ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)

UPSC प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही काफी नहीं होता है; बल्कि इसके लिए स्मार्ट तरीके से टेस्ट की प्रैक्टिस भी जरूरी होती है।

अभ्यर्थियों की तैयारी के अलग-अलग स्तरों और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, हमने संधान टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है। यह ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत ही एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज है।

संधान की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

प्रश्नों का विशाल संग्रह: इसमें UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों (PYQs) के साथ-साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 15,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्न उपलब्ध हैं।

पर्सनलाइज्ड टेस्ट: अभ्यर्थी अपनी जरूरत के अनुसार विषयों और टॉपिक्स का चयन करके पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार कर सकते हैं।

प्रश्नों के चयन में फ्लेक्सिबिलिटी: अभ्यर्थी टेस्ट के लिए Vision IAS द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों या UPSC के विगत वर्षों के प्रश्नों में से चयन कर सकते हैं।

समयबद्ध मूल्यांकन: अभ्यर्थी परीक्षा जैसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय समय-सीमा में टेस्ट के जरिए अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल का मूल्यांकन कर उसे बेहतर बना सकते हैं।

प्रदर्शन में सुधार: टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर, सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाएगा।

स्टूडेंट डैशबोर्ड: स्टूडेंट डैशबोर्ड की सहायता से अभ्यर्थी हर विषय में अपने प्रदर्शन और ओवरऑल प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे।

संधान के मुख्य लाभ

अपनी तैयारी के अनुरूप प्रैक्टिस: अभ्यर्थी अपनी जरूरतों के हिसाब से विषयों और टॉपिक्स का चयन कर सकते हैं। इससे अपने मजबूत पक्षों के अनुरूप तैयारी करने में मदद मिलेगी।

पर्सनलाइज्ड असेसमेंट: अभ्यर्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार टेस्ट तैयार करने के लिए Vision IAS द्वारा तैयार प्रश्नों या UPSC में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का चयन कर सकते हैं।

कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज: प्रश्नों के विशाल भंडार की उपलब्धता से सिलेबस की संपूर्ण तैयारी सुनिश्चित होगी।

लक्षित तरीके से सुधार: टेस्ट के बाद मिलने वाले फीडबैक से अभ्यर्थियों को यह पता लग सकेगा कि उन्हें किन विषयों (या टॉपिक्स) में सुधार करना है। इससे उन्हें तैयारी के लिए बेहतर रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी।

प्रभावी समय प्रबंधन: तय समय सीमा में प्रश्नों को हल करने से टाइम मैनेजमेंट के लिए कौशल विकसित करने में मदद मिलेगी।

आत्मविश्वास में वृद्धि: कस्टमाइज्ड सेशन और फीडबैक से परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की तैयारी का स्तर तथा उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।

यह अपनी तरह की एक इनोवेटिव टेस्ट सीरीज है। संधान के जरिए, अभ्यर्थी तैयारी की अपनी रणनीति के अनुरूप टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे उन्हें UPSC प्रीलिम्स पास करने के लिए एक समग्र तथा टार्गेटेड अप्रोच अपनाने में मदद मिलेगी।

रजिस्ट्रेशन करने और "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज" का ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

संधान पर्सनलाइज्ड टेस्ट कैसे एक परिवर्तनकारी प्लेटफ़ॉर्म बन सकता है, यह जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance)

1.1. राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय संसाधनों के बंटवारे के संबंध में विवाद को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस मामले में मुख्य रूप से **निम्नलिखित तीन राज्यों ने केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है:**
  - **तमिलनाडु सरकार** का आरोप है कि केंद्र ने **आपदा राहत फंड जारी करने में देरी** की है।
  - **केरल सरकार ने निवल उधार पर एक सीमा तय करने**[1] के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है।
  - **कर्नाटक ने सूखा प्रबंधन के लिए राहत कोष की मांग** करते हुए केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

राजकोषीय संघवाद के बारे में

- भारतीय परिप्रेक्ष्य में **संघीय प्रणाली के भीतर निधियों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का संघ, राज्य एवं स्थानीय सरकारों** द्वारा साझाकरण ही **राजकोषीय संघवाद** है।
- राजकोषीय संघवाद को अक्सर निम्नलिखित **तीन व्यापक सिद्धांतों से जोड़कर देखा जाता है:**
  - **राजकोषीय समतुल्यता (Fiscal Equivalency):** इसके लिए यह आवश्यक है कि **हर सार्वजनिक सेवा के लिए एक अलग क्षेत्राधिकार (संस्था आदि) हो।** इसमें उस सेवा का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों का समूह शामिल होना चाहिए।
    - **उदाहरण के लिए-** एक ऐसी संस्था या निकाय की कल्पना करें जो केवल पार्क का उपयोग करने वाले निवासियों पर एक विशिष्ट कर लगाकर अपने स्वयं का पार्क फंड सृजित करती है।

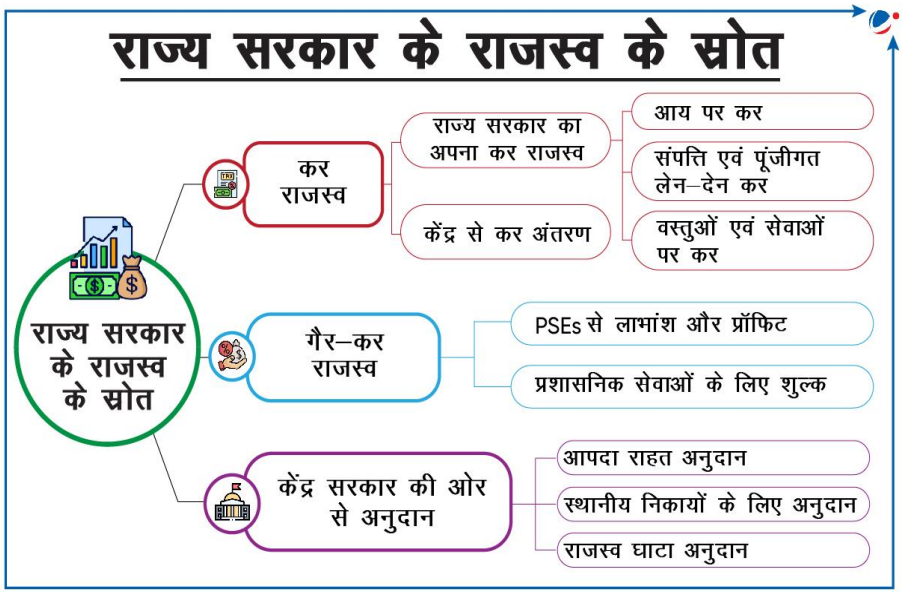

  - **विकेंद्रीकरण प्रमेय (Decentralization theorem):** इस सिद्धांत के अनुसार, किसी सार्वजनिक सेवा से **सीधे जुड़े लोगों की निकटतम सरकार** द्वारा इसे प्रदान करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। सरल शब्दों में, प्रत्येक सार्वजनिक सेवा को न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र पर नियंत्रण रखने वाली सरकार (या क्षेत्राधिकार) द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। इस प्रकार की सरकार ही ऐसी सेवाओं के लाभों और लागतों को वहन करती है।
  - **समनुषंगिता का सिद्धांत (Principle of Subsidiarity):** इस सिद्धांत के अनुसार, सभी कार्य शासन के निचले स्तर पर नागरिकों की निकटतम सरकार द्वारा किए जाने चाहिए। उन्हें ऊपरी स्तर पर केवल तभी पूरा किया जाना चाहिए, जब स्थानीय सरकार कार्य करने में असमर्थ हो। इसमें पदानुक्रम पर विशेष बल दिया जाता है।

भारत में "राजकोषीय संघवाद" व्यवस्था को परिभाषित करने वाले संवैधानिक प्रावधान

- **सातवीं अनुसूची:** संविधान के तहत **संघ** और **राज्यों** के बीच कर आधारों का उल्लेख कर उन्हें क्रमशः **संघ सूची** और **राज्य सूची** में सूचीबद्ध किया गया है। संविधान का **अनुच्छेद 246** संघ व राज्यों द्वारा संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाने की उनकी शक्ति को वर्णित करता है।

[1] Net borrowing ceiling limit

- **राजस्व का वितरण:** भारतीय संविधान में संघ व राज्यों के बीच राजस्व के वितरण को वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित अनुच्छेदों के तहत यह वर्गीकरण किया गया है-
  - **अनुच्छेद 269:** संघ द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले, लेकिन **पूरी तरह से राज्यों को सौंपे जाने वाले कर।**
  - **अनुच्छेद-269A:** अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान **वस्तु और सेवा कर** भारत सरकार द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाएगा। हालांकि, इसे **वस्तु और सेवा कर परिषद**[2] की सिफारिशों के आधार पर **केंद्र एवं राज्यों के बीच वितरित** किया जाएगा।
  - **अनुच्छेद 270:** संघ द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले, लेकिन **जब तक वित्त आयोग का गठन नहीं किया जाता तब तक राष्ट्रपति के आदेश पर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर।**
- **सहायता अनुदान (Grants-in-Aid):** केंद्र **अनुच्छेद 275** के तहत राज्यों को **सहायता अनुदान** प्रदान करता है।
- **ऋण: अनुच्छेद 292** के अनुसार, केंद्र सरकार के पास देश के अंदर (घरेलू स्रोतों से) या बाहर से धन उधार लेने की शक्ति है। हालांकि, **अनुच्छेद 293** के तहत राज्य सरकारें केवल घरेलू स्रोतों से (विदेश से नहीं) ही ऋण ले सकती हैं।
  - साथ ही, यदि किसी राज्य पर **केंद्र का ऋण बकाया है,** तो वह केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई अन्य ऋण नहीं ले सकता है।
- **वित्त आयोग (Finance Commission): अनुच्छेद 280** में संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसी उद्देश्य से **राष्ट्रपति द्वारा हर पांच साल बाद वित्त आयोग का गठन** किया जाता है।

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों से जुड़े विवाद या मुद्दे

- **राज्यों पर उधार/ ऋण लेने की सीमा:** केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्यों द्वारा ऋण/ उधार लेने की सीमा को उनके **सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3% पर सीमित** कर दिया है। यह सीमा **15वें वित्त आयोग** की सिफारिशों के अनुसार आरोपित की गई है।
  - साथ ही, केंद्र ने राज्यों की ऋण सीमा को बढ़ाने के लिए कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जैसे- विद्युत क्षेत्रक में सुधार करना।
- **ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन (Vertical fiscal imbalance):** कर की दरों को बढ़ाने की शक्ति काफी हद तक केंद्र सरकार के पास है (जैसे- आयकर, CGST, सीमा शुल्क, विदेशी लेन-देन पर कर, प्राकृतिक संसाधनों से आय आदि)। दूसरी ओर, GST लागू होने के बाद राज्य सरकारें केवल वस्तुओं व सेवाओं के उपभोग पर कर लगा सकती हैं (SGST)।
- **विकासात्मक व्यय (Developmental expenditure) का बोझ:** RBI ने बजटीय व्यय को **'विकासात्मक'** (सामाजिक-आर्थिक सेवाओं पर व्यय) और **'गैर-विकासात्मक'** (ब्याज भुगतान, पेंशन, सब्सिडी आदि) के रूप में वर्गीकृत किया है।
  - GDP के अनुपात के रूप में, सभी राज्य सरकारों का संयुक्त विकासात्मक व्यय **2004-05 में 8.8%** था, जो 2021-22 में बढ़कर **12.5%** हो गया था।
- **अंतर-सरकारी राजकोषीय अंतरण:** पिछले कुछ वर्षों में, कुछ राज्यों के लिए केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर **कर अंतरण में गिरावट** आई है।
  - **15वें वित्त आयोग ने अग्रलिखित के आधार पर कर अंतरण का फॉर्मूला तैयार किया है:** जनसंख्या (15%); क्षेत्रफल (15%), प्रति व्यक्ति आय अंतर (45%), जनसांख्यिकीय संक्रमण (12.5%), वन एवं पारिस्थितिकी (10%) तथा कर एवं राजकोषीय प्रयास (2.5%)।
  - प्रति व्यक्ति आय में अंतर को अधिक भारांश देने से **अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में जुटे राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव** पड़ा है।
- **उपकर (Cess) से प्राप्त राजस्व को राज्यों के साथ साझा न करना:** 2017-18 और 2022-23 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रमुख **उपकरों और अधिभारों (Surcharges) के संग्रह में 133% की वृद्धि** हुई है।
  - यह राशि **कुल करों का लगभग 25%** है, लेकिन इसे राज्यों के साथ साझा नहीं किया गया है।
- **सहायता अनुदान में कमी:** 2015-16 में राज्यों को 1,95,000 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान मिला था, जो 2023-24 में कम होकर 1,65,000 करोड़ रुपये हो गया था।
  - इस प्रकार कानूनी तौर पर होने वाले धन के अंतरण में कमी आई है। इसके अलावा, पहले योजना आयोग की मध्यस्थता से राज्यों को विवेकाधीन अनुदान मिलता था। अब यह अनुदान पूरी तरह से **केंद्र सरकार के विवेक पर निर्भर** हो गया है।
- **केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाया जाना:** केंद्र प्रायोजित योजनाओं के निर्माण में राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती है। हालांकि, ऐसी योजनाओं को लागू करने के लिए केंद्र सरकार बहुत कम यानी आंशिक वित्त-पोषण करती है, जबकि अधिकतर हिस्से का वित्त-पोषण राज्यों को करना पड़ता है।

[2] Goods and Services Tax council

आगे की राह

- **16वें वित्त आयोग की भूमिका:** जनसांख्यिकीय संक्रमण, आंतरिक एवं बाह्य प्रवासन, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न संकट जैसे **राज्य-विशिष्ट मुद्दों से निपटने के लिए 16वें वित्त आयोग के साथ विशेष चर्चा करने की आवश्यकता है।** इससे राज्यों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें फंड ट्रांसफर किया जा सकेगा।
  - 16वें वित्त आयोग के समक्ष **समानता (इक्विटी)** के मुद्दे को व्यापक चिंता का विषय बनाया जा सकता है। इसी प्रकार, क्षैतिज कर वितरण में **मानव विकास सूचकांक** पर विचार कर उसे उचित भारांश दिया जा सकता है।
- **बजटेतर उधारियों (Off-budget borrowings) की समीक्षा:** संघ और राज्यों, दोनों की बजट से इतर उधार लेने की व्यवस्था की समीक्षा करने की आवश्यकता है।
  - **बजटेतर उधारी** का अर्थ उन सभी ऋणों या उधार से है, जिनका बजट में पहले से उल्लेख नहीं होता है, लेकिन उन्हें लेने के बाद उन्हें चुकाने की देनदारी बजट पर डाल दी जाती है। आम तौर पर ऐसे ऋण/ उधारी की समीक्षा नहीं की जाती और न ही उनकी कोई सूचना दी जाती है।
- **क्षैतिज (Horizontal) असंतुलन को दूर करना:** राज्यों की जनसंख्या को ध्यान में न रखते हुए राज्यों को निश्चित व न्यूनतम वित्तीय संसाधनों का हस्तांतरण जरूरी है, लेकिन समृद्ध राज्यों को भी कर अंतरण में न्यूनतम हिस्सेदारी की गारंटी दी जानी चाहिए।
  - इसी प्रकार, निर्धन राज्यों को भी कर अंतरण के लिए एक सीमा तय की जानी चाहिए।
- **भारत में राजकोषीय संघवाद का मार्गदर्शन करने वाले प्रमुख सिद्धांतों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - वित्तीय मामलों में केंद्र और राज्यों, दोनों को **स्वायत्त** होना चाहिए। किसी को भी अपने वित्त के लिए **एक-दूसरे पर अनावश्यक रूप से निर्भर नहीं रहना चाहिए;**
  - केंद्र और राज्यों, दोनों को अपने वैध खर्चों को पूरा करने के लिए **पर्याप्त धनराशि/ कर जुटाने में सक्षम होना चाहिए;**
  - यदि व्यय में वृद्धि हो रही है, तो **आय बढ़ाने पर ध्यान** दिया जाना चाहिए आदि।

1.2. शासन में सिविल सेवकों की भूमिका (Role of Civil Servants in Governance)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **सिविल सेवा दिवस** के अवसर पर, प्रधान मंत्री ने शासन और जन-कल्याण को आगे बढ़ाने में सिविल सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।

सिविल सेवा के बारे में

- सिविल सेवक **शासन की कार्यकारी शाखा में स्थायी अधिकारी** होते हैं।
- **उत्पत्ति:** भारत में **योग्यता आधारित आधुनिक सिविल सेवा की अवधारणा 1854 में लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट** के बाद साकार हुई थी।
- **स्वतंत्रता के बाद:** स्वतंत्रता के बाद **सिविल सेवाओं को तीन प्रकारों में वर्गीकृत** किया गया-
  - **अखिल भारतीय सेवाएं:** ये केंद्र और राज्यों दोनों के लिए साझी हैं। इन सेवाओं के सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा भर्ती और प्रशिक्षित किया जाता है, लेकिन वे अलग-अलग राज्यों में राज्य सरकार को अपनी सेवाएं देते हैं।
  - **केंद्रीय सेवाएं:** इस सेवा के सदस्य अनन्य रूप से केंद्र को अपनी सेवाएं देते हैं।
  - **राज्य सेवाएं:** ये सेवाएं राज्य क्षेत्राधिकार के तहत विषयों के प्रशासन से संबंधित हैं।

शासन में सिविल सेवकों की भूमिका

- **शासन की निरंतरता:** स्थायी कार्यकारी का हिस्सा होने के नाते सिविल सेवक निर्वाचित सरकारें बदलने पर भी शासन में निरंतरता सुनिश्चित करते हैं।
- **सरकार और लोगों के बीच इंटरफेस:** सिविल सेवक लोगों की जरूरतों को सरकार तक पहुंचाने और **सरकारी नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करने** के लिए **मुख्य माध्यम** के रूप में कार्य करते हैं।
- **नीति निर्माण:** वे आवश्यक **इनपुट** प्रदान करते हैं, **नीतिगत क्षेत्रों की पहचान** करते हैं, **विकल्पों का विश्लेषण** करते हैं, **सामाजिक मुद्दों आदि के समाधान** प्रस्तुत करते हैं और **मंत्रियों को सलाह** देते हैं।
- **भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करना:**
  - **स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव:** चुनाव आयोग ने भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त **टी.एन.शेषन** द्वारा शुरू किए गए सुधारों को चुनाव में धनबल और बाहुबल के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण माना जाता है।
  - **सहभागी लोकतंत्र:** उदाहरण के लिए **1976 में ए.एम. गोखले ने विकेंद्रीकृत जमीनी स्तर की योजना और विकास** के लिए नागालैंड में ग्राम विकास बोर्ड (VDB) की शुरुआत की थी।
  - **समावेशी लोकतंत्र:** कई सिविल सेवकों ने **वंचित वर्गों को समाज में मुख्यधारा** में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए, 2020 में बलांगीर जिला प्रशासन ने ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए 'स्वेक्रुति' योजना शुरू की थी।
- **संवृद्धि और विकास:**
  - **कानून और व्यवस्था लागू करना:** देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए शांति महत्वपूर्ण है। सिविल सेवक सामाजिक तनावों व संघर्षों को दूर करने की दिशा में काम करते हैं और इस प्रकार सामाजिक एकता एवं सद्भाव बनाए रखने में सहायता करते हैं।
    - उदाहरण के लिए, **असम की आयरन लेडी के नाम से मशहूर आईपीएस अधिकारी संजुक्ता पाराशर ने पूर्वोत्तर में विद्रोही गतिविधियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका** निभाई थी।
  - **संसाधन की कमी संबंधी बाधाओं को दूर करने में सक्षम:** उदाहरण के लिए-
    - मणिपुर के मिरेकल मैन के नाम से मशहूर **आईएएस अधिकारी आर्मस्ट्रांग पामे ने 2012 में राज्य की वित्तीय सहायता के बिना 100 कि.मी. लंबी सड़क बनाने के लिए** सोशल मीडिया के माध्यम से **क्राउडफंडिंग** की थी। अब इस सड़क को **"लोगों की सड़क"** के नाम से भी जाना जाता है।
    - केरल में कोझिकोड के पूर्व जिला कलेक्टर प्रशांत नायर ने **ऑपरेशन सुलेमानी** चलाया था। इसके तहत **सम्मान के साथ भोजन उपलब्ध कराने के लिए जनता से मिले गुमनाम दान का उपयोग** किया गया था। इससे भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने में मदद मिली है।
- **करियर डिप्लोमैट्स:** सिविल सेवक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही समझौतों पर वार्ता करने, राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने और अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **अर्ध-न्यायिक भूमिका:** सिविल सेवक दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण, साइबर अपीलीय अधिकरण जैसे अधिकरणों में कार्य करते हैं।
- **प्रत्यायोजित विधान:** सिविल सेवक **विभागीय कानून बनाते** हैं। विधायिका कानून की एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करती है और सिविल सेवकों को उस कानून का विवरण बनाने की शक्ति सौंपती है।

सिविल सेवकों के कामकाज से जुड़ी चुनौतियां

- **स्वायत्तता:** बार-बार स्थानांतरण, राजनीतिक दबाव व हस्तक्षेप और उच्च अधिकारियों से अनुमोदन की आवश्यकता आदि सिविल सेवकों की स्वायत्तता को कम करती है।
- **बुनियादी ढांचा:** कई भारतीय शहरों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में **उचित बुनियादी ढांचे और संसाधनों की कमी** है। यह कमी सरकारी कार्यक्रमों एवं सेवा वितरण के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रभावित करती है।
- **लालफीताशाही:** जटिल नौकरशाही प्रक्रियाएं, सिविल सेवाओं में पदानुक्रमित प्रणाली आदि निर्णय प्रक्रिया को समय लेने वाला बनाती हैं। इससे **प्रगति की गति धीमी हो जाती है** और समाज में परिवर्तन लागू करना कठिन बन जाता है।
- **सुरक्षा:** सिविल सेवकों और उनके परिवार के सदस्यों को अक्सर हिंसा के जोखिम एवं अपराधियों या चरमपंथियों से धमकियों का सामना करना पड़ता है।
  - उदाहरण के लिए, आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे को अवैध बारों पर छापा मारने, अतिक्रमण ध्वस्त करने और भूमि व जल माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी।

सरकार ने सिविल सेवकों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए निम्नलिखित पहलें लागू की हैं:

- **सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम- मिशन कर्मयोगी:** इस पहल का उद्देश्य भारत सरकार के अंतर्गत व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रक्रियात्मक स्तरों पर सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण ढांचे में सुधार करना है।
  - **एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (iGOT)-कर्मयोगी प्लेटफॉर्म:** यह एक व्यापक ऑनलाइन मंच है, जो सिविल सेवा अधिकारियों को उनके क्षमता-निर्माण में व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- **सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक (NSCSTI):** इसे केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों (CTIs) की गुणवत्ता और **प्रशिक्षण वितरण की क्षमता को बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण आयोग** ने विकसित किया था।
- **आरंभ:** इसे भारत सरकार ने 2019 में शुरू किया था। यह सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए **पहला कॉमन फाउंडेशन कोर्स** है।
- **राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति:** इस नीति का उद्देश्य **पेशेवर, निष्पक्ष और कुशल सिविल सेवकों** को विकसित करना है, जो नागरिकों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी हों।
- **लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधान मंत्री पुरस्कार।**

निष्कर्ष

एक सिविल सेवक द्वारा पारदर्शिता, दक्षता और अखंडता की दिशा में उठाया गया प्रत्येक कदम हमारे देश को समावेशी विकास एवं सुशासन के लक्ष्यों के करीब लाता है। हालिया वर्षों में, सरकार ने सिविल सेवकों की कार्य कुशलता और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हालांकि, 21वीं सदी में नागरिकों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान और सेवाओं के वितरण को बढ़ाने के लिए सिविल सेवाओं के सावधानीपूर्वक पुनर्गठन की आवश्यकता है।

1.3. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन-वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (EVM-VVPAT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत निर्वाचन आयोग और अन्य वाद (2024)** में सुप्रीम कोर्ट ने EVM में डाले गए वोट के साथ VVPAT पर्ची के 100% क्रॉस-सत्यापन कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- 2023 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने EVMs में हेरफेर की संभावना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और कोर्ट से निम्नलिखित तीन अनुरोध किए थे-
  - **पेपर आधारित मतपत्र प्रणाली (पेपर बैलेट सिस्टम) को फिर से शुरू किया जाना चाहिए;** या
  - VVPAT मशीन से निकली पर्ची को **सत्यापन के लिए, मतदाता को दी जानी चाहिए** और मतगणना के लिए मतपेटी में वापस डाल दी जानी चाहिए; और/या
  - कंट्रोल यूनिट द्वारा इलेक्ट्रॉनिक गणना के अलावा **VVPAT पर्चियों की शत-प्रतिशत गणना** की जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **VVPAT का सत्यापन:** कोर्ट ने मतदाताओं के इस **मौलिक अधिकार को स्वीकार किया** कि उनका वोट सही ढंग से दर्ज किया जाए एवं उसकी गणना की जाए। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि **सभी VVPAT पर्चियों की गिनती करवाने या इन पर्चियों तक भौतिक रूप से पहुंच प्रदान करने की मांग, अधिकार के रूप में दावा नहीं है।**
- **पेपर बैलेट सिस्टम को फिर से अपनाना:** कोर्ट ने **पेपर बैलेट सिस्टम को फिर से शुरू करने को अस्वीकार** कर दिया। कोर्ट ने कहा कि EVMs सरल, सुरक्षित व उपयोगकर्ता अनुकूल हैं और चुनावों की सत्यनिष्ठा एवं निष्पक्षता को बनाए रखती हैं। साथ ही, VVPAT प्रणाली मत सत्यापन के सिद्धांत को मजबूत करती है। इस प्रकार EVM-VVPAT प्रणाली चुनाव प्रक्रिया की समग्र जवाबदेही में वृद्धि करती है।
- **EVM-VVPAT में जनता का विश्वास बढ़ाने का निर्देश:** इस संदर्भ में कोर्ट ने **निम्नलिखित दो निर्देश** जारी किए:
  - **सिंबल लोडिंग यूनिट (SLU) प्रोटोकॉल को मजबूत बनाना:** VVPAT में सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने पर, **SLU को कंटेनर्स में सील और सुरक्षित किया जाएगा।** इन कंटेनर्स पर उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

- **परिणाम घोषित होने के बाद कम-से-कम 45 दिनों तक इन सीलबंद कंटेनर्स** को EVMs के साथ **स्ट्रॉन्ग रूम** में रखा जाएगा।

○ **बर्न्ट मेमोरी का सत्यापन: चुनाव हारने वाले किसी एक उम्मीदवार द्वारा लिखित अनुरोध** पर प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5% EVM मशीनों में बर्न्ट मेमोरी सेमी-कंट्रोलर की **विशेषज्ञों द्वारा जांच** की जाएगी।

- यह अनुरोध लिखित रूप में **परिणाम की घोषणा के बाद 7 दिनों की अवधि के भीतर** किया जा सकता है।

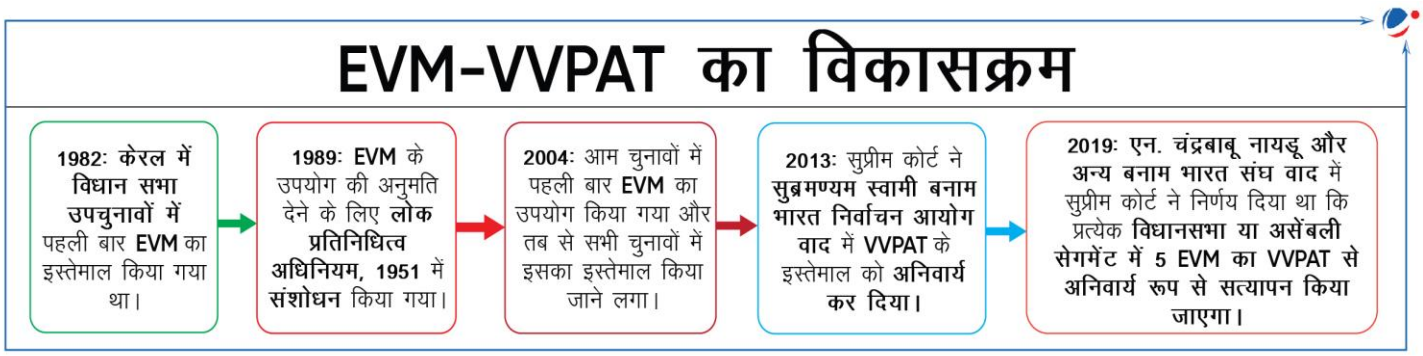

EVM-VVPAT के बारे में

- **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) एक पोर्टेबल माइक्रोकंट्रोलर-आधारित उपकरण** है। इसे चुनाव प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इसे भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने **इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL)** के साथ मिलकर विकसित किया है।
  - **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड:** यह **रक्षा मंत्रालय** के तहत कार्य करती है।
  - **इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड:** यह **परमाणु ऊर्जा विभाग** के तहत कार्य करती है।
- EVM में दो यूनिट शामिल होती हैं: **कंट्रोल यूनिट** और **बैलेटिंग यूनिट।**
  - **बैलेटिंग यूनिट:** इसका उपयोग **वोट डालने** के लिए किया जाता है। यह **16 बटन** वाले कीबोर्ड की तरह कार्य करती है।
  - **कंट्रोल यूनिट:** इसे **मास्टर यूनिट** भी कहा जाता है, यह **मतदान/ पीठासीन अधिकारी** के पास रहती है।
- **वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) के बारे में:** यह EVM का ही एक घटक है। यह मशीन सत्यापित करती है कि मतदाता का वोट उसी उम्मीदवार को गया है, जिसे उसने वोट दिया है।
  - यह मतदाताओं को **7 सेकंड के लिए एक प्रिंटेड पर्ची भी दिखाता है।** इस पर्ची में वोट डालने के लिए **चुने गए उम्मीदवार का सीरियल नंबर, नाम और चुनाव चिन्ह प्रिंटेड** होता है।
  - यह पर्ची एक पारदर्शी विंडो में दिखाई देती है और 7 सेकंड पूरे होने के बाद ऑटोमेटिक रूप से कट कर एक सीलबंद बॉक्स में गिर जाती है।
  - इसे **मतदान प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता लाने** और EVMs का उपयोग करके मतदान प्रणाली की सटीकता सुनिश्चित करके मतदाताओं का विश्वास बहाल करने के लिए लाया गया था।

क्या आप जानते हैं?

- 2017 में गोवा विधान सभा चुनाव के दौरान पहली बार सभी **EVMs** के साथ **VVPATs का उपयोग** किया गया था।
- **2019** के लोक सभा चुनावों में **VVPATs को पहली बार पूरी तरह से उपयोग में लाया** गया था।

EVM-VVPAT के लाभ

- यह बैटरी से चलती है। इसे चलाने के लिए **बाहर से बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं** होती है।
- यह **अवैध कागजी मतपत्रों की तरह ही अवैध वोटों पर रोक लगाती है।**
- EVM में **एक मिनट में अधिकतम केवल 4 वोट ही डाल** सकते हैं। इससे **बूथ कैप्चरिंग की घटना पर रोक** लगती है।
- कंट्रोल यूनिट पर "क्लोज/ Close" बटन दबाने के बाद इसमें **मतदान करने की संभावना खत्म** हो जाती है।
- किसी भी समय कंट्रोल यूनिट पर "टोटल/ Total" बटन दबाने पर, बटन दबाने के समय तक डाले गए **वोटों की कुल संख्या प्रदर्शित होती है, लेकिन किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, यह प्रदर्शित नहीं** होता है।
- प्री-प्रोग्रामिंग के जरिए **EVM में हेरफेर करना संभव नहीं है।**

निष्कर्ष

हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी नागरिकों की अभिव्यक्ति/ राय एवं पसंद को महत्त्व व सम्मान दिया जाए, नागरिकों एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा निर्वाचन तंत्र के बीच विश्वास और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

1.4. दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 {Rights of Persons With Disabilities (RPWD) Act, 2016}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **सीमा गिरिजा लाल एवं एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य वाद** में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों द्वारा दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 को पूरी तरह से लागू नहीं करने पर निराशा व्यक्त की है।

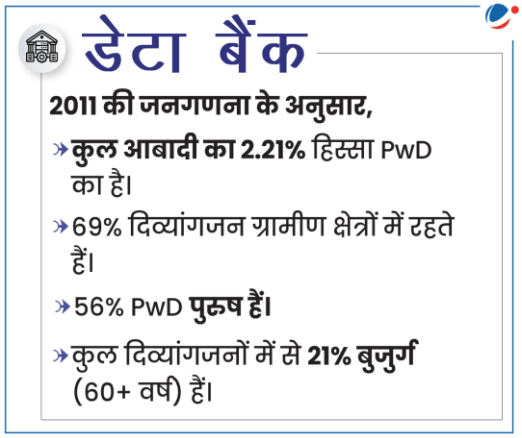

अन्य संबंधित तथ्य

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि **आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़** सहित कुछ राज्य अधिनियम के अलग-अलग प्रावधानों को लागू नहीं कर पा रहे हैं। **जैसे-**
  - राज्य आयुक्तों की नियुक्ति,
  - दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि का गठन,
  - दिव्यांगता प्रमाणन हेतु मूल्यांकन बोर्ड्स का गठन,
  - विशेष न्यायालयों की स्थापना, आदि।
- सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे **सभी राज्यों को निर्देश** दिया है कि वे **30 जून तक** अधिनियम के अलग-अलग प्रावधानों को **लागू करें।** साथ ही, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को भी निर्देश दिया है कि वह **अनुपालन की स्थिति पर कोर्ट को अपडेट करे।**

दिव्यांगजनों (PWDs) के बारे में

- संविधान में मूल अधिकारों के तहत सभी नागरिकों को **समानता का अधिकार** प्रदान किया गया है। इसके बावजूद **दिव्यांगजनों** को पूर्वाग्रह, सामाजिक-मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक कारणों से **कलंक, भेदभाव और उपेक्षा** का सामना करना पड़ता है।
- दिव्यांगजनों की क्षमताओं को अक्सर कम करके आंका जाता है। इससे उनके **विकास में बाधा उत्पन्न होती है और यह एक दुष्चक्र का रूप ले लेता है, जो उनकी उपलब्धियों को कम** कर देता है।

दिव्यांगजन अधिकार (RPwD), अधिनियम 2016 के बारे में

पृष्ठभूमि

- इस अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि **सभी दिव्यांगजन गरिमा के साथ, बिना किसी भेदभाव के और समान अवसरों के साथ अपना जीवन व्यतीत करें।**
- इस अधिनियम को **दिव्यांगजन अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCRPD)[3], 2007** को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था।
  - **भारत इस अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता देश है।**

[3] United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities

अधिनियम के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र

दिव्यांगजन[4] की परिभाषा: दिव्यांगता किसी व्यक्ति की **दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदनशील कमजोरी** को दर्शाती है। इस कमजोरी के कारण दिव्यांगजनों को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो समाज में दूसरे व्यक्तियों के समान उनकी **पूर्ण और प्रभावी भागीदारी को बाधित** करती है।

- **दिव्यांगजनों को मान्यता:** दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में **21 प्रकार** की निःशक्तताओं या दिव्यांगताओं की पहचान की गई है। इनमें **एसिड हमले से पीड़ित, बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक बीमारी** आदि को भी शामिल किया गया है।
- **दिव्यांगजनों के अधिकारों की सूची:**
  - यह सरकार की जिम्मेदारी है कि दिव्यांगजनों को **समानता, गरिमा और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार** प्राप्त हो।
  - उन्हें **उत्पीड़न, क्रूरता, अमानवीय व्यवहार, हिंसा, शोषण आदि से सुरक्षा** प्राप्त करने का अधिकार है।
  - **अन्य अधिकारों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
    - घर और परिवार का अधिकार, प्रजनन का अधिकार, मतदान का अधिकार, संपत्ति के स्वामित्व या विरासत का अधिकार आदि।
- **बेंचमार्क (संदर्भित) दिव्यांगजन:** इसका अर्थ उस व्यक्ति से है, जिसमें **कम-से-कम 40 प्रतिशत निर्दिष्ट दिव्यांगता है,** जैसा कि प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाता है। ऐसी दिव्यांगता विशिष्ट शब्दों (Measurable terms) में परिभाषित हो भी सकती है और नहीं भी।
- **गार्जियनशिप/ संरक्षकता (Guardianship):** यदि कोई दिव्यांग समर्थन प्राप्त होने के बावजूद भी स्वयं के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्णय नहीं ले सकता है, तो सीमित तौर पर एक गार्जियन की व्यवस्था की जा सकती है। ऐसी व्यवस्था **जिला न्यायालय अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी पदनामित प्राधिकारी** द्वारा उस दिव्यांग व्यक्ति की सहमति से की जाती है। जिला न्यायालय या पदनामित प्राधिकारी उस दिव्यांग व्यक्ति को इस व्यवस्था के तहत पूर्ण सहायता प्रदान करेगा। हालांकि, जहां सीमित तौर पर गार्जियन की व्यवस्था की जानी है, उस स्थिति में दी जाने वाली सहायता के संदर्भ में **निर्णय का यथास्थिति जिला न्यायालय या पदनामित प्राधिकारी द्वारा समीक्षा** की जाएगी।
  - **सीमित तौर पर गार्जियन की व्यवस्था (Limited guardianship) करने के लिए प्राधिकरण का गठन नहीं** किया गया है। यह संरक्षक और दिव्यांगजन के बीच आपसी समझ एवं विश्वास पर आधारित संयुक्त निर्णय लेने वाली व्यवस्था है। यह व्यवस्था **दिव्यांगजनों की इच्छा** का पालन करती है और **विशिष्ट अवधियों, निर्णयों और स्थितियों तक सीमित** होती है।
- **सामाजिक सुरक्षा:** यह अधिनियम सरकार को दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्यक्रम तैयार करने का आदेश देता है। इन कार्यक्रमों का लक्ष्य उन्हें स्वतंत्र रूप से या समुदाय में रहने में सक्षम बनाने के लिए **एक उचित जीवन स्तर** प्रदान करना होना चाहिए।

RPwD अधिनियम के अपर्याप्त कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार कारण

- **संसाधनों का अपर्याप्त आवंटन:** 2022-23 में संसदीय स्थायी समिति ने दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए शुरू किए गए अलग-अलग कार्यक्रमों हेतु बजट के अपर्याप्त आवंटन पर प्रकाश डाला था। **उदाहरण के लिए,**

[4] Persons with Disabilities: PwD

- 2016-17 और 2020-21 के बीच, **निःशक्तजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना (SIPDA)** के तहत घटकों की संख्या 6 से बढ़कर 13 हो गई थी, जबकि बजटीय आवंटन में 9 प्रतिशत से भी कम की वृद्धि हुई थी।
- **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना के तहत 300 रुपये या 500 रुपये प्रतिमाह की निःशक्तता पेंशन** प्रदान की जाती है। यह राशि महंगाई की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बहुत कम है।

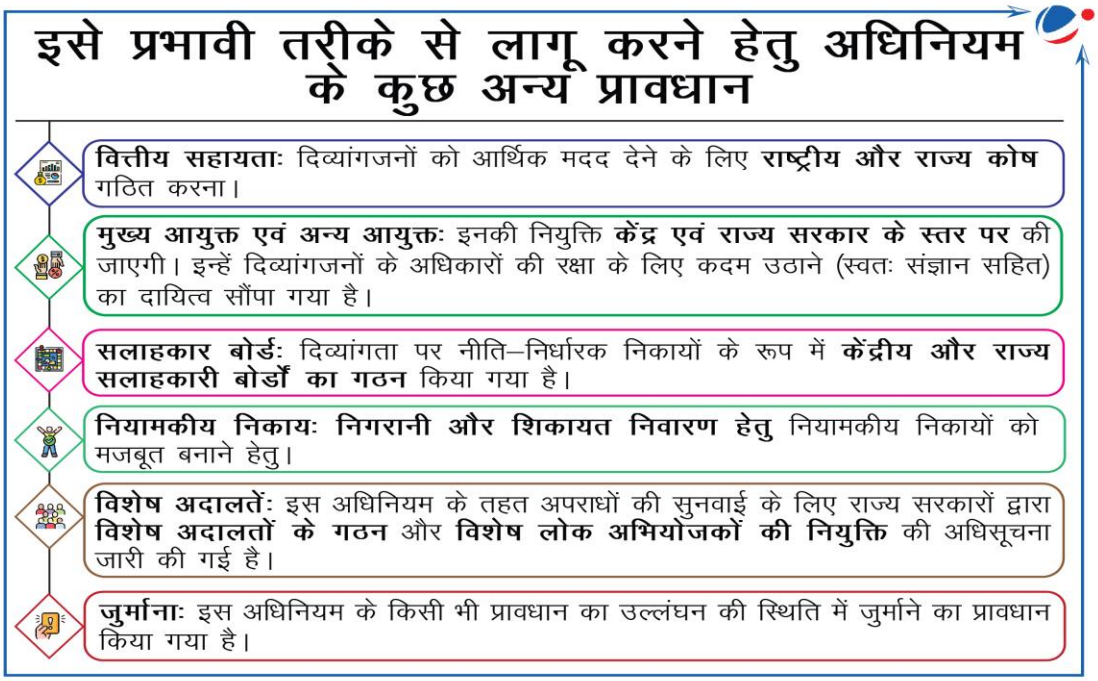

- **समन्वय संबंधी समस्याएं:** दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों व जिलों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। साथ ही, अलग-अलग विभागों और एजेंसियों के बीच भी प्रभावी समन्वय की आवश्यकता है। इस समन्वय को सुनिश्चित करना एक कठिन कार्य है।
  - उदाहरण के लिए, राज्य सरकारों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने की समस्या लगातार बनी हुई है। इससे केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजनों हेतु शुरू की गई विविध पहलों के कार्यान्वयन के लिए धन आवंटित नहीं किया जा रहा है।
- **पुनर्वास सेवाएं:**
  - **69 प्रतिशत दिव्यांगजन ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं।** ग्रामीण क्षेत्रों में पुनर्वास संबंधी सेवाओं की पहुंच, उपलब्धता और उपयोगिता का अभाव पाया जाता है।
  - **दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना** के तहत **पुनर्वास पेशेवरों की सेवा प्राप्त करने के लिए वर्तमान लागत मानक पर्याप्त नहीं हैं।** इसके अलावा, **दूरस्थ क्षेत्रों में पेशेवरों की विशेष कमी है।**
- **शैक्षिक सशक्तीकरण में बाधा:** दिव्यांगजनों को शैक्षिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निर्दिष्ट योजनाओं हेतु बजटीय आवंटन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
  - इसके अलावा, **राष्ट्रीय फेलोशिप योजना को छोड़कर,** कोई अन्य निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है।
- **डेटा और अनुसंधान का अभाव: अपडेटेड, विश्वसनीय और अलग-अलग तरह की दिव्यांगता से संबंधित वर्गीकृत डेटा का अभाव** है। इससे साक्ष्य-आधारित नीति निर्धारण एवं लक्षित हस्तक्षेपों में बाधा उत्पन्न होती है।

दिव्यांगजनों के लिए शुरू की गई पहलें

- **दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति के नए मसौदे** में "निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006" को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसका उद्देश्य इस नीति को UNCRPD, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के साथ तालमेल में रखना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का लक्ष्य **दिव्यांगजनों के लिए समावेशी शिक्षा** को बढ़ावा देना है।
- **दिव्यांगजनों से संबंधित निम्नलिखित चार राष्ट्रीय कानून हैं:**
  - **सामाजिक न्याय मंत्रालय:** भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992; ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता एवं बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016.
  - **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय:** मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017.
- **निःशक्तजन अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन के लिए योजना (SIPDA)[5]**
  - **सुगम्य भारत अभियान:** इस अभियान को **2015** में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए बाधा रहित अनुकूल परिवेश, परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार इकोसिस्टम तैयार करना है।
  - **दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम।**
  - जिला मुख्यालयों/ सरकारी मेडिकल कॉलेजों वाले अन्य स्थानों पर **प्रारंभिक निदान और हस्तक्षेप केंद्र** स्थापित करना।
- **भारत निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय पहलों का भी हस्ताक्षरकर्ता है**
  - एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांगजनों के लिए "अधिकार को वास्तविक बनाने हेतु" **इंचियोन स्ट्रेटजी** को अपनाना।
  - एशिया-प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांगजनों की "**पूर्ण भागीदारी और समानता पर घोषणा**" दिसंबर, 1992 में बीजिंग में अपनाई गई थी।
  - **बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क:** यह फ्रेमवर्क एक **समावेशी, बाधा मुक्त और अधिकार-आधारित समाज** की दिशा में काम कर रहा है।

आगे की राह

- **राज्यों को सहायता प्रदान करना:** केंद्र को राज्य एजेंसियों को विशेषज्ञ सलाह, लक्ष्यों और संसाधनों के साथ मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। इससे अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा।
- **सहयोग को बढ़ावा देना:** सरकारी निकायों, नागरिक समाज, दिव्यांगता अधिकार समूहों तथा निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि दिव्यांगजनों के अधिकारों एवं समावेशन को बढ़ावा मिल सके।
- **पहुंच में सुधार:** भौतिक, डिजिटल और परिवहन संबंधी अवसंरचना की सार्वजनिक खरीद करते समय सभी केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय खरीद संबंधी कानूनों व नीतियों में सुगम्यता संबंधी मानदंडों को शामिल करना चाहिए।
- **प्रभाव मूल्यांकन को बढ़ावा देना:** दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी और उसके प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए बेहतर डेटा सिस्टम को स्थापित करने की आवश्यकता है। साथ ही, दिव्यांगजनों द्वारा सामना किए जाने वाली क्षेत्रीय चुनौतियों को समझने के लिए इससे जुड़े हुए अनुसंधान को बढ़ावा देने की जरूरत है।
- **सोशल ऑडिट:** दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 48 के अनुसार, दिव्यांगजनों को शामिल करने वाली सभी सामान्य योजनाओं और कार्यक्रमों का उपयुक्त सरकार द्वारा सोशल ऑडिट करना आवश्यक है। इस प्रावधान को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने की जरूरत है।

[5] Scheme for Implementing of Persons with Disabilities Act

1.5. स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 {Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014** के लागू होने का एक दशक (10 वर्ष) पूरा हुआ है।

स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में

- **वर्तमान स्थिति:** देश में स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या लगभग **10 मिलियन है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में इनकी संख्या सबसे अधिक है।** इनमें से ज्यादातर प्रवासी हैं।
- **अर्थव्यवस्था में योगदान:** सरकारी अनुमान के अनुसार, देश में **कुल शहरी अनौपचारिक रोजगार (गैर-कृषि) में स्ट्रीट-वेंडिंग की हिस्सेदारी लगभग 14%** है।
- गरीब परिवारों के लिए, स्ट्रीट वेंडिंग **सबसे कम पूंजी के साथ स्व-रोजगार के सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध** कराती है।
- **स्ट्रीट वेंडर्स के समक्ष आने वाली मुख्य चुनौतियां:**
  - कम आय, अनियमित रोजगार और बिक्री में उतार-चढ़ाव के कारण **वित्तीय असुरक्षा** औपचारिक ऋण सेवाओं तक इनकी पहुंच को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
  - **खराब कामकाजी परिस्थितियां-** जैसे कई-कई घंटों तक वेंडिंग करना, लू जैसी कठोर मौसमी स्थितियों में भी कार्य करना आदि। साथ ही बेहतर आश्रय स्थल, परिवहन, भंडारण सुविधाओं आदि तक पहुंच की कमी।
  - महिलाओं को स्वच्छता जैसी **बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच संबंधी समस्याओं का सामना** करना पड़ता है। इसके अलावा वे छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न आदि सहित सुरक्षा संबंधी जोखिमों के प्रति भी सुभेद्य होती हैं।

स्ट्रीट वेंडर्स से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 19(1)(g):** कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 39(a):** पुरुष और महिला सभी नागरिकों को **समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन हासिल करने का अधिकार** है।
- **अनुच्छेद 39(b):** समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि सामूहिक हितों की पूर्ति हो सके, अर्थात् लोगों की भलाई हो सके।

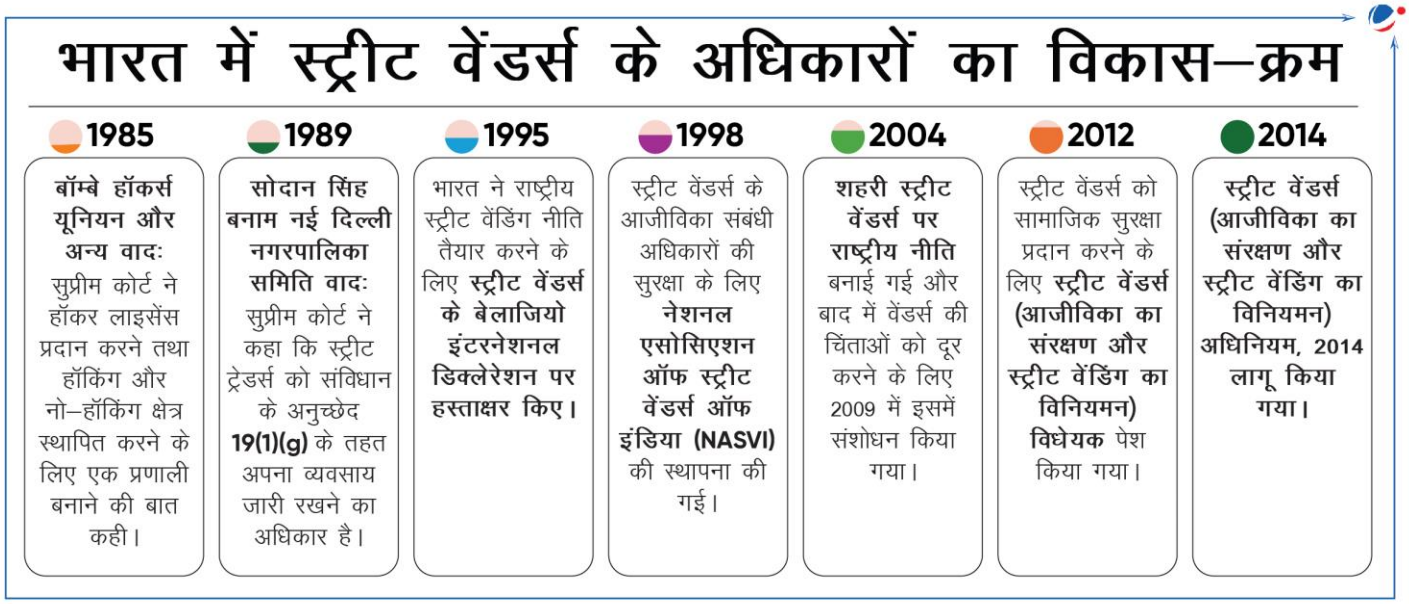

स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 के बारे में

पृष्ठभूमि

- स्ट्रीट वेंडिंग **अविनियमित अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा** है। इसलिए, शहर के **सिविल अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, थोक विक्रेताओं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस (RWAs)** और स्वयं कई निवासियों द्वारा इसे **कानून के उल्लंघन** के तौर पर देखा जाता है।
- **शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के संबंध में भारत की राष्ट्रीय नीति** में स्ट्रीट वेंडिंग को सकारात्मक रूप से मान्यता दी गई है। इसके बावजूद भी शहरी योजना निर्माण में स्ट्रीट वेंडर्स को शामिल करने की मुख्य चुनौती अनसुलझी रही है।

- इस पृष्ठभूमि में, वर्षों से NASVI (नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया) और सुप्रीम कोर्ट सहित कई संगठनों ने बार-बार **"फेरीवालों के फेरी लगाने के मौलिक अधिकार (व्यवसाय के रूप में) को नियंत्रित व विनियमित करने के लिए संरचित विनियमन और कानून"** बनाने की मांग की है।

इस अधिनियम के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर

- **स्ट्रीट वेंडर की परिभाषा:** कोई व्यक्ति जो **सड़क, गली, फुटपाथ पर या एक स्थान से दूसरे स्थान पर आम जनता को सामग्री, वस्तुओं व खाद्य पदार्थों की बिक्री करता है या सेवाएं प्रदान करता है स्ट्रीट वेंडर या पथ विक्रेता** कहलाता है।
- **वेंडिंग जोन की परिभाषा:** यह **स्थानीय प्राधिकरण** द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को स्ट्रीट वेंडिंग हेतु विशिष्ट उपयोग के लिए निर्धारित किसी क्षेत्र या स्थान या लोकेशन को व्यक्त करता है। इसमें फुटपाथ, साइडवॉक, पटरी आदि शामिल होते हैं।
  - **वेंडिंग जोन** में वार्ड/ जोन/ कस्बे/ शहर की **आबादी का केवल 2.5% हिस्सा** ही आ सकता है।
- **स्ट्रीट वेंडिंग योजनाएं (SVPs):** स्थानीय पदाधिकारियों को **SVPs तैयार करनी चाहिए। इनमें निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:**
  - वेंडिंग जोन की पहचान करना,
  - स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्थानिक योजनाएं बनाना, तथा
  - वस्तुओं और सेवाओं के कुशल एवं लागत प्रभावी वितरण के लिए उपाय करना।

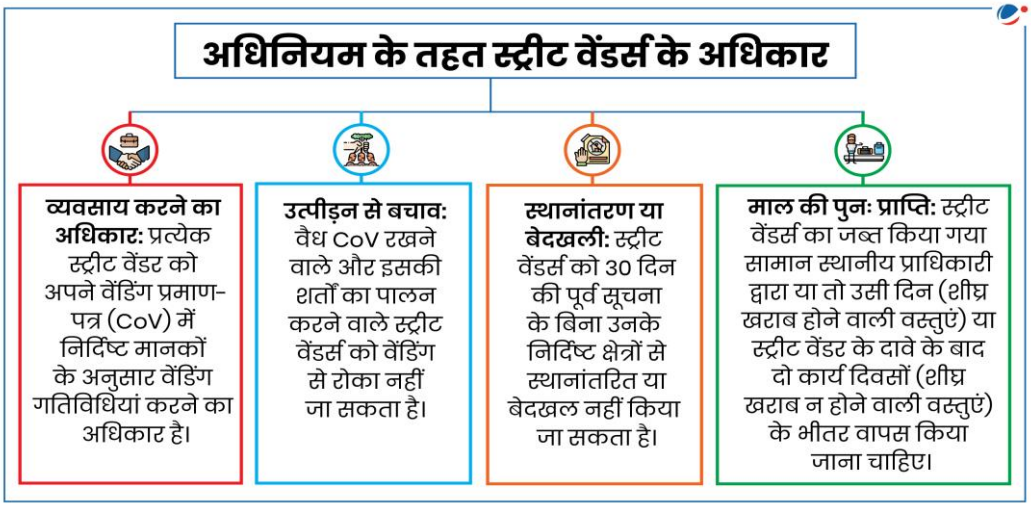

- **कर्तव्यों का उल्लेख**
  - **स्ट्रीट वेंडर्स के कर्तव्य:** स्थानीय कानूनों और विनियमों का पालन करना, वेंडिंग शुल्क का भुगतान करना तथा स्वच्छता और सुरक्षा मानकों का अनुपालन करना।
  - **सरकार के कर्तव्य:** सरकार रेहड़ी-पटरी वालों के लिए ऋण, बीमा और सामाजिक सुरक्षा की अन्य कल्याणकारी योजनाओं को उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहन संबंधी उपाय कर सकती है।

अधिनियम के तहत स्थापित प्रमुख निकाय

टाउन वेंडिंग समितियां (TVCs)	शिकायत निवारण समितियां (GRCs)

• **संरचना**
  ○ **अध्यक्ष: नगरपालिका आयुक्त या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)।**
  ○ **अन्य सदस्य:** स्थानीय प्राधिकरण, योजना प्राधिकरण, स्थानीय पुलिस आदि के प्रतिनिधि। इनमें **कम-से-कम 40% निर्वाचित सदस्य स्ट्रीट वेंडर्स होंगे, जिनमें से एक-तिहाई महिलाएं** होंगी।
• **कार्य**
  ○ **TVCs द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वेक्षण:** यह कार्य चिन्हित किए गए वेंडर्स को वेंडिंग प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए **प्रत्येक पांच साल में कम-से-कम एक बार** किए जाने का प्रावधान किया गया है।
  ○ **वेंडिंग प्रमाण-पत्र जारी करना:** सर्वेक्षण में **पहचाने गए 14 वर्ष से अधिक आयु** के प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर्स को वेंडिंग प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा। इनमें **SCs, STs, OBCs, महिलाओं, दिव्यांगजनों और अल्पसंख्यकों** को प्राथमिकता दी जाएगी।
  ○ **वेंडिंग प्रमाण-पत्र को रद्द करना:** गैर-अनुपालन के लिए **वेंडिंग प्रमाण-पत्र को रद्द या निलंबित** किया जा सकता है।
• **TVCs के खिलाफ अपील:** इनके निर्णयों के खिलाफ **स्थानीय प्राधिकरण** के पास अपील की जा सकती है।
  ○ यहां स्थानीय प्राधिकरण से आशय है कोई **नगरपालिका, नगर निगम या नगर पंचायत।**
	• **नियुक्ति:** सरकार एक या एक से अधिक GRCs का गठन कर सकती है।
	• **कार्य:** स्ट्रीट वेंडर्स की शिकायतों या विवादों का समाधान करना।
	• **संरचना:** एक अध्यक्ष जो एक **सिविल जज या न्यायिक मजिस्ट्रेट** रहा हो तथा विवाद समाधान के लिए दो अन्य पेशेवर।
	• **अपील:** GRCs के निर्णय के विरुद्ध **स्थानीय प्राधिकरण** के समक्ष अपील की जा सकती है।
	  ○ यहां स्थानीय प्राधिकरण से आशय है कोई **नगरपालिका, नगर निगम या नगर पंचायत।**

स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम, 2014 के कार्यान्वयन में चुनौतियां

शहरी विकास पर संसद की स्थायी समिति ने अधिनियम के कार्यान्वयन में निम्नलिखित चुनौतियों पर प्रकाश डाला है:

- **सभी स्ट्रीट वेंडर्स का पंजीकरण न होना:** स्ट्रीट वेंडर्स को अपना व्यवसाय चलाने के लिए कानूनी अधिकार प्रदान करने वाले पहचान-पत्र और वेंडिंग प्रमाण-पत्र **सभी वेंडर्स को जारी नहीं** किए गए हैं।
- **निष्कासन के प्रति असुरक्षा की भावना का बना रहना:**
  - कई **शहरी स्थानीय निकायों** में तो अब तक **TVCs** का गठन ही नहीं किया गया है। इससे स्ट्रीट वेंडर्स को उनके स्थान से निकालने का खतरा बना हुआ है।
  - **TVCs के कुल सदस्यों में से 60% सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत** होते हैं। इससे स्ट्रीट वेंडर्स प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर गंभीरता से विचार होने की संभावना कम हो जाती है।
- **राज्यों द्वारा कार्यान्वयन में ढिलाई:**
  - अधिनियम के **कई प्रावधानों** को अभी भी कुछ राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा **लागू किया जाना बाकी** है।
  - जिन राज्यों ने अधिनियम के तहत किसी योजना को अधिसूचित किया है, उनके **केवल 31 प्रतिशत शहरों ने ही उस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडिंग प्लांस तैयार** किए हैं।
  - **असम** जैसे कुछ राज्यों ने **वेंडिंग प्लांस तैयार किए बिना ही वेंडिंग जोन्स अधिसूचित** कर दिए हैं।
  - **केवल 9 राज्यों** (असम, केरल, पंजाब आदि) ने ही **GRCs का गठन** किया है।
- **आधुनिक शहरीकरण में इन्हें शामिल नहीं करना:** कई शहरों को स्ट्रीट वेंडर्स पर विचार किए बिना स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जा रहा है या शहरीकरण मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं।

भारत में स्ट्रीट वेंडर्स की सुरक्षा के लिए शुरू की गई अन्य पहलें

- **प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि) योजना:** इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को **बिना किसी जमानत राशि** (Collateral-free) के **कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा** प्रदान की जा रही है।
- **शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता (SUSV)[6]:** यह **दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) का एक घटक** है। SUSV योजना कौशल विकास, सूक्ष्म उद्यम विकास, ऋण उपलब्धता आदि का प्रावधान करती है।
- **प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) 3.0:** इसके तहत **रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (RPL) घटक** के तहत **स्ट्रीट फूड विक्रेताओं (जो ई-कार्ट लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं) को कौशल प्रदान** करने का प्रावधान किया गया है।

आगे की राह

इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए **शहरी विकास पर संसदीय स्थायी समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:**

- **स्मार्ट कार्ड जारी करना:** स्ट्रीट वेंडर्स को प्रासंगिक जानकारी (जैसे पहचान और वेंडिंग प्रमाण-पत्र का विवरण) से युक्त स्ट्रीट वेंडर्स स्मार्ट कार्ड प्रदान करने चाहिए। यह कार्ड कागज-आधारित दस्तावेजों की तुलना में अधिक टिकाऊ होता है।
- **TVCs को मजबूत करना:**
  - सभी राज्यों में **TVCs का शीघ्र गठन सुनिश्चित** करना चाहिए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि **TVCs के परामर्श के बिना किसी भी बेदखली या स्थानांतरण** को लागू नहीं किया जाना चाहिए।
  - TVCs में स्ट्रीट वेंडर्स प्रतिनिधित्व की **नियमित रूप से निगरानी** की जानी चाहिए। साथ ही, **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)** द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स प्रतिनिधित्व का एक **डेटाबेस** भी बनाए रखा जाना चाहिए।
- **समावेशी शहरीकरण सुनिश्चित करना:** MoHUA को निम्नलिखित के लिए दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए:
  - **स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम** को विकासात्मक मिशनों एवं शहरी नियोजन प्रक्रियाओं के साथ **एकीकृत** करना;

[6] Support to Urban Street Vendors

- स्मार्ट सिटी मिशन के तहत परियोजनाओं की योजना बनाते समय **TVCs के साथ परामर्श करना;**
- किसी शहर का मास्टर प्लान बनाने वाली समिति में **स्ट्रीट वेंडर्स समुदाय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित** करना।

- **अधिनियम के कार्यान्वयन के दायरे को बढ़ाना:**
  - **शहरों में GRCs के गठन को प्रोत्साहित** करना चाहिए। इसके अलावा, शिकायत निवारण प्रक्रिया में **शिकायत पर कार्रवाई का पता लगाने, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने आदि के लिए एक वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन विकसित** करनी चाहिए।
  - अधिनियम के कार्यान्वयन की **प्रगति की समीक्षा** करने तथा कार्यान्वयन के लिए बेहतर कार्य पद्धतियों को साझा करने हेतु **एक निगरानी समिति का गठन** करना जरूरी है।
  - **शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रभावी कार्यान्वयन को मान्यता देने** और उसे प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण के समान ही **वार्षिक सर्वेक्षण आयोजित** करना चाहिए।

1.6. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission: NHRC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र (UN) से संबद्ध **ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस (GANHRI)** ने लगातार दूसरे वर्ष भी भारत के **"राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)" को मान्यता (प्रत्यायन) प्राप्त मानवाधिकार निकाय का दर्जा स्थगित** कर दिया।

पृष्ठभूमि

- GANHRI एक विशिष्ट **पीयर रिव्यू आधारित मान्यता प्रक्रिया** अपनाता है। इस प्रक्रिया के जरिये GANHRI यह सुनिश्चित करता है कि अलग-अलग देशों की **राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं (NHRIs)**[7] अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त मानकों का पालन कर रही हैं। इन मानकों को **पेरिस सिद्धांत** कहा जाता है।
- इस मान्यता का उद्देश्य **मानवाधिकार संस्थाओं की स्वतंत्रता, बहुलवाद और जवाबदेहिता सुनिश्चित** करना है।
- **NHRIs को मान्यता की प्रक्रिया:** कोई राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था जब शुरुआती मान्यता के लिए आवेदन करती है, तो इसकी समीक्षा GANHRI की **प्रत्यायन उप-समिति (SCA)**[8] द्वारा की जाती है। इसके अलावा NHRIs को फिर से मान्यता के लिए हर **पांच साल** में GANHRI के समक्ष आवेदन करना पड़ता है। GANHRI राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं को निम्नलिखित वर्गों में मान्यता प्रदान करता है:
  - **A स्टेटस:** पेरिस सिद्धांतों का **पूर्ण रूप से पालन करने वाले NHRI** को इस स्टेटस के तहत मान्यता प्रदान की जाती है। यह मान्यता प्राप्त करने वाली NHRI को **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसकी सहायक संस्थाओं, महासभा के कुछ निकायों और तंत्रों में स्वतंत्र भागीदारी का अधिकार** प्राप्त होता है। साथ ही वह **GANHRI की पूर्ण सदस्यता के लिए भी पात्र** होती है। इसमें **वोट देने और प्रशासनिक पद संभालने का अधिकार** भी शामिल है।
  - **B स्टेटस:** पेरिस सिद्धांतों का **आंशिक रूप से पालन** करने वाली **NHRI** को इस स्टेटस के तहत मान्यता प्रदान की जाती है। यह स्टेटस प्राप्त मानवाधिकार संस्था **GANHRI की बैठकों में भाग लेती** है, किंतु उसे **वोट देने या प्रशासनिक पद संभालने का अधिकार प्राप्त नहीं** होता है।

क्या आप जानते हैं?

> **पेरिस सिद्धांत: 1993** में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा अपनाए गए **पेरिस सिद्धांतों** के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत न्यूनतम मानक निर्धारित किए गए हैं। **NHRIs को विश्वसनीय माने जाने के लिए इन सिद्धांतों को पूरा करना पड़ता है।** ये सिद्धांत हैं:
> - सौंपे गए कार्य और योग्यता
> - सरकार से स्वायत्तता
> - किसी क़ानून या संविधान द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता
> - बहुलवाद व पर्याप्त संसाधन, और
> - जांच करने के लिए पर्याप्त शक्तियां।

भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की मान्यता

- उल्लेखनीय है कि भारत के NHRC को **1999 से ही GANHRI की ओर से "A-स्टेटस" के तहत मान्यता मिली** हुई थी। **NHRC** के **"A-स्टेटस"** को केवल एक बार यानी **2016** में स्थगित किया गया था, लेकिन इसे **2017** में GANHRI की प्रत्यायन उप-समिति (SCA) द्वारा पुनः बहाल कर दिया गया था।

---

[7] National Human Rights Institutions

[8] Sub-Committee on Accreditation

- 2023 में, **NHRC की मान्यता को स्थगित** कर दिया गया था। GANHRI द्वारा मान्यता को स्थगित करने के कारणों में **कर्मचारियों और नेतृत्व में विविधता की कमी तथा हाशिए पर रहे समूहों की सुरक्षा के लिए अपर्याप्त कार्रवाई** का हवाला दिया गया था।

भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के बारे में

- **मुख्यालय:** नई दिल्ली।
- **उत्पत्ति:** यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित एक **सांविधिक** निकाय है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में **2006 और 2019 में संशोधन** किया गया था।
  - यह अधिनियम मानवाधिकारों को **व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकारों** के रूप में परिभाषित करता है। इन **अधिकारों की गारंटी संविधान** द्वारा दी गई है या इन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में शामिल किया गया है। साथ ही, भारत में **न्यायालयों द्वारा इन्हें लागू** किया जा सकता है।

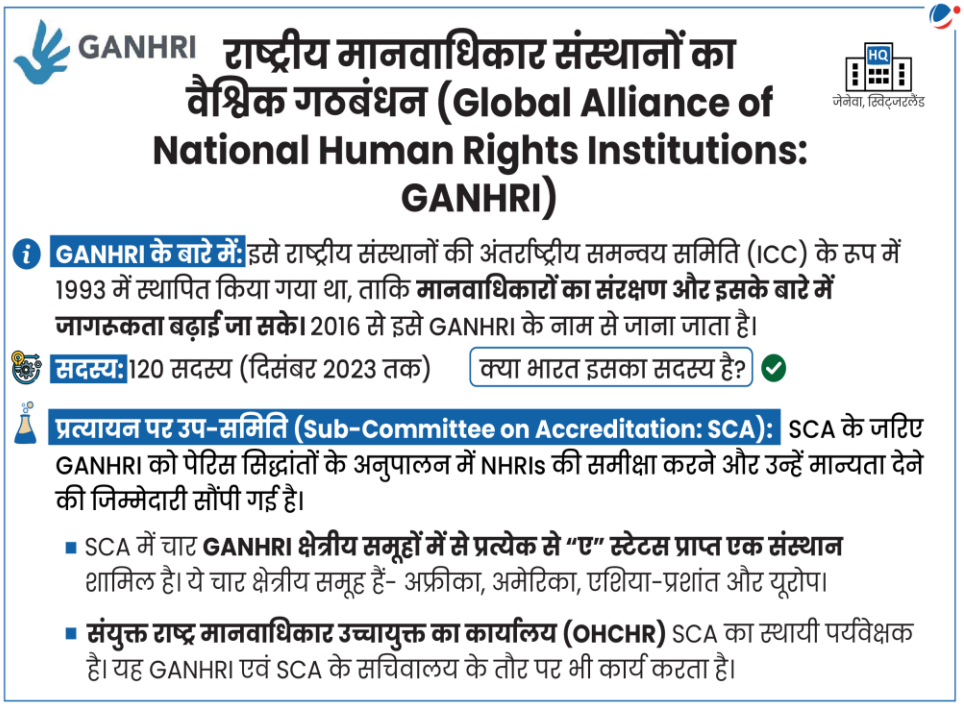

- **नियुक्ति:** आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के **राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों** पर की जाती है। इस समिति में निम्नलिखित शामिल होते हैं:
  - लोक सभा अध्यक्ष;
  - गृह मंत्रालय का प्रभारी मंत्री;
  - लोक सभा और राज्य सभा में विपक्ष के नेता; तथा
  - राज्य सभा का उपसभापति।

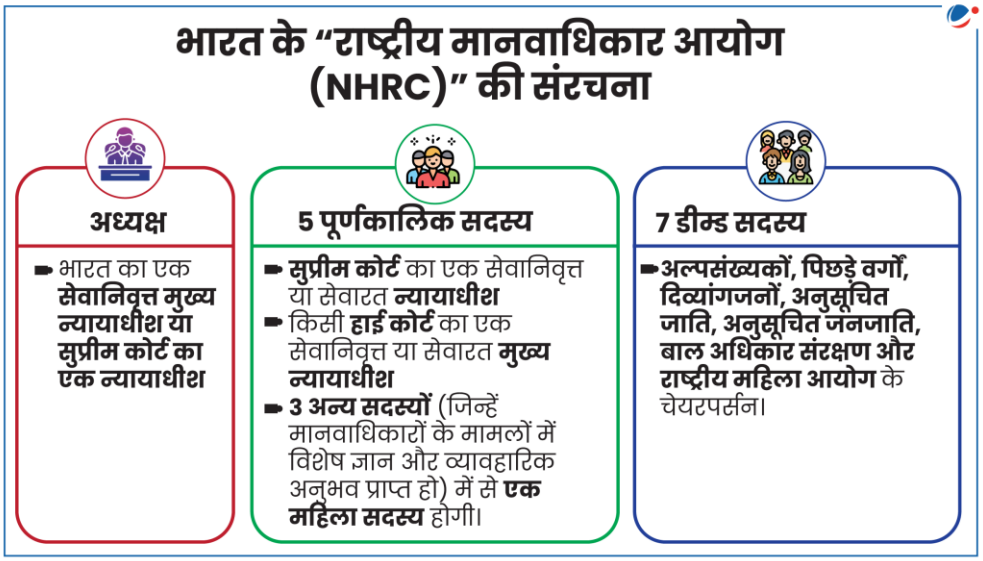

- **कार्यकाल:** NHRC के अध्यक्ष और सदस्य **3 साल या 70 वर्ष की आयु तक,** जो भी पहले हो, **पद पर बने रहेंगे।** अध्यक्ष और सदस्य दोनों **पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र** हैं।
- **पद से हटाना:** अध्यक्ष और सदस्यों दोनों को **सुप्रीम कोर्ट से परामर्श के बाद सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश** से पद से हटाया जा सकता है।
- **NHRC की शक्तियां:** इसके पास **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908** के तहत और विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों के संबंध में एक **सिविल न्यायालय** की सभी शक्तियां प्राप्त हैं, अर्थात्:
  - **गवाहों को बुलाना और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना** तथा शपथ पर उनकी जांच करना;
  - किसी भी दस्तावेज की **खोज और प्रस्तुति**;
  - हलफनामों पर **साक्ष्य प्राप्त करना;**

- किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी भी **सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रतिलिपि की मांग करना;**
- गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए **कमीशन नियुक्त** करना।

NHRC से जुड़े मुद्दे

NHRC मानवाधिकार उल्लंघन की उन **शिकायतों पर विचार नहीं कर सकता, जिनके घटित होने के एक साल बाद उनकी शिकायत दर्ज** कराई गई हो या ऐसे मामले जो **न्यायालय में विचाराधीन** हों। इससे इसकी शक्ति सीमित हो जाती है। इसके अलावा, GANHRI की प्रत्यायन उप-समिति ने निम्नलिखित समस्याओं की ओर भी संकेत किया है:

- **विविधता का अभाव:** भारतीय NHRC में 393 कर्मचारियों के पदों में से केवल 95 पर ही महिलाएं नेतृत्वकर्ता की स्थिति में हैं।
- **चयन समिति पर सरकार का वर्चस्व:** नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति पर सत्तारूढ़ दल का वर्चस्व है। इससे विपक्ष की भूमिका सीमित हो जाती है।
- **सरकारी हस्तक्षेप:** भारतीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम NHRC के **महासचिव के रूप में सचिव रैंक के सिविल सेवकों को भर्ती करने** का प्रावधान करता है। यह पेरिस सिद्धांतों का उल्लंघन है, क्योंकि सिविल सेवकों को शामिल करने से सरकारी हस्तक्षेप का खतरा बना रहता है।
- **जांच संबंधी संसाधन:** भारतीय NHRC जांच के लिए प्रतिनियुक्त (Deputed) अधिकारियों पर निर्भर करता है। अपर्याप्त निगरानी तंत्र के कारण उनमें जवाबदेही की कमी हो सकती है।
- **नागरिक समाज के साथ सीमित सहभागिता:** भारतीय NHRC का **नागरिक समाज** और मानवाधिकार रक्षकों के साथ **प्रभावी तरीके से जुड़ाव नहीं** है।

आगे की राह

- **स्वतंत्रता:** मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को इस तरह से संशोधित किया जाना चाहिए, जिससे पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप जांच संबंधी पदों के लिए योग्य व्यक्तियों की स्वतंत्र नियुक्ति की अनुमति मिल सके।
- **जांच:** यूनाइटेड किंगडम और दक्षिण अफ्रीका की तरह, अनन्य रूप से **मानवाधिकार संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए एक स्वतंत्र पुलिस शिकायत आयोग के गठन की आवश्यकता** है। साथ ही, **NHRC की इन्वेस्टिगेशन विंग को विकसित करने** के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
- **सांविधिक शक्ति का प्रभावी तरीके से उपयोग करना:** यदि केंद्र/ राज्य सरकार निर्धारित समय के भीतर जवाब नहीं देती है, तो अधिनियम की **धारा 17** NHRC को अपनी जांच शुरू करने का अधिकार प्रदान करती है।
- **व्यापक सहयोग:** राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के लिए अपने कार्यादेश (मेंडेट) को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए नागरिक समाज जैसे सभी प्रासंगिक हितधारकों के साथ नियमित और रचनात्मक जुड़ाव आवश्यक है।
- **अन्य सुधार:** नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि **NHRC की संरचना भारत की विविधता को प्रदर्शित** करती हो; मानवाधिकार संबंधी शिकायत दर्ज कराने की **एक वर्ष की समय सीमा को कम** कर देना चाहिए आदि।

1.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

1.7.1. चुनाव आयोग द्वारा होम वोटिंग की शुरुआत (Election Commission Introduced Home Voting)

- भारतीय निर्वाचन आयोग ने **2024 के आम चुनावों में पहली बार 'होम वोटिंग' की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की।**
- आयोग का यह कदम उसके आदर्श वाक्य **'कोई भी मतदाता पीछे न छूटे'** के अनुरूप है।
- **होम वोटिंग सुविधा के बारे में:**
  - इस सुविधा के अंतर्गत, **मतदान कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों की देखरेख में मतदाता के घर से मतदान कराया** जाएगा। इस दौरान **मतदान की गोपनीयता** का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
  - **लाभार्थी:**
    - **40% बेंचमार्क (संदर्भित) दिव्यांगता के तहत आने वाले दिव्यांग व्यक्ति (PwD); तथा**
    - **85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक।**
- **मतदान को समावेशी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा उठाए गए अन्य कदम:**
  - आयोग ने **जम्मू और उधमपुर** में रहने वाले कश्मीरी विस्थापितों के लिए **फॉर्म-एम की बोझिल प्रक्रिया को समाप्त** कर दिया है। इससे उन्हें मतदान करने में आसानी होगी।
  - आयोग ने **SVEEP**[9] में दिव्यांगजनों को सम्मिलित करने का फैसला किया है। साथ ही, आयोग द्वारा दिव्यांगजनों के मित्रों, परिवारों, मतदान अधिकारियों आदि को भी संवेदनशील बनाया जाएगा।
  - **प्रस्तावित बहु-निर्वाचन क्षेत्र रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (RVM):** यह प्रवासी मतदाताओं को उनके मौजूदा निवास स्थान से अपने मत का प्रयोग करने में सक्षम बनाएगी।
  - **डाक मतपत्र:** यह **डाक द्वारा मत भेजने की अनुमति** देता है। **निम्नलिखित व्यक्ति डाक द्वारा मतदान करने के पात्र हैं:**
    - **विशेष मतदाता;**
    - **सेवा मतदाता;**
    - **इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात मतदाता; और**
    - **मतदाता जो प्रिवेंटिव डिटेंशन (Preventive detention) के अधीन हैं।**
  - **प्रॉक्सी वोटिंग:** इसके तहत **पंजीकृत निर्वाचक अपने मतदान का अधिकार स्वयं द्वारा नामांकित प्रतिनिधि को सौंप** सकता है। यह सुविधा केवल **सेवा मतदाताओं** के लिए ही उपलब्ध है। (इन्फोग्राफिक्स देखें)

1.7.2. राजनीति का अपराधीकरण (Criminalization of Politics)

- ADR[10] की रिपोर्ट के अनुसार **44% मौजूदा सांसदों (MPs) पर आपराधिक मामले दर्ज हैं** और 5% सांसद अरबपति हैं।
- ADR के रिपोर्ट निम्नलिखित का भी उल्लेख किया गया है:
  - आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले **50% सांसद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश** से हैं।
  - आपराधिक आरोपों वाले मौजूदा सांसदों में से **29% पर गंभीर आपराधिक मामले** दर्ज हैं। इनमें **हत्या, हत्या का प्रयास, महिलाओं के खिलाफ अपराध** जैसे आरोप शामिल हैं।
- **राजनीति के अपराधीकरण के बारे में**
  - यह शासन व्यवस्था में **अपराधियों, कानून तोड़ने वालों और भ्रष्ट व्यक्तियों के प्रवेश** को व्यक्त करता है। ये देश और उसके नागरिकों की उपेक्षा कर **अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग** करते हैं।
  - **राजनीति के अपराधीकरण के लिए उत्तरदायी कारण**
    - राजनीतिक दलों और अपराधियों के बीच बढ़ती सांठगांठ;
    - चुनाव प्रक्रिया में अपराधियों को शामिल होने से रोकने के लिए **कानूनों और नियमों का अभाव।**
    - धनबल का उपयोग, जैसे किसी अन्य अवैध उद्देश्य के लिए **वोट खरीदना।**

[9] Systematic Voter's Education and Electoral Participation)/ स्वीप (व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी

[10] Association of Democratic Reforms

- **राजनीति के अपराधीकरण के प्रभाव**
  - यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था के खिलाफ है।
  - यह सुशासन और लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा को प्रभावित करता है।
  - भ्रष्ट गतिविधियों जैसे रिश्वत लेना, लोक-निधियों का गबन आदि को बढ़ावा मिलता है।
  - समाज के सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाता है।

1.7.3. चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना (Disclosure of Assets by Election Candidates)

- हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव याचिका से संबंधित एक अपील पर सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है।
  - निर्णय के अनुसार चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को उन मामलों में "**निजता का अधिकार**" है, जिनका **मतदाताओं से कोई सीधा सरोकार** नहीं है या जिन मामलों का **उम्मीदवारों के सार्वजनिक जीवन की भूमिका से कोई लेना-देना नहीं** है।
- **चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा ब्यौरा देने हेतु कानूनी प्रावधान:**
  - **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 की धारा 33:** इसमें नामांकन पत्रों की प्रस्तुति और वैध जानकारी देने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
  - **RPA, 1951 की धारा 36:** इसमें नामांकन की जांच का प्रावधान किया गया है। इसमें किसी उम्मीदवार द्वारा दिए गए विवरण में **"पर्याप्त खामी"** के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी को उस उम्मीदवार का नामांकन खारिज करने का अधिकार दिया गया है।

1.7.4. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया (SC ask Government to Act on Misleading Advertisements)

- सुप्रीम कोर्ट ने सरकार **को भ्रामक विज्ञापन देने वाली FMCG (फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स) कंपनियों पर कार्रवाई** का आदेश दिया।
- सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेद उत्पाद बनाने वाली एक कंपनी से जुड़े मामले पर सुनवाई के दौरान FMCG पर भी कार्रवाई का आदेश दिया है।
  - शीर्ष न्यायालय ने केंद्रीय मंत्रालयों से आम लोगों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले **भ्रामक विज्ञापनों से निपटने हेतु की गई कार्रवाइयों का विवरण भी मांगा** है।
- **भ्रामक विज्ञापन क्या है?**
  - भ्रामक विज्ञापन ऐसा कोई भी प्रकाशित या प्रसारित दावा है, जो उपभोक्ताओं को किसी **उत्पाद या सेवा के संबंध में गलत सूचना** प्रदान करता है।
  - **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019** के तहत ऐसा कोई भी विज्ञापन भ्रामक माना जाता है, **यदि वह-**
    - किसी उत्पाद या सेवा के बारे में गलत जानकारी देता है,
    - किसी उत्पाद या सेवा की प्रकृति, मात्रा या गुणवत्ता की झूठी गारंटी देता है,
    - अनुचित व्यापार व्यवहार का समर्थन करता है, या
    - उसमें जानबूझकर उत्पाद से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई गई है।

औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, (Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act), 1954

- सुप्रीम कोर्ट, आयुर्वेद दवा बनाने वाली एक कंपनी के विज्ञापनों में किए गए **"भ्रामक"** दावों से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहा है।
- भ्रामक दावे करना **औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954** के तहत प्रतिबंधित है।
  - इस **अधिनियम की धारा 4** उन विज्ञापनों पर रोक लगाती है, जो किसी **दवा के वास्तविक प्रभावों के बारे में गलत जानकारी** प्रसारित करते हैं।
  - **धारा 5** किसी बीमारी के इलाज के लिए **चमत्कारिक उपचारों के विज्ञापन पर रोक** लगाती है।
    - इसके अंतर्गत, **"चमत्कारिक उपचार"** में एक **ताबीज, मंत्र, कवच और अन्य जादू-टोना** शामिल है। इसमें **उपचार करने या शारीरिक कार्यों को प्रभावित करने के लिए चमत्कारी शक्तियां** होने का दावा किया जाता है।

- **भ्रामक विज्ञापनों का प्रभाव**
  - ये उपभोक्ताओं के **'सूचना और पसंद के अधिकार' का उल्लंघन** करते हैं;
  - ये उपभोक्ताओं को **वित्तीय हानि और मानसिक पीड़ा** पहुंचा सकते हैं;
  - ये उपभोक्ताओं के **स्वास्थ्य और सुरक्षा को गंभीर खतरा पहुंच** सकते हैं।
    - ऐसा विशेष रूप से **उन दवाओं या चिकित्सा उपकरणों के भ्रामक विज्ञापन के कारण** हो सकता है, जिनके प्रभाव के बारे में संदेह है।

- **भ्रामक विज्ञापनों से निपटने के लिए की गई पहलें**
  - केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने **'भ्रामक विज्ञापनों और भ्रामक विज्ञापनों के अनुमोदन की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश, 2022'** जारी किए हैं।
  - **औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954:** यह चमत्कारी गुणों वाले कथित उपचारों के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाता है।
  - **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019:** इसके तहत भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए CCPA की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
  - **खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006:** यह खाद्य पदार्थों से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान करता है।

SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **राजव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

Lakshya

लक्ष्य प्रीलिम्स और मेन्स इंटीग्रेटेड मेंटरिंग प्रोग्राम 2025

11 जून 2024

- जीएस प्रीलिम्स और मेन्स के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस हेतु 15 महीने की रणनीतिक योजना।
- यूपीएससी प्रीलिम्स और मेन्स के सिलेबस का संपूर्ण कवरेज।
- सीनियर मेंटर्स की अत्यधिक अनुभवी और योग्य टीम द्वारा मार्गदर्शन।
- प्रीलिम्स और मेन्स के लिए अधिक स्कोरिंग क्षमता वाले विषयों पर बल।
- ठोस प्रैक्टिस के माध्यम से करेंट अफेयर्स और सीसैट की तैयारी पर ध्यान।
- लक्ष्य प्रीलिम्स प्रैक्टिस टेस्ट (LPPT) और लक्ष्य मेन्स प्रैक्टिस टेस्ट (LMPT) की उपलब्धता।
- 15000+ प्रश्नों के व्यापक संग्रह के साथ संधान पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज।

(यूपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा 2025 के लिए रणनीतिक रिवीजन, प्रैक्टिस और परामर्श हेतु 15 माह का कार्यक्रम)

- बेहतर उत्तर लेखन कौशल का विकास।
- प्रीलिम्स और मेन्स दोनों के लिए विषय–वार रणनीतिक डॉक्यूमेंट और स्मार्ट कंटेंट।
- निबंध और नीतिशास्त्र के प्रश्नपत्र पर विशेष बल।
- ग्रुप और व्यक्तिगत परामर्श सत्र।
- लाइव प्रैक्टिस, साथी अभ्यर्थियों के साथ डिस्कशन और स्ट्रेटजी पर चर्चा।
- नियमित मूल्यांकन, निगरानी और प्रदर्शन में सुधार।
- आत्मविश्वास निर्माण और मनोवैज्ञानिक रूप से तैयारी पर बल।
- टॉपर्स, नौकरशाहों और शिक्षाविदों के साथ इंटरैक्टिव सत्र।

WWW.VISIONIAS.IN 8468022022

ENQUIRY@VISIONIAS.IN /VISION_IAS WWW.VISIONIAS.IN /C/VISIONIASDELHI VISION_IAS /VISIONIAS_UPSC

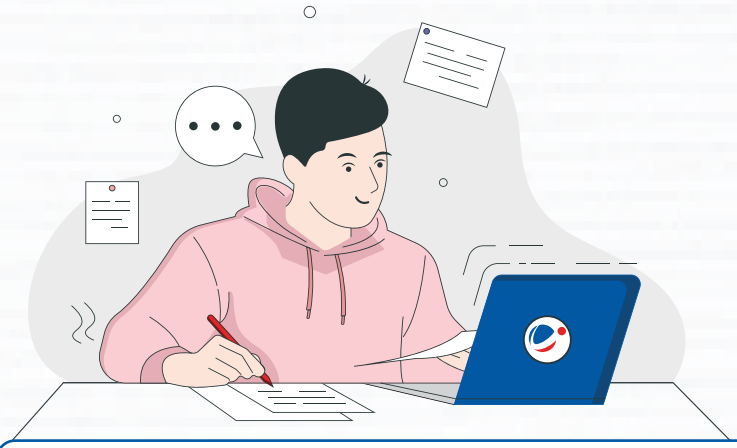

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

UPSC प्रीलिम्स

की तैयारी की स्मार्ट और प्रभावी रणनीति

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो पेपर (सामान्य अध्ययन और CSAT) शामिल होते हैं, जो अभ्यर्थी के ज्ञान, उसकी समझ और योग्यता का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं।

यह चरण अभ्यर्थियों को व्यापक पाठ्यक्रम में महारत हासिल करने और बदलते पैटर्न के अनुरूप ढलने की चुनौती देता है। साथ ही, यह चरण टाइम मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन को याद रखने और प्रीलिम्स की अप्रत्याशितता को समझने में भी महारत हासिल करने की चुनौती देता है।

इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु कड़ी मेहनत के साथ–साथ तैयारी के लिए एक समग्र और निरंतर बदलते दृष्टिकोण की भी आवश्यकता होती है।

तत्काल व्यक्तिगत मेंटरिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मुख्य रणनीतियां

तैयारी की रणनीतिक योजना: पढ़ाई के दौरान सभी विषयों को बुद्धिमानी से समय दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि आपके पास रिवीजन और मॉक प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त समय हो। अपने कमजोर विषयों पर ध्यान दीजिए।

अनुकूल रिसोर्सेज का उपयोग: ऐसी अध्ययन सामग्री चुनिए जो संपूर्ण और टू द पॉइंट हो। अभिभूत होने से बचने के लिए बहुत अधिक कंटेंट की जगह गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए।

PYQ और मॉक टेस्ट का रणनीतिक उपयोग: परीक्षा के पैटर्न, महत्वपूर्ण विषयों और प्रश्नों के ट्रेंड्स को समझने के लिए विगत वर्ष के प्रश्न–पत्रों का उपयोग कीजिए। मॉक टेस्ट के साथ नियमित प्रैक्टिस और प्रगति का आकलन करने से तैयारी तथा टाइम मैनेजमेंट में सुधार होता है।

करेंट अफेयर्स की व्यवस्थित तरीके से तैयारी: न्यूज़पेपर और मैगजीन के जरिए करेंट अफेयर्स से अवगत रहिए। समझने और याद रखने में आसानी के लिए इस ज्ञान को स्टेटिक विषयों के साथ एकीकृत कीजिए।

स्मार्ट लर्निंग: रटने के बजाय अवधारणाओं को समझने पर ध्यान दीजिए, बेहतर तरीके से याद रखने के लिए निमोनिक्स, इन्फोग्राफिक्स और अन्य प्रभावी तरीकों का उपयोग कीजिए।

व्यक्तिगत मेंटरिंग: व्यक्तिगत रणनीतियों, कमजोर विषयों और मोटिवेशन के लिए मेंटर्स की मदद लीजिए। मेंटरशिप स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी मददगार होता है, ताकि आप मेंटल हेल्थ को बनाए रखते हुए परीक्षा पर ठीक से ध्यान केंद्रित कर सकें।

UPSC प्रीलिम्स की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, Vision IAS ने अपना बहुप्रतीक्षित "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" शुरू किया है। इस प्रोग्राम में नवीनतम ट्रेंड्स के अनुरूप संपूर्ण UPSC सिलेबस को शामिल किया गया है।

इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- UPSC सिलेबस का व्यापक कवरेज
- टेस्ट सीरीज का फ्लेक्सिबल शेड्यूल
- टेस्ट का लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन डिस्कशन और पोस्ट–टेस्ट एनालिसिस
- प्रत्येक टेस्ट पेपर के लिए आंसर–की और व्यापक व्याख्या
- अभ्यर्थी के अनुरूप व्यक्तिगत मेंटरिंग
- ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ इनोवेटिव अस्सेस्मेंट सिस्टम और परफॉरमेंस एनालिसिस
- क्विक रिविजन मॉड्यूल (QRM)

अंत में, एक स्मार्ट स्टडी प्लान, प्रैक्टिस, सही रिसोर्स और व्यक्तिगत मार्गदर्शन को मिलाकर बनाई गई रणनीतिक तथा व्यापक तैयारी ही UPSC प्रीलिम्स में सफलता की कुंजी है।

"ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. बंदरगाहों का भू-राजनीतिक महत्त्व (Geopolitical Significance of Ports)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने **चाबहार बंदरगाह** पर **शाहिद बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल** के विकास के लिए **ईरान के साथ 10 वर्षीय समझौते** पर हस्ताक्षर किए।

अन्य संबंधित तथ्य

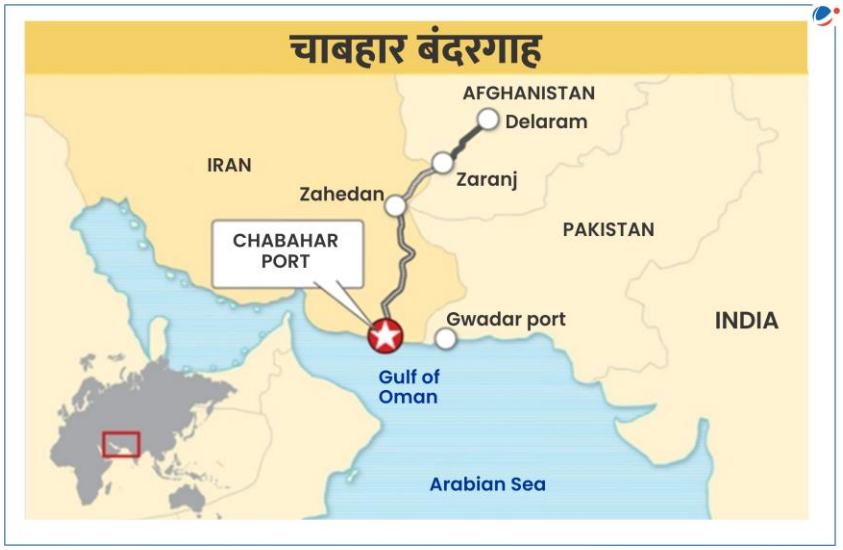

- इस अनुबंध पर **इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL)** और ईरान के **पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन (PMO)** ने हस्ताक्षर किए हैं।
  - IPGL एक ऐसी कंपनी है, जिसका 100% स्वामित्व **सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड** के पास है। सागरमाला **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय** के **प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करने वाली एक कंपनी** है।
- 2016 में **भारत, ईरान और अफगानिस्तान** ने चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए एक **त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर** किए थे।
- यह बंदरगाह **पाकिस्तान को बाइपास करते हुए भारत के पश्चिमी तट से भू-आबद्ध अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरोपीय देशों के बीच की दूरी को कम करेगा।**
- इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में, विदेश मंत्रालय ने IPGL के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव के तहत IPGL, **म्यांमार के सितवे बंदरगाह पर सभी तरह की गतिविधियों का प्रबंधन** करेगा।
  - सितवे बंदरगाह **म्यांमार की कलादान नदी** पर अवस्थित है। साथ ही, यह **कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना** का एक महत्वपूर्ण घटक भी है।
- इस तरह के घटनाक्रम न केवल आर्थिक पहलू के रूप में, बल्कि **भू-राजनीति के एक रणनीतिक साधन** के रूप में भी बंदरगाहों के बढ़ते महत्त्व को दर्शाते हैं।

कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना के बारे में

- 2008 में भारत सरकार ने म्यांमार सरकार के साथ एक फ्रेमवर्क समझौता संपन्न किया था। इसका उद्देश्य **म्यांमार से होते हुए पूर्वोत्तर राज्यों में परिवहन का एक मल्टी-मॉडल साधन विकसित** करना था।
- यह भारत के **पूर्वी बंदरगाहों (उदाहरण के लिए विजाग और कोलकाता) को म्यांमार से जोड़ेगा।** इसके अलावा, यह परियोजना **बांग्लादेश को दरकिनार करते हुए म्यांमार के जरिए भारत के उत्तर-पूर्वी हिस्से तक आवाजाही** की सुविधा प्रदान करेगी।
- इसका उद्देश्य **भूटान और बांग्लादेश के बीच स्थित चिकन नेक के नाम से मशहूर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर आवाजाही की निर्भरता को कम** करना है।

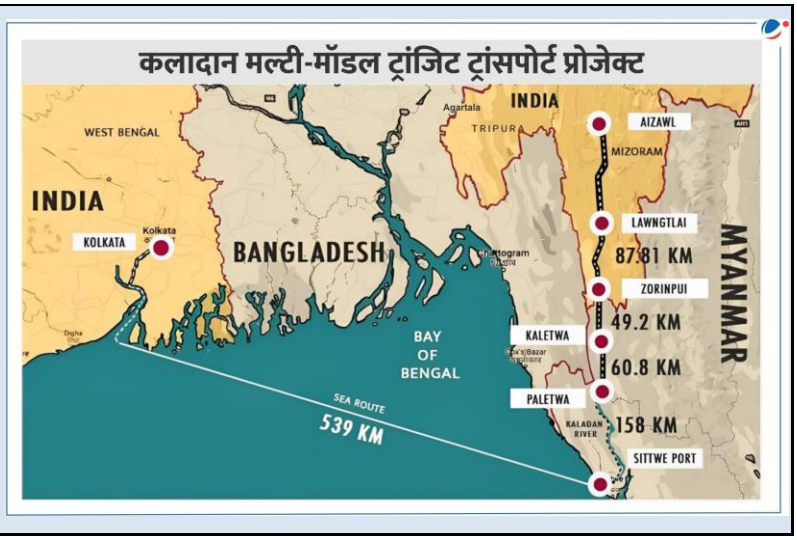

बंदरगाहों का सामरिक महत्त्व

- **भू-राजनीतिक परिसंपत्तियों के रूप में कार्य करते हैं:** बंदरगाह रणनीतिक पहुंच की सुविधा प्रदान करते हैं और उसमें वृद्धि भी करते हैं। इससे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों एवं ऊर्जा आपूर्ति मार्गों पर देश के नियंत्रण को मजबूत करने में मदद मिलती है।

- उदाहरण के लिए- **अगालेगा द्वीप** पर मौजूद भारतीय नौसेना के स्टेजिंग बेस के माध्यम से **मोजाम्बिक चैनल पर समुद्री गश्त लगाना काफी आसान** हो जाएगा। इसके अलावा, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के समुद्री वाणिज्यिक गलियारों की बेहतर तरीके से निगरानी भी की जा सकेगी।

- **समुद्री सुरक्षा को मजबूत करते हैं:** उदाहरण के लिए- **म्यांमार के सितवे बंदरगाह तक पहुंच** से भारत की हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिति और मजबूत होगी। इससे समुद्री क्षेत्र जागरूकता के लिए भारत की क्षमताओं में सुधार होगा।
- **द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत करना:** उदाहरण के लिए- **ओमान द्वारा भारत को दुकम बंदरगाह तक पहुंच** की अनुमति देने से खाड़ी देशों के साथ भारत का संबंध और मजबूत हो गया है।
- **बंदरगाह कूटनीति:** बंदरगाह **व्यापार नेटवर्क और समुद्री शक्ति प्रदर्शन** के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए हैं।
  - उदाहरण के लिए- **भारत-ईरान चाबहार बंदरगाह समझौता,** भारत को प्रमुख मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापारिक साझेदारी बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही, भारत को इस क्षेत्र में चीन के आर्थिक प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने में भी सक्षम बनाता है।
- **बंदरगाहों का आर्थिक महत्त्व:**
  - अलग-अलग देशों या क्षेत्रों से **कनेक्टिविटी बढ़ाने एवं व्यापार को सुविधाजनक बनाने** में बंदरगाहों की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही, बंदरगाह खरीद, उत्पादन और वितरण प्रणालियों के एकीकरण के जरिए **वैश्विक मूल्य श्रृंखला में देश की भागीदारी को सक्षम** बनाते हैं।
  - **स्थानीय मुद्रा** (जैसे रुपया) **में लेन-देन को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त** होता है। इससे स्थानीय मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है।
  - **बंदरगाह शहर** वैश्विक शहर के रूप में किसी देश को वैश्विक व्यापार और वित्तीय नेटवर्क के केंद्र में रखते हैं।
  - **आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा के संरक्षण के लिए वैकल्पिक मार्ग:**
    - उदाहरण के लिए, **ग्वादर बंदरगाह (पाकिस्तान) में निवेश से चीन को मलक्का जलडमरूमध्य पर अपनी निर्भरता को कम करने में मदद** मिलेगी। साथ ही उसे **मध्य-पूर्व, अफ्रीका और यूरोप** से व्यापार के लिए एक छोटा मार्ग मिल जाएगा।

बंदरगाहों का रणनीतिक रूप से उपयोग किए जाने में चुनौतियां

- **राष्ट्रों के बीच प्रतिद्वंद्विता:** उदाहरण के लिए, चीन और भारत के बीच अपने प्रभाव का विस्तार करने की प्रतिद्वंद्विता में बंदरगाह अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। इस कारण से **स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स (चीन) और नैकलेस ऑफ डायमंड्स (भारत)** नामक रणनीतियां बनाई गई हैं।
  - **स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स** एक सिद्धांत है, जिसके अनुसार **चीन पूरे हिंद महासागर में चीनी प्रभाव वाले बंदरगाहों की एक श्रृंखला के माध्यम से भारत को घेरना** चाहता है।

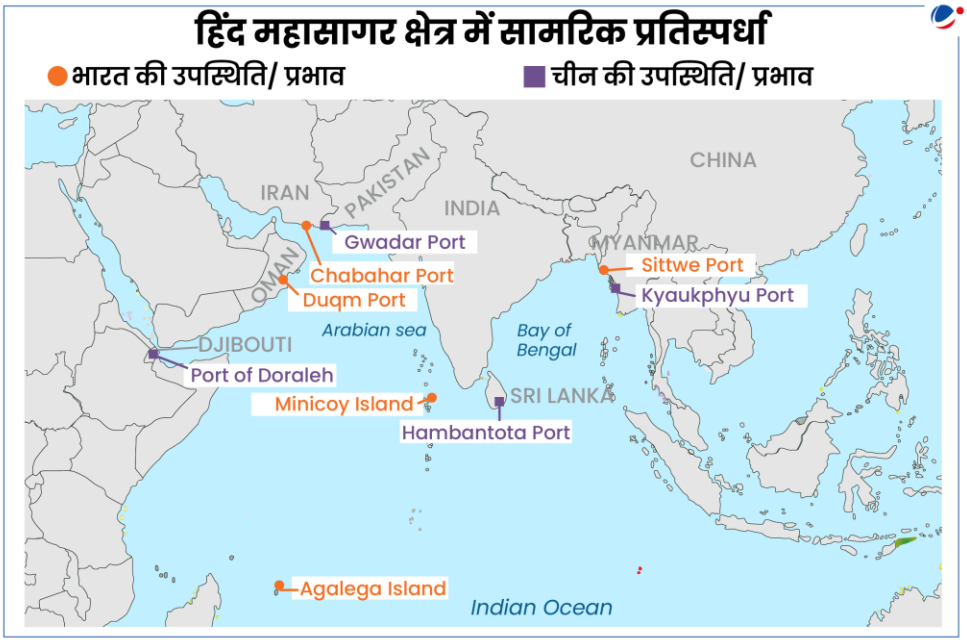

- **राष्ट्रीय हितों को नुकसान:** रणनीतिक या सामरिक बंदरगाह की सुविधाओं पर प्रतिद्वंद्वी देश का वर्चस्व लंबे समय में संबंधित देश के राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचा सकता है।
  - उदाहरण के लिए, **श्रीलंका में पैदा हुए आर्थिक संकट के लिए काफी हद तक चीन की ऋण जाल कूटनीति (हंबनटोटा के संबंध में)** को उत्तरदायी माना गया था।
- **रक्षा एवं सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं:** इस तरह की चिंताएं समुद्री डकैती के साथ-साथ बंदरगाहों पर विदेशी या प्रतिद्वंद्वी राष्ट्र के स्वामित्व के कारण भी उत्पन्न हो सकती हैं।
- **सुभेद्यता में वृद्धि:** जिस समय भू-राजनीतिक तनाव अपने चरम पर होता है, उस दौरान समुद्री जल मार्गों से होने वाले परिवहन, विशेष रूप से चोक पॉइंट्स को नियंत्रित या बाधित किया जा सकता है।
- **भारत के संबंध में चुनौतियां:**
  - भारत के छोटे पड़ोसी देश (जैसे- श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव आदि) स्वयं को **चीन और भारत की भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में फंसा** हुआ महसूस करते हैं।
  - विदेशों में बंदरगाहों का विकास करके अपने भू-राजनीतिक प्रभाव को और बढ़ाने के लिए भारत के पास **वित्तीय संसाधन सीमित** हैं।

आगे की राह

- **वैश्विक स्तर पर**
  - बंदरगाहों से संबंधित **जोखिमों की निगरानी** करने पर ध्यान देने की जरूरत है। इन जोखिमों में मेजबान देश के बंदरगाहों के विकास के लिए बहुत अधिक ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना और सैन्य संचालन का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों पर वाणिज्यिक व्यवस्थाओं का दुरुपयोग शामिल है।
  - किसी देश के बंदरगाह से होने वाली ऐसी अपारदर्शी आर्थिक गतिविधियों, जिनसे उस राष्ट्र की संप्रभुता और वैश्विक हितों को नुकसान पहुंचता है, उन्हें रोकने के लिए **वैश्विक स्तर पर सुरक्षा साझेदारियों का निर्माण** किया जाना चाहिए।

शब्दावली को जानें

ऋण-जाल कूटनीति (Debt-trap diplomacy): जब कोई ऋणदाता देश अपने भू-राजनीतिक प्रभाव का विस्तार करने के लिए जानबूझकर किसी अन्य देश को ऋण के जाल में फंसा देता है तो उसे ऋण-जाल कूटनीति कहा जाता है।

- **भारत के संदर्भ में विशिष्ट उपाय:**
  - भारत द्वारा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी को प्रतिसंतुलित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही, भारत के समुद्री सुरक्षा से जुड़े हितों की रक्षा के लिए समान विचारधारा वाले देशों (जैसे- क्वाड देशों) के साथ **बहुपक्षीय साझेदारी की संभावनाओं का पता लगाना** चाहिए।
  - भारत को **पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करना** चाहिए, क्योंकि यह क्षेत्र चीन से काफी अधिक दूरी पर है। इसके कारण कहीं-न-कहीं भारत को इस क्षेत्र में भौगोलिक बढ़त हासिल है।

निष्कर्ष

चूंकि बंदरगाह न केवल भूमि और समुद्र जैसे दो भौगोलिक क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं, बल्कि आर्थिक विकास के प्रवेश द्वार और भू-रणनीतिक कूटनीतियों के संचालन के साधन के रूप में दोहरी भूमिका भी निभाते हैं। इसलिए, उनका बेहतर तरीके से प्रबंधन करना वर्तमान भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के समय काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।

2.2. आपदा राहत कूटनीति (Disaster Diplomacy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत में **आपदा-रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICDRI)[11] का छठा संस्करण** आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में वैश्विक संकट के समय दी जाने वाली प्रतिक्रिया या सहायता में भारत के बढ़ते योगदान पर जोर दिया गया।

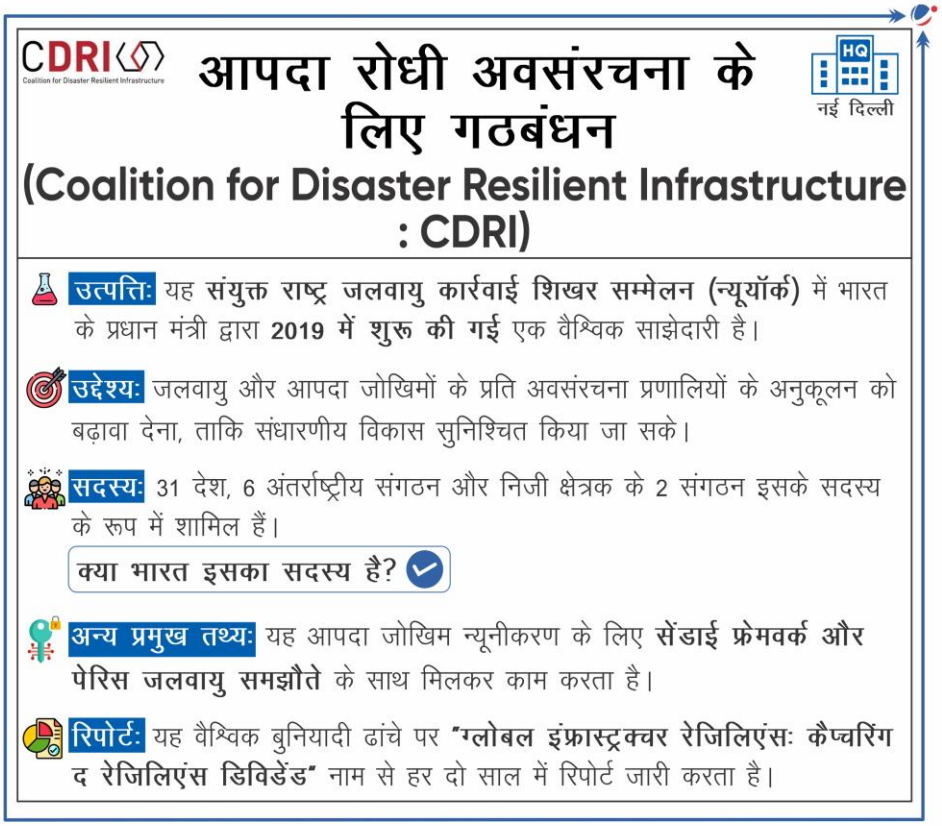

आपदा राहत कूटनीति के बारे में

घरेलू स्तर पर आपदा के खिलाफ प्रतिक्रिया क्षमताओं में वृद्धि के साथ, भारत की **आपदा राहत कूटनीति ने भी आकार लेना** शुरू कर दिया।

- **आपदा राहत कूटनीति** अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक नया पहलू है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आपदाओं के प्रभाव से संबंधित है।
- **आपदा राहत कूटनीति** से तात्पर्य **'प्राकृतिक/ मानव जनित आपदाओं या संघर्षों से प्रभावित अन्य देशों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए एक देश के प्रयासों'** से है।

[11] International Conference on Disaster Resilient Infrastructure

- इस तरह की कूटनीति में एक देश द्वारा जरूरतमंद देशों को सहायता प्रदान करने के लिए **कार्मिक, संसाधन व सुविधाएं** उपलब्ध कराई जाती हैं।

- **आपदा राहत में विदेशी सैन्य और असैन्य सुरक्षा परिसंपत्तियों का उपयोग - "ओस्लो दिशा-निर्देश"** संयुक्त राष्ट्र की मानवतावादी एजेंसियों के लिए किसी देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित करते हैं। ओस्लो दिशा-निर्देशों को **1994** में अपनाया गया था तथा **2006** में अपडेट किया गया था।

भारत की आपदा राहत कूटनीति का महत्त्व

- **सॉफ्ट पावर को मजबूत करना:** संकट के दौरान मानवीय सहायता प्रदान करने के पीछे भारत का लक्ष्य सद्भावना को बढ़ावा देना और अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना है।
- **भू-राजनीतिक पहुंच को बढ़ाना:** भारत ने सुदूर पूर्व में जापान से लेकर पश्चिम में तुर्किये तक उत्पन्न हुए संकटों में तुरंत प्रतिक्रियात्मक सहायता प्रदान की है। इस प्रकार भारत एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में अपने उदय का दावा कर रहा है।
- **द्विपक्षीय संबंधों में सफलता:** 2015 में नेपाल में आए भूकंप के दौरान राहत कार्यों के परिचालन के लिए भारत ने **ऑपरेशन मैत्री** शुरू किया था। इसके परिणामस्वरूप, बाद के वर्षों में काठमांडू के साथ भारत के संबंध काफी मजबूत हुए और भारत के प्रभाव में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई। इसके अलावा, भारत इसी रणनीति के तहत तुर्किये के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने पर भी जोर दे रहा है।
- **मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR)[12] का रणनीतिक महत्त्व:** भारत अपने प्रतिद्वंद्वी देशों के भू-राजनीतिक प्रभावों (विशेष रूप से चीन) को प्रतिसंतुलित करने में HADR को अपनी विदेश नीति और कूटनीति के एक प्रमुख तत्व के रूप में देखता है।
  - भारत का दृष्टिकोण आम तौर पर **अहस्तक्षेप** वाला रहता है। इसका उद्देश्य प्रभावित देशों की संप्रभुता का उल्लंघन किए बिना उनकी सहायता करना है।

शब्दावली को जानें

खासकर किसी आपसी अनबन के एक दौर के बाद दो देशों, समूहों या लोगों के बीच मित्रता में वृद्धि को रेप्रोचमेंट **(Rapprochement)** कहा जाता है।

वैश्विक संकट के समय भारत द्वारा दी जाने वाली प्रतिक्रिया को निर्धारित करने वाले कारक

- **क्षेत्रीय शक्ति बनने तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने** की भारत की आकांक्षा, उसे आपदाओं के दौरान आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित करती है।
  - **ग्लोबल साउथ एवं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता** क्षेत्रीय संबंधों और क्षमता निर्माण को मजबूत करती है।
- पिछली आपात स्थितियों से विकसित **घरेलू आपदा प्रबंधन क्षमताओं का लाभ उठाना।**
- **भारत की मजबूत आर्थिक संवृद्धि** आपदा राहत कूटनीति के लिए इसके वैश्विक प्रभाव और संसाधनों को बढ़ाती है।

आपदा राहत के प्रति भारत का दृष्टिकोण

दृष्टिकोण	भारत की पहलें
प्राकृतिक आपदाओं में सबसे पहले सहायता व समर्थन प्रदान करना	• **तुर्किये में आए विनाशकारी भूकंप** के बाद **'ऑपरेशन दोस्त'** शुरू किया गया था। यह आपदा प्रबंधन के प्रति भारत के सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है। • **चक्रवात प्रभावित म्यांमार** की सहायता के लिए भारत ने **'ऑपरेशन करुणा'** शुरू किया था।
क्षमता निर्माण	• भारत पांच देशों- **नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरीशस** की आरंभिक चेतावनी प्रणालियां (EWSs)[13] विकसित करने में मदद कर रहा है। EWSs की सहायता से ये देश **चरम मौसमी घटनाओं के कारण होने वाले जान-माल के नुकसान को कम** कर सकते हैं। ○ भारत का यह प्रयास **2022 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 'अर्ली वॉर्निंग फॉर ऑल (EW4All)' पहल** का हिस्सा है।

[12] Humanitarian Assistance and Disaster Relief

[13] Early Warning Systems

संघर्षरत/ आपदाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों की सहायता करना	• मिशन सागर (SAGAR) के एक भाग के रूप में, भारत की मानवीय सहायता में **मॉरीशस और कोमोरोस में आवश्यक खाद्य पदार्थों, दवाओं व आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति तथा चिकित्सा सहायता दलों** को भेजना शामिल है। ○ **मिशन सागर (SAGAR):** क्षेत्र में सभी के लिए विकास और सुरक्षा।
संघर्ष/ आपदा-उपरांत राहत एवं पुनर्वास	• **नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान** में वर्षों से जारी हिंसक संघर्ष के बाद **राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण** पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में भाग लेना	• भारत ने विश्व के अलग-अलग हिस्सों में **शांति स्थापित करने और पुनर्निर्माण संबंधी कार्यों** को सुविधाजनक बनाने वाले संयुक्त राष्ट्र के विविध शांति स्थापना मिशनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
स्वास्थ्य संबंधी आपदाओं का प्रबंधन	• कोविड-19 महामारी के दौरान, भारत ने **कोविड-19 वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम** शुरू किया था। इस कार्यक्रम के तहत **100 से अधिक देशों को चिकित्सा सहायता** प्रदान की गई थी।

आपदा राहत कूटनीति में भारत द्वारा सामना की जाने वाली मुख्य चुनौतियां

- **तकनीकी क्षमताओं का अभाव:** वर्ष 2011 में जापान में हुई फुकुशिमा आपदा पर भारत की प्रतिक्रिया काफी धीमी थी। साथ ही, **राष्ट्रीय आपदा मोचन बल** (NDRF)[14] भी प्रभावी ढंग से सहायता प्रदान करने में असमर्थ था।
- **सीमित प्रभाव:** नेपाल को भारत द्वारा दी जाने वाली सहायता से स्थायी लाभ नहीं मिला है, क्योंकि 2021 से जारी क्षेत्रीय विवादों के कारण द्विपक्षीय संबंध लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं।
- **भू-राजनीतिक तनाव:** आपदा प्रतिक्रिया संबंधी भारत के कूटनीतिक प्रयासों में पड़ोसी देशों के साथ मौजूदा भू-राजनीतिक तनावों के कारण बाधा आ सकती है। इससे संकट के दौरान सहयोग और समन्वय प्रभावित हो सकता है।
- **ऐतिहासिक शत्रुता के कारण संभावित अस्वीकृति:** पाकिस्तान ने 2022 में आई बाढ़ के दौरान भारत की मदद को अस्वीकार कर दिया था।

आगे की राह

भारत की आपदा राहत कूटनीति इसकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण साधन बनने जा रही है। **जलवायु परिवर्तन जनित आपदाओं की बढ़ती घटनाओं** से वैश्विक स्तर पर भारत की विशेष क्षमताओं की मांग और बढ़ेगी।

- **क्षमता निर्माण की आवश्यकता:** भारत को आपदाओं के खिलाफ तेजी से एवं अधिक प्रभावी तरीके से प्रतिक्रिया देने के लिए अपनी HADR क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए भारत को **यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लैंडिंग प्लेटफ़ॉर्म और हॉस्पिटल शिप जैसे प्लेटफॉर्म्स में निवेश** करना चाहिए।
  - NDRF को अपने राहत कार्यों में तकनीक का अधिकतम उपयोग करना चाहिए तथा बेहतर मानक परिचालन प्रक्रियाओं (SOPs) को अपनाने एवं प्रतिक्रिया में लगने वाले समय को कम करने पर फोकस करना चाहिए।
- **बजटीय आवंटन में सुधार:** आपातकालीन तैयारियों और लॉजिस्टिक क्षमताओं में सुधार के लिए बजटीय आवंटन को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- **वैश्विक मंच पर अपनी उपलब्धियों को सामने रखना:** वैश्विक शक्ति बनने की अपनी महत्वाकांक्षा के बीच भारत को उसके द्वारा अर्जित मानवीय उपलब्धियों का बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए।
- **क्वाड जैसे मंचों का उपयोग करना:** क्वाड (ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका) जैसे उभरते मंचों का उपयोग मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रयासों को और बेहतर बनाने के लिए किया जाना चाहिए।
  - ऐसे मंचों के माध्यम से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में देशों के क्षमता निर्माण को बेहतर बनाया जा सकेगा। इससे भारत की छवि एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में सामने आएगी, जो अपनी सीमाओं से परे आपदा राहत संबंधी कार्यों के संचालन में सक्षम है।

2.3. पश्चिम एशिया में अस्थिरता (Instability in West Asia)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **इजरायल ने सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमला** किया था। इस हमले के बाद ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई करने से पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम स्तर पर पहुंच गया।

[14] National Disaster Response Force

अन्य संबंधित तथ्य

- ईरान द्वारा किए गए जवाबी हमले को इजरायल ने रोक दिया था। इजरायल ने **आयरन डोम, एरो और डेविड स्लिंग** सहित बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणालियां तैनात की थी।
- कथित तौर पर, इजरायल ने हमले को रोकने के लिए **एक्सो-एटमॉस्फेरिक मिसाइलों (EMs)**[15] का इस्तेमाल किया था।
- हाल ही में, लाल सागर में हूती विद्रोहियों द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले भी चर्चा में थे।
- संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं ने चेतावनी दी है कि इन संघर्षों से उत्पन्न खतरों का भारत सहित सभी क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाओं एवं राजनीति पर व्यापक दुष्प्रभाव पड़ेगा।

पश्चिम एशिया में अन्य प्रमुख संघर्ष

- **आतंकवादी गुट:** लेबनान में **हिज्बुल्लाह,** सीरिया में **ISIS** (इस्लामिक स्टेट ऑफ़ इराक़ एंड सीरिया) आदि।
- **गृहयुद्ध और विद्रोह**
  - **सूडान:** सेना के दो गुटों के बीच संघर्ष,
  - **यमन:** हूती विद्रोह,
  - **मिस्र:** सिनाई प्रायद्वीप में विद्रोह।

एक्सो-एटमॉस्फेरिक (EM) मिसाइल के बारे में

- एक्सो-एटमॉस्फेरिक (EM) मिसाइल को **एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल (ABM)** के नाम से भी जाना जाता है। एक्सो-एटमॉस्फेरिक मिसाइल को हमला करने वाली **बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके प्रक्षेप पथ के मध्य-मार्ग या टर्मिनल चरण के दौरान रोकने और नष्ट करने** के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह हमला किए जाने वाले हथियारों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के लिए इन्फ्रारेड और रडार सिस्टम जैसे एडवांस सेंसर्स का उपयोग करती है। इसके अलावा, अंतरिक्ष में उच्च गति से गमन कर रहे लक्ष्यों को इंटरसेप्ट करने तथा सटीकता के साथ अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए **गाइडेंस सिस्टम** का भी उपयोग करती है।
- **एक्सो-एटमॉस्फेरिक मिसाइलों के निम्नलिखित प्रकार हैं:**
  - **काइनेटिक किल व्हीकल्स:** इसमें लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए मिसाइल का प्रयोग किया जाता है।
  - **निर्देशित ऊर्जा हथियार**[16]**:** ये लेजरों या अन्य ऊर्जा बीमों का उपयोग करके आने वाले खतरों को निष्क्रिय या नष्ट करते हैं।

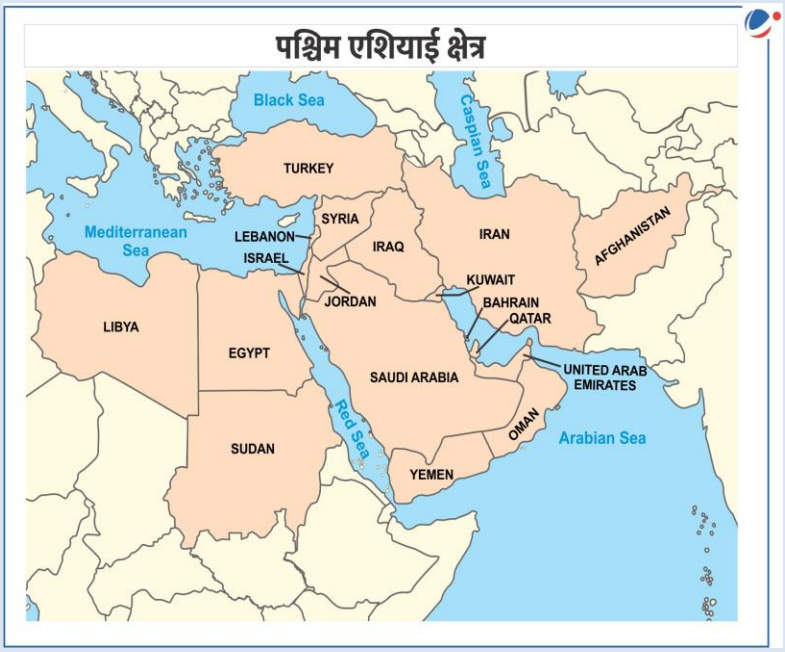

पश्चिम एशिया में अस्थिरता के क्या प्रभाव हैं?

भारत पर प्रभाव	वैश्विक स्तर पर प्रभाव

• अलग-अलग हितों वाले देशों के साथ संलग्नता के कारण **भारत के कूटनीतिक और रणनीतिक संतुलन का परीक्षण** हो सकता है।
  ○ **जैसे ईरान-रूस-चीन धुरी का उदय।**
• **समुद्री सुरक्षा चुनौतियों में ड्रोन हमले, अपहरण** (लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले) आदि शामिल हैं। ये भारत के समुद्री क्षेत्र में **पोत परिवहन की स्वतंत्रता** को प्रभावित करते हैं।
• मध्य-पूर्व क्षेत्र में प्रवासी **भारतीयों की सुरक्षा** चिंता का विषय बन सकता है।
• **ऊर्जा सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न** हो सकता है, क्योंकि भारत कच्चे तेल के आयात पर अत्यधिक निर्भर है। भारत कच्चे तेल का लगभग **85 प्रतिशत** आयात करता है।
	• **राजनयिक उपलब्धियां प्रभावित** हो सकती हैं। जैसे- अब्राहम एकॉर्ड, इजरायल-सऊदी अरब संबंधों में सुधार आदि पर प्रभाव।
	• संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम के जहाजों पर हमलों के कारण **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा संबंधी चुनौतियां बढ़** सकती हैं।
	• **हथियारों की स्पर्धा या परमाणु हथियारों की प्राप्ति के लिए देशों के बीच प्रतिस्पर्धा** से वैश्विक अस्थिरता की समस्या पैदा हो सकती है।
	• **वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:**
	  ○ तेल की उच्च कीमतों के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं। इससे कई देशों में **खाद्य असुरक्षा संबंधी समस्या में वृद्धि** हो सकती है।

[15] Exoatmospheric missiles

[16] Directed energy weapons

- **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC)**[17] जैसी **अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के समय से पूरा होने में देरी** हो सकती है।
- **भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:**
  - **वैश्विक समुद्री व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान से वस्तुओं एवं ईंधन की कीमतों में वृद्धि** हो सकती है।
  - मुद्रास्फीति दर, फार्मा निर्यात, व्यापार संतुलन, विदेशी मुद्रा भंडार, शेयर बाजार, रुपये के मूल्य के साथ-साथ संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर **नकारात्मक प्रभाव** पड़ सकता है।
  - **शिपिंग लागत और बीमा प्रीमियम में वृद्धि** हो सकती है।
  - सीधे तौर पर प्रभावित होने वाली अर्थव्यवस्थाओं की **रेटिंग कम** हो सकती है और अर्थव्यवस्थाओं के डाउनग्रेड की भावना के कारण दुनिया भर में **निवेश में कमी** हो सकती है।
- जान-माल की हानि, जबरन विस्थापन और युद्ध अपराध की घटनाओं के कारण **अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संकट** की स्थिति पैदा हो सकती है। उदाहरण के लिए- रफाह में इजरायल का हमला।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी **अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका और प्रासंगिकता पर सवाल उठने** लग जाएंगे।

आगे की राह

- सभी संघर्षरत पश्चिम एशियाई देशों को आगे की हिंसा को रोकने और समस्याओं का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान खोजने के लिए उनके मध्य **राजनयिक संबंधों एवं वार्ता को बढ़ावा** देना चाहिए।
- हथियार नियंत्रण और सुरक्षा वार्ता के माध्यम से **निर्देशात्मक फ्रेमवर्क एवं प्रक्रिया का निर्माण** करना चाहिए तथा क्षेत्रीय **"व्यापक विनाश के हथियार मुक्त क्षेत्र"** की घोषणा करनी चाहिए। इससे वि-सैन्यीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
- दीर्घकालिक सुरक्षा, शांति और स्थिरता के लिए **द्वि-राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष का समाधान** करना चाहिए।
- प्रभावी नीतियों को अपनाकर देशों द्वारा **राजकोषीय और बाह्य स्थायित्व की रक्षा** करनी चाहिए।
- **भारत को दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए समग्र सुरक्षा प्रदाता और मध्यस्थ के रूप में उभरने के अवसरों की खोज** करनी चाहिए।
  - उदाहरण के लिए- भारत व अन्य देशों ने क्षेत्र में मौजूद अलग-अलग गैर-पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए **समुद्री सुरक्षा ऑपरेशन** चलाए हैं। जैसे- **भारतीय नौसेना (ऑपरेशन संकल्प) और संयुक्त राज्य अमेरिका (ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन) ने अदन की खाड़ी, अरब सागर, सोमालिया के पूर्वी तट के क्षेत्रों** आदि में समुद्री सुरक्षा अभियान चलाए हैं।

निष्कर्ष

भारत को पश्चिम एशिया में ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा जैसे अपने व्यापक हितों के प्रति सचेत रहना चाहिए। इसके अलावा, भारत इस क्षेत्र में अपनी सभ्यतामूलक पहचान का उपयोग करके अलग-अलग देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रख सकता है तथा तटस्थ पक्षकारों के साथ रणनीतिक रूप से संलग्न भी हो सकता है, ताकि वह अपने भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक हितों की सुरक्षा कर सके।

2.4. भारत ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा साझेदारी (India Australia Security Partnership)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपनी **नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी (NDS) 2024** में भारत को **इंडो-पैसिफिक रीजन (IPR)** में **"शीर्ष स्तरीय सुरक्षा भागीदार"** के रूप में शामिल किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी** में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि **ऑस्ट्रेलिया** व्यावहारिक द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग, रक्षा उद्योग के क्षेत्र में सहयोग और सूचना साझा करने के लिए **भारत के साथ अवसरों की तलाश जारी रखेगी।**

[17] India Middle East Europe Economic Corridor

हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र की अवधारणा:

- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र** विश्व का आर्थिक और रणनीतिक व सामरिक रूप से आकर्षण का केंद्र रहा है। यहां पर विश्व की **आधी से ज्यादा आबादी** निवास करती है और इसकी वैश्विक अर्थव्यवस्था में **लगभग 2/3 हिस्सेदारी** है।
- भारत के अनुसार "हिंद-प्रशांत" में **अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर दक्षिण प्रशांत तक के द्वीप शामिल हैं।**
- **हिंद-प्रशांत पर भारत के नीतिगत परिप्रेक्ष्य में "समावेशिता", "खुलापन" और "आसियान केंद्रीयता" शामिल है।** उल्लेखनीय है कि यह परिप्रेक्ष्य किसी भी देश की अवधारणा या विचारधारा के **प्रतिकूल नहीं** है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्त्व

- **साझे रणनीतिक हित: हिंद-प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी** बनाए रखने में दोनों देशों के **अपने-अपने हित हैं।**
- **चीन को प्रतिसंतुलित करना:** भारत-ऑस्ट्रेलिया साझेदारी को अप्रत्यक्ष रूप से **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने** के रूप में देखा जाता है। इन दोनों देशों का साझा उद्देश्य **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बनाए रखना** और किसी एक देश को क्षेत्र पर प्रभुत्व जमाने से रोकना है।
- **गैर-पारंपरिक मुद्दों का समाधान करना:** दोनों देश घनिष्ठ सहयोग के जरिए **आतंकवाद, समुद्री डकैती, अवैध मत्स्यन, समुद्री प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन** जैसे मुद्दों का अधिक प्रभावी ढंग से समाधान कर सकते हैं। इससे क्षेत्र की समग्र सुरक्षा और स्थिरता में सुधार होगा।
- **नवीन पहलों में सहयोग:** ऑस्ट्रेलिया ने **भारत के इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव (IPOI) का समर्थन** किया है। यह पहल हिंद-प्रशांत क्षेत्र के समुद्र क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर देशों के बीच **बेहतर समन्वय और सहयोग** को बढ़ावा देगी।

दोनों देशों द्वारा सुरक्षा भागीदारी को बढ़ाने के लिए शुरू की गई पहलें

- **व्यापक रणनीतिक साझेदारी (CSP)[18]:** दोनों देशों ने **2020 में अपने द्विपक्षीय संबंधों को अपग्रेड** किया था, जो परस्पर रणनीतिक सहयोग को दर्शाता है। इसमें **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए साझा दृष्टिकोण पर संयुक्त घोषणा-पत्र (2020) के साथ-साथ 2021 में 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद** भी शामिल है।
- **क्वॉड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग (Quad/ क्वाड) भागीदारी: संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के साथ मिलकर भारत एवं ऑस्ट्रेलिया** एक व्यावहारिक व सकारात्मक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भागीदारी कर रहे हैं। यह एजेंडा **खुले, समावेशी, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्र** का समर्थन करता है।
- **म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अरेंजमेंट (MLSA)** और **डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटिंग अरेंजमेंट** के जरिए दोनों देशों ने रक्षा के क्षेत्र में परस्पर सहयोग को और मजबूत किया है।
  - MLSA व्यापक **लॉजिस्टिक सहयोग** को सुविधाजनक बनाता है। यह जटिल **सैन्य भागीदारी को बढ़ाने** में सक्षम बनाता है। साथ ही, यह क्षेत्रीय मानवतावादी आपदाओं (बाढ़ आदि) के प्रति संयुक्त प्रतिक्रिया देता है।
    - जून व जुलाई 2023 में **ऑस्ट्रेलिया के कोकोस कीलिंग द्वीप समूह** पर भारतीय नौसेना और वायुसेना के विमानों की पहली तैनाती इस सहयोग का उदाहरण है।
- **सैन्य अभ्यास: ऑसिन्डेक्स** (समुद्री), **पिच ब्लैक** (वायु सेना), **ऑस्ट्रा-हिंद** (वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम), **मालाबार अभ्यास** (क्वॉड्रिलैटरल) आदि।
- **ऑस्ट्रेलिया-इंडिया इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव पार्टनरशिप (AIIPOIP):** यह साझेदारी **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग** को आकार देने में मदद करती है। इससे एक **खुली, समावेशी, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण, समृद्ध और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था का समर्थन** किया जा सकेगा।

[18] Comprehensive Strategic Partnership

भारत-ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा संबंधों में भिन्नता

- **भू-राजनीतिक भिन्नता: अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया का गठबंधन और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता** उनके भू-राजनीतिक हितों को पूरी तरह से संरेखित करने में चुनौती पेश करती है।
- **इंडो-पैसिफिक कॉन्ट्रक्ट की गत्यात्मकता:** भारत पारंपरिक रूप से स्वयं को हिंद महासागर की शक्ति के रूप में देख रहा है। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया ने ऐतिहासिक रूप से प्रशांत क्षेत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है।
- **अलग-अलग प्राथमिकताएं:** ऑस्ट्रेलिया चीन द्वारा प्रस्तुत चुनौती को अपनी राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था के साथ-साथ क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से देखता है। इसके विपरीत, भारत चीन को अपनी विवादित सीमा (भारत-चीन सीमा) के साथ एक सीधे सैन्य खतरे के रूप में देखता है।
    - उदाहरण के लिए, कई विशेषज्ञों का मानना है कि **भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया टैलिसमैन सेबर सैन्य अभ्यास में शामिल होने से इनकार करना उसके सतर्क दृष्टिकोण** को दर्शाता है।

भारत ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा संबंधों को मजबूत बनाने के उपाय

- **हिंद-प्रशांत में पारस्परिक विस्तार:** ऑस्ट्रेलिया अपने समर्थन और सहयोग के जरिए भारत को दक्षिण प्रशांत में भागीदारी की सुविधा प्रदान कर सकता है। उसी प्रकार भारत को भी पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में आपदा-रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (CDRI)[19] पहल के तहत ऑस्ट्रेलिया के साथ काम करने की आवश्यकता है।
- **तकनीकी सहयोग को बढ़ाना:** बख्तरबंद वाहनों, समुद्र के नीचे सेंसर, रडार सिस्टम और अलग-अलग उप-प्रणालियों का संयुक्त उत्पादन जैसे कई अनछुए क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने के अवसरों का पता लगाया जा सकता है।
    - **DEFEXPO और एयरो इंडिया** जैसी भारतीय रक्षा उद्योग प्रदर्शनियों में ऑस्ट्रेलिया की अधिक सक्रिय भागीदारी रक्षा क्षेत्रक में परस्पर सहयोग की संभावनाओं को बढ़ाएगी।
- **अंतर-संचालनीयता (Interoperability) में सुधार:** समुद्री क्षेत्रक में अंतर-संचालनीयता को समुद्री डोमेन जागरूकता (MDA)[20]; खोज और बचाव अभियान तथा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत के संदर्भ में और गहन किया जा सकता है।
- **समझौतों को लागू करना:** म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अरेंजमेंट (MLSA) को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। इससे नियमित लॉजिस्टिक समर्थन को सक्षम करने तथा त्रि-सेवा अभ्यास (Tri-services exercises), क्रॉस-बेसिंग और संयुक्त ऑपरेशन की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

2.4.1. ऑकस (AUKUS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

AUKUS सदस्य (ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका) **उन्नत क्षमताओं वाली परियोजनाओं**[21] को लेकर **जापान के साथ सहयोग** पर विचार कर रहे हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- AUKUS के सदस्य देश **"पिलर-II" पर जापान के साथ सहयोग** पर विचार कर रहे हैं। AUKUS गठबंधन के पिलर-II में जापान का संभावित प्रवेश इस गठबंधन साझेदारी, क्षमता एकीकरण और मानकीकरण को मजबूत कर सकता है। यह कदम संभावित रूप से इस गठबंधन के **सदस्य देशों एवं जापान के बीच निर्यात नियंत्रण और सूचना सुरक्षा विनियमों को सुव्यवस्थित** कर सकता है।
    - उल्लेखनीय है कि जापान की पहले से ही **ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका** के साथ घनिष्ठ द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी है।

[19] Coalition for Disaster Resilient Infrastructure

[20] Maritime Domain Awareness

[21] Advanced Capabilities Projects

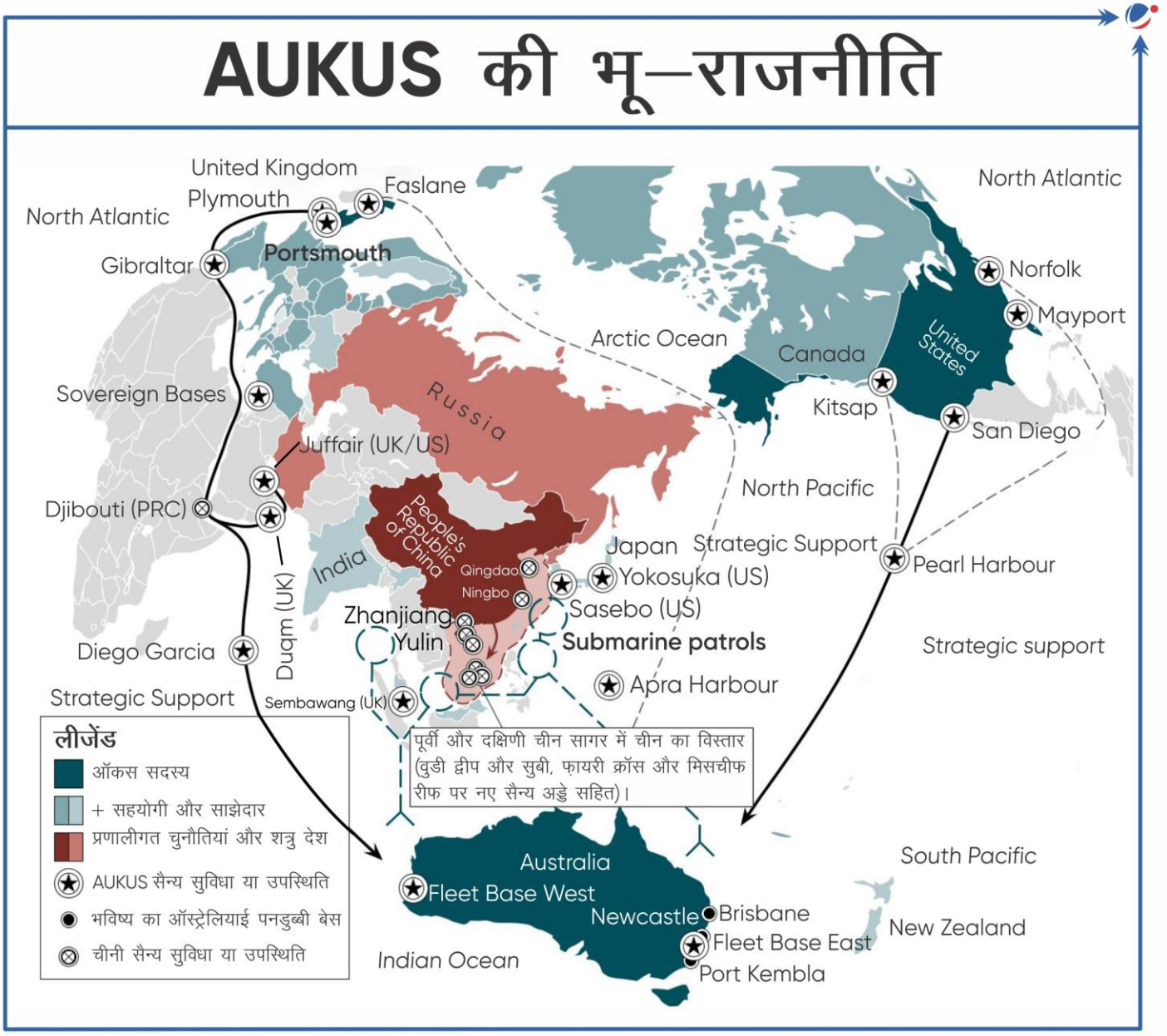

AUKUS के बारे में

- **उत्पत्ति:** AUKUS **संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया** के बीच एक **त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी** है। इसे **2021 में गठित** किया गया था।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य सदस्य देशों की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना, तकनीकी एकीकरण में तेजी लाना और औद्योगिक क्षमता का विस्तार करना है।
- **AUKUS साझेदारी के दो प्राथमिक क्षेत्र या पिलर्स हैं:**
  - **पिलर-I:** इसमें **पारंपरिक हथियारों से युक्त और परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियों** का विकास शामिल है। इसके तहत, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ही देश ऑस्ट्रेलिया को परमाणु-संचालित पनडुब्बियां बनाने में मदद कर रहे हैं।
  - **पिलर-II:** इसमें **उन्नत क्षमता विकास** शामिल है। इसके तहत सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
    - इनमें साइबर क्षमता तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम प्रौद्योगिकी और समुद्र की गहराई में अन्वेषण से जुड़ी अतिरिक्त क्षमताओं का विकास शामिल है।
- AUKUS आपात स्थिति में सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध गठबंधन होने की बजाय मुख्य रूप से रक्षा प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने हेतु एक मंच के रूप में कार्य करता है।

- महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को साझा करने की सुविधा के लिए, 2021 में एक **कानूनी रूप से बाध्यकारी त्रिपक्षीय समझौते** पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसे **एक्सचेंज ऑफ नेवल न्यूक्लियर प्रोपल्शन इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट (ENNPIA)** के रूप में जाना जाता है।
- **AUKUS के निहितार्थ**
  - **हिंद-प्रशांत के लिए सामरिक निहितार्थ:** ऑस्ट्रेलिया की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करके, AUKUS का लक्ष्य एक स्वतंत्र, खुले, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण और समावेशी हिंद-प्रशांत के विज़न को प्राप्त करना है।
    - बढ़ी हुई रक्षा क्षमता ऑस्ट्रेलिया को एक प्रभावी सुरक्षा भागीदार बनने और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान करने की उसकी क्षमता को मजबूत करेगी।
  - **हिंद-प्रशांत में संयुक्त राज्य अमेरिका का नवीनीकृत प्रयास:** AUKUS को हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अमेरिका की मजबूत प्रतिबद्धता के रूप में देखा जाता है।
  - **यूनाइटेड किंगडम के सामरिक वर्चस्व को फिर से स्थापित करना:** AUKUS हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा में दीर्घकालिक भूमिका के लिए यूनाइटेड किंगडम की आकांक्षा को पूरा करने में योगदान देगा।
- **AUKUS से संबंधित चिंताएं**
  - AUKUS के आधिकारिक **वक्तव्यों और रणनीतिक उद्देश्य** में स्पष्टता का अभाव है।
  - **चीन, AUKUS का विरोध** करता है। इससे हिंद-प्रशांत में क्षेत्रीय तनाव पैदा हो सकता है।
  - उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों को हासिल करने की मंशा रखता है। अमेरिका AUKUS के जरिये ऑस्ट्रेलिया की यह मंशा पूरी करने को लेकर प्रतिबद्ध है। यही कारण है कि **ऑस्ट्रेलिया ने डीजल-इलेक्ट्रिक अटैक क्लास पनडुब्बियों से संबंधित फ्रांस के साथ किए गए समझौते को ख़ारिज** कर दिया था।
    - विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने के एकतरफा फैसले के बाद **AUKUS ने फ्रांस और AUKUS देशों के बीच अटलांटिक-पार संबंधों में विभाजन को बढ़ा** दिया है।
- **AUKUS क्वॉड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग (Quad/ क्वाड) से अलग है:** AUKUS क्वाड के विपरीत **रक्षा साझेदारी को प्राथमिकता** देता है। वहीं क्वाड का व्यापक ध्यान **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग** पर केंद्रित है।
  - क्वाड **संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान का एक समूह** है। यह एक स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लेकर प्रतिबद्ध है, जो समृद्ध और वैश्विक मानदंडों के अनुकूल हो।

भारत और AUKUS

- **भारत के लिए AUKUS का महत्व:**
  - **क्वाड का पूरक:** AUKUS एक साझा खतरे के रूप में चीन से निपटने तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने के लिए क्वाड के प्रयासों को मजबूत करेगा।
  - **फ्रांस के साथ रणनीतिक सहयोग:** यह **फ्रांस** के साथ रणनीतिक सहयोग और यूरोपीय देशों के साथ विश्वास को गहरा करने के अवसर प्रस्तुत करता है।
    - उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा डीजल-इलेक्ट्रिक अटैक क्लास पनडुब्बियों से संबंधित फ्रांस के साथ किए गए समझौते को ख़ारिज करने और AUKUS में शामिल होने के बाद फ्रांस ने भारत के समक्ष छह परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों के लिए एक अनुबंध की पेशकश की है। इससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सामरिक गतिशीलता को नया आकार मिलेगा।
- **भारत के लिए चिंताएं**
  - भविष्य में परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बियों की बढ़ती उपस्थिति के कारण पूर्वी हिंद महासागर में भारत के **क्षेत्रीय प्रभाव में संभावित कमी** आ सकती है।
  - इसके अतिरिक्त, AUKUS संभावित रूप से **हिंद-प्रशांत में शक्ति संतुलन को बदल सकता है और क्वाड के महत्त्व को कम** कर सकता है।

2.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

2.5.1. बिम्सटेक चार्टर (Bimstec Charter)

- नेपाल की संघीय संसद के निचले सदन ने **"बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन (बिम्सटेक/ BIMSTEC)'** चार्टर का अनुसमर्थन किया है।
- **बिम्सटेक चार्टर के बारे में**
  - यह बिम्सटेक समूह के **लक्ष्यों, सिद्धांतों और संरचना** की रूपरेखा निर्धारित करने वाला **स्थापना दस्तावेज** है।
  - इस चार्टर को मार्च 2022 में आयोजित **5वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन** के दौरान **हस्ताक्षरित और अपनाया** गया था।
  - चार्टर में प्रावधान किया गया है कि यह **सभी सदस्य देशों द्वारा अनुसमर्थन के बाद ही लागू** होगा।
    - नेपाल को छोड़कर, अन्य सदस्य देशों की संसद ने पहले ही इस चार्टर का अनुसमर्थन कर दिया था।
- बिम्सटेक का गठन **1997** में किया गया था। इसे **आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति जैसे मुद्दों पर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने** के लिए गठित किया गया था।
  - **बिम्सटेक के सदस्य:** बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड।

2.5.2. आसियान फ्यूचर फोरम (Asean Future Forum)

- भारत के विदेश मंत्री ने **वियतनाम के हनोई** में आयोजित **प्रथम 'आसियान फ्यूचर फोरम'** में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया।
  - दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन (आसियान/ ASEAN)[22] एक **अंतर-सरकारी संगठन** है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से अपने **10 सदस्य देशों के बीच आर्थिक संवृद्धि और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा** देना है।
- **"आसियान फ्यूचर फोरम" के बारे में**
  - इसे 2023 में **43वें आसियान शिखर सम्मेलन में वियतनाम** ने प्रस्तावित किया था।
  - इसकी स्थापना एक **साझे मंच** के रूप में की गई है। यह आसियान सदस्य देशों के साथ-साथ भागीदार देशों के बीच भी **नए विचारों और नीतिगत सिफारिशों को साझा** करने के एक मंच के रूप में काम करता है।
  - इसका उद्देश्य **आसियान के विकास पथ को बढ़ावा और आकार देने** में योगदान करना है।

[22] Association of Southeast Asian Nations

2.5.3. यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत की आधिकारिक यात्रा की (Ukraine's Foreign Minister Paid Official Visit to India)

- यूक्रेन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है, जब दो साल से अधिक समय से चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध के **शांतिपूर्ण समाधान** के प्रयास किए जा रहे हैं।
- यूक्रेन ने आशा प्रकट की है, कि भारत, **स्विट्जरलैंड** द्वारा आयोजित किए जाने वाले **शांति शिखर सम्मेलन** में भाग लेगा। यह सम्मेलन यूक्रेनी राष्ट्रपति के **10 सूत्री शांति फॉर्मूले** के आधार पर आयोजित किया जा रहा है।
  - इस 10 सूत्री शांति फॉर्मूले का उद्देश्य **यूक्रेन में स्थायी शांति स्थापित करना और युद्ध समाप्त** करना है।
- भारत-यूक्रेन **अंतर-सरकारी आयोग (Inter-governmental Commission: IGC)** की एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई। इसका उद्देश्य रूस-यूक्रेन युद्ध से पहले वाला द्विपक्षीय सहयोग फिर से बहाल करना है।

रूस-यूक्रेन युद्ध पर भारत का रुख (India's stand on Ukraine – Russia Conflict)

- भारत **वार्ता और कूटनीति** के माध्यम से रूस-यूक्रेन संघर्ष के **शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन** करता है।
- भारत उन सभी शांतिपूर्ण तरीकों और साधनों का उपयोग करने के पक्ष में है, जिससे युद्ध को समाप्त करने में मदद मिलती हो।
- इसके अलावा, भारत यूक्रेन को लगातार **मानवीय सहायता** भी उपलब्ध करा रहा है।

- **भारत-यूक्रेन संबंधों के बारे में**
  - **राजनीतिक:** यूक्रेन को मान्यता देने वाले आरंभिक देशों में भारत भी शामिल था।
  - **व्यापार और आर्थिक सहयोग:** 2020 में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भारत, यूक्रेन का प्रमुख निर्यात गंतव्य देश था।
  - **सांस्कृतिक:** भारत के सॉफ्ट पावर के घटक जैसे कि **नृत्य, योग, दर्शन, आयुर्वेद और आध्यात्मिकता का यूक्रेन में काफी प्रभाव** है।
    - भारत अलग-अलग प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत दोनों देशों के मध्य **लोगों के बीच संपर्क** को बढ़ावा दे रहा है। इसके कुछ उदाहरण हैं: **भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) स्कॉलरशिप, केंद्रीय हिंदी संस्थान का छात्रवृत्ति कार्यक्रम आदि।**

- युद्ध से पहले ये कार्यक्रम आसानी से चलाए जा रहे थे।
    - **शिक्षा:** भारतीय छात्रों के लिए यूक्रेन **मेडिकल एजुकेशन** हेतु सबसे पसंदीदा देश रहा है।
        - युद्ध से पहले लगभग **18,000 भारतीय छात्र यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई** कर रहे थे।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अंतर्राष्ट्रीय संबंध** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

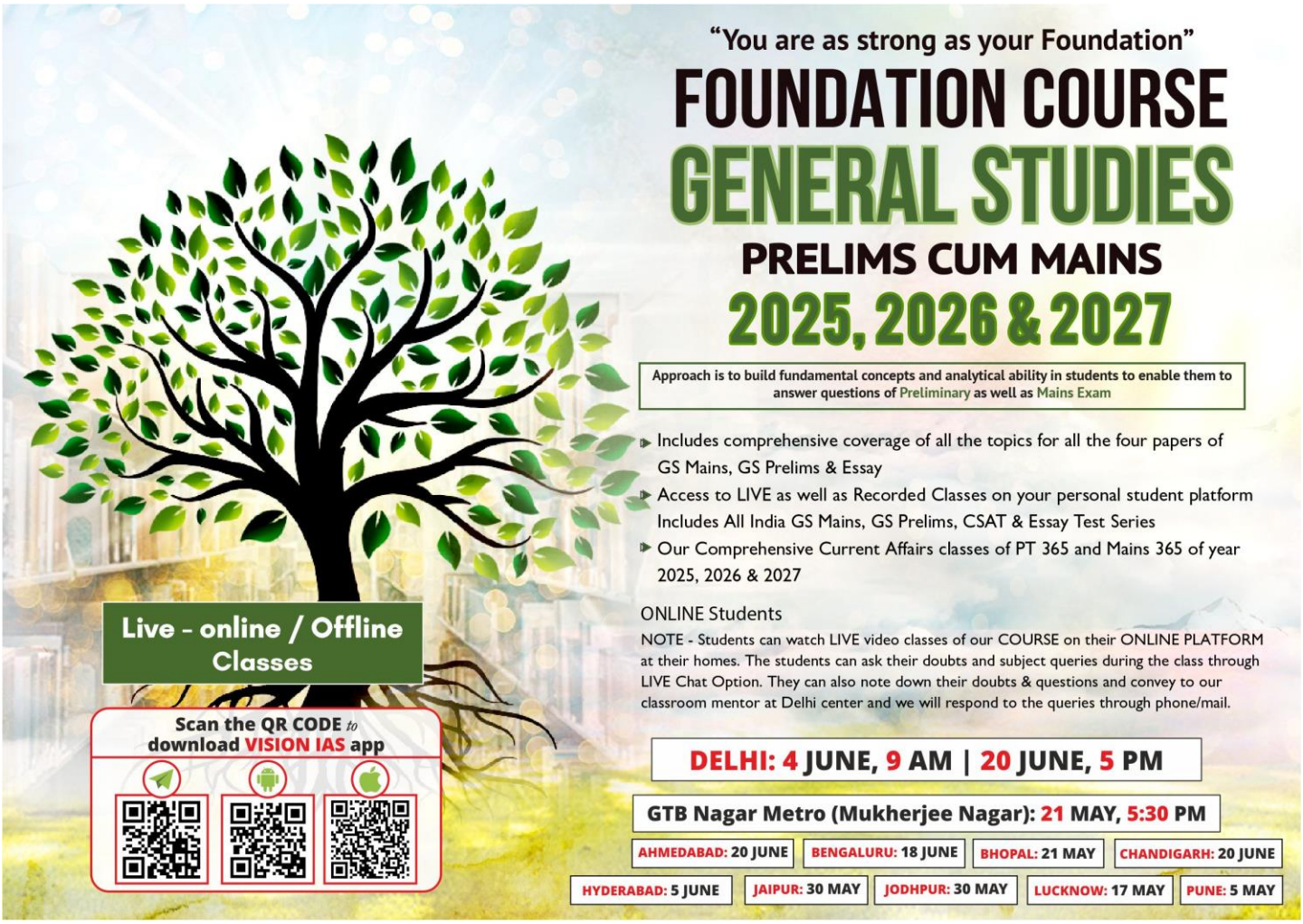

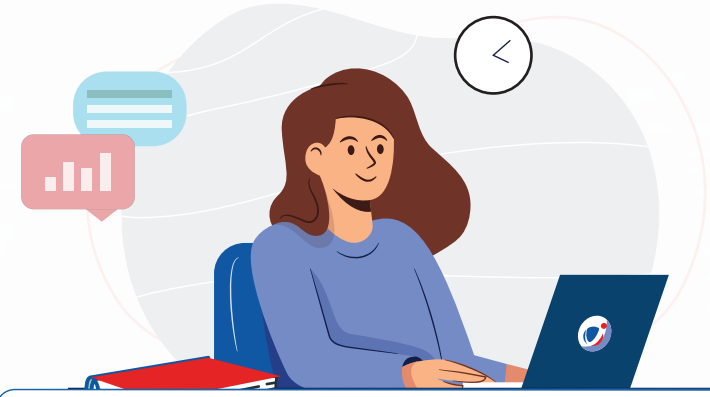

CSAT में महारत: UPSC प्रीलिम्स के लिए एक रणनीतिक रोडमैप

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला एवं अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। प्रीलिम्स एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रकार के दो पेपर होते हैं: सामान्य अध्ययन (GS) और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट (CSAT)। ये दोनों पेपर अभ्यर्थियों के ज्ञान, समझ और योग्यता का आकलन करते हैं।

पिछले कुछ सालों में CSAT पेपर के कठिन हो जाने से इसमें 33% का क्वालीफाइंग स्कोर प्राप्त करना भी कई अभ्यर्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। अतः इस पेपर को क्वालीफाइ करने के लिए अभ्यर्थियों को टाइम मैनेजमेंट के साथ–साथ CSAT में कठिनाई के बढ़ते स्तर के साथ सामंजस्य बिठाना और GS पेपर के साथ संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। साथ ही, इसमें गुणवत्तापूर्ण प्रैक्टिस मटेरियल से भी काफी मदद मिलती है। ये सारी बातें एक सुनियोजित रणनीति के महत्त्व को रेखांकित करती हैं।

इंस्टैंट पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग के लिए **QR कोड को स्कैन करें**

CSAT की तैयारी के लिए रणनीतिक रोडमैप

शुरुआत में स्व–मूल्यांकन: सर्वप्रथम पिछले वर्ष के CSAT के पेपर को हल करके हमें अपना मूल्यांकन करना चाहिए। इससे हमें अपने मजबूत एवं कमजोर पक्षों की पहचान हो सकेगी और हम उसी के अनुरूप अपनी तैयारी में सुधार कर सकेंगें।

स्टडी प्लान: अधिकतम अंक प्राप्त कर सकने वाले टॉपिक पर फोकस करते हुए एवं विश्वसनीय अध्ययन स्रोतों का चयन कर, एक व्यवस्थित स्टडी प्लान तैयार करें।

रेगुलर प्रैक्टिस एवं पोस्ट–टेस्ट एनालिसिस: पिछले वर्ष के पेपर एवं मॉक टेस्ट को हल करके तथा उनका विश्लेषण करके हम एग्जाम के पैटर्न एवं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इससे परिचित हो सकते हैं। इस अप्रोच से CSAT के व्यापक सिलेबस को प्रभावी ढंग से कवर करने के लिए एक बेहतर रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।

व्यक्तिगत मेंटरशिप प्राप्त करें: CSAT की बेहतर तैयारी के लिए अपने अनुरूप रणनीति विकसित करने हेतु मेंटर से जुड़ें। इससे आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकेंगे और साथ ही फोकस्ड एवं संतुलित तैयारी कर पाएंगे।

रीजनिंग: क्लॉक, कैलेंडर, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, डायरेक्शन, ब्लड–रिलेशन, कोडिंग–डिकोडिंग एवं सिलोगिज़्म जैसे विभिन्न प्रकार टॉपिक के प्रश्नों का अभ्यास करके अपने तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाएं।

एग्जाम के पैटर्न को समझने एवं प्रश्नों को हल करने के लिए स्टेप–बाय–स्टेप अप्रोच को विकासित करने पर ध्यान केंद्रित करें।

गणित एवं बेसिक न्यूमेरेसी: बेसिक कॉन्सेप्ट के रिवीजन एवं रेगुलर प्रैक्टिस के जरिए मूलभूत गणितीय अवधारणाओं पर अपनी पकड़ को मजबूत करें।

तेजी से कैल्कुलेशन करने के लिए शॉर्टकट और मेंटल मैथ टेक्निक का उपयोग करें।

रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन: नियमित रूप से अखबार पढ़कर अपनी पढ़ने की गति और समझ में सुधार करें। समझ बढ़ाने के लिए पैराग्राफ को संक्षेप में लिखने का अभ्यास करें और उसमें निहित मुख्य विचारों का पता लगाएं।

VisionIAS के CSAT क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़कर अपनी CSAT की तैयारी को मजबूत बनाएं। इस कोर्स को अभ्यर्थियों में बेसिक कॉन्सेप्ट विकसित करने और उनकी प्रॉब्लम–सॉल्विंग क्षमताओं एवं क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स की मुख्य विशेषताएं हैं– ऑफ़लाइन/ ऑनलाइन और रिकॉर्ड की गई कक्षाएं, वन–टू–वन मेंटरिंग सपोर्ट और ट्यूटोरियल्स के जरिए नियमित प्रैक्टिस। यह आपको CSAT में महारत हासिल करने की राह पर ले जाएगा।

रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए **QR कोड को स्कैन करें**

हमारे **ऑल इंडिया CSAT टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम** के साथ अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, जिसमें शामिल हैं:

- UPSC CSAT के सिलेबस का विस्तार से कवरेज
- वन–टू–वन मेंटरिंग
- फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल और इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम
- प्रत्येक टेस्ट पेपर की विस्तार से व्याख्या
- लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन टेस्ट डिस्कशन एवं पोस्ट टेस्ट एनालिसिस

VisionIAS से जुड़कर सिविल सेवाओं में शामिल होने की अपनी यात्रा शुरू करें, जहां हमारी विशेषज्ञता और सपोर्ट सिस्टम से आपके सपने पूरे हो सकते हैं।

अहमदाबाद | बैंगलोर | भोपाल | चंडीगढ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. भारत में आय और संपत्ति में उच्च असमानता (High Income and Wealth Inequality in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कई रिपोर्ट्स में भारत में आय और संपत्ति के मामले में व्याप्त उच्च असमानता को रेखांकित किया गया है। इससे आर्थिक असमानता, धन के कुछ लोगों के हाथों में संकेंद्रित होने और धन के पुनर्वितरण पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है।

ऑक्सफैम रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- कुल आय में **सबसे धनी 1% लोगों की आय हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि** हुई है।
- कुल आय में सबसे कम आय वाले **50% लोगों की आय हिस्सेदारी लगातार कम** हुई है।
- सबसे धनी **5% भारतीयों के पास देश की 60% से अधिक संपत्ति** है।

भारत में आर्थिक असमानता के बारे में

- **संपत्ति के स्तर पर असमानता: ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट** के अनुसार, भारत सबसे अधिक असमानता वाले देशों में से एक है। यहां **अमीर बहुत तेजी से और अधिक अमीर होते जा रहे हैं**, वहीं गरीब अभी भी न्यूनतम मजदूरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
- **आय में असमानता:** विश्व असमानता डेटाबेस, 2022-23 के अनुसार, **देश की कुल राष्ट्रीय आय का 22.6% हिस्सा सबसे धनी 1% लोगों के पास है।** इस अनुपात के मामले में भारत विश्व के शीर्ष देशों में शामिल है। भारत में यह अनुपात संयुक्त राज्य अमेरिका से भी अधिक है।
    - **ग्रामीण-शहरी असमानता:** घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, भारत में **औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय** ग्रामीण क्षेत्रों में **3,773 रुपये** तथा शहरी क्षेत्रों में **6,459 रुपये** है।
    - **पारिश्रमिक के स्तर पर लैंगिक भेदभाव या असमानता:** विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत में, कुल श्रम आधारित आय का 82% पुरुष कमाते हैं, जबकि महिलाएं केवल 18% कमाती हैं।

बढ़ती आर्थिक असमानता के लिए उत्तरदायी कारण

- **असमान आर्थिक संवृद्धि:** आर्थिक संवृद्धि का लाभ सभी को समान रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। **कुछ राज्यों और कुछ क्षेत्रकों को इसका अधिक लाभ प्राप्त हुआ है।**
    - उदाहरण के लिए- सेवा क्षेत्रक जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 60% का योगदान करता है, मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में केंद्रित है।
- **कोविड-19 महामारी:** कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय आबादी के सबसे निर्धन 50% लोगों की संपत्ति में कमी आई है।
    - **भारत में अरबपतियों की कुल संख्या 2020 में 102** थी। **2022 में इनकी संख्या बढ़कर 166 हो गई।** दूसरी ओर इसी अवधि में **भुखमरी से ग्रस्त भारतीयों की संख्या 19 करोड़ से बढ़कर 35 करोड़** हो गई।
- **कर प्रणाली:** सरकार ने **कॉर्पोरेट टैक्स दर को 30% से घटाकर 22%** कर दिया, जबकि वस्तुओं और सेवाओं पर उत्पाद शुल्क और GST को काफी बढ़ा दिया गया है।
    - देश में कुल **GST का लगभग 64% हिस्सा सबसे गरीब 50% आबादी से एकत्रित किया गया,** जबकि केवल 4% हिस्सा सबसे धनी 10% लोगों से एकत्रित किया गया।
- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का अभाव:** यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गरीबी के दुष्चक्र को बनाए रखता है और उनकी आर्थिक स्थिति में अधिक सुधार को बाधित करता है। यह स्थिति विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के मामले में देखने को मिलती है।
    - वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब के अनुसार, **शिक्षा की कमी के कारण कुछ लोग कम पारिश्रमिक वाली नौकरियों** में ही नियोजित होकर रह गए हैं। इस कारण सबसे गरीब 50% तथा मध्यमवर्गीय 40% भारतीयों की संवृद्धि बाधित हो गई है।

- **उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG)[23]:** LPG सुधारों से दूरसंचार और नागरिक विमानन क्षेत्रक को सबसे अधिक लाभ हुआ है, जबकि **कृषि और लघु उद्योग उपेक्षित रहे हैं।**
    - भारत के कार्यबल का बड़ा हिस्सा कृषि और लघु उद्योगों में कार्यरत है। इन्हें आमतौर पर कम पारिश्रमिक प्राप्त होता है और सामाजिक सुरक्षा का भी लाभ प्राप्त नहीं होता है।

आर्थिक असमानता को कम करने के लिए किए गए उपाय

- **समावेशी विकास: दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन** शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार और कौशल आधारित श्रम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर गरीबी को कम करना है।
    - **कुछ अन्य पहलें हैं-** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना, कौशल भारत मिशन, आदि।
- **वित्तीय समावेशन: प्रधान मंत्री जन-धन योजना** शुरू की गई है। इसका उद्देश्य लोगों को बैंकिंग/ बचत, बीमा, रेमिटेंसेस जैसी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है।
    - **कुछ अन्य पहलें हैं-** प्रधान मंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया योजना, आदि।

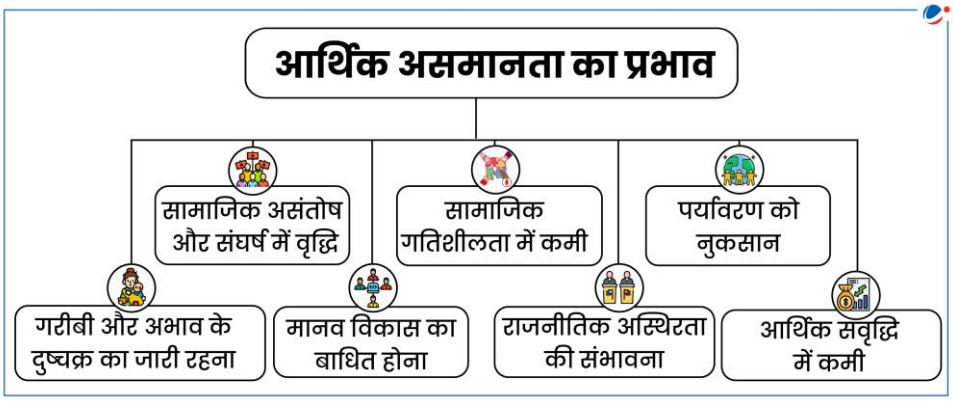

- **सामाजिक सुरक्षा उपाय: अटल पेंशन योजना** शुरू की गई है। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्रक के 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन के रूप में **आय सुरक्षा** प्रदान करना है।
    - **कुछ अन्य पहलें हैं-** प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (दुर्घटना बीमा), प्रधान मंत्री जीवन ज्योति योजना, आदि।
- **लैंगिक समानता को बढ़ावा देना: 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'** योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य पुत्र के जन्म को प्राथमिकता देने वाली सोच को समाप्त करना, बालिकाओं की शिक्षा और गतिविधियों में समान भागीदारी सुनिश्चित करना है, आदि।
    - **कुछ अन्य पहलें हैं-** वन स्टॉप सेंटर योजना, स्वधार (SWADHAR) गृह, प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना, आदि।
- **संधारणीय विकास: राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन** शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य कृषि कार्य को अधिक **उत्पादक, संधारणीय और लाभकारी तथा जलवायु अनुकूल** बनाना है।
    - **कुछ अन्य पहलें हैं-** राष्ट्रीय वर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन[24], जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, आदि।

संपत्ति और आय के स्तर पर असमानता दूर करने में मौजूद चुनौतियां

- **जनसंख्या का आकार और विविधता:** भारत में 1.3 बिलियन से अधिक की विशाल और विविधतापूर्ण आबादी मौजूद है। ऐसे में पूरी आबादी के लिए एक जैसी नीतियों और पहलों को प्रभावी ढंग से लागू करना चुनौतीपूर्ण है।
- **सामाजिक असमानताएं:** भारत में **जाति, लैंगिक और अन्य स्तरों पर भेदभाव के कारण आर्थिक असमानताएं** अभी भी बनी हुई हैं। इससे असमानता को कम करने के उद्देश्य से लागू की गयी नीतियों को प्रभावी बनाने में बाधा उत्पन्न होती है।
- **सीमित संसाधन:** भारत के पास सीमित वित्तीय संसाधन उपलब्ध है। इस कारण सरकार को आर्थिक असमानता को समाप्त करने वाले बड़े कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त धन आवंटित करने में समस्या उत्पन्न होती है।
- **गवर्नेंस और कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियां:** गवर्नेंस में दक्षता की कमी, भ्रष्टाचार तथा नीतियों और कार्यक्रमों का सही से कार्यान्वयन नहीं होना बड़ी चुनौतियां हैं।
- **संरचनात्मक सुधारों का विरोध:** निहित स्वार्थ के कारण भूमि सुधार, श्रम सुधार और प्रगतिशील कराधान जैसे संरचनात्मक सुधारों का विरोध किया जाता है।

---

[23] Liberalization, Privatization and Globalization

[24] National Mission on Enhanced Energy Efficiency

आगे की राह

- **समावेशी आर्थिक विकास:** ऐसी नीतियों को बढ़ावा देना चाहिए, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करें तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा दे।
  - शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच असमानता रूपी खाई को पाटने के लिए **ग्रामीण अवसंरचना और विकास में निवेश करना चाहिए।**
- **शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच उपलब्ध कराना:** स्वास्थ्य क्षेत्रक में बजटीय आवंटन बढ़ाना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, आदि। ये सभी उपाय गरीबी और असमानता के चक्र को तोड़ने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाना:** आर्थिक रूप से वंचित लोगों को सामाजिक सुरक्षा की अलग-अलग योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए नकद अंतरण (कैश ट्रांसफर), सब्सिडी और पेंशन योजनाओं का कवरेज बढ़ाना चाहिए तथा इसकी कमियों को दूर करना चाहिए।
- **भारत के सबसे अमीर लोगों पर कर लगाना:** भारत के अरबपतियों पर केवल 1% का संपदा कर लगाकर प्रमुख सरकारी योजनाओं का वित्त-पोषण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, गरीबों पर कर का बोझ कम करने से आर्थिक असमानता भी कम हो सकती है।
- असमानताओं को जारी रखने वाली **सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं** जैसे कि **जाति-आधारित भेदभाव और लैंगिक असमानता को कम करना चाहिए।**

3.1.1. धन के पुनर्वितरण के एक साधन के रूप में विरासत कर (Inheritance Tax as a tool of Wealth Redistribution)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आर्थिक असमानता को कम करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ प्रांतों में लगाए गए **विरासत कर** की तरह भारत में भी विरासत कर प्रणाली लागू करने पर चर्चा हो रही है।

विरासत कर (Inheritance Tax) क्या है?

- **किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर** उसके उत्तराधिकारियों को **विरासत में मिली जायदाद/ संपत्ति** पर **विरासत कर** लगाया जाता है। यह **एस्टेट टैक्स** से अलग है। **एस्टेट टैक्स मृत व्यक्ति की संपत्ति या एस्टेट के कुल मूल्य पर** लगाया जाता है।
- इसे कई देशों में अपनाया गया है, जैसे- जापान में विरासत कर की दर 55% तथा दक्षिण कोरिया में 50% है।

भारत में विरासत कर का इतिहास

- वर्तमान में **भारत में कोई विरासत कर लागू नहीं** है।
- 1953 में **एस्टेट ड्यूटी** लगाई गई थी। इस कर की दर 85% तक पहुंच गई थी, जिसके कारण यह कर अत्यधिक अलोकप्रिय हो गया। वर्ष 1985 में इसे समाप्त कर दिया गया।
- **एस्टेट ड्यूटी** के समान भारत में **उपहार कर (Gift tax)** और **संपत्ति कर (Wealth tax)** भी लगाए गए थे।
  - उपहार कर को 1998 में और संपत्ति कर को 2015 में समाप्त कर दिया गया। हालांकि, **उपहार कर** को 2004 में फिर से लगाया गया था।
    - उपहार कर के तहत, यदि कोई व्यक्ति **एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक मूल्य का कोई उपहार प्राप्त करता है**, तो इसे **"अन्य स्रोतों से प्राप्त आय"** के रूप में समझा जाता है। इस पर **आयकर स्लैब के अनुसार कर** लगाया जाता है।
    - हालांकि, इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे- दान, विरासत में मिले उपहार और करीबी रिश्तेदार से प्राप्त उपहार, शादी के उपलक्ष्य में प्राप्त उपहार आदि।

विरासत कर के लाभ

- **राजस्व में वृद्धि होगी:** इससे सरकार के **राजस्व में वृद्धि** हो सकती है। इस राजस्व का उपयोग गरीब लोगों के उत्थान हेतु सामाजिक क्षेत्रक के कार्यक्रमों के वित्त-पोषण लिए किया जा सकता है।
- **संपत्ति में असमानता को कम करेगा:** यह विरासत में मिली संपत्ति के एक हिस्से को पुनर्वितरित करके तथा सरकारी कार्यक्रमों और सेवाओं का वित्त-पोषण करके कुछ लोगों के पास **धन के संकेन्द्रण को कम** कर सकता है। साथ ही, इससे **आर्थिक असमानता को भी कम** करने में मदद मिल सकती है।
- **मेरिटोक्रेसी को बढ़ावा मिलेगा:** विरासत में मिली संपत्ति पर कर लगाने से समान अवसर प्रदान करने और मेरिटोक्रेटिक समाज को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। ऐसा इसलिए, क्योंकि विरासत में मिली संपत्ति पर कर लगाकर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सफलता पारिवारिक संपत्ति और विशेषाधिकारों की बजाय व्यक्तिगत प्रयास, क्षमता और प्रतिभा के आधार पर ही मिल सकती है।

- **निवेश को उत्पादक गतिविधियों में लगाया जा सकता है:** इससे धनी व्यक्तियों को अपने जीवनकाल के दौरान अपने धन को केवल अपने उत्तराधिकारियों को सौंपने की बजाय **अधिक उत्पादक गतिविधियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।**
- **पीढ़ी-दर-पीढ़ी असमानता के दुष्चक्र से मुक्ति मिल सकती है:** विरासत कर यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि एक ही वंश की पीढ़ियों में धन के संचय की बजाय संसाधनों को अलगी पीढ़ियों में समान रूप से वितरित किया जाए।

विरासत कर के प्रभाव

- **कर चोरी बढ़ सकती है:** कर की उच्च दर के कारण, कर अपवंचन (Tax Evasion) और कर के बचाव (Tax Avoidance) जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही, लोग इससे **कर का भुगतान करने के लिए कम मूल्य में अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर** हो सकते हैं।
- **बचत और निवेश हतोत्साहित होगा:** यदि विरासत में प्राप्त संपत्ति पर उच्च विरासत कर लगाया जाता है, तो लोग संपत्ति का संचय करने में रुचि नहीं रखेंगे।
- **यह लोगों को कड़ी मेहनत करने से हतोत्साहित करेगा:** विरासत कर, दोहरे कराधान के समान हो सकता है क्योंकि विरासत में मिली संपत्तियों पर पहले ही कर लगाया जा चुका होता है।
- **व्यवसाय पर प्रभाव:** कई व्यवसायी, करों से बचने के लिए अपने व्यवसाय को विदेशों में स्थापित कर सकते हैं। साथ ही लोग कर देनदारियों का भुगतान करने के लिए परिवार के स्वामित्व वाले व्यवसायों को बेचने या उसका बंटवारा करने के लिए भी मजबूर हो सकते हैं।
- **दोहरे कराधान से जुड़ी चिंताएं:** आलोचकों का तर्क है कि विरासत कर दोहरे कराधान को बढ़ावा देता है, क्योंकि हस्तांतरित की जा रही संपत्ति पर पहले से ही आय और अन्य कर वसूले जा चुके होते हैं।

निष्कर्ष

विरासत कर **संपत्ति के स्तर पर असमानता** को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है, हालांकि इसके कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले **अवांछित परिणामों से बचने के लिए** काफी सावधानी से संतुलन बनाने की आवश्यकता है। कर चोरी की रोकथाम के लिए **जरूरी प्रावधानों को अपनाते हुए अच्छी तरह से डिजाइन की गई प्रगतिशील विरासत कर प्रणाली** लागू की जा सकती है। इससे सामाजिक कार्यक्रमों के लिए **राजस्व जुटाने** के साथ-साथ **संपत्ति के स्तर पर समानता को बढ़ावा** दिया जा सकता है।

3.2. भारत में बेरोजगारी (Unemployment in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

एक प्रतिष्ठित IIT में कैंपस प्लेसमेंट के संबंध में **ग्लोबल IIT एलुमनी सपोर्ट ग्रुप** के हालिया आंकड़ों ने भारत में बेरोजगारी के बारे में चिंताओं को बढ़ा दिया है।

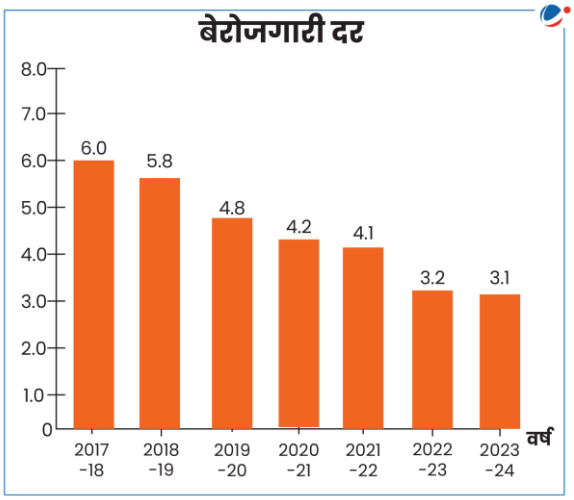

भारत में बेरोजगारी की स्थिति

- **सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी:** भारत में बेरोजगारी दर मार्च, 2024 में 7.4 प्रतिशत थी जो बढ़कर अप्रैल, 2024 में 8.1 प्रतिशत हो गई।
- **NSSO डेटा: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO)** द्वारा कैलेंडर वर्ष 2023 के लिये जारी **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)**[25] के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2023 में भारत में बेरोजगारी दर **3.1%** थी। यह 2023 में 5.1% की वैश्विक बेरोजगारी दर से कम थी।
  - कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए भारत में **शहरी बेरोजगारी दर (5.2%)** ग्रामीण बेरोजगारी दर (2.4%) से अधिक थी।
  - PLFS के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए, **महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर 41%** थी।
- **विश्व बैंक की रिपोर्ट: "साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट जॉब्स फॉर रेजिलिएंस"** रिपोर्ट में, भारत में **महिलाओं** के लिए **औसत से कम रोजगार अनुपात को रेखांकित** किया गया।
- **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की रिपोर्ट: "इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, 2024"** के अनुसार, **हर तीन बेरोजगार व्यक्तियों में एक युवा शामिल है।**

[25] Periodic Labor Force Survey

भारत में बेरोजगारी के कारण

- **उच्च जनसंख्या वृद्धि:** विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि भारत सहित दक्षिण एशियाई क्षेत्र अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग नहीं कर रहे हैं।
  - विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि **2000-23 की अवधि के दौरान,** रोजगार में प्रति वर्ष 1.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि **कामकाजी उम्र की आबादी** में **प्रति वर्ष 1.9 प्रतिशत की वृद्धि** हुई।
- **निरक्षरता: ILO की रिपोर्ट के अनुसार,** उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, उच्चतर शिक्षा में उपलब्धि का स्तर निम्न बना हुआ है और शैक्षिक गुणवत्ता भी चिंता का विषय है। यह स्थिति युवाओं में रोजगार पाने में चुनौती पेश करती है।
- **कौशल की कमी और कौशल विकास में चुनौतियां:** एक रिपोर्ट के अनुसार, केवल 4.7% भारतीय कार्यबल ने ही कोई औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
  - **राष्ट्रीय कौशल विकास निगम** ने 2010 और 2014 के बीच कार्यबल में कौशल की कमी का अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि 29.82 करोड़ कर्मियों को कौशल, पुनः कौशल और उन्नत कौशल (अपस्किलिंग) विकास की आवश्यकता है।
  - भारत में **कौशल प्रशिक्षण के विस्तार के समक्ष अनेक चुनौतियां** हैं। इनमें गरीब क्षेत्रों में कम प्रशिक्षण क्षमता, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सामाजिक-समावेशन का निम्न स्तर जैसी चुनौतियां मौजूद हैं।
  - स्किल इंडिया में सुधारों पर गठित **शारदा प्रसाद समिति** ने भी कौशल विकास में संस्थागत कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन इन सुधारों का कार्यान्वयन अभी तक बाकी है।
- **रोजगार बाजार पर ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी का प्रभाव:** भारत में विनिर्माण कार्यों में पूंजी की जरुरत बढ़ गई है और इनमें बहुत सारे कार्यों को करने के लिए ऑटोमेशन की मदद ली जा रही है। ऑटोमेशन से लागत में कमी आती है तथा दक्षता और संवृद्धि भी बढ़ती है, लेकिन ये रोजगार भी कम कर रहे हैं।
  - कुछ अनुमानों के अनुसार, भारत में 69% नौकरियों को ऑटोमेशन से खतरा है।
- **कुछ उद्योगों में रोजगार की मौसमी प्रकृति:** वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कुल कार्यबल का लगभग 45.76% कृषि (मौसमी रोजगार) और सहायक क्षेत्रकों में लगा हुआ था।
- **कैजुअल और अनौपचारिक श्रम:** औपचारिक क्षेत्र में नियमित रोजगार की कमी के कारण, व्यक्ति अक्सर अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जहां उन्हें कम वेतन मिलता है, और **यह वेतन या पारिश्रमिक भी नियमित रूप से और समय पर नहीं मिलता** है।

  - भारत के श्रम बाज़ार को **मुख्य रूप से अनौपचारिक रोजगार** क्षेत्रक के रूप में जाना जाता है क्योंकि लगभग 90 प्रतिशत वयस्क और युवा श्रमिक इसमें नियोजित हैं।

रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दिशा में उठाए गए कदम

- **आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY):** इसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ-साथ रोजगार के नए अवसरों के सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना है।
- **प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY):** इस योजना के तहत सूक्ष्म/ लघु व्यावसायिक उद्यमों और व्यक्तियों को 10 लाख रुपये तक का जमानत मुक्त (कोलेटरल फ्री) ऋण दिया जाता है। यह ऋण नया व्यवसाय शुरू करने या पुराने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए दिया जाता है।

- **प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi Scheme):** इस योजना के तहत कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त (कोलेटरल फ्री) कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जाता है।
- **पी.एम. विश्वकर्मा योजना:** यह पहल पूरे देश में ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में कारीगरों और शिल्पकारों को हर स्तर पर सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य गुरु-शिष्य परंपरा की पारंपरिक प्रणाली को मजबूत और संरक्षित करना है।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2.0:** यह नीति व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली में शामिल करती है। इसमें सभी स्टूडेंट्स को 9वीं कक्षा से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की भी सिफारिश की गई है। इसका उद्देश्य **कौशल विकास पर जोर देकर भावी पीढ़ियों को रोजगार के योग्य बनाना** है।
- **दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM):** यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक योजना है। यह योजना गरीबी में जीवन यापन करने वाली ग्रामीण महिलाओं को स्वयं-सहायता समूहों में संगठित करने पर बल देती है।
- **प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना:** इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने शुरू की है और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) कार्यान्वित करता है। यह एक प्रकार की कौशल प्रमाणन योजना है जो युवाओं को उद्योग की मांग के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने में मदद करती है।
- **अन्य महत्वपूर्ण पहलें हैं-** मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन और रोजगार मेले का आयोजन, आदि।

आगे की राह

- **रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन और विकास को अधिक श्रम-केंद्रित बनाना:**
  - **कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रकों में उत्पादक रोजगार बढ़ाना चाहिए,** विशेषकर विनिर्माण और उभरते सेवा क्षेत्रकों में।
  - **सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (MSMEs) को बढ़ावा** देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
    - MSMEs क्षेत्रक से निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भंडारण और परिवहन जैसी **अवसंरचनाओं में निवेश** बढ़ाने की जरुरत है।
  - **कृषि उत्पादकता में सुधार करना चाहिए** और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना चाहिए।
    - स्टार्ट-अप व्यवसाय को आसान बनाने के लिए **श्रम और कर नियमों को सरल बनाया जाना चाहिए।**
  - **नई तकनीकों** का लाभ उठाने के लिए नीतियों और उपायों को अपनाना चाहिए।
- **नौकरियों की गुणवत्ता में सुधार करना:**
  - **बच्चों की देखभाल एवं बुजुर्गों की देखभाल** जैसे उभरते देखभाल क्षेत्रों के साथ-साथ **डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं** में निवेश करना चाहिए और उन्हें विनियमित करना चाहिए।
  - **प्रवासियों, महिलाओं** और **गरीब घरों के श्रमिकों** की जरूरतों को पूरा करने के लिए **समावेशी शहरी नीति अपनाने** की आवश्यकता है।
- **कौशल प्रशिक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान करना:**
  - **युवाओं को बाजार की मांग के अनुसार रोजगार योग्य बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए** और इसे **शिक्षा प्रणाली** में शामिल करना चाहिए।
    - सभी सामाजिक-आर्थिक समूहों और भौगोलिक क्षेत्रों में **कौशल प्रशिक्षण में व्यापक असमानताओं** को दूर करने की आवश्यकता है।
- **श्रम बाजार की असमानताओं को समाप्त करना:**
  - सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए और **डिजिटल विभाजन को खत्म करना चाहिए।**
  - **श्रम कानूनों और विनियमों को उदार बनाने से रोजगार वृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है**, खासकर औपचारिक क्षेत्र में।
    - **न्यूनतम मजदूरी** और **रोजगार सुरक्षा से जुड़े सख्त कानून** उभरते बाजारों की अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार में कम वृद्धि के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं।
- **महिला श्रम बल की भागीदारी में वृद्धि करना:**
  - पारिश्रमिक सब्सिडी या कर लाभ जैसे मौद्रिक प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए।
  - लड़कों और लड़कियों की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में अंतर को कम करना चाहिए।
  - वित्त और अन्य इनपुट्स यानी साधनों तक महिलाओं की पहुंच को बढ़ाना चाहिए।

3.3. सकल स्थायी पूंजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation: GFCF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चालू कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के प्रतिशत के रूप में **निजी सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF) की धीमी संवृद्धि** भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती रही है।

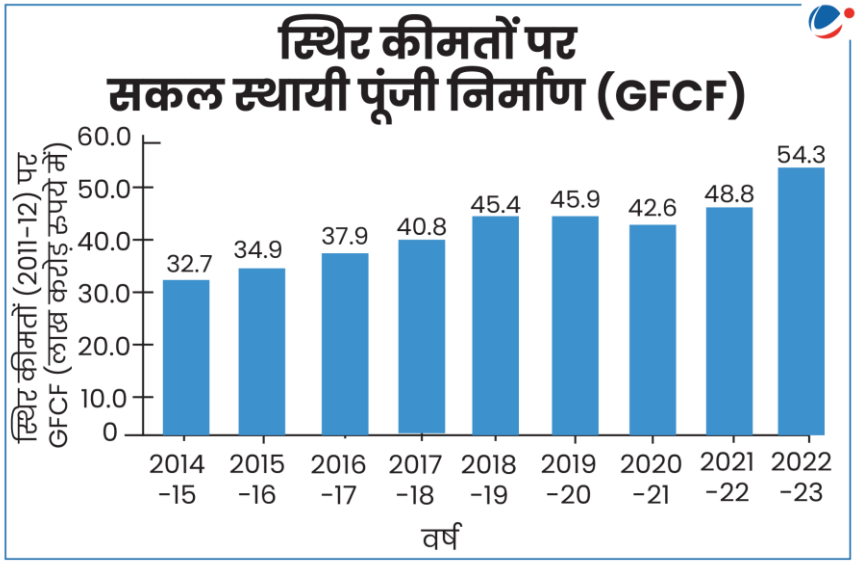

अन्य संबंधित तथ्य

- **GFCF (यानी निवेश) का विकास:**
  - **भारत की स्वतंत्रता से लेकर आर्थिक उदारीकरण तक,** देश में निवेश GDP के **10% के आसपास** रहा है।
  - यह निवेश 1980 के दशक के GDP के **लगभग 10% से बढ़कर 2007-08 में लगभग 27%** हो गया।
  - हालांकि, **2011-12 के बाद से, निजी निवेश में गिरावट शुरू हो गई** और यह **2020-21** में GDP के **19.6% के निचले स्तर पर पहुंच गया।**
  - हालांकि, **कुल निवेश मात्रा के मामले में,** भारतीय अर्थव्यवस्था में **GFCF** 2014-15 के 32.78 लाख करोड़ रुपए (2011-12 की स्थिर कीमतों पर) से बढ़कर **2022-23 में 54.35 लाख करोड़ रुपए (अनंतिम अनुमान)** हो गया।
- **निजी GFCF में गिरावट के कारण:**
  - ऐतिहासिक रूप से, भारत में, **अधिक उपभोग व्यय के कारण निजी निवेश कम** रहा है।
  - **सरकारी नीति निवेश अनुकूल नहीं होने** और **नीति निर्माण के स्तर पर अनिश्चितता के कारण भी** निजी निवेश कम रहा है। इसका एक उदाहरण है: समय-समय पर कर कानूनों से जुड़े विवादों का उत्पन्न होना।
    - पिछले **दो दशकों में सुधारों की गति** के मंद रहने के कारण भी **निजी निवेश** में गिरावट दर्ज की गई है।

पूंजी निर्माण और सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF) क्या है?

- **पूंजी निर्माण (Capital Formation: CF):** संयंत्रों, उपकरण, मशीनरी जैसी परिसंपत्तियों तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास के माध्यम से मानव पूंजी में निवेश की प्रक्रिया को **पूंजी निर्माण** कहा जाता है।
- **सकल पूंजी निर्माण (GCF)[26]:** यह किसी अर्थव्यवस्था में स्थायी परिसंपत्तियों में सकल जोड़ या वृद्धि को कहा जाता है। इसमें शामिल हैं-
  - **सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF):** भूमि के मूल्य या उपयोग में वृद्धि; संयंत्र, मशीनरी और उपकरण खरीद; सड़कों का निर्माण; आदि।
  - **कच्चे माल, अर्द्ध-तैयार और तैयार उत्पाद के स्टॉक (CIS) में परिवर्तन:** उत्पादन या बिक्री में अस्थायी उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए कंपनियों द्वारा रखे गए उत्पाद के स्टॉक।
  - **कीमती वस्तुओं की निवल खरीदारी:** जैसे- सोना, रत्न, आभूषण और कीमती पत्थर आदि।
- **विशुद्ध पूंजी निर्माण (NCF)[27],** GCF से इस मायने में अलग है कि NCF का मापन करते समय **मूल्यह्रास, अनुपयोगी परिसंपत्ति** और **स्थायी पूंजी की आकस्मिक क्षति को समायोजित किया जाता** है।

शब्दावली को जानें

- **पूंजीगत वस्तुएं:** ऐसी सभी वस्तुएं जो भविष्य की उत्पादक प्रक्रियाओं में उपयोग के लिए विनिर्मित की जाती हैं, उन्हें पूंजीगत वस्तु कहा जाता है। इनमें मशीनरी, उपकरण, संयंत्र, भवन एवं अन्य संरचनाएं, उत्पादकों के कच्चे माल के स्टॉक आदि शामिल हैं।

[26] Gross Capital Formation

GFCF में शामिल हैं	GFCF में शामिल नहीं हैं
• **अवसंरचना,** जैसे- हवाई अड्डे, सड़क आदि। • **बार-बार उपयोग किए जाने वाले पशुधन में वृद्धि,** जैसे- डेयरी मवेशी, भेड़ आदि। • **बार-बार काटी जाने वाली कृषि फसलों में वृद्धि।** • **बड़े पैमाने पर मरम्मत और रखरखाव के कार्य** जो परिसंपत्तियों के अधिक समय के लिए आर्थिक रूप से उपयोगी बनाते हैं। • **अमूर्त परिसंपत्तियां,** जैसे- सॉफ़्टवेयर या मूल कलात्मक कार्य।	• **मध्यवर्ती उपभोग** के लिए निर्धारित लेन-देन। ○ उत्पादन की प्रक्रिया द्वारा इनपुट के रूप में उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को **मध्यवर्ती उपभोग** कहा जाता है। • **घरेलू अंतिम उपभोग व्यय** के लिए **मशीनरी और उपकरण।** • **प्राकृतिक आपदाओं** (जैसे- बाढ़, जंगल की आग, आदि) के **कारण होने वाले नुकसान।**

GFCF एक महत्वपूर्ण आर्थिक चर (वेरिएबल) क्यों है?

- **संवृद्धि का गुणक (Growth Multiplier): GFCF और GDP धनात्मक रूप से एक-दूसरे से संबंधित** हैं। GFCF में वृद्धि से GDP में भी वृद्धि होती है।
- **उत्पादकता और जीवन स्तर को बढ़ावा देता है:** GFCF श्रमिकों को प्रत्येक वर्ष अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में मदद करता है, उत्पादन को बढ़ावा देता है और जीवन स्तर में सुधार करता है।
- **आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है:** GFCF में संवृद्धि पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा देती है। इससे लंबी अवधि में उत्पादन के साथ-साथ अनुसंधान में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद मिलती है।
- **बाजार के विश्वास का संकेतक:** GFCF को भविष्य की **व्यावसायिक गतिविधि, व्यावसायिक विश्वास** और **भविष्य के आर्थिक संवृद्धि पैटर्न** का एक सार्थक संकेतक माना जाता है।
  - उदाहरण के लिए- **निजी GFCF किसी अर्थव्यवस्था** में निजी क्षेत्रक द्वारा **निवेश करने की इच्छा का एक सामान्य संकेतक** हो सकता है।
- **समग्र उत्पादन को दर्शाता है: GFCF समग्र आर्थिक उत्पादन** का अनुमान लगाने के लिए **एक संकेतक** के रूप में कार्य करता है। यह दर्शाता है कि उपभोक्ता वास्तव में बाजार में क्या खरीद सकते हैं।

GFCF की संवृद्धि को बाधित करने वाले कारक

- **सुधारों की धीमी गति:** विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण में सुधारों की धीमी गति ने निवेशकों को अर्थव्यवस्था में निवेश करने से हतोत्साहित किया है।
- **भारतीय बैंकों और कई बड़ी कंपनियों की वित्तीय समस्याएं:** इस समस्या की वजह से बाजार में उपलब्ध पूंजी अप्रत्यक्ष रूप से स्थिर हो जाती है और इस पूंजी का नई परियोजनाओं में फिर से निवेश नहीं हो पाता है।
- **उच्च ब्याज दर पर उधार मिलने की वजह से ऋण की लागत बढ़ जाती है** जिससे ऋण लेन-देन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इससे निवेश में बाधा उत्पन्न होती है।
  - ऋण लेने की उच्च लागत से आशय है उच्च ब्याज दरों पर उधार मिलना, जो आगे उच्च मुद्रास्फीति से प्रभावित होती है। गौरतलब है कि **ब्याज दर और मुद्रास्फीति की दिशा समान** होती है। अर्थात् उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति में ब्याज दर बढ़ा दी जाती है ताकि मुद्रास्फीति को कम किया जा सके।

निष्कर्ष

भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य को हासिल करने में निवेश की बड़ी भूमिका होगी। सतत पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए, मुद्रास्फीति जैसे अन्य व्यापक आर्थिक कारकों में स्थिरता बनाए रखने के साथ-साथ आर्थिक सुधारों को लागू करना आवश्यक है।

भारत में निवेश के बारे में और अधिक जानकारी के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #114: भारत में निवेश का परिदृश्य

[27] Net Capital Formation

3.4. ग्रामीण भारत में स्टार्ट-अप्स (Start-ups in Rural India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्टार्ट-अप्स ग्रामीण भारत में विशेषकर **कृषि क्षेत्रक में आशा की किरण** बनकर उभर रहे हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्टार्ट-अप्स की भूमिका

- **ग्रामीण विकास:** पारंपरिक आजीविका संबंधी पद्धतियों से जुड़े मुद्दों का समाधान करने पर केंद्रित स्टार्ट-अप्स का ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार होने से समग्र **ग्रामीण आर्थिक सुधार** को बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही, **'आत्मनिर्भर गांव'** की परिकल्पना को भी साकार किया जा सकता है।

- **रोजगार सृजन:** ग्रामीण स्टार्ट-अप्स समस्याओं के निराकरण के लिए न केवल नवाचारयुक्त समाधान प्रदान करते हैं, बल्कि ग्रामीण भारत में रोजगार और आजीविका के अवसर भी पैदा करते हैं, जैसे- **मीशो, उड़ान** आदि।
- **शिक्षा और कौशल विकास:** ग्रामीण एड-टेक स्टार्ट-अप्स के उद्भव से शिक्षा तक पहुंच का विस्तार बढ़ा है। इससे ग्रामीण-शहरी विभाजन कम हो गया है। कुछ एड-टेक स्टार्ट-अप्स हैं- **पाठशाला, लर्निंग डिलाइट,** आदि।
- **वित्तीय समावेशन:** फिनटेक स्टार्ट-अप्स ग्रामीण क्षेत्रों में **सूक्ष्म ऋण (Microcredit), बीमा और डिजिटल भुगतान** जैसी किफायती वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने की दिशा में काम कर रहे हैं, जैसे- **बैंक साथी।**
- **महिला सशक्तीकरण:** स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) द्वारा संचालित स्टार्ट-अप्स के कारण ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा मिला है। उदाहरण के लिए- **लिज्जत पापड़, सरल जीवन सहेलियां, फार्म दीदी** आदि।
- **पर्यावरणीय संधारणीयता:** ग्रामीण स्टार्ट-अप्स नवीकरणीय ऊर्जा के दोहन पर ध्यान केंद्रित करके स्वच्छ और हरित भारत के विज़न को साकार करने में योगदान दे रहे हैं। उदाहरण के लिए- **एग्री विजय, अर्थशास्त्र इकोटेक प्राइवेट लिमिटेड** आदि।

- **जल गवर्नेंस:** कई स्टार्ट-अप्स जल की उपलब्धता को सुलभ और किफायती बनाने, कृषि जल को बचाने आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं, जैसे- **वाटर लैब इंडिया, खेती, बून** आदि।
- **कृषि नवाचार: जैसे एक सेवा के रूप में सिंचाई (Irrigation as a Service: IaaS)**
  - IaaS एक प्रकार की **सिंचाई तकनीक** है। यह लघु और सीमांत किसानों को **परेशानी मुक्त, उपयोग के आधार पर भुगतान और किफायती दर पर मांग आधारित सिंचाई सुविधा** प्रदान करती है।

- यह **सब्सक्रिप्शन या उपयोग के आधार पर भुगतान** के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका अर्थ है कि किसान एक **निश्चित मासिक शुल्क का भुगतान करके या जल के उपयोग की मात्रा के आधार पर शुल्क का भुगतान** करता है।
- **IaaS के लाभ:**
  - जल उपयोग दक्षता और फसल की पैदावार में सुधार करती है,
  - अधिक जल का उपयोग करने वाली फसलों (जैसे- गन्ना) के लिए लाभकारी है,
  - मृदा के स्वास्थ्य पर निगरानी रखती है आदि।

स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें:

- **स्टार्ट-अप इंडिया:** इस पहल को 2016 में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य देश में नवाचार और स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना है। इससे आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- **स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड योजना:** इस योजना का उद्देश्य प्रूफ ऑफ़ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यवसायीकरण के लिए स्टार्ट-अप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- **न्यूजेन (NewGen) नवाचार और उद्यमिता विकास केंद्र:** यह केंद्र ज्ञान-आधारित और प्रौद्योगिकी-संचालित स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देता है। इसमें युवाओं के मस्तिष्क और उनकी नवाचार क्षमता का शैक्षणिक परिवेश में उपयोग किया जाता है।
- **नवाचार और कृषि-उद्यमिता कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि क्षेत्रक में वित्तीय सहायता प्रदान कर तथा नवाचार इकोसिस्टम का पोषण कर कृषि-उद्यमियों को बढ़ावा देना है।
- **एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड (AAF):** AAF के तहत कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों के उद्यमियों को अपना स्टार्ट-अप्स स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

ग्रामीण स्टार्ट-अप्स से जुड़ी चुनौतियां

- **शहरी क्षेत्रों में आपूर्तिकर्ताओं के साथ कनेक्टिविटी का अभाव:** यह ग्रामीण स्टार्ट-अप्स के लिए विलंब, लागत में वृद्धि और लॉजिस्टिक संबंधी जटिलताओं का कारण बन जाता है। साथ ही, इससे ग्रामीण स्टार्ट-अप्स के काम-काज की दक्षता प्रभावित होती है।
- **वित्तीय पहुंच:** ग्रामीण स्टार्ट-अप्स को वित्तीय संस्थान ऋण देने में अनिच्छा प्रकट करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की सीमित उपलब्धता है, आदि।
- **समर्थन प्रणाली का अभाव:** मार्गदर्शन की कमी, नेटवर्किंग के अवसर और इनक्यूबेशन केंद्रों की अनुपस्थिति/ कमी ने ग्रामीण स्टार्ट-अप्स के विकास में बाधा उत्पन्न की है।
- **शुरू में ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगकर्ता/ ग्राहकों को तलाशने में कठिनाई:** ग्रामीण स्टार्ट-अप्स को सीमित संचार माध्यमों, कम आय और निम्न डिजिटल पहुंच जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ता है। इससे शुरू में ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगकर्ता/ ग्राहकों को खोजने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित वित्त-पोषण तंत्र:** अक्सर वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजेल निवेशक ग्रामीण स्टार्ट-अप्स पर ध्यान नहीं देते हैं।
  - पिछले 9 वर्षों में **बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई** में शहरी स्टार्ट-अप्स को सामूहिक रूप से **स्टार्ट-अप फंडिंग का 92% हिस्सा** प्राप्त हुआ है।

आगे की राह

- **नीतिगत समर्थन:** ग्रामीण स्टार्ट-अप्स के सामने आने वाली चुनौतियों, जैसे- अवसंरचना की कमी, वित्त तक पहुंच और कौशल विकास का समाधान करना चाहिए।
- **संस्थागत समर्थन:** कृषि क्षेत्रक के स्टार्ट-अप्स के इरादों को लाभकारी उद्यमों में बदलने के लिए प्रासंगिक संस्थाओं का एक व्यापक नेटवर्क होना महत्वपूर्ण है।
- **सामुदायिक संलग्नता:** स्वयं-सहायता समूहों के नेतृत्व वाले स्टार्ट-अप्स को पर्याप्त नीतिगत समर्थन देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये स्थानीय समुदाय के विकास में योगदान देते हैं।
- **सरकार और NGO के बीच सहयोग:** ग्रामीण स्टार्ट-अप्स के विकास के लिए प्रयासों और संसाधनों को एकजुट करने हेतु सरकार एवं गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के बीच आपसी सहयोग की आवश्यकता है।
- **विस्तार की बजाय स्थिरता:** ग्रामीण स्टार्ट-अप्स को विकसित भारत के व्यापक दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाते हुए सतत रोजगार पैदा करने वाले उद्यमों के रूप में विकसित होने का लक्ष्य रखना चाहिए।

3.4.1. ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, 2024 (Global Unicorn Index 2024)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट** ने "ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, 2024" जारी किया।

इंडेक्स के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- 2023 में, भारत में **67 यूनिकॉर्न** थे। यूनिकॉर्न स्टार्ट-अप्स की संख्या के मामले में भारत **विश्व में तीसरे स्थान** पर है। 2022 में भारत में यूनिकॉर्न स्टार्ट-अप्स की संख्या **68** थी। देश के कुछ महत्वपूर्ण यूनिकॉर्न हैं- **देल्हीवेरी, नायका** आदि।
  - सूचकांक में **संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान** पर है, जहां कुल **703 यूनिकॉर्न** हैं। इसके बाद **340 यूनिकॉर्न के साथ चीन दूसरे स्थान** पर है।
  - विश्व के ज्ञात यूनिकॉर्न में से **50% संयुक्त राज्य अमेरिका** में स्थित हैं। उसके बाद **चीन में लगभग 25% और शेष 25% विश्व के अन्य देशों** में स्थित हैं।
- भारत के लोगों ने किसी अन्य देश के नागरिकों की तुलना में विदेशों में अधिक **ऑफशोर यूनिकॉर्न** स्थापित किए हैं। विदेशों में **109 यूनिकॉर्न के सह-संस्थापक भारतीय** हैं, जबकि भारत में केवल **67 यूनिकॉर्न** स्थापित किए गए हैं।
- यूनिकॉर्न स्टार्ट-अप **निजी स्वामित्व वाली एक कंपनी** होती है। इसकी सार्वजनिक एक्सचेंज पर **कोई लिस्टिंग नहीं** होती है। यह वास्तव में **वेंचर कैपिटल पर आधारित होती है,** जिसका मूल्य **1 बिलियन डॉलर या उससे अधिक** होता है।
  - **गज़ेल्स (Gazelles):** ये ऐसे स्टार्ट-अप्स होते हैं, जिनके **3 वर्षों के भीतर 'यूनिकॉर्न' बनने** की संभावना होती है।
  - **चीता:** ये ऐसे स्टार्ट-अप्स होते हैं, जिनके **5 वर्षों के भीतर 'यूनिकॉर्न' बनने** की संभावना होती है।

भारत में यूनिकॉर्न की संख्या या उनके मूल्य में गिरावट के लिए जिम्मेदार कारण

- **मॉडल्स की स्थिरता:** यूनिकॉर्न आय से अधिक व्यय करते हैं। साथ ही, वे ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए भारी छूट भी प्रदान करते हैं। इसने इनकी लाभप्रदता को कम कर दिया है और **दीर्घकालिक स्थिरता** के बारे में चिंताओं को बढ़ा दिया है।
- **स्टार्ट-अप्स को अधिमूल्यांकित (Overvalued) करना:** कई भारतीय स्टार्ट-अप्स का बहुत अधिक मूल्यांकन (Valued) किया गया है और वे अपने इस मूल्यांकन को सही साबित नहीं कर पाए हैं।
  - 2021 की लिस्टिंग के बाद से पेटीएम का स्टॉक 80 प्रतिशत नीचे चला गया है।
- **वित्त-पोषण में गिरावट:** 2022 की तुलना में 2023 में भारतीय स्टार्ट-अप्स को मिलने वाली फंडिंग में काफी गिरावट आई थी।

अपनाए जाने वाले उपाय

- **सतत व्यवसाय मॉडल:** यूनिकॉर्न द्वारा तेजी से विस्तार करने की बजाय लाभप्रदता को प्राथमिकता देने, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार में निवेश करने और अपने राजस्व स्रोतों में विविधता लाने की आवश्यकता है।
- **उचित मूल्यांकन:** मूल्यांकन के **बेहतर विनियमन** की आवश्यकता है।
- **विनियामक परिवेश:** कानूनी और अनुपालन संबंधी शर्तों का सरलीकरण एवं युक्तिकरण भविष्य में यूनिकॉर्न्स को स्थिरता व विश्वास प्रदान कर सकता है।

3.5. रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण (Internationalization of Rupee)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने RBI[28] से भारतीय रुपये को विश्व स्तर पर सुलभ और स्वीकार्य मुद्रा बनाने हेतु **10 साल की रणनीति** तैयार करने के लिए कहा ताकि **भारतीय मुद्रा यानी रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण** किया जा सके।

मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में

- **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा** एक ऐसी मुद्रा होती है जिसे जारी करने वाले देश के अलावा **विदेशों में भी लेन-देन** हेतु और **विदेशी मुद्रा भंडार** के रूप में **आरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता** है। केवल जारी करने वाले देश के नागरिक ही नहीं बल्कि अन्य देशों के नागरिक भी ऐसी मुद्रा का उपयोग लेन-देन के लिए करते हैं।

[28] Reserve Bank of India/ भारतीय रिजर्व बैंक

- यदि किसी देश की मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित **तीन बुनियादी कार्यों को संपन्न** करती है तो उसे मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण माना जाता है:
  - **विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करना,**
  - **यूनिट ऑफ अकाउंट के रूप में कार्य करना** अर्थात् वस्तुओं को मुद्रा के मूल्य में व्यक्त करना (कॉफी प्रति डॉलर), और
  - **स्टोर ऑफ वैल्यू** (मूल्य संचय) के रूप में कार्य करना।
    - मुद्रा को स्टोर ऑफ वैल्यू तब माना जाता है, जब बिना मूल्य गंवाए इसका उपयोग बचत और पूंजी आवंटित करने के साधन के रूप में किया जा सकता है।

- वर्तमान में आरक्षित मुद्रा के रूप में रखी जाने वाली मुख्य विदेशी मुद्राएं हैं- **अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन** और **पाउंड स्टर्लिंग।**
- 1990 के दशक के अंत में भारत ने मुद्रा की **आंशिक परिवर्तनीयता** की ओर कदम रखा और बाद में इस दिशा में कई सुधारों की घोषणा की गई।
  - भारत ने पूंजी खाता में लेन-देन को भी उदारीकृत किया है। उदाहरण के लिए- कॉरपोरेट जगत को **बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ECBs)**[29] और **मसाला बॉण्ड** के जरिए संसाधन जुटाने की अनुमति दी गई है।
  - मसाला बॉण्ड वास्तव में विदेशों में भारतीय कंपनियों द्वारा रुपये-मूल्य वर्ग में बॉण्ड जारी करके धन जुटाने का एक माध्यम है। इसके तहत विदेशों में विदेशी निवेशकों से भारतीय रुपये में पूंजी जुटाई जाती है।

मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ

- **विनिमय दर से जुड़े जोखिम को कम करता है:** घरेलू कंपनियां निर्यात या आयात के लिए देश की मुद्रा में लेन-देन एवं भुगतान कर सकती हैं। इससे विनिमय दर में किसी उतार-चढ़ाव से जुड़े जोखिम से बचने में मदद मिलती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों तक पहुंच प्राप्त होती है:** यह **भारतीय कंपनियों और वित्तीय संस्थानों** को विनिमय दर का जोखिम उठाए बिना **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों तक पहुंच को सुगम** बनाता है।
- **अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता है:** एक बड़े और अधिक दक्ष वित्तीय क्षेत्रक का विकास पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करता है। इससे भागीदारों के लिए पूंजी की लागत कम हो जाती है।

- **बजट घाटे के कुछ हिस्से को वित्त-पोषित करना: किसी देश की सरकार** को विदेशी मुद्रा में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स जारी करने की बजाय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में घरेलू मुद्रा में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जारी करके **अपने बजट घाटे के एक हिस्से को वित्त-पोषित करने** में मदद करता है।
- **पूंजी की आवाजाही को विनियमित करना:** यह देश में **पूंजी आने में अचानक रुकावट को और पूंजी के बाहर जाने के प्रभाव को कम** करता है। साथ ही, इससे विदेशी संप्रभु ऋण को चुकाने की क्षमता बढ़ जाती है।

- **विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने की आवश्यकता को कम करना:** यह बाहरी खतरों से निपटने में विनिमय योग्य मुद्राओं में विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने और उस पर निर्भरता को कम करता है।
  - मार्च, 2022 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 642.63 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर था।

[29] External Commercial Borrowings

भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के तरीके

- **पूंजी खाता परिवर्तनीयता[30]:** भारतीय रुपया **चालू खाते** में पूरी तरह से परिवर्तनीय है लेकिन **पूंजी खाते में आंशिक रूप से परिवर्तनीय** है।
  - **फेमा यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA)[31]** के मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करने और भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निपटान हेतु प्रोत्साहन बढ़ाने की आवश्यकता है।
  - भारतीय बैंकों की ऑफशोर (विदेशी) शाखाओं को **भारतीय रुपये में बैंकिंग सेवाएं** (ऋण, गारंटी, क्रेडिट लाइन आदि) देने की अनुमति दी जानी चाहिए।

शब्दावली को जानें

- **पूंजी खाता परिवर्तनीयता (Capital Account Convertibility):** यह स्थानीय मुद्रा (जैसे- भारत में रुपया) के किसी अन्य मुद्रा में स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीयता की क्षमता या सीमा है। दूसरे शब्दों में, पूंजी खाता परिवर्तनीयता का आशय पूंजी खाता लेन-देन के लिए घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने की क्षमता या स्वतंत्रता से है।

- **भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीय उपयोग को बढ़ावा देना:** भारतीय रुपये (INR) में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक **दक्ष निपटान तंत्र**, **तरलता (मुद्रा) की उपलब्धता** और **मजबूत सीमा-पार भुगतान प्रणाली** के विकास की आवश्यकता होगी।
  - **मुद्रा स्वैप और स्थानीय मुद्रा में निपटान (LCS)[32]:** इससे मुद्रा विविधीकरण को बढ़ावा मिलता है। यह स्थानीय मुद्रा को स्थिरता प्रदान करता है और व्यापारिक समुदाय को मुद्रा जोखिम से बचाने के लिए एक विकल्प प्रदान करता है। साथ ही, यह लेन-देन की लागत को कम करने में मदद करता है।
  - **भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण:** भारत की अत्याधुनिक भुगतान प्रणालियों, जैसे- रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की वैश्विक पहुंच को और अधिक बढ़ाने की जरुरत है।
  - **कंटीन्यूअस लिंक्ड सेटलमेंट (CLS) का हिस्सा बनना:** CLS विदेशी मुद्रा लेन-देन के निपटान के लिए एक वैश्विक प्रणाली है। यह **पेमेंट वर्सेस पेमेंट (PvP)** के आधार पर कार्य करती है।
    - वर्तमान में CLS प्रणाली में 18 मुद्राओं में लेन-देन का निपटान किया जाता है। हालांकि, **INR उन मुद्राओं में शामिल नहीं** है।
  - **एक "भारतीय समाशोधन प्रणाली" (क्लीयरिंग सिस्टम) का निर्माण करना:** समाशोधन प्रणाली अपने सदस्य देशों के बैंकों को उनकी घरेलू मुद्रा के बदले अन्य मुद्राएं खरीदने के लिए बाज़ार प्रदान करेगी।।
  - **भारतीय रुपया एक व्हीकल करेंसी/ SDR (विशेष आहरण अधिकार) बास्केट के दावेदार के रूप में:** इसे अन्य देशों के साथ व्यापार संबंधों का विस्तार करके भारतीय रुपये में भुगतान/ निपटान को प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाया जा सकता है।

शब्दावली को जानें

विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights: SDR)

- SDR एक **अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति** है। इसे **1969 में IMF** द्वारा अपने सदस्य देशों की आरक्षित मुद्रा के पूरक के रूप में बनाया गया था।
- SDR का मूल्य **पांच मुद्राओं के एक बास्केट पर आधारित** है। ये पांच मुद्राएं हैं: अमेरिकी डॉलर (उच्चतम भारांश), यूरो, चीनी युआन, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग (सबसे कम भारांश)।

- **वित्तीय बाजारों को मजबूत बनाना**
  - INR परिसंपत्तियों में विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश को आसान बनाने हेतु **RBI एवं SEBI के KYC (नो योर कस्टमर) मानदंडों को सहज बनाने की जरूरत है।**
  - **ग्लोबल 24x5 INR मार्केट:** ऑफशोर मार्केट (विदेश) में ग्राहक को लेन-देन की सुविधा चौबीसों घंटे प्रदान की जाती है। इसके विपरीत, भारत में इंटर-बैंक फॉरेक्स सुविधा केवल भारतीय शाखाओं के माध्यम से ही प्रदान की जाती है और देश में ये सुविधाएं दिन में केवल सीमित घंटों के लिए हैं।
  - **वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में भारत सरकार के बॉण्ड्स** को भी शामिल किया जाना चाहिए।
    - इनमें भागीदारी से देश और उसके स्टॉक की बड़े बाजारों तक पहुंच बढ़ाने में मदद मिलती है। इससे निवेशक आधार का विस्तार, स्थिर और नियमित पूंजी निवेश, भारतीय रुपये की पहुंच का विस्तार और समग्र उधार लागत में कमी आएगी।

---

[30] Capital Account Convertibility

[31] Foreign Exchange Management Act

[32] Local Currency Settlement

भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण हेतु शुरू की गई पहलें

- **भारतीय भुगतान अवसंरचना का उपयोग:** भारत ने सिंगापुर के PayNow के साथ UPI के इंटरलिंकेज की शुरुआत की है। **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)** अब कई अन्य देशों में भी अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए प्रयास कर रहा है।
- **विशेष वोस्ट्रो रुपया खाते (SVRAs)[33]:** RBI ने 22 देशों के बैंकों को पेमेंट सेटलमेंट के लिए भारतीय बैंकों में SVRAs खोलने की अनुमति देकर इन देशों के साथ भारतीय रुपये में व्यापार निपटान के लिए तंत्र स्थापित किया है।
  - रुपया वोस्ट्रो खाता वस्तुतः भारतीय रुपया में खोला गया एक खाता है जो एक घरेलू बैंक किसी विदेशी बैंक के लिए रखता है।
- **श्रीलंका में भारतीय रुपया एक नामित विदेशी मुद्रा[34] बन गया है।** अब श्रीलंका में भारतीय रुपया का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सीमा-पार बैंकिंग लेन-देन में किया जा सकता है।
- **एशियन क्लीयरिंग यूनियन (ACU):** RBI ने लेन-देन के निपटान के लिए ACU में भारतीय रुपये को भी शामिल करने का प्रस्ताव दिया है।
- **गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में नई पहलें:** इसमें दो **अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज** और एक **डिपाजिटरी** जैसी फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर (FMI) स्थित हैं।
- **द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था (BSA)[35]:** भारत ने जापान के साथ BSA समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत भुगतान संतुलन से जुड़ी किसी समस्या से निपटने के लिए बैकस्टॉप लाइन के रूप में 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक स्थानीय मुद्रा करेंसी स्वैप की व्यवस्था की गई है।
  - इसके अलावा, भारत ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के साथ 35 अरब रुपये के करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं।

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में और अधिक जानकारी के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #105: रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण: भारतीय मुद्रा का बढ़ता वैश्विक प्रभाव

3.6. बेसल III एंडगेम (Basel III Endgame)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कंज्यूमर बैंकर्स एसोसिएशन (CBA) ने "अमेरिकी वित्तीय प्रणाली के मार्जिन पर उपभोक्ताओं पर **बेसल III एंडगेम** प्रस्ताव का प्रभाव[36]" शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया।

बेसल III एंडगेम के बारे में

- **बेसल III मानदंडों** के नियमों के अंतिम सेट को **"बेसल III एंडगेम"** नाम दिया गया है।
  - बेसल III बैंकों के विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए **बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति** द्वारा तैयार उपायों का एक सेट है।
  - एंडगेम का एक संभावित प्रभाव यह भी है कि **"ग्लोबली सिस्टेमिकली इंपोर्टेंट बैंक (G-SIBs)[37]"** द्वारा अपनी पूंजी आवश्यकताओं में 21% की वृद्धि की जाएगी।

[33] Special Vostro Rupee Accounts

[34] Designated Foreign Currency

[35] Bilateral Swap Arrangements

[36] The Impact of the Basel III Endgame Proposal on Consumers on the Margins of the U.S. Financial System

[37] Globally Systemically Important Banks

- प्रस्तावित परिवर्तनों का उद्देश्य **बैंकिंग प्रणाली की "मजबूती और संकट से निपटने की क्षमता"** में सुधार करना और बैंकों के पूंजीगत फ्रेमवर्क में पारदर्शिता लाना एवं स्थिरता बनाए रखना है।

बेसल मानदंड के बारे में

(बेसल मानदंड से जुड़ी प्रमुख शब्दावलियों के लिए इस आर्टिकल के अंत में बॉक्स देखिए):

- **विवरण:** बेसल मानदंड **पूंजी की वह मात्रा निर्धारित करते** हैं जो बैंकों को अपने व्यवसाय से जुड़े ऋण जोखिम, परिचालन जोखिम और बाजार जोखिम से निपटने के लिए अपने पास सुरक्षित रखनी चाहिए।
  - बैंकिंग क्षेत्रक को **अधिक जोखिम** का सामना करना पड़ता है क्योंकि उधारी पर सर्वाधिक निर्भर भी यही क्षेत्रक है। ये ग्राहकों की जमा राशि को ही उधार देते हैं। ग्राहकों की जमा राशि भी बैंकों पर उधार ही होती है।
  - अत्यधिक उधारी पर निर्भर क्षेत्रक अपने परिचालन और निवेश के **वित्त-पोषण के लिए बड़े पैमाने पर ऋण पर निर्भर** होते हैं।
- **बेसल I मानदंड (1987):**
  - 1987 में, बेसल समिति ने पूंजी माप प्रणाली की शुरुआत की जो **ऋण जोखिम और परिसंपत्तियों के जोखिम-भार पर केंद्रित** थी।
  - ये मानदंड बैंकों के लिए पूंजी आवश्यकताओं का न्यूनतम स्तर निर्धारित करते हैं जिन्हें बैंकों को अपने पास सुरक्षित रखना होता है।
- **बेसल II मानदंड (2004):**
  - इन अपडेट किए गए मानदंडों में तीन महत्वपूर्ण पिलर्स- **न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता (Minimum capital requirements,), पर्यवेक्षी समीक्षा (Supervisory Review)** और **बाजार अनुशासन (Market Discipline)** को पेश किया गया था। इनका उद्देश्य पूंजी माप के स्तर पर जोखिम के आकलन में सुधार करना था।
- **बेसल III मानदंड (2010):**
  - इन्हें 2007-08 के **वित्तीय संकट** को देखते हुए जारी किया गया था।
  - इसका उद्देश्य बैंकों के लिए मजबूत पूंजी आधार बनाना और ठोस तरलता एवं **लिवरेज अनुपात** (Leverage Ratio) सुनिश्चित करना है।
    - निवेश के लिए उधार ली गई पूंजी का उपयोग करना ही **लिवरेज** कहलाता है। लिवरेज अनुपात किसी व्यावसायिक यूनिट द्वारा अपनी बैलेंस शीट, आय विवरण इत्यादि जैसे कई अन्य खातों की तुलना में ऋण के स्तर को इंगित करता है।

बेसल I, II और III की मुख्य विशेषताओं की तुलना				
पिलर्स	**पिलर्स के मुख्य घटक**	**बेसल I**	**बेसल II**	**बेसल III**
पिलर 1 (पूंजी आवश्यकताएं)	जोखिम भारित परिसंपत्तियों (RWAs) की तुलना में पूंजी का न्यूनतम अनुपात	कम-से-कम 8% (CAR)	**8%**	**8% + 2.5% का पूंजी संरक्षण बफर्स**
	RWAs की तुलना में टियर 1 पूंजी	कम-से-कम 4%	**4%**	**6%**
पिलर II (पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया)		पर्यवेक्षी समीक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं	जोखिम आधारित पर्यवेक्षण की शुरुआत की गई	अधिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया
पिलर III (डिस्क्लोजर और बाजार अनुशासन)		बाजार अनुशासन से संबंधित कोई प्रावधान नहीं	त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक अंतराल पर निर्धारित मात्रात्मक और गुणात्मक डिस्क्लोजर	अधिक डिस्क्लोजर मानदंड

- **बेसल III के तहत पेश किए गए नए बैंकिंग पूंजी आवश्यकता मानदंड**
  - **RWAs की तुलना में पूंजी संरक्षण बफर:** बैंकों के लिए 2.5% पूंजी संरक्षण बफर बनाए रखना अनिवार्य है।
  - **लिवरेज अनुपात:** बैंकों के लिए 3% का **लिवरेज अनुपात** बनाए रखना अनिवार्य है।
    - बेसल समिति ने लीवरेज अनुपात को "पूंजी माप" (टियर 1 पूंजी) को "एक्सपोज़र माप" से विभाजित करने के अनुपात के रूप में परिभाषित किया है।
  - **काउंटर साइक्लिकल बफर:** 0% से 2.5% तक का बफर होना चाहिए।
  - **न्यूनतम तरलता कवरेज अनुपात (Minimum Liquidity Coverage Ratio):** यह ≥100% होना चाहिए।
  - **न्यूनतम नेट स्थिर फंडिंग अनुपात (Minimum Net Stable Funding Ratio):** यह ≥100% होना चाहिए।

बेसल मानदंडों का महत्त्व:

- **बेहतर जोखिम मूल्यांकन प्रणाली का विकास:** पूंजी आवश्यकता मानदंडों के जरिए, यह केवल उन चुनिंदा टारगेट सेगमेंट, बाजारों और ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करता है जिनका **उच्च जोखिम अनुपात है।** यह स्थिति अन्य बैंकों पर बढ़त प्रदान करता है।
- **मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया:** इसके परिणामस्वरूप **लघु और मध्यम आकार के व्यवसायों सहित ग्राहकों को बेहतर सेवा प्राप्त** होती है। इससे लघु व्यवसायों के लिए बेहतर तरलता (नकदी) सुनिश्चित होती है तथा उनकी **संवृद्धि और विस्तार जैसी आवश्यकताओं** में मदद मिलती है।
- **बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस:** ये मानदंड बैंकों को **कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार और पूंजी आवंटन जैसे व्यावसायिक लाभ** भी प्रदान करते हैं।
- **स्थिर वित्तीय प्रणाली:** बेसल मानदंडों के तहत नई तरलता और लीवरेज फ्रेमवर्क न केवल व्यक्तिगत बैंकों की जोखिम सहने की क्षमता को बढ़ाएगी बल्कि अत्यधिक संकट के दौरान **वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता** को मजबूत करने में भी सहायता करेगी।
- **आर्थिक स्पिलओवर यानी अन्य क्षेत्रकों पर प्रभाव को कम करना:** ये मानदंड सुनिश्चित करते हैं कि **समग्र रूप से बैंकिंग प्रणाली ध्वस्त न** हो जाए और रियल इकोनॉमीज (वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन) को भी अपनी चपेट में ना ले ले।

भारत में बेसल मानदंड का लागू होना

- RBI ने **1998-99** की मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा में घोषणा के द्वारा भारत में **बेसल 1 मानदंडों** को अपनाया था। इनके जरिए **पूंजी-जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (CRAR)**[38] को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत किया गया।
  - **2007 में, RBI ने बेसल II को लागू करने** के लिए अंतिम दिशा-निर्देशों की घोषणा की।

[38] Capital to Risk Weighted Assets Ratio

- बेसल III पूंजी मानदंडों को लागू करने के लिए **दिशा-निर्देशों** का **मसौदा** दिसंबर, 2011 में जारी किया गया था।
    - **बेसल III पूंजी नियम (बेसल III मानदंडों का पिलर I) भारत में अप्रैल, 2013 से** आंशिक रूप से और अक्टूबर, 2021 तक पूरी तरह से लागू कर दिए गए।
    - बेसल मानदंडों की तुलना में, **RBI के निर्धारित मानदंड अधिक कठोर और विवेकपूर्ण हैं।**

निष्कर्ष

1988 का कैपिटल एकॉर्ड, जिसने **विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए वैश्विक मानक** निर्धारित किए, सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक है। **बेसल एकॉर्ड** का **सबसे बड़ा योगदान पूंजी की एक कॉमन परिभाषा** निर्धारित करना है, हालांकि पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को देशों ने अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर समायोजित करके अपनाया है।

बेसल मानदंडों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियां

- **टियर I पूंजी (कोर पूंजी):** इसमें **पेड अप शेयर कैपिटल** (शेयर बेचने से कम्पनी को प्राप्त प्रत्यक्ष पूंजी), **स्टॉक और डिस्क्लोज्ड रिजर्व** शामिल हैं।
    - यह **पूंजी अधिक स्थायी** होती है। यही कारण है कि इसमें **नुकसान झेलने की क्षमता अधिक** होती है।
- **टियर II पूंजी (पूरक पूंजी):** इसमें अन्य सभी तरह की पूंजी शामिल हैं। उदाहरण के लिए- **अघोषित आरक्षित निधि, पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि, सामान्य प्रावधान (जनरल प्रोविजन) और लॉस रिजर्व।**
    - इसे **टियर 1 पूंजी की तुलना में कम विश्वसनीय** माना जाता है क्योंकि इसकी सटीक गणना और निपटान करना अधिक कठिन है।
- **जोखिम भारित परिसंपत्तियां (RWAs):** RWA वह न्यूनतम पूंजी है जो बैंकों के पास उनकी उधार देने की क्षमता से जुड़े जोखिम से निपटने में काम आती है। इसका जोखिम के अनुरूप होना जरूरी है। जोखिम जितना अधिक होगा, बैंकों में जमा-राशियों की सुरक्षा के लिए उतनी ही अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी।
- **पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR)[39] या पूंजी-जोखिम (भारित) परिसंपत्ति अनुपात:** CAR इस बात की माप है कि किसी बैंक के पास कितनी पूंजी उपलब्ध है, जिसे बैंक के जोखिम-भारित क्रेडिट यानी ऋण एक्सपोजर के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक के समक्ष दिवालिया की स्थिति नहीं आए। इसलिए बैंकों के पास घाटे से निपटने के लिए एक निश्चित मात्रा में पर्याप्त पूंजी सुरक्षित रखी जाती है।
- **तरलता कवरेज अनुपात (LCR)[40]:** LCR वास्तव में बैंकों को 30 दिनों की अवधि में संभावित नकदी निकासी से निपटने के लिए न्यूनतम मात्रा में तरल परिसंपत्ति बनाए रखने की आवश्यकता है।
- **लीवरेज अनुपात:** लीवरेज अनुपात एक वित्तीय मानक है। यह किसी बैंक की **"टियर I पूंजी"** और "**औसत कुल समेकित परिसंपत्तियों[41]"** (सभी परिसंपत्तियों का एक्सपोजर और नॉन-बैलेंस शीट मदों का योग) **का अनुपात** है।
    - लीवरेज अनुपात बताता है कि **किसी कंपनी द्वारा कितनी पूंजी ऋण के माध्यम से जुटाई गई है** तथा कंपनी अपनी वित्तीय देयताओं को कितनी अच्छी तरह से निभा रही है।

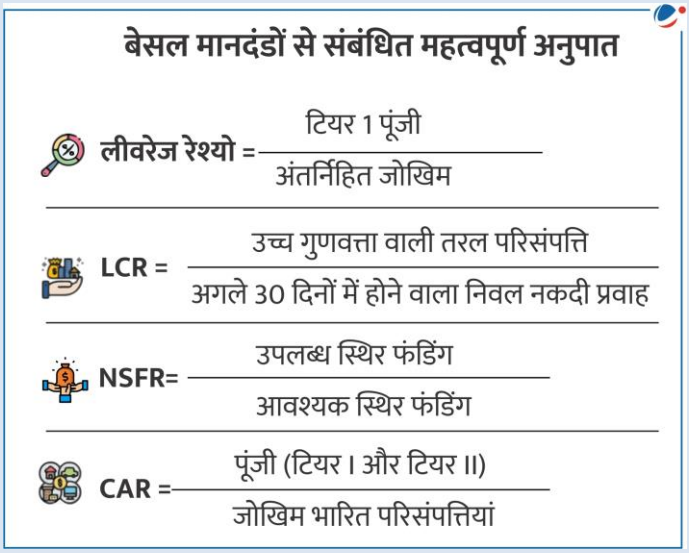

[39] Capital Adequacy Ratio

[40] Liquidity Coverage Ratio

[41] Average total consolidated assets

- **नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो (NSFR):** यह एक तरलता मानक है जो किसी बैंक की जरुरत राशि के सापेक्ष स्टेबल फंडिंग की मात्रा को मापता है।
  - यह अनुपात बैंकों को अपने कार्यों के वित्त-पोषण हेतु अधिक स्थिर स्रोतों से वित्त-पोषित करने के लिए प्रोत्साहन देकर मजबूती को बढ़ावा देता है।
- **पूंजी संरक्षण बफर[42]:** बैंकों को अपनी पूंजी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए **पूंजी संरक्षण बफर** रखने की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग **वित्तीय संकट के दौरान घाटे की समस्या से निपटने** के लिए किया जाता है।
- **काउंटरसाइक्लिकल बफर (Countercyclical Buffer):** यह एक ऐसा तंत्र है जो **बैंकों को अत्यधिक ऋण वृद्धि की अवधि के दौरान पूंजी निर्माण बढ़ाने की सुविधा** प्रदान करता है ताकि बैंकिंग प्रणाली को मंदी के दौरान घाटे से निपटने में मदद मिल सके।

3.7. परिसंपत्ति मुद्रीकरण (Asset Monetization)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) के जरिए 15,624.9 करोड़ रुपये प्राप्त किया है। यह NHAI द्वारा अब तक का सबसे बड़ा मुद्रीकरण है।

परिसंपत्ति मुद्रीकरण (AM) के बारे में

- **उत्पत्ति:** परिसंपत्ति मुद्रीकरण का सुझाव पहली बार 2012 में अर्थशास्त्री **विजय केलकर** की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने दिया था।
  - परिसंपत्ति मुद्रीकरण की घोषणा **केंद्रीय बजट 2021-22** में **राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन** के जरिए की गई थी।
- **परिभाषा:** परिसंपत्ति मुद्रीकरण अप्रयुक्त या कम उपयोग की गई सार्वजनिक परिसंपत्तियों के आर्थिक मूल्य का आकलन करके सरकार और उसकी संस्थाओं के लिए राजस्व के नए स्रोत प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है।
  - किसी सार्वजनिक निकाय के स्वामित्व वाली किसी भी संपत्ति को **सार्वजनिक परिसंपत्ति** कहा जाता है, जैसे- सड़क, हवाई अड्डे, पाइपलाइन आदि।
- **प्राधिकरण:** इस परियोजना को लागू करने और उसकी निगरानी करने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में **परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर सचिवों का कोर समूह** (CGAM)[43] गठित किया गया है।
- **परिसंपत्ति मुद्रीकरण (AM) की प्रक्रिया:**
  - **परिसंपत्ति मुद्रीकरण** में निर्धारित अवधि के लिए निजी क्षेत्रक की इकाई को प्रदान की गई **सरकारी स्वामित्व वाली परिसंपत्ति का लाइसेंस/ पट्टा** शामिल होता है।
  - भुगतान के बदले परिसंपत्ति उपयोग के अधिकारों का हस्तांतरण एक रियायती समझौते द्वारा शासित होता है। इसमें **जोखिम को** संतुलित आधार पर **सार्वजनिक प्राधिकरण** और **निजी पक्षकारों के बीच** साझा किया जाता है।

शब्दावली को जानें

- **रियायती समझौता (Concession Agreement):** यह एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे किसी कंपनी को विशेष शर्तों पर सरकार के अधिकार क्षेत्र में स्थित या किसी अन्य फर्म की संपत्ति पर अपना व्यवसाय चलाने का अधिकार मिलता है।

भारत में परिसंपत्ति मुद्रीकरण की आवश्यकता क्यों है?

- **नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) का वित्त-पोषण:** NIP का उद्देश्य नागरिकों को विश्वस्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराना और इस क्षेत्रक में निवेश को आकर्षित करना है।
  - नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में 2020 से 2025 तक की अवधि में 111 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है।
- **राजकोषीय दबाव में कमी:** परिसंपत्ति मुद्रीकरण के तहत निजी भागीदारों द्वारा निवेश की गई पूंजी से सार्वजनिक क्षेत्रक पर राजकोषीय दबाव कम होगा। साथ ही, अनुपयुक्त संसाधनों को उपयोग में लाकर नई अवसंरचना परियोजनाओं का विकास किया जा सकता है।
- **नई अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए राज्य को वित्त प्रदान करना:** नई अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए राज्य को वित्त प्रदान करने में परिसंपत्ति मुद्रीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

[42] Capital Conservation Buffer

[43] Core Group of Secretaries on Asset Monetisation

- **निजी क्षेत्रक की दक्षताओं का लाभ उठाना:** परिसंपत्ति मुद्रीकरण से सार्वजनिक परिसंपत्तियों के प्रबंधन में निजी क्षेत्रक की क्षमताओं और पारदर्शिता का लाभ उठाया जा सकेगा।
- **देश के आर्थिक विकास में मदद करना:** परिसंपत्ति मुद्रीकरण की एक बेहतर योजना आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि कर सकती है, मांग को प्रोत्साहित कर सकती है, रोजगार के अवसर सृजित कर सकती है, विकास की संभावनाओं को बढ़ावा दे सकती है और देश के आर्थिक विकास में तेजी ला सकती है।

परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए की गई पहलें

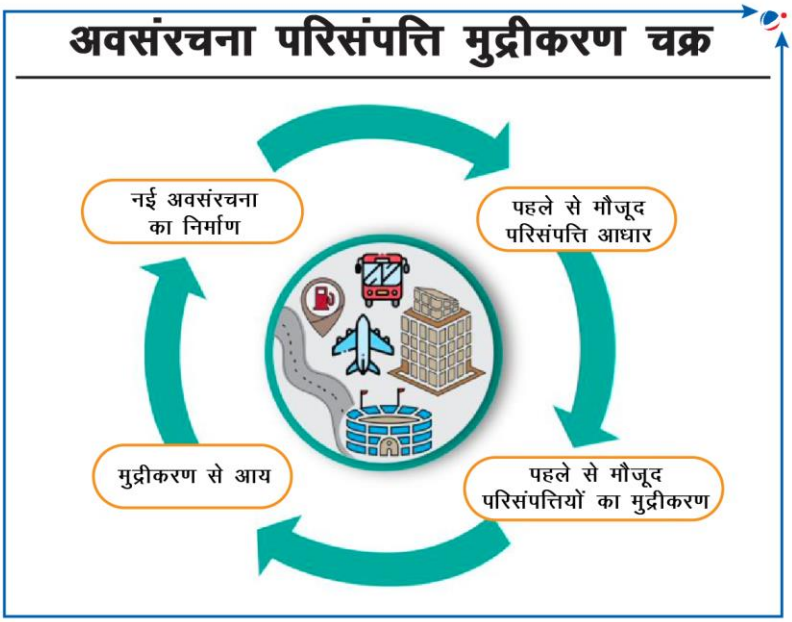

- **राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP):**
  - **क्षेत्रक:** सरकार ने अपनी **ब्राउनफील्ड अवसंरचना परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए 13 क्षेत्रकों की पहचान** की है।
    - **ये शीर्ष 5 क्षेत्रक कुल मुद्रीकरण पाइपलाइन के लगभग 83% का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये क्षेत्रक हैं;** सड़कें (27%), रेलवे (25%), विद्युत (15%), तेल और गैस पाइपलाइन (8%) तथा दूरसंचार (6%)।
  - **क्षमता:** वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक के चार वर्षों में केंद्र सरकार की **कोर परिसंपत्तियों में 6 लाख करोड़ रुपये की मुद्रीकरण की क्षमता** है।
- **मुद्रीकरण के लिए लक्षित अलग-अलग परिसंपत्तियां/ परिसंपत्ति वर्ग:**
  - भारतीय रेलवे, **डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर** संपत्तियों के चालू होने के बाद उनके संचालन और रखरखाव के लिए परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करेगा।
  - हवाई अड्डों का मुद्रीकरण **संचालन और प्रबंधन** रियायत (संबंधित जगह) के लिए किया जाएगा।
- **राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (NLMC)[44]:** यह एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) है। इसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों (CPSEs) और अन्य सरकारी एजेंसियों की अधिशेष भूमि के मुद्रीकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- **परिसंपत्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड:** इसकी शुरुआत मुद्रीकरण की प्रगति की निगरानी करने और निवेशकों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए की गई है।

परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण में आने वाली चुनौतियां

- **परिसंपत्ति के मूल्य के आकलन में चुनौती:** सार्वजनिक परिसंपत्तियों, विशेष रूप से ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के मूल्य का सटीक आकलन करना जटिल कार्य है और यह विवादों को जन्म दे सकता है। उदाहरण के लिए- CAG की रिपोर्ट के अनुसार, **मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया** के विनिवेश के मामले में परिसंपत्तियों का बहुत कम मूल्य आंका गया था।
- **कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियां:** विनिवेश संबंधी लक्ष्यों को पूरा नहीं किए जाने के अनुभव को देखते हुए चार वर्षों के भीतर परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए तय किए गए महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करना कठिन लगता है।
  - उदाहरण के लिए, रेल मंत्रालय और दूरसंचार विभाग **निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करने में असमर्थ** रहे हैं।
- **पारदर्शिता की कमी:** एक बड़ा सवाल यह भी है, कि मुद्रीकरण से प्राप्त आय को बजट दस्तावेजों में दर्शाया जाएगा या नहीं, और इनसे प्राप्त धन को कैसे खर्च किया जाएगा।
- मुद्रीकरण के लिए **एक स्पष्ट क्षेत्रक-विशिष्ट रोडमैप का न होना** भी इस प्रक्रिया में एक बड़ी बाधा है।

[44] National Land Monetization Corporation

- **अन्य चुनौतियां:**
    - परिसंपत्ति मुद्रीकरण में बोलीदाताओं (Bidders) की कम रुचि और भागीदारी देखी गई है,
    - परिसंपत्तियों के संचालन और विकास में बोलीदाताओं की तकनीकी क्षमता सीमित है,
    - समय पर लेन-देन पूर्ण करना भी बड़ी चुनौती है, आदि।

आगे की राह

- **स्पष्ट रोडमैप तैयार करना:** ब्राउन-फील्ड परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की योजना में वैचारिक और परिचालन संबंधी समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता है। साथ ही, इसके क्रियान्वयन के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तथा संबंधित भू-क्षेत्र की योजना बनाने की भी जरूरत है।
- **विनियामक संबंधी स्पष्टता:** रियायत देने वाले प्राधिकरणों (Concessioning Authorities) यानी सरकारी एजेंसी और रियायतग्राहियों (Concessionaires) यानी परिसंपत्ति प्राप्त करने वाली कंपनियों के बीच कानूनी विवादों के संबंध में स्पष्ट नीतियां बनानी चाहिए। इससे निजी क्षेत्रक को अपनी-अपनी परिसंपत्ति का मुद्रीकरण करने और नई परियोजनाओं में निवेश करने में मदद मिलेगी।
- **परिसंपत्तियों की मुद्रीकरण प्रक्रियाओं के क्षमता निर्माण में सहायता करना:** परिसंपत्तियों के मूल्य निर्धारण और राजस्व का अनुमान लगाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए और विशेषज्ञ की सहायता का प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहिए, आदि।
- **परिसंपत्तियों की संरचना:** भारत के बाजार में बड़ी संख्या में ऐसे निवेशक मौजूद हैं जिनकी जोखिम लेने की क्षमता अलग-अलग है। निवेश उत्पादों की पैकेजिंग और संरचना को अलग-अलग निवेशकों की क्षमता के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है।
- **सुविधादाता के रूप में राज्य:** राज्य सरकारों के पास परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की अधिक क्षमता मौजूद है, लेकिन यह जरूरी है कि वे निवेशकों को उनकी परिसंपत्ति से जुड़े जोखिमों के बारे में आश्वस्त करें।
    - इस मामले में केंद्र सरकार के सहयोग से मदद मिल सकती है।

3.8. परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (Asset Reconstruction Companies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने **मास्टर डायरेक्शन - भारतीय रिजर्व बैंक (परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां) दिशा-निर्देश, 2024** जारी किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **किसके तहत जारी:** ये दिशा-निर्देश **"सरफेसी यानी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (SARFAESI)[45] अधिनियम, 2002** द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत जारी किए गए हैं।
    - यह **सरफेसी अधिनियम, 2002** की धारा 3 के तहत RBI के पास पंजीकृत प्रत्येक **परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों** पर लागू है।
- **उद्देश्य:** ये दिशानिर्देश भारत में ARCs के काम-काज को सुव्यवस्थित और विनियमित करेगा तथा उनकी वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और स्थायित्व सुनिश्चित करेंगे।

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) के बारे में

- **परिभाषा:** ARC ऐसे वित्तीय संस्थान हैं जो बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों की **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) या दबावग्रस्त परिसंपत्तियों को खरीद लेती हैं**, ताकि उनकी बैलेंस शीट को साफ-सुथरा रखा जा सके।
    - ARCs को दबावग्रस्त वित्तीय परिसंपत्तियों की **खरीद के अधिकतम 8 वर्षों के भीतर वसूली करना आवश्यक है** और इन परिसंपत्तियों के बदले जारी सिक्योरिटी रिसीट्स (SRs) को भुनाना आवश्यक होता है।
- **उत्पत्ति: सरफेसी अधिनियम, 2002 के अनुसार** ARCs को RBI द्वारा पंजीकृत और विनियमित किया जाएगा। भारत में 2022 तक 29 ARCs कार्य कर रही थीं।
    - **नरसिम्हम समिति-II (1998)** ने विश्व के अन्य देशों में संचालित परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों की तर्ज पर परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों के गठन का सुझाव दिया था।

[45] Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest

- **ARCs के प्रकार:** स्वामित्व के आधार पर, ARCs तीन प्रकार की हो सकती हैं; **सार्वजनिक, निजी और सार्वजनिक-निजी भागीदारी** वाली ARCs
- **ARCs के उदाहरण हैं-** नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL), इंडिया डेट रेज़ोल्यूशन कंपनी लिमिटेड (IDRCL) आदि।

ARCs कैसे काम करती हैं?

- **परिसंपत्ति अधिग्रहण:** ARCs बैंकों/ वित्तीय संस्थानों से वित्तीय परिसंपत्तियां खरीद करके उन्हें या तो अपने खातों में दर्ज करती हैं या प्रतिभूतिकरण और/ या पुनर्गठन के उद्देश्य से स्थापित ट्रस्ट के खातों में दर्ज करती हैं।
- **सिक्युरिटीज रिसीट्स (SRs):** बैंक या वित्तीय संस्थान दबावग्रस्त (स्ट्रेस्ड) ऋणों को डिस्काउंट पर ARCs को बेच देते हैं। यदि बैंकों को इसके लिए पूरी तरह से नकद में भुगतान नहीं किया गया है, तो फिर उसके बदले में ARC द्वारा सिक्युरिटी रिसीट्स जारी किए जाते हैं। इन्हें एक निश्चित सीमा तक ऋण की वसूली हो जाने पर भुनाया जा सकता है।

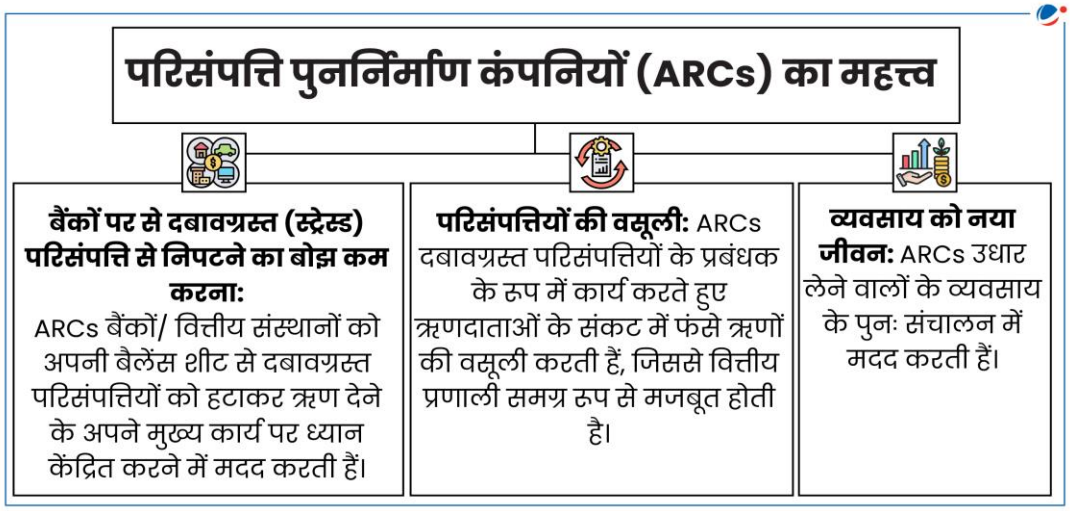

- **प्रबंधन शुल्क:** ARCs दबावग्रस्त ऋण बेचने वाली संस्थाओं से **हर साल परिसंपत्ति के मूल्य का 1.5% से 2% तक प्रबंधन शुल्क** भी वसूलती हैं।

ARCs में सुधार की आवश्यकता क्यों है?

- **ARCs का निम्न-स्तरीय प्रदर्शन:** बैंक और वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्त वर्ष 2004 से वित्त वर्ष 2013 तक ARCs को बेची गई दबावग्रस्त परिसंपत्तियों में से ऋणियों के पास कुल बकाया राशि का केवल **लगभग 14.29% ही वसूला जा सका था।**
- **ARCs को दबावग्रस्त परिसंपत्तियों की बिक्री में कमी आई है:** पिछले कुछ वर्षों में इसमें लगातार कमी दर्ज की गई है। **वित्त वर्ष 2021-22 में, 2020-21 के सकल NPA का केवल 3.2% ही ARCs को बेचा गया था।**
- **अन्य समस्याएं:** इनमें शामिल हैं; पुराने NPAs को ARCs को हस्तांतरित किया जाना, दबावग्रस्त ऋणों की पहचान में समस्या, संकट का सामना कर रहे ऋणियों के समग्र समाधान के लिए आवश्यक कौशल की कमी, वैकल्पिक समाधान तंत्र के रूप में इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के विकल्प को शामिल करना, आदि।

ARC पर RBI के मास्टर डायरेक्शन 2024 के प्रमुख प्रावधान

- **नेट ओन फंड (NOF):** प्रतिभूतिकरण या परिसंपत्ति पुनर्गठन का व्यवसाय शुरू करने के लिए, किसी ARC के पास निरंतर आधार पर **न्यूनतम 300 करोड़ रुपये** का NOF होना आवश्यक है।
- **पंजीकरण:** प्रतिभूतिकरण या परिसंपत्ति पुनर्गठन का व्यवसाय शुरू करने से पहले, ARC को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा और RBI से पंजीकरण प्रमाण-पत्र (CoR) प्राप्त करना होगा।
- **नेतृत्व अर्हता:** ARC के MD/ CEO या पूर्णकालिक निदेशक के लिए 70 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। इन्हें एक बार में 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा। एक व्यक्ति लगातार अधिकतम 15 वर्ष तक ही इन पदों को धारण कर सकता है।
- **ARCs को इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) को रिपोर्ट करना होता है:** ARCs द्वारा पेशेवर सेवाओं में गंभीर अनियमितता वाले CAs, अधिवक्ताओं और मूल्यांकनकर्ताओं का विवरण **भारतीय बैंक संघ (IBA)** के डेटाबेस में शामिल करने के लिए सूची सौंपी जाती है।
- **आंतरिक ऑडिट:** ARCs एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित करेंगी, जो परिसंपत्ति अधिग्रहण प्रक्रियाओं और परिसंपत्ति पुनर्गठन उपायों की समय-समय पर **जांच और समीक्षा** करेंगी।

- **अन्य प्रावधान:**
  - ARCs को **जमा-राशि स्वीकार करने के जरिए धन जुटाने से प्रतिबंधित** किया गया है।
  - उन्हें अपनी कुल जोखिम-भारित परिसंपत्तियों का न्यूनतम 15% हिस्सा **पूंजी पर्याप्तता अनुपात के रूप में बनाए रखना** होता है।

ARCs विनियमों में RBI द्वारा किए गए अन्य हालिया बदलाव

- **ARCs के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत किया गया:** RBI ने आदेश दिया है कि बोर्ड की बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष और कम-से-कम 1/2 निदेशक स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए।
- **पारदर्शिता में वृद्धि:** ARCs को सिक्योरिटी रिसीट के निवेशकों को प्राप्त रिटर्न पर अपने ट्रैक रिकॉर्ड और पिछले आठ वर्षों में शुरू की गई योजनाओं से जुड़ी रेटिंग एजेंसियों के साथ संबंध का खुलासा करना होगा।
- **उचित व्यवहार संहिता (FPC)[46]:** हितधारकों के साथ समझौते में **पारदर्शिता और निष्पक्षता के उच्चतम मानक सुनिश्चित करने हेतु** ARCs को बोर्ड द्वारा मंजूरी प्राप्त कर **उचित व्यवहार संहिता** तैयार करने की सलाह दी गई है।
- **CIC का सदस्य:** प्रत्येक ARC को **कम-से-कम एक ऐसी क्रेडिट सूचना कंपनी (CIC) का सदस्य** बनाना होगा, जिसने RBI से पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है।

शब्दावली को जानें

- **पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio: CAR):** CAR वस्तुतः बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों की आर्थिक मजबूती और स्थिरता का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक वित्तीय मापदंड है।
- **CAR की गणना का सूत्र:** CAR = (टियर 1 पूंजी + टियर 2 पूंजी) / जोखिम-भारित परिसंपत्ति

आगे की राह

- **ARCs का दायरा बढ़ाना:** ARCs को FPIs और सभी NBFCs सहित **सभी विनियमित संस्थाओं और** खुदरा निवेशकों से दबावग्रस्त **वित्तीय परिसंपत्ति खरीदने** की अनुमति देने पर विचार करना चाहिए, भले ही **कितनी भी परिसंपत्ति क्यों न** हो।
- **विनियामक स्तर पर कार्रवाई करना:** ऐसे बैंक या वित्तीय संस्थान जो समय पर NPA का निपटान करने के लिए अपनी NPA परिसंपत्तियों की आंतरिक स्तर पर पहचान नहीं करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि वे ऐसा करने से बचें।
- **NPA की सूची तैयार करना (बेचने/ नीलामी करने हेतु):** इसे **सभी विनियमित ऋणदाताओं द्वारा** तैयार किया जाना चाहिए और गोपनीयता समझौता करने के बाद ARCs को इसका खुलासा करना चाहिए। इससे **दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का सही अनुमान लगाने** में मदद मिलेगी।
- **धोखाधड़ी वाले खाते:** ARCs को धोखाधड़ी वाले खातों (NPAs) की बिक्री करने की अनुमति **उचित सुरक्षा उपाय करने** के बाद दी जानी चाहिए। इस क्रम में बैंकों या वित्तीय संस्थानों की जवाबदेही तय करने या सक्षम अधिकारियों द्वारा जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही करने में कोई कोताही भी नहीं बरतनी चाहिए।
- **विदेशों से संपत्ति अधिग्रहण:** संपूर्ण दबावग्रस्त ऋण का अनुमान लगाने के लिए, ARCs को **विनियमित विदेशी बैंकों और वित्तीय संस्थानों** के भारत में स्थित कर्जदारों के दबावग्रस्त ऋण खरीदने की अनुमति दी जा सकती है।

नोट: *NPA के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, कृपया जनवरी, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 3.3 देखें।*

3.9. अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (Advance Pricing Agreements: APAs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने भारतीय करदाताओं के साथ वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक के सबसे अधिक रिकॉर्ड 125 **अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते** पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें एकतरफा और द्विपक्षीय APAs, दोनों शामिल हैं।

अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (APA) के बारे में

- यह **करदाता और कर प्राधिकरण के बीच एक समझौता** है।
- APA मूल्य निर्धारण के तरीकों को निर्धारित करके **ट्रांसफर प्राइसिंग** निर्धारण के क्षेत्र में करदाताओं को निश्चितता प्रदान करने का प्रयास करता है।

[46] Fair Practices Code

- APA अधिकतम पांच आगामी वर्षों के लिए **अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन आर्म्स लेंथ प्राइसिंग (ALP)** निर्धारित करने में मदद करता है।
- इसके अलावा, **करदाता के पास पिछले चार वर्षों के लिए भी APA लागू करने का विकल्प** होता है। इस प्रकार यह, नौ वर्षों के लिए कर निश्चितता प्रदान करता है।

शब्दावली को जानें

- **ट्रांसफर प्राइसिंग:** यह **साझा स्वामित्व या नियंत्रण** वाली कंपनियों के बीच आदान-प्रदान की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत है। इसके तहत वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान-प्रदान एक ही कंपनी के अलग-अलग डिवीज़न या सहायक कंपनियों के बीच होता है।
- **मूल्य निर्धारण का आर्म्स-लेंथ प्रिंसिपल:** इस सिद्धांत के अनुसार, दो संबंधित पक्षकारों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान-प्रदान के लिए निर्धारित कीमत, दो अलग-अलग पक्षकारों के बीच उसी चीज के लिए तय कीमत के समान होनी चाहिए।

- **APAs के प्रकार:**
  - **एकतरफा APA:** इसके अंदर केवल **करदाता और उस देश का कर प्राधिकरण** शामिल होता जहां करदाता रहता है।
  - **द्विपक्षीय APA:** इसमें उस देश के **करदाता और कर प्राधिकरण** सम्मिलित हैं जहां करदाता रहता है, इनके साथ ही **करदाता का अन्य देश में स्थित संबद्ध उद्यम (AE)** और संबंधित **विदेशी कर प्राधिकरण** भी शामिल होते हैं।
  - **बहुपक्षीय APA:** इसमें करदाता, **उसके अलग-अलग देशों में स्थित दो या दो से अधिक संबद्ध उद्यम, उन देशों का कर प्राधिकरण जहां करदाता रहता है, और AEs देशों वाले कर अधिकारी** शामिल होते हैं।

अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों का महत्त्व

- **दोहरे कराधान से बचाव:** करदाता के अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन की कर योग्य राशि के संबंध में स्पष्टता संभावित दोहरे कराधान के जोखिम को कम करती है।
- **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना:** APA विशेष रूप से उन बहुराष्ट्रीय संस्थाओं के लिए उपयोगी है जिनकी समूह संस्था की सब्सिडियरी कंपनियों की बड़ी संख्या में सीमा-पार लेन-देन होते हैं।
- **कंपनियों के लिए नियमों के अनुपालन लागत में कमी:** यह भविष्य के टैक्स ऑडिट और समय लेने वाली कर संबंधी मुकदमेबाजी से बचाता है।
- **कर प्रशासन में कम लागत:** भविष्य में कर मुकदमेबाजी कम होने के कारण, कर अधिकारियों को ऑडिट कार्यों पर कम समय देना होगा और अधिक प्रयास भी नहीं करने होंगे। इसके अलावा, यह सरकार के दुर्लभ संसाधनों को भी अन्य कार्यों में लगाने में मदद करता है।
- **रिकॉर्ड रखने का कम बोझ:** ऐसा इसलिए क्योंकि करदाता को पहले से पता होता है कि समझौते के सहमत नियमों और शर्तों को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज बनाए रखने होंगे।

पारस्परिक समझौते की प्रक्रिया (Mutual Agreement Procedure: MAP)

- MAP **दोहरे कराधान विवादों के समाधान हेतु करदाताओं के लिए उपलब्ध एक अन्य विकल्प** है। यह न्यायिक या आर्थिक, दोनों तरीके से विवादों के समाधान का विकल्प प्रदान करता है।
- **MAP कर-संधियों (उदाहरण के लिए- DTAA) में निर्धारित एक तंत्र** है जो यह सुनिश्चित करता है कि कराधान कर संधि के अनुसार है।
  - कर संधि एक **द्विपक्षीय समझौता** है। यह संधि दो देशों द्वारा अपने **प्रत्येक नागरिक की निष्क्रिय और सक्रिय आय पर दोहरे कराधान से जुड़ी समस्याओं का हल** करने के लिए की जाती है।
- **MAP और APA के बीच अंतर:**
  - MAP ट्रांसफर प्राइसिंग विवादों का समाधान करता है जबकि APAs ट्रांसफर प्राइसिंग विवादों को उत्पन्न होने से रोकता है।
  - करदाता **लंबित विवादों** के लिए MAP दाखिल करते हैं, जबकि करदाता भविष्य के वर्षों के समान लेन-देन के मामले में प्रभावी विवाद समाधान/ परिहार रणनीति के रूप में APA का विकल्प चुनते हैं।

भारत में अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता व्यवस्था:

- **भारत में APA योजना:**
  - **केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 92CC और 92CD** को शामिल करके 2012 में **APA योजना** अधिसूचित की थी।
    - इसके बाद **CBDT ने इस योजना को लागू करने के लिए APA नियमों को अधिसूचित** किया था।
  - इसके तहत, CBDT और किसी अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के संबंध में आर्म्स लेंथ प्राइस निर्धारित करने वाले किसी भी व्यक्ति के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।
  - **योजना की प्रकृति: APA** प्रक्रिया स्वैच्छिक है और ट्रांसफर प्राइसिंग विवाद को हल करने के लिए अपील और अन्य दोहरे कराधान बचाव समझौते (DTAA) तंत्र की पूरक हैं।

- **APA की अवधि:** अधिकतम पांच वर्ष।
- **रोलबैक प्रोविजन:** APA व्यवस्था में सहमति के अनुसार आर्म्स लेंथ प्राइस को APA के शुरू होने से पहले की अवधि में लागू करने की अनुमति है।

भारत में अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते से जुड़ी समस्याएं:

- **जटिल अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन:** कई अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन में जटिल व्यावसायिक संरचनाएं और गतिविधियां शामिल होती हैं। इसके चलते आर्म्स लेंथ प्राइस को सटीक रूप से निर्धारित करना कठिन हो जाता है।
- **आंतरिक समन्वय का अभाव:** यह अनुभव किया गया है कि अलग-अलग संस्थाएं समान अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन पर अलग-अलग तकनीकी रुख अपनाती हैं। ये करदाताओं के लिए अनिश्चितता पैदा करते है और APA वार्ताओं को बाधित करती है।
- **APAs की प्रोसेसिंग में देरी:** इस प्रक्रिया के लिए कम मानव संसाधन तैनात किए गए हैं। चूंकि प्रक्रिया में कई जटिल तथ्य शामिल होते हैं और बहुत सारे डेटा विश्लेषण की आवश्यकता होती है, इसलिए कम मानव संसाधन की वजह से देरी होती है।

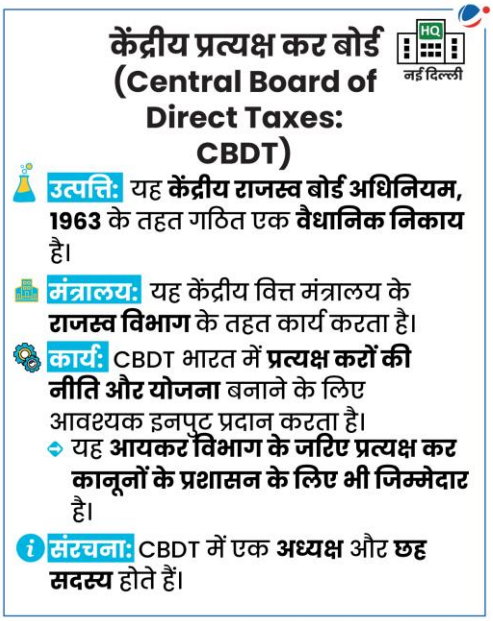

निष्कर्ष

APA कार्यक्रम ने **कंपनियों द्वारा नियमों के अनुपालन के बोझ को कम करने के साथ-साथ विवादों की रोकथाम के लिए रणनीति** प्रदान की है, तथा सरकारी कोष में राजस्व के रूप में भी योगदान दिया है। APA से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु, निजी क्षेत्रक से आउटसोर्सिंग के आधार पर विषय-विशेषज्ञ नियुक्त किए जा सकते हैं। इससे न केवल मानव संसाधन की कमी की समस्या का समाधान निकल सकता है, बल्कि ये विशेषज्ञ अपनी विशेषज्ञता से नई जटिलताओं को भी स्पष्ट कर सकते हैं।

अन्य संबंधित तथ्य:

दोहरा कराधान बचाव समझौता (Double Taxation Avoidance Agreement: DTAA)

- भारत और मॉरीशस ने एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं (अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है)। इसके तहत दोहरे कराधान बचाव समझौते (DTAA) में संशोधन किया जाएगा।
- संशोधन में DTAA के तहत कर लाभ प्राप्त करने के लिए **प्रिंसिपल पर्पज टेस्ट (PPT)** का प्रावधान किया गया है। इससे कर चोरी और कर बचाव के लिए संधि के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा।
  - PPT यह प्रावधान करता है कि **संधि के तहत लागू कर लाभ नहीं मिलेंगे यदि यह साबित होता है कि किसी लेन-देन या समझौते का मुख्य उद्देश्य केवल कर लाभ प्राप्त करना** था।
  - **DTAA** में संशोधन के प्रोटोकॉल का उद्देश्य इसे **बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS) मिनिमम स्टैंडर्ड्स** के अनुरूप बनाना है।
- DTAA दो देशों/ न्यायिक क्षेत्रों के बीच एक समझौता है। यह दो अलग-अलग देशों/ न्यायिक क्षेत्रों में एक ही घोषित परिसंपत्ति पर दोहरे कराधान से बचाता है।
  - भारत और मॉरीशस के बीच DTAA पर पहली बार 1982 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसे 2016 में संशोधित किया गया था।
- **DTAA का महत्त्व:**
  - **विदेशी निवेशकों पर कर का बोझ कम करके सीमा-पार निवेश** को बढ़ावा देता है।
  - आय 'स्रोत' और करदाता के 'निवास' देशों के बीच कर के अधिकार का **न्यायसंगत आवंटन सुनिश्चित** करता है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय आय पर कर लगाकर कानूनी निश्चितता** प्रदान करता है।

बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS)

- यह कर चुकाने से बचने की रणनीतियों के लिए इस्तेमाल होने वाली टर्म है। इन रणनीतियों के अंतर्गत कर देने से बचने के लिए **नियमों में कमी या असंगतता का फायदा** उठाकर **मुनाफे को उच्च कर दर वाले देशों से कम कर दर वाले देशों में स्थानांतरित कर दिया जाता है।**
- **"BEPS को रोकने के लिए कर संधि से संबंधित उपायों को लागू करने हेतु बहुपक्षीय कन्वेंशन"** का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों को अपडेट करना और बहुराष्ट्रीय उद्यमों द्वारा कर से बचने के अवसरों को कम करना है।
  - भारत ने इस **अभिसमय पर 2017 में हस्ताक्षर** किए थे।

- **DTAA से जुड़ी चिंताएं:**
  - **ट्रीटी शॉपिंग:** यह तब होता है जब किसी ऐसे देश का निवासी, जो DTAA में शामिल नहीं है, अप्रत्यक्ष तरीकों से DTAA के प्रावधानों का लाभ उठाता है।
  - **दोहरा गैर-कराधान:** समझौते में शामिल दोनों देशों में करों का भुगतान करने से बचने के लिए DTAA का दुरुपयोग किया जाता है।
  - कर संधियों की अलग-अलग व्याख्याओं के कारण **मुकदमेबाजी में बढ़ोतरी** हुई है।

3.10. सतत विकास के लिए वित्त-पोषण रिपोर्ट 2024 (Financing For Sustainable Development Report 2024)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विकास के लिए वित्त-पोषण पर अंतर-एजेंसी टास्क फोर्स**[47] द्वारा सतत विकास के लिए वित्त-पोषण रिपोर्ट 2024 जारी की गई।

विकास के लिए वित्त-पोषण पर गठित अंतर-एजेंसी टास्क फोर्स के बारे में

- **इसमें 60 से अधिक संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, यू.एन. प्रोग्राम और कार्यालय, क्षेत्रीय आर्थिक आयोग** और अन्य प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान शामिल हैं।
- **संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग (UNDESA)**[48] इस पहल के समन्वयक के रूप में कार्य करता है।
- **इस टास्क फोर्स का संचालन संयुक्त राष्ट्र (UN) महासचिव** द्वारा अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा के सात कार्य क्षेत्रों पर फॉलो अप कार्रवाई हेतु किया गया था।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **SDGs की दिशा में प्रगति:** सतत विकास लक्ष्यों के तहत अपनाए गए एजेंडा 2030 पर देशों ने **ध्यान देना बंद कर** दिया है। देश 17 SDGs के तहत निर्धारित 169 टारगेट्स में से **लगभग आधे लक्ष्यों** के लिए **आवश्यक मार्ग से भटक रहे हैं।**
- रिपोर्ट का अनुमान है कि **SDGs** को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्त और निवेश में **हर साल 2.5 से 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी** है।
- **वित्त का विभाजन:** विकासशील देशों को दीर्घकालिक और आकस्मिक वित्त-पोषण प्राप्त करने के लिए काफी कठोर शर्तों का पालन करना पड़ता है। यह वित्तीय अंतराल को दर्शाता है, जो मध्यम-आय वाले देशों (MIC) के मामले में सबसे अधिक है।
- **SDGs हेतु सक्षमकारी माहौल में कमी:** वर्तमान में, जीवाश्म ईंधन और ब्राउन गतिविधियों में **सार्वजनिक सब्सिडी एवं निजी निवेश** अभी भी बहुत अधिक है।

सतत विकास के वित्त-पोषण के बारे में

- यह सतत विकास के लिए **वित्त-पोषण** पर समझौतों और **प्रतिबद्धताओं के पालन का समर्थन करने पर केंद्रित** है:
  - 2002 में मॉन्टेरी, मेक्सिको में;
  - 2008 में दोहा और कतर में; तथा
  - 2015 में अदीस अबाबा और इथियोपिया में।
- **अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा** सतत विकास के वित्त-पोषण के लिए एक नया **वैश्विक फ्रेमवर्क** प्रदान करता है।

[47] Inter-agency Task Force on Financing for Development

[48] UN Department of Economic and Social Affairs

- यह **सभी वित्त-पोषण प्रवाहों और नीतियों को आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्राथमिकताओं के अनुरूप** बनाता है। साथ ही, यह सुनिश्चित करता है कि वित्त-पोषण की प्रकृति स्थिर और संधारणीय हो।
- इसने सतत विकास के वित्त-पोषण के लिए **सात कार्य क्षेत्रों** की पहचान की है (इन्फोग्राफिक देखें)।
- इस **टास्क फोर्स को सौंपे गए कार्य हैं-**
  - अदीस अबाबा एजेंडा की प्रगति तथा विकास संबंधी अन्य वित्त-पोषण के आउटकम्स और **2030 के सतत विकास एजेंडा** के कार्यान्वयन के साधनों पर सालाना रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
  - **प्रगति, कार्यान्वयन अंतराल और सुधारात्मक कार्रवाई हेतु सिफारिशों पर अंतर-सरकारी फॉलो-अप प्रक्रिया के लिए** सलाह देना।
- 2015 में इथियोपिया के अदीस अबाबा में आयोजित विकास के लिए वित्त-पोषण पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में **अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा** को अपनाया गया था।

- वर्तमान सतत विकास संकट का सबसे प्रमुख कारण **वित्त-पोषण से जुड़ी चुनौतियां** हैं।

सतत विकास के वित्त-पोषण में चुनौतियां

- **प्रणालीगत जोखिमों में वृद्धि:** जैसे कि कोविड-19 महामारी, आपदाओं का बार-बार आना आदि।
  - जलवायु संकट तथा जल्दी-जल्दी आने वाली भीषण आपदाएं **सार्वजनिक तथा निजी बैलेंस शीट को खराब** कर रही हैं।
    - 2020 और 2023 के बीच आने वाली आपदाओं के कारण **प्रतिवर्ष 173 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान** है। यह नुकसान इस सदी के पहले दशक के दौरान हुए 108 बिलियन डॉलर के आर्थिक नुकसान से कहीं अधिक है।
- **चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक माहौल:** शिथिल वैश्विक अर्थव्यवस्था के कारण आर्थिक संवृद्धि की संभावनाएं कम हो गई हैं। साथ ही, विकासशील देशों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2021 और 2025 के बीच लगभग 4% के आस-पास रही है।
- **संप्रभु ऋण का अधिक बोझ:** कई देशों को **ऋण संकट के उच्च जोखिम** का सामना करना पड़ रहा है। अल्प विकसित देशों (LDCs) के लिए **मीडियन डेट सर्विस बर्डन** 2010 में उनके कुल राजस्व के 3.1% के बराबर था। **2023 में यह बढ़कर 12%** तक हो गया। यह इस सदी में LDCs के लिए ऋण बोझ का उच्चतम स्तर है।
  - **कुल वैश्विक आबादी का 40%** हिस्सा उन देशों में निवास कर रही है, जहां की **सरकारें शिक्षा या स्वास्थ्य की तुलना में ब्याज भुगतान पर अधिक खर्च करती हैं।**
- **बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव:** भू-राजनीतिक तनाव, हिंसा, संघर्ष और युद्ध के कारण वैश्विक समष्टि माहौल[49] के समक्ष संकट उत्पन्न हुआ है। इससे **वैश्विक व्यापार प्रणाली में व्यापक अलगाव** का खतरा पैदा हो गया है। इससे **वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 7%** तक का नुकसान हो सकता है।

सतत विकास के लिए वित्त-पोषण की कमी को समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयां

- **सक्षमकारी वातावरण:** निजी निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए अलग-अलग देशों के प्रयासों को राजकोषीय और कर नीतियों के जरिए पर्याप्त प्रोत्साहन देते हुए, इसे **SDG के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।**
- **सार्वजनिक विकास बैंकों (PDBs)[50] को मजबूत करना:** PDBs आमतौर पर दीर्घकालिक वित्त-पोषण प्रदान करते हैं। इसके चलते सामाजिक विकास और पर्यावरणीय संधारणीयता पर बल देना आसान हो जाता है।
- **एकीकृत वित्त-पोषण दृष्टिकोण:** 80 से अधिक देश अब राष्ट्रीय वित्त-पोषण रणनीतियों को विकसित करने तथा योजनाओं और वित्त-पोषण नीतियों को एकीकृत करने के लिए **एकीकृत राष्ट्रीय वित्त-पोषण फ्रेमवर्क (INFFs)[51]** का उपयोग कर रहे हैं।
  - INFFs की अवधारणा को पहली बार **अदीस एजेंडा में प्रस्तुत किया** गया था।
- **बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार:** व्यापार, निवेश और सतत विकास के बीच सामंजस्य बढ़ाने के लिए सुधारों की आवश्यकता है।
  - इसमें **विश्व व्यापार संगठन (WTO) से जुड़े सुधारों** को शामिल किया गया है। इसमें विवाद निपटान पर ध्यान केंद्रित करना, वैश्विक आर्थिक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए नियमों को अपडेट करना और निवेश संधियों को अपडेट करने के निरंतर प्रयास शामिल हैं।

---

[49] Global Macro-Environment

[50] Public Development Banks

[51] Integrated National Financing Frameworks

3.11. सेटलमेंट चक्र (Settlement Cycle)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)[52] ने स्टॉक मार्केट में **T+0 रोलिंग सेटलमेंट चक्र** का बीटा संस्करण पेश किया है। यह मौजूदा T+1 सेटलमेंट चक्र के अतिरिक्त और एक विकल्प के तौर पर है।

अन्य संबंधित तथ्य

- सेटलमेंट चक्र वह अवधि होती है जिसके भीतर खरीदार और विक्रेता के बीच ट्रेड पूरा होने के बाद प्रतिभूतियों/ शेयरों और फंड्स को एक-दूसरे को डिलीवर कर दिया जाता है या सौंप दिया जाता है तथा लेन-देन संबंधी कार्य को निपटा दिया जाता है।
    - परंपरागत रूप से, भारतीय एक्सचेंज **T+2 सेटलमेंट चक्र** का पालन करते हैं। इसका अर्थ यह है कि **ट्रेड निष्पादन तिथि** (T)[53] के बाद **दो व्यावसायिक दिनों** में ट्रेड का सेटलमेंट किया जाता था। जिस दिन ट्रेड (शेयरों की खरीद-बिक्री, आदि) संपन्न होता है, उस दिन को **ट्रेड निष्पादन तिथि** कहा जाता है।
        - जनवरी, 2023 में **T+2** को **T+1** (1 दिन में सेटलमेंट) में बदल दिया गया।
    - T+0 सेटलमेंट चक्र एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें ट्रेड का सेटलमेंट **बाजार बंद** होने के बाद **उसी दिन** होता है।

सेटलमेंट चक्र की अवधि को कम करने का कारण

- **क्रमागत-विकास:** पिछले कुछ सालों में **MIIs यानी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस** (जैसे- स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और डिपॉजिटरी) की तकनीक, संरचना एवं क्षमता का व्यापक स्तर पर विकास हुआ है। इसके चलते ट्रेड क्लीयरिंग और सेटलमेंट की समय-सीमा को कम करने का अवसर मिला है।
- **वैश्विक लीडर बनना:** ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत की बाजार अवसंरचना **विश्व की सबसे सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों** का अनुसरण करे।
- **दक्षता:** इससे लागत और समय में दक्षता आएगी।

सेटलमेंट चक्र की अवधि को कम करने का प्रभाव

- **तरलता प्रबंधन को बेहतर बनाता है:** यह निवेशक को सेटलमेंट चक्र की प्रतीक्षा किए बिना अपनी आय को फिर से निवेश करने या नए अवसरों में पूंजी लगाने की सुविधा देता है।
- **ट्रेडिंग के अवसरों में वृद्धि:** निवेशक बाजार के घटनाक्रमों के आधार पर तुरंत प्रतिक्रिया कर सकते हैं, अपने ट्रेड्स को तुरंत क्रियान्वित कर सकते हैं और रियल टाइम में अपनी निवेश रणनीतियों को अनुकूलित कर सकते हैं।
- **सेटलमेंट से संबंधित जोखिमों में कमी:** T+0 सेटलमेंट के परिणामस्वरूप ट्रेड कन्फर्मेशन एवं सेटलमेंट के लिए जरूरी अतिरिक्त दिन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** T+0 सेटलमेंट चक्र को अपनाने से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPIs) आकर्षित हो सकते हैं।

3.12. उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (Consumer Confidence Survey)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने जनवरी 2023 के **द्वि-मासिक उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण** (CCS)[54] के परिणाम जारी किए।

---

[52] Securities and Exchange Board of India

[53] Trade execution date

[54] Consumer Confidence Survey

उपभोक्ता विश्वास और उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (CCS) के बारे में

- यह एक आर्थिक संकेतक है जो **अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिति और व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति के बारे में** उपभोक्ताओं द्वारा महसूस किए जाने वाले **आशावाद या निराशावाद के स्तर को मापता** है।
  - यह **अर्थव्यवस्था की सेहत के संकेतक** (उपभोक्ताओं के नजरिए से) के रूप में कार्य करता है।
  - अर्थव्यवस्था में **उपभोक्ताओं का उच्च विश्वास** आम तौर पर **उपभोक्ताओं द्वारा अधिक खर्च** से संबंधित होता है।
- इसे **RBI द्वारा आयोजित द्वि-मासिक उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (CCS)** के जरिए मापा जाता है।
- इस सर्वेक्षण के तहत **19 प्रमुख शहरों** में सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार के परिदृश्य, समग्र मूल्य स्थिति तथा स्वयं की आय एवं व्यय पर **वर्तमान धारणाएं** (एक वर्ष पहले की तुलना में) और **एक वर्ष आगे की अपेक्षाएं** प्राप्त की जाती हैं।
  - इस सर्वेक्षण में **शहरी उपभोक्ताओं की भावनाओं के बारे में जानकारी** प्राप्त की जाती है। साथ ही, इसमें सामान्य आर्थिक स्थितियों से संबंधित प्रश्नों पर **गुणात्मक प्रतिक्रियाएँ प्राप्त** की जाती हैं।
- CCS प्रतिक्रियाओं को **दो सूचकांकों** के जरिए मापा जाता है:
  - **वर्तमान स्थिति सूचकांक (CSI)[55]:** इसमें एक साल पहले की तुलना में वर्तमान आर्थिक, रोजगार और मूल्य स्थितियों के बारे में उपभोक्ता भावनाओं को मापा जाता है।
  - **भविष्य की अपेक्षाओं का सूचकांक (FEI)[56]:** एक वर्ष आगे की आर्थिक, रोजगार और मूल्य की स्थिति के बारे में अपेक्षाओं को मापा जाता है।
    - **उद्योग** सामान्यतः इन सूचकांकों का उपयोग **तथ्यों के आधार पर बेहतर निर्णय लेने** या अपनी **रणनीतियों में बदलाव** करने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए- **नई परियोजनाओं में निवेश करना** या **नए उत्पादों को लॉन्च करने लिए** उद्योग इन सूचकांकों का उपयोग करते हैं।

नवीनतम उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्षों पर एक नज़र

- वर्तमान अवधि के साथ-साथ आने वाले वर्ष के लिए भी **उपभोक्ता विश्वास में सुधार** हुआ है।
- **वर्तमान स्थिति सूचकांक (CSI)[57]:** यह 2021 के मध्य में दर्ज किए गए ऐतिहासिक निम्नतम स्तर से **सुधार की राह** पर आगे बढ़ रहा है।
  - इसमें सामान्य आर्थिक स्थिति और घरेलू आय के संबंध में बेहतर धारणा के कारण वृद्धि हुई है।
- **भविष्य की अपेक्षाओं का सूचकांक (FEI)[58]:** यह सूचकांक अगले एक साल में सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार और आय के संबंध में बेहतर आशावाद के कारण अपने दो साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है।

निष्कर्ष

वर्तमान और भविष्य दोनों में, उपभोक्ता का विश्वास अर्थव्यवस्था की ताकत का एक सार्थक संकेत देता है। भविष्य के बेहतर आर्थिक पूर्वानुमानों के लिए इसे पूर्वानुमान संबंधी अन्य जानकारियों के साथ जोड़ने की आवश्यकता है।

3.13. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory And Development Authority of India: IRDAI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने अपने गठन की 25वीं वर्षगांठ मनाई।

बीमा क्षेत्रक में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में IRDAI की भूमिका

- **बीमा क्षेत्रक का विकास:**
  - **बीमा पैठ या पहुंच (Insurance Penetration) 2001-02** में **2.71%** थी, जो बढ़कर **2021-22** में **4.2%** हो गई है।
    - **सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में बीमा प्रीमियम का प्रतिशत** बीमा पैठ कहलाता है।

[55] Current Situation Index

[56] Future Expectation Index

[57] Current situation index

[58] Future expectations index

- **बीमा घनत्व (Insurance Density) 2001-02** में **11.5 अमेरिकी डॉलर** था, जो बढ़कर **2021-22** में **91 डॉलर** हो गया है।
  - **बीमा प्रीमियम और जनसंख्या के बीच का अनुपात** बीमा घनत्व कहलाता है।

- **2047 तक 'सभी के लिए बीमा':** IRDAI ने 2047 तक 'सभी के लिए बीमा' को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसमें प्रत्येक नागरिक के लिए उचित लाइफ, हेल्थ, संपत्ति, आदि के बीमा कवर की परिकल्पना की गई है।

- **अपनी विनियामकीय भूमिका का विस्तार करना:** बाजार में **कॉर्पोरेट एजेंट, बैंक एश्योरेंस** (बैंकों के जरिए बीमा उत्पादों की बिक्री), **ऑनलाइन बिक्री** जैसे नए मध्यस्थों ने कार्य करना शुरू कर दिया है।
  - e-KYC, पेपरलेस पॉलिसी, डिजिटल भुगतान आदि पर प्राधिकरण के मार्गदर्शन से डिजिटल परिवर्तन में तेजी आई है।

IRDAI द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलें

- **बीमा सुगम:** यह बीमा पॉलिसियों की खरीद, बिक्री, नवीनीकरण आदि के साथ-साथ दावों के निपटान के लिए एक ऑनलाइन बीमा मार्केटप्लेस है।
  - यह IRDAI की बीमा ट्रिनिटी - **"बीमा विस्तार, बीमा वाहक और बीमा सुगम"** का एक हिस्सा है।
- **सरल जीवन बीमा:** यह स्व-रोजगार वाले व्यक्तियों या कम आय वर्ग के लोगों को बुनियादी सुरक्षा प्रदान करता है।
- **एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली:** इसका उद्देश्य देश भर में शिकायतों का एक केंद्रीय संग्रह बनाना तथा बीमा पॉलिसीधारक के लिए चिंता के क्षेत्रों के संकेत देने वाले डेटा के संबंध में अलग-अलग विश्लेषण प्रदान करना है।
- **अखिल भारतीय सर्वेक्षण:** बीमा जागरूकता पैदा करने की अपनी रणनीति में सुधार के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) के जरिए यह कार्य किया जाना चाहिए।
- **बीमाकर्ताओं के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति को अनिवार्य बनाना:** अब सभी बीमा कंपनियों के लिए यह जरूरी हो गया है कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बीमा जागरूकता नीति[62] को मंजूरी दें। इस नीति में उपभोक्ताओं को बीमा के अलग-अलग पहलुओं के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करने की कार्य योजना भी शामिल होनी चाहिए।

विनियामकीय प्रशासन के संबंध में IRDAI द्वारा किए गए हालिया सुधार

IRDAI ने 34 नियमों को **6 नियमों** में तब्दील कर दिया है एवं 2 नए विनियम पेश किए हैं। इससे विनियामकीय परिदृश्य में स्पष्टता और सुसंगतता बढ़ेगी।

- **IRDAI (बीमा उत्पाद) विनियम[59], 2024:** इसके तहत 6 नियमों को एक एकीकृत ढांचे में मिला दिया गया है। इसका उद्देश्य बीमाकर्ताओं को बाजार की बढ़ती मांगों पर तेजी से प्रतिक्रिया देने, व्यवसाय को आसान बनाने एवं बीमा की पहुंच को बढ़ावा देने में सक्षम बनाना है।
- **IRDAI (बीमा कंपनियों के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस) विनियम[60], 2024:** इसका उद्देश्य बीमाकर्ताओं के लिए एक मजबूत प्रशासनिक फ्रेमवर्क स्थापित करना है। इसमें बोर्ड एवं प्रबंधन की भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित किया गया है।
- **IRDAI (बीमाकर्ताओं का पंजीकरण, कैपिटल स्ट्रक्चर, शेयरों का अंतरण और समामेलन) विनियम[61], 2024:** इसमें 7 नियमों को एक व्यापक फ्रेमवर्क में सुव्यवस्थित किया गया है। इसका उद्देश्य विभिन्न प्रक्रियाओं को सरल बनाकर बीमा क्षेत्रक के विकास को बढ़ावा देना है।

[59] IRDAI (Insurance Products) Regulations

[60] IRDAI (Corporate Governance for Insurers) Regulations

[61] IRDAI (Registration, Capital Structure, Transfer of Shares & Amalgamation Insurers) Regulations

[62] Insurance Awareness Policy

निष्कर्ष

बीमा क्षेत्रक लगातार परिवर्तनशील रहा है और IRDAI इस बदलाव के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपने नियमों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, नवाचार को प्रोत्साहित करने जैसे क्षेत्रों में IRDAI की पहलें बीमा क्षेत्रक के सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

नोट: *भारत में बीमा क्षेत्रक के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, फरवरी, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 3.3. देखें।*

संबंधित सुर्ख़ियां

प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बीमाकर्ता (Domestic Systemically Important Insurers: D-SIIs)

- IRDAI ने **2023-24 के लिए D-SIIs की सूची जारी की।**
  - **भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (GIC-Re)** और **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी** को पुनः D-SIIs के रूप में नामित किया गया है।
- **D-SIIs** बीमा बाजार में अधिक महत्त्व वाली बड़े आकार की तथा घरेलू और वैश्विक रूप से बीमा व्यवसाय से काफी गहनता से जुड़ी बीमा कंपनियां होती हैं। इनका **संकट में आना या विफल होना, देश की वित्तीय प्रणाली में गंभीर अव्यवस्था** ला सकता है।
  - D-SIIs के बारे में कहा जाता है कि ये **"इतने बड़े या महत्वपूर्ण होती हैं कि इन्हें विफल नहीं होने दिया जा सकता है (Too big or too important to fail)"।**
  - D-SIIs को **अतिरिक्त विनियामकीय नियमों का पालन** करना होता है।

3.14. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: PMFBY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

2023-24 में PMFBY के तहत रिकॉर्ड संख्या में **4 करोड़ से अधिक किसानों ने रजिस्ट्रेशन** कराया है। इस योजना के तहत **2022-23 में 3.15 करोड़ किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया** था। इस प्रकार, 2023-24 में इसमें **27% की वृद्धि** दर्ज की गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **दावे (Claims):** PMFBY के तहत 2016 से 2023 तक किसानों को प्रत्येक 100 रुपये के प्रीमियम भुगतान के बदले दावे के रूप में लगभग 500 रुपये का भुगतान किया गया।
- **दावा प्राप्तकर्ता (Claims recipients):** इस योजना के कार्यान्वयन के पिछले 8 वर्षों में 23.22 करोड़ से अधिक किसान आवेदकों के दावे मंजूर किए गए हैं।

PMFBY की मुख्य विशेषताएं:

- इस योजना को **2016 में शुरू** किया गया था।
- **योजना का उद्देश्य: बुआई के पहले से लेकर कटाई के बाद की अवधि तक** फसल बीमा सुरक्षा के जरिए व्यापक जोखिम कवरेज प्रदान करना।
- **योजना का प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- **योजना की प्रकृति:** यह मांग आधारित योजना है तथा राज्यों के साथ-साथ किसानों के लिए **स्वैच्छिक** है।

- **कार्यान्वयन एजेंसी:**
  - कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग (DAC&FW)[63],
  - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, और
  - संबंधित राज्य।
- **लाभार्थी किसान:** बटाईदार और काश्तकार किसानों सहित सभी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  - हालांकि, 2020 में, इस योजना को कृषि ऋण लेने वाले किसानों सहित सभी किसानों के लिए **वैकल्पिक** बना दिया गया था।
- **शामिल की गई फसलें:** खाद्य फसलें (अनाज, बाजरा और दालें); तिलहन; वार्षिक वाणिज्यिक/ वार्षिक बागवानी फसलें, आदि।
- **प्रीमियम का भुगतान:** प्रीमियम का भुगतान **बीमित राशि के प्रतिशत या बीमांकिक प्रीमियम दर** (APR)[64] **के रूप में (जो भी कम हो)** किया जाता है। APR बीमा कंपनियों द्वारा निर्धारित प्रीमियम दर है।
  - **किसान द्वारा देय प्रीमियम की दर:**
    - **खरीफ फसलें** - बीमित राशि का 2.0%
    - **रबी फसलें** - बीमित राशि का 1.5%
    - **वाणिज्यिक/ बागवानी फसलें** - बीमित राशि का 5%
- **अन्य उल्लेखनीय विशेषताएं:**
  - बीमा कंपनियों द्वारा एकत्रित सकल प्रीमियम के **कम-से-कम 0.5%** का अनिवार्य उपयोग IEC[65] गतिविधियों में करना होगा;
  - प्रौद्योगिकी का व्यापक पैमाने पर उपयोग करना होना;
  - राज्यों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जोखिम कवरेज चुनने की स्वतंत्रता है, आदि।

PMFBY के तहत प्रमुख पहलें

- **डिजीक्लेम (Digi Claim):** इसके तहत सभी दावों और उनके सेटलमेंट का कार्य राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP)[66] के माध्यम से किया जाता है।
- **क्रॉपिक** (CROPIC)[67]**-** रियल टाइम में अवलोकन और फसलों की फोटो का संग्रह
- **वेदर इन्फॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम (WINDS) पोर्टल**
- **YES-TECH[68] मैनुअल**
- **AIDE (सहायक) ऐप के माध्यम से घर बैठे फसल बीमा**
- अंतरिक्ष, कृषि मौसम विज्ञान और भूमि आधारित अवलोकन का उपयोग कर कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान (FASAL/फसल) परियोजना (FASAL)[69]
- राष्ट्रीय कृषि सूखा आकलन और निगरानी प्रणाली (NADAMS)[70]
- **इसरो का जियो-प्लेटफॉर्म, भुवन,** वृक्षारोपण, कीट निगरानी और मौसम संबंधी डेटा प्रदान करता है।

PMFBY से संबंधित चुनौतियां

- **प्रीमियम सब्सिडी की उच्च लागत:** कई राज्यों में, सकल प्रीमियम की अपेक्षा दावे अधिक हो गए हैं और राज्यों ने पाया कि वे कृषि बजट का एक बड़ा हिस्सा प्रीमियम सब्सिडी के भुगतान के लिए खर्च कर रहे हैं।

---

[63] Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare

[64] Actuarial Premium Rate

[65] Information, Education, and Communication/ सूचना, शिक्षा और संचार

[66] National Crop Insurance Portal

[67] Collection of Real Time Observations and Photo of Crops

[68] Yield Estimation System, based on Technology/ प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली

[69] Forecasting Agricultural output using Space, Agro- meteorology and Land based observations

[70] National Agricultural Drought Assessment and Monitoring

- **गैर-भागीदार किसानों से प्रीमियम की कटौती:** फसल बीमा योजना से बाहर निकलने की प्रक्रिया के बारे में किसानों के बीच जागरूकता की कमी के कारण अक्सर उनके बैंक खातों से अनजाने में प्रीमियम की राशि काट ली जाती है।
- **फसल उपज का अनुमान लगाने में समस्या:** फसलों की उपज संबंधी आंकड़ों की विश्वसनीयता पर विवाद की स्थिति, योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में एक मुख्य चुनौती है।
- **दावों के निपटान में देरी:** राज्यों द्वारा प्रीमियम सब्सिडी जारी करने में देरी, बीमा कंपनियों और राज्यों के बीच उपज के आंकड़ों से संबंधित विवाद और किसानों के खाते का विवरण न मिलने पर निपटान में देरी होती है।
- **डिफॉल्ट करने वाली बीमा कंपनियां:** प्रक्रियात्मक जटिलताओं के कारण डिफॉल्ट करने वाली बीमा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने में देरी होती है।
- **फसल की क्षति का आकलन करने में होने वाली कठिनाइयां:** स्थानीय फसल क्षति की प्रकृति, संभावित लापरवाही या यहां तक कि बेईमान व्यक्तियों द्वारा झूठे दावों और स्थानीय स्तर पर डेटा की अनुपलब्धता के कारण बीमा कंपनियों के लिए फसल क्षति का आकलन करना मुश्किल हो जाता है।

आगे की राह

- **समय पर प्रीमियम सब्सिडी जारी करना:** सख्त वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए, राज्य सरकार और केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासित एस्क्रो खाते के माध्यम से सब्सिडी भुगतान को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए।
  - इसके अलावा, सभी वित्तीय लेन-देन (सब्सिडी या दावे) **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP)** के माध्यम से किए जाएं।
- **जिले की प्रत्येक तहसील में बीमा कंपनियों की उपस्थिति:** बीमा कंपनियों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि किसानों के लिए योजना का लाभ प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं को कम किया जाए।
- **कंपनियों के लिए जुर्माना:** डिफॉल्टर कंपनियों के लिए दंड या जुर्माने का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- **स्मार्ट सैंपलिंग तकनीकों को अपनाना:** सभी राज्यों द्वारा तकनीक की मदद लेना, जैसे- उपग्रह की मदद से डेटा एकत्रित करना या ड्रोन का उपयोग करना आदि।
- **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व** (CSR)[71]**:** बीमा कंपनियां अपने लाभ का एक हिस्सा उन जिलों में CSR के लिए खर्च करने की योजना बना सकती हैं जहां से अधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है।

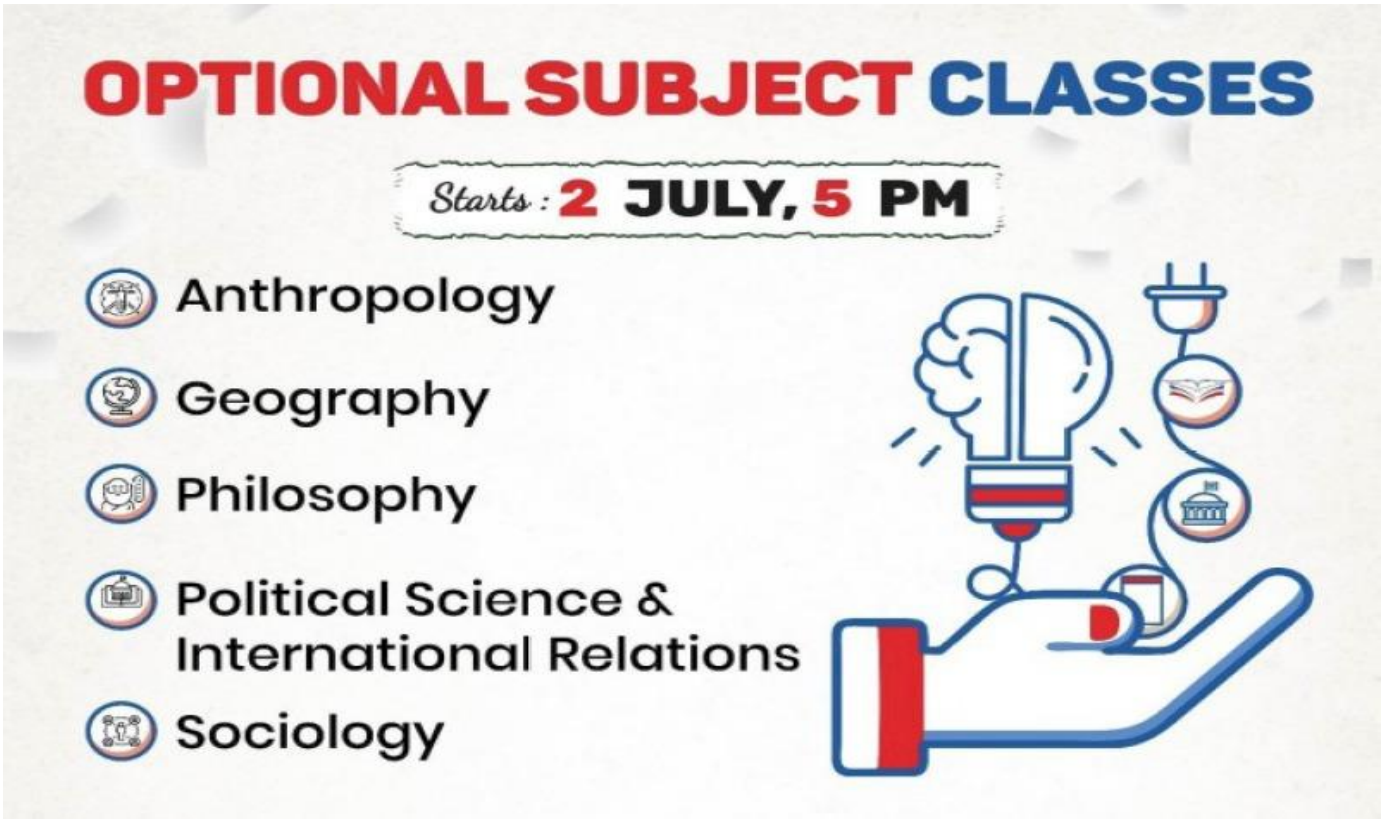

[71] Corporate Social Responsibility

3.15. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

3.15.1. मराकेश समझौते की 30वीं वर्षगांठ (30 Years Of Marrakesh Agreement)

- विश्व व्यापार संगठन (WTO) मराकेश समझौते की 30वीं वर्षगांठ मना रहा है।
- **उरुग्वे दौर** की वार्ता की समाप्ति के बाद **1994 में 123 देशों ने मराकेश (मोरक्को) में "मराकेश समझौते"** पर हस्ताक्षर किए थे।
    - इस समझौते से ही **1995** में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में **WTO की स्थापना** हुई थी। WTO ने **"प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT)"** की जगह ली है।
- **मराकेश समझौते के बारे में:**
    - यह **WTO के सभी सदस्यों के बीच व्यापारिक संबंधों के लिए बुनियादी फ्रेमवर्क** के रूप में कार्य करता है।
    - इसने **व्यापार के दायरे का विस्तार** किया है तथा इसमें **"वस्तुओं"** के साथ-साथ **सेवाओं, बौद्धिक संपदा और अन्य क्षेत्रक संबंधी व्यापार को भी शामिल** किया गया है।
    - इसने **आधुनिक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली** की स्थापना की है। इससे सदस्यों के बीच **वार्ता, विवाद निपटान और आर्थिक सहयोग** को बढ़ावा मिला है।
    - इसने WTO के शासी निकायों की भी स्थापना की है। इन निकायों में **मंत्रिस्तरीय सम्मेलन, सामान्य परिषद और विशेषीकृत परिषद** शामिल हैं।
        - मंत्रिस्तरीय सम्मेलन, **WTO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय** है।
- **WTO की उपलब्धियां**
    - **व्यापार के समक्ष बाधाओं को कम करना:** 1995 के बाद से **वैश्विक व्यापार की वास्तविक मात्रा 2.7 गुना** बढ़ गई है। साथ ही, प्रशुल्क की औसत दर **10.5% से कम होकर 6.4%** हो गई है। प्रशुल्क दर में यह लगभग **50 फीसदी की कमी** है।
    - **वैश्विक वैल्यू चेन का उदय:** इन वैल्यू चेन्स के भीतर होने वाला व्यापार आज **कुल पण्य (Merchandise) व्यापार का लगभग 70%** है।
    - **विकासशील देशों में संवृद्धि:** 1995 के बाद से गरीबी में सबसे तेजी से कमी दर्ज की गई है। साथ ही, सभी देशों में क्रय शक्ति में वृद्धि भी दर्ज की गई है।
    - **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते और नियम:** इनमें 'बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू (ट्रिप्स/ TRIPS) समझौता, नैरोबी पैकेज, व्यापार सुविधा समझौता, दोहा विकास एजेंडा आदि शामिल हैं।

नोट: *WTO के बारे में और अधिक जानकारी के लिए मार्च, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 3.1. देखें।*

3.15.2. अंकटाड को संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास को नया नाम दिया गया (Unctad Rebranded As Un Trade and Development)

- व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD)[72] को **'संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास' (UN Trade and Development) के रूप में नया नाम** दिया गया।

- अंकटाड (UNCTAD) की **60वीं वर्षगांठ** के अवसर पर इसे नया नाम दिया गया है।
    - यह रणनीतिक कदम **विकासशील देशों की व्यापार और विकास में वैश्विक भूमिका बढ़ाने की संगठन की प्रतिबद्धता** को रेखांकित करता है।

[72] United Nations Conference on Trade and Development

- **अंकटाड की मुख्य उपलब्धियां:**
  - यह संगठन **चार** अन्य प्रमुख संस्थागत हितधारकों के साथ **'विकास के लिए वित्त-पोषण'** का कार्यान्वयन कर रहा है। 'विकास के लिए वित्त-पोषण' को **अदीस अबाबा एजेंडा (2015)** में वैश्विक समुदाय ने प्रस्तुत किया था।
    - चार अन्य प्रमुख संस्थागत हितधारक हैं- **विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व व्यापार संगठन (WTO) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)।**
  - **ऋण प्रबंधन और वित्तीय विश्लेषण प्रणाली (Debt Management and Financial Analysis System: DMFAS) कार्यक्रम** के तहत देशों को सहायता प्रदान की गई है। (इन्फोग्राफिक्स देखें)

3.15.3. जीवन-निर्वाह मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी (Living Wage And Minimum Wage)

- केंद्र सरकार ने जीवन-निर्वाह मजदूरी (Living Wage) हेतु फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) से तकनीकी सहायता मांगी है।
- वर्तमान में, भारत में **"न्यूनतम मजदूरी" सिद्धांत** का अनुपालन किया जाता है। यह मजदूरी **2017** से स्थिर बनी हुई है।
- संसद द्वारा पारित **"वेतन संहिता (2019)"** में एक "सार्वभौमिक वेतन स्तर" (Universal wage floor) का प्रावधान किया गया है। इस संहिता के कार्यान्वयन के बाद यह वेतन स्तर सभी राज्यों पर लागू होगा।
- **न्यूनतम मजदूरी की मौजूदा वर्तमान व्यवस्था की समस्याएं**
  - न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए केवल दिशा-निर्देशों का उपबंध किया गया है। यह कानून यह नहीं बताता है कि **न्यूनतम मजदूरी कितनी** होनी चाहिए।
  - कुछ प्रकार के रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने संबंधी प्रावधान **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 और ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970** दोनों में दिए गए हैं। इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।
  - सभी राज्यों में **राष्ट्रीय आधार मजदूरी (Wage floor)** लागू नहीं होने की वजह से राज्यों के बीच मजदूरी में असमानताएं देखी जाती हैं।
  - मजदूरी में **लैंगिक स्तर पर भी असमानता** देखी जाती है। इसकी वजह है अधिक पुरुष श्रमिकों वाले अनुसूचित रोजगारों की तुलना में **अधिक महिला श्रमिकों वाले अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी कम होना।**
- **जीवन-निर्वाह मजदूरी सिद्धांत अपनाने के लाभ**
  - सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप गरीबी उन्मूलन के प्रयासों में तेजी लाने में मदद मिलेगी।
  - विशेष रूप से **बढ़ती मुद्रास्फीति** को ध्यान में रखते हुए, **कम मजदूरी मिलने की शिकायतों** को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा, **और अधिक न्यायसंगत एवं सतत आर्थिक संवृद्धि** सुनिश्चित करने को भी बढ़ावा मिलेगा।
- **जीवन-निर्वाह मजदूरी सिद्धांत अपनाने में चुनौतियां**
  - भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में **जीवन-यापन की लागत में काफी अंतर** मौजूद है। ऐसे में देश के सभी क्षेत्रों के लिए **एक समान "राष्ट्रीय जीवन-निर्वाह मजदूरी फ्रेमवर्क"** को लागू करना चुनौतीपूर्ण है।
  - श्रमिकों को **अधिक मजदूरी का भुगतान** करने की वजह से विशेष रूप से लघु व्यवसायों और MSME क्षेत्रक पर **वित्तीय बोझ** बढ़ेगा।

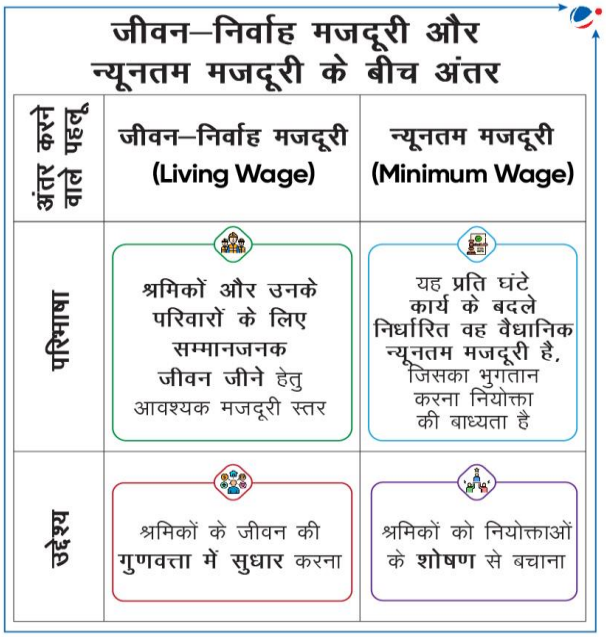

3.15.4. ऋण-जमा अनुपात (Credit Deposit Ratio: CDR)

- भारत के बैंक पिछले **20 वर्षों के सबसे खराब डिपॉजिट संकट से जूझ** रहे हैं। वर्तमान में बैंकों का **ऋण-जमा अनुपात 80%** है, जो 2005 के बाद के सर्वोच्च स्तर पर है।
- **ऋण-जमा अनुपात के बारे में:**
  - यह अनुपात इस बात का संकेत है कि **किसी बैंक ने अपने द्वारा जुटाई गई जमा राशि में से कितना ऋण** वितरित किया है।
  - **उच्च ऋण-जमा अनुपात** इस बात का संकेत है कि **बैंक के संसाधनों का बड़ा हिस्सा ऋण के रूप में वितरित** किया गया है।
    - इससे **आर्थिक संवृद्धि** को बढ़ावा मिल सकता है, हालांकि, यह **उच्च जोखिम** का भी संकेत है।
- विनियामक संस्थाएं अक्सर बैंकों के **ऋण-जमा अनुपात** पर नजर रखती हैं।
  - वे ऐसा इसलिए करती हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि **बैंक ऋण वितरण और जोखिम प्रबंधन के बीच विवेकपूर्ण संतुलन बनाकर रखें।**

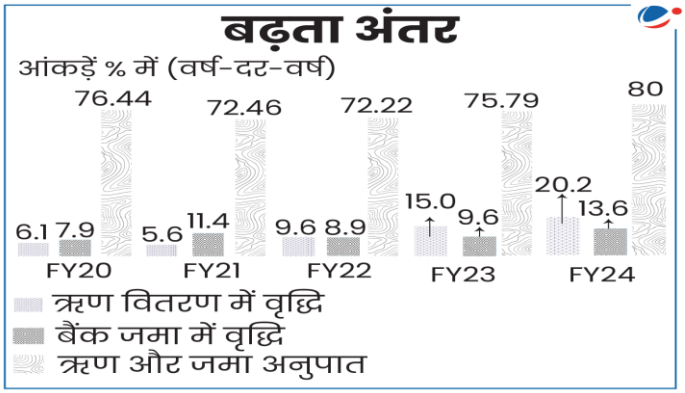

3.15.5. सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (स्कोर्स 2.0) (SEBI Complaint Redress System: Scores 2.0)

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी/ Securities and Exchange Board of India: SEBI) ने **SCORES 2.0 वर्जन** लॉन्च किया है। यह प्रणाली **प्रतिभूति बाजार में निवेशक शिकायत निवारण प्रक्रिया** को दक्ष बनाकर इस तंत्र को और अधिक मजबूत बनाएगी।
- **SCORES** एक ऑनलाइन तंत्र है। प्रतिभूति बाजार के निवेशक **वेब यूआरएल और एक ऐप** के माध्यम से इस तंत्र पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- **SCORES 2.0 की मुख्य विशेषताएं**
  - प्रतिभूति बाजार में निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए **समय-सीमा कम** कर दी गई है। अब शिकायत प्राप्त होने की तारीख से **21 कैलेंडर दिनों के भीतर इसका समाधान** करना होगा।
  - शिकायत निवारण में देरी की संभावना को खत्म करने के लिए **संबंधित विनियमित संस्था को शिकायतों की ऑटो-रूटिंग** की शुरुआत की गई है।
  - शिकायतें आसानी से दर्ज हो जाएं इसके लिए इसे **KYC पंजीकरण एजेंसी डेटाबेस** के साथ एकीकृत किया गया है।

3.15.6. क्लस्टर विकास कार्यक्रम (Cluster Development Programme)-सुरक्षा/ Suraksha

- कई राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम (CDP) के तहत **बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए "सुरक्षा" प्लेटफॉर्म** का इस्तेमाल कर रहे हैं।
  - CDP **राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) की केंद्रीय क्षेत्रक योजना** का एक घटक है।
- **CDP-सुरक्षा/ SURAKSHA के बारे में**
  - सुरक्षा/ SURAKSHA **से आशय है 'एकीकृत संसाधन आवंटन, ज्ञान और सुरक्षित बागवानी सहायता के लिए प्रणाली (System for Unified Resource Allocation, Knowledge, and Secure Horticulture Assistance')'**
  - यह प्लेटफॉर्म किसानों को उनके बैंक खातों में तुरंत **सब्सिडी प्राप्त करने की सुविधा** प्रदान करता है। इस कार्य के लिए प्लेटफॉर्म **NPCI के ई-रूपी (e-RUP) वाउचर का उपयोग** करता है।
  - **इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:**
    - पीएम-किसान के साथ डेटाबेस एकीकरण,
    - UIDAI सत्यापन,
    - जियोटैगिंग,
    - जियो-फेंसिंग आदि।
  - CDP-सुरक्षा/ SURAKSHA किसानों, वेंडर्स, कार्यान्वयन एजेंसियों, क्लस्टर विकास एजेंसियों आदि तक पहुंच की अनुमति देता है।

3.15.7. गिफ्ट सिटी पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट (Expert Committee Report on Gift City)

- GIFT-IFSC को "ग्लोबल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग हब" के रूप में विकसित करने हेतु गठित विशेषज्ञ समिति ने IFSCA (International Financial Services Centres Authority) को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।
- **केंद्रीय वित्त मंत्रालय** की अधिसूचना के बाद विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था।
  - इस अधिसूचना में **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC)[73] अधिनियम, 2019** के तहत **बही-खाता** (Book-keeping), **लेखांकन, कराधान तथा वित्तीय अपराध पर नजर रखने वाली प्रक्रिया के पालन को 'वित्तीय सेवाओं'** के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- **GIFT-IFSC यानी "गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी)-IFSC"** की स्थापना **2015** में गुजरात में **विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के रूप में** की गई थी।
  - एक IFSC **घरेलू अर्थव्यवस्था के क्षेत्राधिकार से बाहर के ग्राहकों को सेवा** प्रदान करता है। ऐसे केंद्र दूसरे देशों से जुड़े **वित्त, वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की आवाजाही** का प्रबंधन करते हैं।
- **GIFT-IFSC को ग्लोबल फाइनेंस और अकाउंटिंग हब बनने के लिए अवसर:**
  - भारत में प्रौद्योगिकी-आधारित मजबूत आउटसोर्सिंग क्षमताएं मौजूद हैं।
  - **लेखांकन** के क्षेत्र में **कुशल कार्यबल का बड़ा टैलेंट पूल,** आदि मौजूद है।

[73] International Financial Services Centre

- **"लेखा और वित्त सेवा"** को निर्यात वाले सेवा क्षेत्रक के **12 चैंपियन क्षेत्रों में शामिल** किया गया है।

- **मुख्य सिफारिशें:**
  - एक **नए विनियमन का प्रस्ताव** किया गया है, जिसमें **बहीखाता, लेखांकन, कराधान और फाइनेंसियल क्राइम कंप्लायंस सर्विसेज** के लिए व्यापक और विशिष्ट परिभाषाएं शामिल होनी चाहिए।
    - केवल उन कंपनियों को ही उपर्युक्त सेवाओं की पेशकश करने की अनुमति दी जानी चाहिए जो एक **कंपनी या सीमित देयता भागीदारी** के रूप में पंजीकृत हैं।
  - **शिक्षा और कौशल प्राप्ति के लिए दीर्घकालिक रणनीतियां** अपनाई जानी चाहिए। इसके लिए **विशेष डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रम** तैयार करने चाहिए।

IFSC प्राधिकरण

- IFSC प्राधिकरण **IFSC अधिनियम, 2019 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय** है।
- यह भारत में **IFSC में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं तथा वित्तीय संस्थानों के विकास और विनियमन** के लिए एकीकृत विनियामक है।

3.15.8. पेमेंट एग्रीगेटर (Payment Aggregator: PA)

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने **PayU को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की सैद्धांतिक मंजूरी** प्रदान कर दी है।
- **पेमेंट एग्रीगेटर (PA) के बारे में**
  - यह एक **वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी** है। यह **व्यवसायों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान स्वीकार करने की प्रक्रिया को आसान** बनाती है। उदाहरण के लिए- गूगल पे, फोनपे, कैशफ्री आदि।
  - यह कंपनी **व्यवसायों और वित्तीय संस्थानों के बीच एक मध्यवर्ती** के रूप में कार्य करती है।
  - इसे **कंपनी अधिनियम, 1956 तथा कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत एक कंपनी के रूप में निगमित किया जाता है।
  - गैर-बैंकिंग PAs को **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007** के तहत RBI से प्राधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

3.15.9. इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024 जारी (India Gaming Report 2024 Released)

- **इंटरएक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल (IEIC)[74] और WinZO** ने इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024 जारी की।

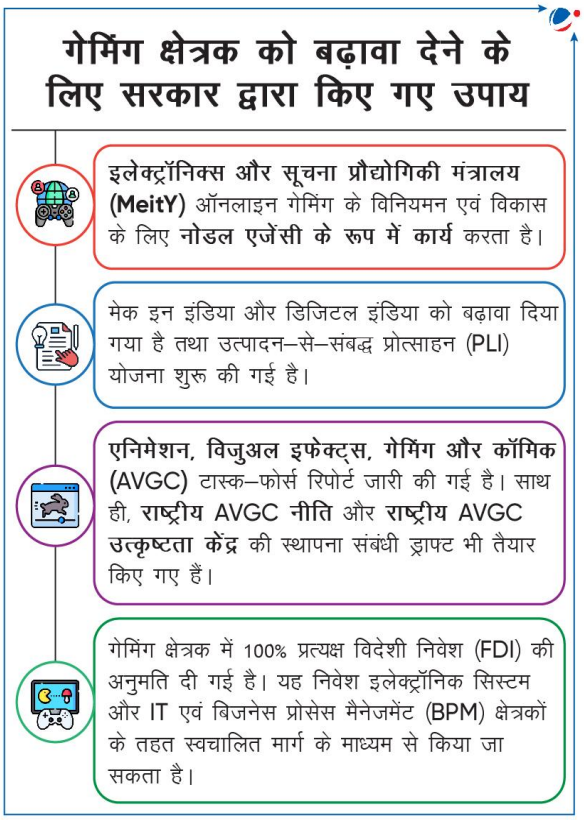

- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
  - 568 मिलियन यूज़र्स के साथ, **भारत आधिकारिक तौर पर सबसे बड़ा गेमिंग बाजार** है। वैश्विक स्तर पर **हर पांच ऑनलाइन गेमर्स में से एक भारत से** है।
  - भारतीय गेमिंग बाजार के **2028 तक 6 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद** है।
  - **2015** में भारतीय गेमिंग कंपनियों की संख्या **25 थी, जो 2023 में बढ़कर 1400 से अधिक** हो गई है।
- **गेमिंग उद्योग को बढ़ावा देने वाले जिम्मेदार कारक:**
  - $0.17/ GB के साथ **किफायती हाई-स्पीड इंटरनेट** की उपलब्धता।
  - 820 मिलियन यूज़र्स के साथ **स्मार्टफोन्स का व्यापक विस्तार।**
  - कुल आबादी में युवाओं की हिस्सेदारी (लगभग 600 मिलियन) बढ़ रही है और खर्च करने योग्य आय में भी बढ़ोतरी हुई है।
  - आपूर्ति पक्ष के कारकों में **गेम्स के विकास में वैश्विक निवेश, बेहतर परिणाम देने वाला गेमिंग करियर, स्थानीय भाषा में कंटेंट, भारतीय संस्कृति में गेमिंग का बढ़ता प्रचलन** आदि शामिल हैं।
- **समाज में गेमिंग का योगदान:**
  - सामाजिक अलगाव में कमी आई है;
  - विशेष रूप से महिला गेमर्स के मामले में समुदायों का निर्माण हो रहा है;

[74] Interactive Entertainment and Innovation Council

- अनुसंधान, शिक्षा और कौशल को बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है आदि।
- इससे वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों की पहुंच में भी सुधार होता है।

- **गेमिंग क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां:**
  - **'इंटरनेट प्रदूषण'** से संधारणीयता संबंधी मुद्दे पैदा हो गए हैं। वैश्विक स्तर पर **इंटरनेट यूज़ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 3.7% का योगदान** करता है।
  - वित्तीय साक्षरता की कमी, विनियामक संबंधी जटिलताएं और डेटा सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी मौजूद हैं।
  - कुछ मामलों में गेमिंग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती है, उदाहरण के लिए- "ब्लू व्हेल चैलेंज"।
- **रिपोर्ट में की गई सिफारिशें:**
  - सतत गेमिंग के लिए **हरित नवाचारों और वर्चुअल परिवेश का उपयोग** किया जाना चाहिए।
  - **नीतिगत समर्थन तथा स्टार्ट-अप्स और प्रतिभा विकास का समर्थन** करते हुए एक वैश्विक गेमिंग क्लस्टर स्थापित किया जाना चाहिए।
  - **ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता के लिए अनुसंधान एवं विकास** को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। (इन्फोग्राफिक देखें)

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अर्थव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

न्यूज़ टुडे

"न्यूज टुडे" डेली करेंट अफेयर्स की एक संक्षिप्त प्रस्तुति है। इस डॉक्यूमेंट की मदद से न्यूज-पेपर को पढ़ना काफी आसान हो जाता है और इससे अभ्यर्थी दैनिक घटनाक्रमों के बारे में अपडेट भी रहते हैं। इससे अभ्यर्थियों को कई अन्य तरह के लाभ भी मिलते हैं, जैसे:

किसी भी न्यूज़ से जुड़े घटनाक्रमों के बारे मे बेहतर समझ विकसित करने के लिए

न्यूज पढ़ने का एक ऐसा नजरिया विकसित करने के लिए, जिससे अभ्यर्थी आसानी से समझ सकें हैं कि न्यूज पेपर्स में से कौन-सी न्यूज पढ़नी है

टेक्निकल टर्म्स और न्यूज़ से जुड़े जटिल कॉन्सेप्ट्स के बारे में सरल समझ विकसित करने के लिए

न्यूज़ टुडे डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताएं

- स्रोत: इसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, न्यूज़ ऑन ए.आई.आर., इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, द मिंट जैसे कई स्रोतों से न्यूज को कवर किया जाता है।
- भाग: इसके तहत 4 पेज में दिन-भर की प्रमुख सुर्ख़ियों, अन्य सुर्ख़ियों और सुर्ख़ियों में रहे स्थल एवं व्यक्तित्व को कवर किया जाता है।
- प्रमुख सुर्ख़ियां: इसके तहत लगभग 200 शब्दों में पूरे दिन की प्रमुख सुर्ख़ियों को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें हालिया घटनाक्रम को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अन्य सुर्ख़ियां और सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व: इस भाग के तहत सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण टर्म, संरक्षित क्षेत्र और प्रजातियों आदि को लगभग 90 शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है।

न्यूज़ टुडे वीडियो की मुख्य विशेषताएं

- प्रमुख सुर्ख़ियां: इसमें दिन की छह सबसे महत्वपूर्ण सुर्ख़ियों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। इससे आप एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण न्यूज को खोजने में आपना कीमती समय बर्बाद किए बिना मुख्य घटनाक्रमों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
- सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व: इसमें सुर्ख़ियों में रहे एक महत्वपूर्ण स्थल या मशहूर व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है।
- स्मरणीय तथ्य: इस भाग में चर्चित विषयों को संक्षेप में कवर किया जाता है, जिससे आपको दुनिया भर के मौजूदा घटनाक्रमों की जानकारी मिलती रहती है।
- प्रश्नोत्तरी: प्रत्येक न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन के अंत में MCQs भी दिए जाते हैं। इसके जरिए हम न्यूज पर आपकी पकड़ का परीक्षण करते हैं। यह इंटरैक्टिव चरण आपकी लर्निंग को ज्ञानवर्धक के साथ-साथ मज़ेदार भी बनाता है। इससे आप घटनाक्रमों से जुड़े तथ्यों आदि को बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं।
- रिसोर्सेज: वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में "न्यूज़ टुडे" के PDF का लिंक दिया जाता है। न्यूज़ टुडे का PDF डॉक्यूमेंट, न्यूज टुडे वीडियो के आपके अनुभव को और बेहतर बनाता है। साथ ही, MCQs आधारित प्रश्नोत्तरी आपकी लर्निंग को और मजबूत बनाती है।

रोजाना 9 PM पर न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन देखिए

न्यूज टुडे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

न्यूज़ टुडे क्विज़ के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

4. सुरक्षा (Security)

4.1. भारत का रक्षा निर्यात (India's Defence Exports)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने **फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल** की पहली खेप सौंपी।

अन्य संबंधित तथ्य

- ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड (BAPL) ने 2022 में **फिलीपींस के साथ शोर बेस्ड एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति के लिए एक समझौते** पर हस्ताक्षर किए थे।
- हालिया वर्षों में **सेशेल्स, मालदीव, मॉरीशस और इक्वाडोर जैसे देशों में भारत के रक्षा निर्यात में लगातार वृद्धि** देखी गई है।

ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में

- इसे ब्रह्मोस एयरोस्पेस ने **विकसित** किया है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)[75] और रूस के NPO मशीनोस्ट्रोयेनिया** के बीच एक संयुक्त उपक्रम है।
  - ब्रह्मोस एयरोस्पेस की स्थापना **भारत में 1998 में हस्ताक्षरित एक अंतर-सरकारी समझौते** के माध्यम से हुई थी।
- इसका नाम **ब्रह्मपुत्र (भारत) और मोस्कवा (रूस) नदियों** के नाम पर रखा गया है।
- **यह दो चरणों वाली मिसाइल है:**
  - **प्रथम चरण:** इसमें एक **ठोस प्रणोदक बूस्टर इंजन** है। यह इंजन मिसाइल को **सुपरसोनिक गति** प्रदान करता है और उसके बाद अलग हो जाता है।
  - **दूसरा चरण:** इसमें एक **लिक्विड रैमजेट** है। यह रैमजेट क्रूज स्टेज में मिसाइल की गति को **3 मैक तक पहुंचा** देता है।
- **फ्लाइट रेंज:** इसकी सुपरसोनिक गति **290 किलोमीटर** तक है।
- यह मिसाइल **सतह, समुद्र, समुद्र की सतह के नीचे (sub-sea) और वायु से सतह एवं समुद्र-आधारित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम** है। इसे भारतीय **नौसेना, थल सेना और वायुसेना** में शामिल किया गया है।

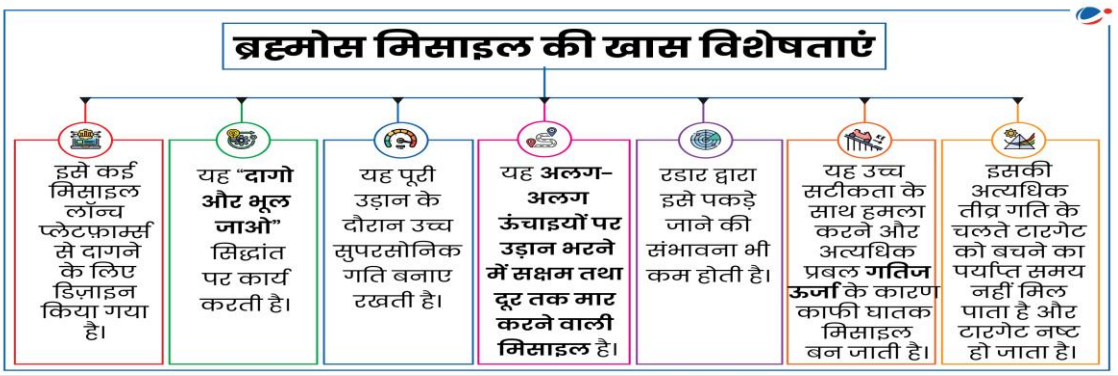

भारत के रक्षा निर्यात में वृद्धि के कारण

- **वित्तीय प्रोत्साहन:**
  - **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)[76] की सीमा में वृद्धि:**
    - नए रक्षा औद्योगिक लाइसेंस की मांग करने वाली कंपनियों के लिए **स्वचालित मार्ग के माध्यम से 74 प्रतिशत** तक FDI की अनुमति दी गई है।
    - जहां भी **आधुनिक प्रौद्योगिकी** तक पहुंच प्राप्त होने की संभावना है, वहां **सरकारी मार्ग से 100 प्रतिशत तक** FDI की अनुमति दी गई है।

[75] Defence Research and Development Organisation

[76] Foreign Direct Investment

- **वेंचर कैपिटल फंडस:** iDEX इनोवेटर्स हब (iIH) के माध्यम से रक्षा क्षेत्रक में वेंचर कैपिटल के निवेश की सुविधा के लिए एक समझौता किया गया है।
- **रक्षा निर्यात के लिए निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) से वित्त-पोषण** की सुविधा प्रदान की गई है।

- **निजी क्षेत्रक की भागीदारी को प्रोत्साहित करना:** सरकार ने 2022-23 में रक्षा अनुसंधान बजट का **25 प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रक के लिए निर्धारित** किया है।
- **स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने वाली पहलें:**
  - **रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX)[77]:** इसे रक्षा क्षेत्रक में आत्मनिर्भरता हासिल करने और नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है।
  - **मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति:** इसका उद्देश्य रक्षा उत्पादन क्षेत्र में बौद्धिक संपदाओं को विकसित करना और मजबूत करना है।
- **विदेशी उपकरण विनिर्माताओं पर निर्भरता में कमी:** उदाहरण के लिए- अक्टूबर, 2023 में 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची की घोषणा की गई थी। इसमें स्वदेशी स्रोतों से खरीदी जाने वाली रक्षा क्षेत्रक संबंधी मदों को सूचीबद्ध किया गया।
- **रक्षा कूटनीति: इसमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं-**
  - **लाइन ऑफ़ क्रेडिट:** उदाहरण के लिए- अफ्रीकी देशों को हथियारों की खरीद के लिए ऋण सहायता प्रदान करना;
  - **डिफेंस ऑफसेट नीति:** भारतीय रक्षा उद्योग को विकसित करने के लिए पूंजी अधिग्रहण का लाभ उठाना;
  - **मार्केटिंग:** संभावित विदेशी खरीदारों के लिए उत्पादों की मार्केटिंग करना आदि।
- **अवसंरचना: उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु** में स्थापित रक्षा औद्योगिक गलियारों ने बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित किया है।

रक्षा निर्यात में वृद्धि से होने वाले लाभ

- **एक रणनीतिक साधन के रूप में रक्षा निर्यात:**
  - रक्षा निर्यात में वृद्धि होने से भारत की अपने भागीदार देशों के साथ **कूटनीतिक प्रभावशीलता और रणनीतिक साझेदारी का दायरा बढ़ता है।**
    - इसके अलावा रखरखाव, मरम्मत, पुर्जों, घटकों, भविष्य के उन्नयन से संबंधित **तकनीकी निर्भरता** देशों के भू-राजनीतिक रुख को प्रभावित करती है।
  - **निर्यातक और आयातक देशों के बीच अनुकूलता** सैन्य अभ्यास एवं संयुक्त अभियानों के संचालन के माध्यम से **सैन्य अंतर-संचालनीयता को बढ़ाती है।**
  - प्रमुख देशों को रक्षा निर्यात करने से **रक्षा मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकरण** होता है।
    - यह रूस-यूक्रेन संघर्ष, इजरायल-हमास युद्ध जैसे संघर्षों के दौरान देश को आपूर्ति लाइन में होने वाले व्यवधानों से बचाता है।
- **रक्षा निर्यात का उच्च मूल्य होने के कारण यह निम्नलिखित आर्थिक लाभ प्रदान करता है:**
  - इससे **विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि** होती है।
  - **उच्च कौशल वाले रोजगार के अवसर** पैदा होते हैं।
  - घरेलू रक्षा विनिर्माण के लिए **नए बाजार के अवसर** उत्पन्न होते हैं।
- **अन्य लाभ:**
  - निजी भागीदारों को शामिल करने से **रक्षा क्षेत्रक में अनुसंधान एवं विकास का आधार मजबूत** होगा।
  - **राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत** करेगा।
  - **रक्षा क्षेत्रक के स्वदेशीकरण से आत्मनिर्भरता** प्राप्त की जा सकती है।

[77] Innovation for Defence Excellence

भारत के रक्षा निर्यात में चुनौतियां

- **अनुसंधान एवं विकास के लिए अपर्याप्त व्यय:** भारत अनुसंधान एवं विकास पर कुल रक्षा बजट व्यय के हिस्से का **1 प्रतिशत से भी कम** खर्च करता है।
    - वहीं, **चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका** अनुसंधान एवं विकास पर कुल रक्षा बजट व्यय के हिस्से का क्रमशः **20 प्रतिशत और 12 प्रतिशत** खर्च करते हैं।
- **सीमित बजट:** वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा क्षेत्रक के लिए बजट आवंटन **सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.9 प्रतिशत** है।
- **विश्वसनीयता संबंधी समस्याएं:** भारत उन्नत हथियारों के लिए आयात पर निर्भर है। इसके कारण भारतीय रक्षा उत्पादों की **संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस** जैसे देशों की तुलना में विश्वसनीयता कम है।
    - स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के अनुसार, 2019 से 2023 तक **भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक** देश रहा है।
- **अपर्याप्त क्षमता:** प्रमुख हथियार विनिर्माता/ निर्यातक देशों की तुलना में भारत की विनिर्माण एवं निर्यात क्षमता बहुत कम है।
    - हालांकि, भारत 85 देशों को सैन्य हार्डवेयर निर्यात करता है, लेकिन वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है।
    - भारत विश्व के **शीर्ष 25 हथियार निर्यातकों की सूची में शामिल नहीं** है।
- **रक्षा क्षेत्रक के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (DPSUs)[78] पर अत्यधिक निर्भरता:** इससे आपूर्ति पर एकाधिकार स्थापित हो जाता है। साथ ही, इससे रक्षा नवाचार और औद्योगिक इकोसिस्टम में निजी क्षेत्र को एकीकृत करने में बाधा उत्पन्न होती है।
- **अन्य समस्याएं:**
    - राजनयिक मुद्दे और अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा;
    - समुचित अवसंरचना की कमी के कारण सेवाओं की समय पर डिलीवरी न होना;
    - भारतीय सशस्त्र बलों, DPSUs, निजी विनिर्माताओं और रक्षा मंत्रालय के बीच सामंजस्य व समन्वय का अभाव।

आगे की राह

यदि भारत वैश्विक हथियार बाजार में एक प्रमुख शक्ति बनना चाहता है और अपने **5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात राजस्व** के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:

- **निर्यात राजस्व का उपयोग DPSUs के अनुसंधान एवं विकास (R&D) के बजट** की फंडिंग और सरकार के पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।
- **वैश्विक भू-राजनीति में वर्तमान अवसरों का बेहतर उपयोग** करना चाहिए। इसके अलावा, **बाह्य कारक** जैसे चीन के हथियार निर्यात के कमजोर और असंगत प्रदर्शन का लाभ उठाना चाहिए। उदाहरण के लिए हाल ही में म्यांमार द्वारा चीन से खरीदे गए जेट्स में तकनीकी समस्या आना।
- सभी हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करने, योजनाओं को कार्यान्वित करने और रक्षा निर्यात के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए **सिंगल पॉइंट एजेंसी की स्थापना** करनी चाहिए।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करके और प्रमाणन प्राप्त करके भारतीय रक्षा उत्पादों की वैश्विक विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए **गुणवत्ता आश्वासन एवं मानकीकरण** सुनिश्चित करना चाहिए।
    - प्रतिस्पर्धी, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण इकोसिस्टम बनाने का प्रयास करने वाली **MSME सस्टेनेबल (ZED) प्रमाणन योजनाओं** का लाभ उठाया जा सकता है।
- अपने रक्षा उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता के बारे में नकारात्मक धारणाओं को बदलने के लिए **अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग में निवेश** करना चाहिए।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना**: निजी कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान करके, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बनाकर और संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देकर निजी क्षेत्र की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।

---

[78] Defence Public Sector Undertakings

- पिनाका, आकाश, ध्रुव जैसे **उच्च मूल्य वाले हथियारों के निर्यात सौदों को सुनिश्चित** करने के लिए प्रोत्साहन की पेशकश करनी चाहिए, जैसे कि- लाइन ऑफ़ क्रेडिट, गवर्नमेंट टू गवर्मेंट रूट आदि।

निष्कर्ष

रक्षा निर्यात, वैश्विक मंच पर भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने और भागीदार देशों के साथ इसके रणनीतिक लाभ में सुधार करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

4.2. वर्चुअल परिसंपत्तियां और आतंकवाद का वित्त-पोषण (Virtual Assets and Terror Financing)

सुर्ख़ियों में क्यों?

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने वर्चुअल एसेट्स और **वर्चुअल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (VASPs)**[79] पर अपने मानकों को लागू करने में आने वाली समस्याओं की पहचान की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- FATF क्रिप्टोस्फीयर में हो रहे विकास की कड़ी निगरानी करता है। इसके अलावा, इसने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त-पोषण के लिए वर्चुअल एसेट्स के दुरुपयोग को रोकने हेतु वैश्विक व बाध्यकारी मानक जारी किए हैं।
- FATF ने **वर्चुअल एसेट्स और वर्चुअल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (VASPs)** पर अपने द्वारा बनाए गए **मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत** करने के लिए फरवरी, 2023 में एक **रोड मैप** पर सहमति व्यक्त की थी।

वर्चुअल एसेट्स और वर्चुअल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (VASPs) के बारे में

- **वर्चुअल एसेट्स** यानी क्रिप्टो एसेट्स वास्तव में ऐसे **मूल्य (वैल्यू) का डिजिटल रूप** है, जिनका **डिजिटल रूप से व्यापार, अंतरण या भुगतान** के लिए उपयोग किया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिए- बिटकॉइन, लाइटकॉइन, एथेरियम या डॉजकॉइन। इसमें **फिएट मुद्राओं (कागजी मुद्रा या सिक्कों) का डिजिटल रूप** शामिल नहीं है। **फिएट मुद्रा, सरकार द्वारा जारी की जाने वाली मुद्रा है।**
- **वर्चुअल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर (VASP)** ऐसा कोई भी प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति है, जो किसी अन्य प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति की ओर से एक व्यवसाय के रूप में निम्नलिखित लेन-देन में से एक या अधिक लेन-देन करता है-
  - वर्चुअल एसेट्स या फिएट मुद्राओं के बीच विनिमय सेवाएं प्रदान करना;
  - वर्चुअल एसेट्स के बीच अंतरण करना आदि।
- VASPs में **क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, ATM ऑपरेटर, वॉलेट कस्टोडियन और हेज फंड** जैसी संस्थाएं शामिल होती हैं।

आतंकवाद के वित्त-पोषण में वर्चुअल एसेट्स के उपयोग के लिए जिम्मेदार कारण

- **अनामिता (Anonymity):** वर्चुअल एसेट्स को अनामिता और पीयर-टू-पीयर ऑनलाइन लेन-देन के विकेंद्रीकरण के कारण **उच्च जोखिम वाली परिसंपत्तियां** माना जाता है। ऐसे में अपराधी VPNs का उपयोग कर वर्चुअल एसेट्स के लेन-देन के लोकेशन और मूल/ गंतव्य को छुपा सकते हैं।
- **वैश्विक मानक विनियमों की अनुपस्थिति:** एक देश में स्थित VASPs अपने उत्पादों और सेवाओं को अन्य देश में स्थित ग्राहकों को प्रदान कर सकते हैं। अतः दूसरे देश में वे **एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त-पोषण रोधी (AML/CFT)**[80] अलग-अलग कानूनों के दायरे में आ सकते हैं।
  - **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)** ने वर्चुअल एसेट्स के लिए एक वैश्विक विनियामक फ्रेमवर्क की कमी को उजागर किया है। इससे निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा होता है और वित्तीय स्थिरता पर दुष्प्रभाव उत्पन्न होता है।
- **वर्चुअल एसेट्स के साथ क्राउडफंडिंग:** आतंकवादी समूह क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वैश्विक स्तर पर धन जुटाने का कार्य करते हैं। साथ ही गुमनाम और सीमा रहित (Borderless) लेन-देन के लिए वर्चुअल एसेट्स का उपयोग करते हैं। ऐसे में आतंकवादी समूह वर्तुअल एसेट्स स्वीकार करके अपने उद्देश्यों के लिए धन जुटा सकते हैं। साथ ही, वर्तुअल एसेट्स से जुड़ी अनामिता और विकेंद्रीकृत लेने-देन का फायदा उठा उसे कहीं भी भेज सकते हैं।

---

[79] Virtual asset service providers

[80] Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism

वर्चुअल एसेट्स के लिए FATF मानक

देशों के लिए	वर्चुअल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (VASPs) के लिए
यह आवश्यक है कि: • वे वर्चुअल एसेट्स सेक्टर के मामले में **मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त-पोषण** से जुड़े खतरों को समझें; • **VASPs** को **लाइसेंस या पंजीकरण** प्रदान करें; • इस **क्षेत्रक की निगरानी** भी वैसे ही करें, जिस तरह वे अन्य वित्तीय संस्थानों की निगरानी करते हैं।	**यह आवश्यक है कि:** • वे भी ऐसे **निवारक उपाय लागू करें** जैसा कि अन्य **वित्तीय संस्थान** लागू करते हैं। इनमें किसी ग्राहक के बारे में पूरी सावधानी बरतना, रिकॉर्ड रखना और संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्टिंग शामिल है। • एसेट्स का अंतरण या ट्रांसफर करते समय वे **एसेट्स के स्रोत और अंतरण प्राप्त करने वाले लाभार्थी के बारे में जानकारी** प्राप्त करें, उसका रिकॉर्ड रखें और सुरक्षित लेन-देन को बढ़ावा दें।

भारत में वर्चुअल एसेट्स और VASPs का विनियमन

- **धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) का अनुपालन करना:** मार्च 2023 में, भारत ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (VDASPs) को धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA)[81], 2002 के प्रावधानों के तहत धन-शोधन रोधी (AML) और आतंकवाद के वित्त-पोषण-रोधी (CFT) विनियमों के अधीन कर दिया था।
- **फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया (FIU-IND)[82] में पंजीकरण कराना:** VDASPs को FIU-IND में पंजीकरण कराना तथा रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड-रखने के कर्तव्यों को पूरा करना अनिवार्य है।
- **स्थायी सचिवालय:** भारत ने आतंकवाद के वित्त-पोषण को रोकने के लिए समन्वय हेतु एक स्थायी सचिवालय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
  - **'बियोंड-बॉर्डर कोऑपरेशन'** वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के वित्त-पोषण को रोकने का आधार है।
- **VASPs के लिए 'ट्रेवल रूल्स':** भारत ने **VASPs के लिए 'ट्रेवल रूल्स'** को लागू किया है। ट्रेवल रूल्स के तहत VASPs को वर्चुअल एसेट्स के लेन-देन से जुड़े पक्षकारों की जानकारी को एकत्रित करना एवं साझा करना अनिवार्य है।

आगे की राह

- **FATF मानकों का प्रभावी वैश्विक कार्यान्वयन:** इससे वैश्विक स्तर पर वर्चुअल एसेट्स के विनियम के मामले में एक समान मानक लागू होंगें, जिसके चलते अपराधियों के लिए किसी देश में वर्चुअल एसेट्स से जुड़े कमजोर विनियम का फायदा उठाने को विकल्प नहीं रह जाएगा।
  - 2018 में, G20 के सदस्य देशों ने वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लिए AML/ CFT पर FATF मानकों के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।
- **वित्तीय संस्थानों द्वारा निवारक उपाय: कस्टमर ड्यू डिलिजेंस (CDD), रिकॉर्ड रखना और संदिग्ध लेन-देन रिपोर्टिंग (Suspicious transaction reporting: STR)** जैसे निवारक उपायों के माध्यम से वित्तीय संस्थानों द्वारा वर्चुअल एसेट्स के लेन-देन की **पारदर्शिता सुनिश्चित** की जा सकती है।
- **वित्तीय खुफिया जानकारी को मजबूत करना:** सटीक और अच्छी तरह से संबद्ध वित्तीय खुफिया जानकारी (निजी क्षेत्र से भी प्राप्त) आतंकवादी समूहों की संरचना और एकल आतंकवादियों की गतिविधियों को भी उजागर कर सकती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** ऐसी सीमा-पार चुनौतियों से निपटने के लिए **कानून प्रवर्तन प्राधिकारियों के बीच सहयोग और वित्तीय एवं बैंकिंग क्षेत्रक** की भागीदारी आवश्यक है।
- **तकनीकी अपग्रेडेशन:** उभरती प्रौद्योगिकियों से बढ़ते मनी लॉन्ड्रिंग के खतरों से निपटने के लिए **बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस** जैसे उन्नत उपायों की आवश्यकता है।

---

[81] Prevention of Money Laundering Act

[82] Financial Intelligence Unit India

4.3. अंतरिक्ष का सशस्त्रीकरण (Weaponization of Space)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रूस ने **बाह्य अंतरिक्ष को हथियार मुक्त रखने** संबंधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)[83] में पेश किए गए **ड्राफ्ट रेजोल्यूशन (यानी मसौदा संकल्प) के खिलाफ वीटो** का इस्तेमाल किया। यह रेजोल्यूशन/ संकल्प **संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान** ने संयुक्त रूप से प्रस्तावित किया था।

UNSC के इस हालिया ड्राफ्ट रेजोल्यूशन (संकल्प) के बारे में

- वीटो किए गए संकल्प में यह पुष्टि की गई है कि **1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि का अनुमोदन करने वाले देशों** को निम्नलिखित का पालन करना होगा:
  - इन देशों को अपने इस दायित्व का अनुपालन करना होगा कि वे **"व्यापक विनाश के हथियारों से युक्त किसी भी ऑब्जेक्ट" को पृथ्वी की निकटवर्ती कक्षा में स्थापित नहीं करेंगे,** अथवा;
  - ऐसे हथियारों वाले ऑब्जेक्ट को **किसी भी खगोलीय पिंड पर तैनात नहीं** करेंगे, अथवा;
  - ऐसे हथियारों वाले ऑब्जेक्ट को **बाह्य अंतरिक्ष में तैनात नहीं** करेंगे।

क्या आप जानते हैं?

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के **15 सदस्यों के वोटों में से 9 वोटों के बहुमत** से परिषद में निर्णय लिए जाते हैं।
- यदि **सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों** (चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रूस) में से कोई एक अपने वीटो का उपयोग करता है तो **सभी निर्णय खारिज कर दिए** जाते हैं।

- **रूस का तर्क:** रूस के अनुसार उसने इस संकल्प को इसलिए वीटो किया है, क्योंकि यह **केवल व्यापक विनाश के हथियारों (विशेषकर परमाणु हथियारों)** पर केंद्रित है। इसमें **अन्य हथियारों को अंतरिक्ष में तैनात नहीं** करने संबंधी प्रावधान नहीं किया गया है।

अंतरिक्ष के सशस्त्रीकरण के बारे में

- अंतरिक्ष के सशस्त्रीकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है, जिसके जरिए **अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती** की जाती है। इससे अंतरिक्ष संघर्ष का एक क्षेत्र बन सकता है। इन हथियारों का उपयोग **पृथ्वी की कक्षा में या पृथ्वी की सतह पर लक्ष्यों को नष्ट** करने के लिए किया जा सकता है।
  - दूसरी ओर, **बाह्य अंतरिक्ष के सैन्यीकरण (Militarisation)** का अर्थ है- स्थल, समुद्र और वायु आधारित सैन्य अभियानों के लिए अंतरिक्ष का उपयोग करना।

अंतरिक्ष में शांति के लिए महत्वपूर्ण वैश्विक पहलें

- **बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर समिति (Committee on the Peaceful Uses of Outer Space: COPUOS, 1959):** यह समिति सम्पूर्ण मानवता के लाभ के लिए अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग को नियंत्रित करने हेतु गठित की गई है।
- **बाह्य अंतरिक्ष संधि (Outer Space Treaty) (1967):** यह संधि बाह्य अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों या व्यापक विनाश के किसी अन्य हथियार को तैनात करने पर रोक लगाती है।
- **बचाव समझौता (Rescue Agreement) (1968):** यह अंतरिक्ष यात्रियों के बचाव, अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी और बाह्य अंतरिक्ष में प्रक्षेपित ऑब्जेक्ट्स की सुरक्षित वापसी पर समझौता है।
- **अंतरिक्ष दायित्व अभिसमय (Space Liability Convention) (1972):** इस अभिसमय के तहत स्पेस ऑब्जेक्ट का प्रक्षेपण करने वाला देश अपने स्पेस ऑब्जेक्ट से होने वाली क्षति के लिए उत्तरदायी होगा।
- **प्रक्षेपण पंजीकरण अभिसमय (Launch Registration Convention) (1975):** प्रक्षेपण करने वाला देश अपने स्पेस ऑब्जेक्ट को एक उपयुक्त रजिस्ट्री में पंजीकृत करेगा और संयुक्त राष्ट्र महासचिव को इसकी सूचना देगा।
- **मून एग्रीमेंट (1979):** यह समझौता चंद्रमा पर सैन्य अड्डों, प्रतिष्ठानों की स्थापना और किलेबंदी तथा चंद्रमा पर किसी भी प्रकार के हथियार के परीक्षण पर रोक लगाता है।

नोट - भारत **बाह्य अंतरिक्ष संधि, बचाव समझौते, दायित्व अभिसमय** और **पंजीकरण अभिसमय** का सदस्य है।

भारत ने **मून एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन इसकी अभिपुष्टि (Ratification) नहीं** की है। भारत **COPUOS में सक्रिय रूप से भाग** लेता है।

[83] United Nations Security Council

अंतरिक्ष के सशस्त्रीकरण से उभरती चुनौतियां

- **हथियारों की स्पर्धा और प्रतिरोध:** अमेरिका, चीन और रूस जैसी प्रमुख शक्तियों के पास अब अंतरिक्ष अभियानों में विशेषज्ञता प्राप्त अपनी-अपनी सैन्य इकाइयां हैं। इससे यह पता चलता है कि अंतरिक्ष एक नया युद्धक्षेत्र बन गया है।
- **मलबा और जमाव:** स्पेस वॉर के परिणामस्वरूप अंतरिक्ष मलबे का अवांछित प्रसार हो सकता है। इसका अंतरिक्ष के पर्यावरण पर अपरिवर्तनीय प्रभाव पड़ सकता है।
- **दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियां:** अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान, लघु उपग्रह, GPS ट्रैकर, सक्रिय मलबा हटाने की प्रणाली जैसी कई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियां असैन्य और सैन्य दोनों, क्षेत्रकों में इस्तेमाल की जाती हैं। इससे इनमें से किस प्रौद्योगिकी का अंतरिक्ष क्षेत्रक में सैन्य या असैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है, यह विभाजन अस्पष्ट हो जाता है।
- **अप्रचलित बाह्य अंतरिक्ष संधि:** अलग-अलग भू-राजनीतिक और तकनीकी परिस्थितियों के तहत बनाई गई यह संधि समकालीन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं है।

भारत द्वारा अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

- **रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (Defence Space Agency: DSA):** यह एजेंसी सैन्य अंतरिक्ष गतिविधियों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए 2018 में स्थापित की गई थी।
- **मिशन शक्ति:** 2019 में भारत ने पहली एंटी-सैटेलाइट (ASAT) मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इस परीक्षण का उद्देश्य बाह्य अंतरिक्ष में अपनी परिसंपत्तियों की रक्षा करना था।
- **इंडस्पेसएक्स (IndSpaceEx):** 2019 में पहले सिमुलेटेड अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य संभावित खतरों का पूर्वानुमान लगाना और एक संयुक्त अंतरिक्ष युद्ध नीति तैयार करना था।

आगे की राह

- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** बाह्य अंतरिक्ष के सशस्त्रीकरण पर रोक लगाने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि हेतु वार्ता शुरू करनी चाहिए।
  - यह संधि सभी प्रकार के हथियारों, व्यापक विनाश के हथियारों (WMD)[84] और पारंपरिक या साधारण हिट-टू-किल हथियारों के आधार पर प्रतिबंध लगा सकती है।
- **अंतरिक्ष-क्षेत्रक संबंधी जागरूकता:** अंतरिक्ष-क्षेत्रक संबंधी जागरूकता और राजनयिक समझौतों में निवेश करने की आवश्यकता है।
  - जैसे- **'संयुक्त अंतरिक्ष अभियान पहल (CSpO)[85]':** यह **'फाइव-आई' देशों और जर्मनी एवं फ्रांस** के बीच शुरू की गई एक पहल है। इस पहल का उद्देश्य अंतरिक्ष गतिविधियों पर **जानकारी साझा** करने की सुविधा प्रदान करना है।
    - **'फाइव-आई' देश-** ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।
- **अंतरिक्ष मलबे को कम करना:** मलबे को कम करने के लिए अंतरिक्ष परिस्थितिजन्य जागरूकता (SSA)[86] को बढ़ावा देना चाहिए। इसके तहत अंतरिक्ष में प्रत्येक ऑब्जेक्ट व गतिविधि पर नज़र रखने की क्षमता होती है। इसमें अंतरिक्ष मलबे, दुर्भावनापूर्ण उपग्रह व्यवहार, टकराव-रोधी (मलबे का टकराना) तंत्र और अन्य देशों द्वारा अंतरिक्ष के सशस्त्रीकरण के संभावित संकेतों पर नजर रखना शामिल है।
- **लागू करने योग्य अंतरिक्ष संबंधी कानून:** ऐसा कानून बनाना चाहिए, जो जिम्मेदार व्यवहार के मानदंडों का उल्लंघन करने वाले देश के लिए तत्काल एवं महत्वपूर्ण राजनयिक, राजनीतिक और यहां तक कि आर्थिक प्रतिबंधों के भी प्रावधान करे।
  - उदाहरण के लिए- **'बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की स्पर्धा की रोकथाम पर संयुक्त राष्ट्र संकल्प (PAROS)[87]':** यह संयुक्त राष्ट्र का एक संकल्प है, जिसमें अंतरिक्ष के सशस्त्रीकरण पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।

संबंधित सुर्ख़ियां

स्वीडन, आर्टेमिस एकॉर्ड्स में शामिल होने वाला 38वां देश बना

- आर्टेमिस एकॉर्ड्स की स्थापना 2020 में **नासा** ने अमेरिकी विदेश विभाग के समन्वय से की थी। इसके **सात अन्य संस्थापक सदस्य** देश भी हैं।
- **आर्टेमिस एकॉर्ड्स के बारे में:**
  - इसकी स्थापना **1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि (OST)** के आधार पर की गई है। ये एकॉर्ड्स सिद्धांतों का एक सेट हैं। इन्हें 21वीं सदी में **असैन्य उद्देश्य से अंतरिक्ष अन्वेषण और उपयोग का मार्गदर्शन** करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
    - ये सिद्धांत **बाध्यकारी नहीं** हैं।

[84] Weapons of Mass Destruction

[85] Combined Space Operations Initiative

[86] Space Situational Awareness

[87] Proposed Prevention of an Arms Race in Outer Space

- ये एकॉर्ड्स **असैन्य अंतरिक्ष कूटनीति में बहुपक्षीय नेतृत्व** का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही, ये **अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के साझा विज़न** वाले अलग-अलग देशों को भी एक साथ लाते हैं।
- भारत ने भी **आर्टेमिस एकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर** किए हैं।

- **आर्टेमिस एकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर करने वालों की प्रतिबद्धताएं:**
  - अपनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीतियों और अंतरिक्ष अन्वेषण योजनाओं के संबंध में जानकारी के व्यापक प्रसार में **पारदर्शिता सुनिश्चित** करना।
  - **अंतर-संचालनीय (इंटर-ऑपरेबल) और साझा अन्वेषण अवसंरचना एवं मानकों** के विकास को मान्यता देना। इनमें **संचार प्रणालियां, लैंडिंग संरचनाएं** इत्यादि शामिल हैं।
  - **बाह्य अंतरिक्ष संधि, 1967** के अनुसार सरकारों या अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच समझौता ज्ञापनों को लागू करना।
  - **बाह्य अंतरिक्ष विरासतों को संरक्षित** करना। इनमें अंतरिक्ष यानों की **ऐतिहासिक लैंडिंग साइट्स और खगोलीय पिंडों पर मानव गतिविधियों** के साक्ष्य आदि शामिल हैं।
  - **अंतरिक्ष की कक्षाओं में मलबे को कम** करना। साथ ही, किसी अंतरिक्ष यान का उपयोग समाप्त होने पर उसका **सुरक्षित तरीके से और समय पर निपटान** सुनिश्चित करना।

हाल ही में, **संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA)[88] ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में वीटो शक्ति के बढ़ते उपयोग पर बहस की**

- संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से **300 से अधिक बार** वीटो का उपयोग किया गया है।
- **वीटो शक्ति के बढ़ते उपयोग के लिए जिम्मेदार कारण**
  - **राष्ट्रीय हित:** UNSC के स्थायी सदस्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा या अपनी विदेश नीति के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए वीटो का उपयोग करते हैं।
  - **वैश्विक संघर्ष और संकट में वृद्धि:** रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा और उसके बाद यूक्रेन पर आक्रमण, तथा इजरायल एवं फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के बीच युद्ध आदि।
  - **राजनीतिक ध्रुवीकरण:** उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका इजरायल की रक्षा के लिए अपनी वीटो शक्ति का उपयोग करता है।
- **वीटो शक्ति के अत्यधिक उपयोग के प्रभाव:**
  - **मानवतावादी प्रयासों पर प्रभाव:** शांति स्थापना बलों की तैनाती, मानवीय सहायता के प्रावधान, या नागरिकों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों की मंजूरी में देरी।
  - **गतिरोध और निष्क्रियता:** एक स्थायी सदस्य की आपत्ति प्रगति में बाधा डालती है और कूटनीतिक पक्षाघात की भावना पैदा करती है तथा ऐसा तब होता है, जब अधिकांश सदस्य देश किसी प्रस्तावित संकल्प या कार्रवाई का समर्थन करते हैं।
  - **UNSC की विश्वसनीयता:** इसे विश्व शांति और सुरक्षा को संरक्षित करने के अपने मूल कर्तव्य को पूरा करने में अक्षम एवं असमर्थ वैश्विक संस्था के रूप में देखा जा सकता है।
  - **बहुपक्षवाद का क्षरण:** यह देशों को अन्य मंचों पर अधिक निर्भर होने या एकपक्षीय कार्रवाई करने के लिए बाध्य कर सकता है। इससे विवादों का समाधान करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का महत्त्व कम हो जाएगा।

हाइब्रिड वारफेयर के बारे में और अधिक जानकारी के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #73: हाइब्रिड वारफेयरः नए युग के युद्ध में नए युग की प्रतिक्रिया आवश्यक होगी

4.4. सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम {Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने **नागालैंड के आठ जिलों और अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों में "सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA), 1958** का विस्तार किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- वर्तमान में **नागालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश** के कुछ हिस्सों में AFSPA लागू है।

[88] United Nations General Assembly

- **जम्मू और कश्मीर में AFSPA** "सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1990" के माध्यम से **लागू** रहता है।
- हालांकि, **त्रिपुरा (2015), मेघालय (2018) और मिज़ोरम (1980 का दशक) से AFSPA को हटा** दिया गया है।

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA), 1958 के बारे में

- यह अधिनियम अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा जैसे **पूर्वोत्तर राज्यों के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ विशेष शक्तियां** प्रदान करता है।
- **अधिनियम की धारा 3 के तहत किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करने की शक्ति:** किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। यह अधिसूचना **उस राज्य के राज्यपाल या उस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या केंद्र सरकार** (जैसा भी मामला हो) द्वारा घोषित किया जाता है।
    - **अशांत क्षेत्र** से तात्पर्य किसी क्षेत्र में स्थिति के अत्यधिक अशांत या खतरनाक होने से है, जिसमें सिविल प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक हो जाता है।
- **अधिनियम की धारा 4 के तहत सशस्त्र बलों को प्रदान की गई विशेष शक्तियां:** सशस्त्र बलों में किसी भी **कमीशन अधिकारी, वारंट अधिकारी, गैर-कमीशन अधिकारी या उनके समकक्ष रैंक के किसी अन्य अधिकारी** को AFSPA के तहत "विशेष शक्तियां" प्रदान की जाती हैं। हालांकि, इन शक्तियों का उपयोग अत्यधिक सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।
- **यह अधिनियम सशस्त्र बलों को कुछ विशेष अधिकार देता है, जैसे-**
    - यदि सशस्त्र बल को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति **कानून का उल्लंघन** कर रहा है, तो उसे उचित चेतावनी देने के बाद उसके खिलाफ **बल का उपयोग कर सकते हैं या गोली भी मार सकते हैं।**
    - किसी क्षेत्र में **पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक** लगा सकते हैं।
    - वे किसी व्यक्ति को **बिना वारंट के गिरफ्तार** कर सकते हैं। साथ ही, वे किसी भी **परिसर में प्रवेश** कर सकते हैं या **तलाशी** ले सकते हैं। वे किसी को **फायर-आर्म्स/ हथियार/ गोला-बारूद/ विस्फोटक रखने से भी मना** कर सकते हैं।
    - अधिनियम द्वारा प्रदत्त **शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के खिलाफ (केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना) सशस्त्र बल के किसी भी सैनिक/ अधिकारी पर कोई अभियोजन, मुकदमा या अन्य कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं** की जा सकती है।

क्या AFSPA को हटाया जाना चाहिए?

AFSPA को हटाने के पक्ष में तर्क	AFSPA को नहीं हटाने के पक्ष में तर्क

• **औपनिवेशिक युग का कानून:** AFSPA की तुलना रॉलेट एक्ट से की जाती है, जो बिना किसी उचित प्रक्रिया के संदेह के आधार पर गिरफ्तारी की अनुमति देता था।
• **मूल अधिकारों का उल्लंघन:** यह संविधान के **अनुच्छेद 14, 19, 21, 22 और 25** के तहत नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है।
• **अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन:** AFSPA का स्वरूप और इसका प्रवर्तन **निम्नलिखित का उल्लंघन करता है:**
  ○ मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा-पत्र (Universal Declaration of Human Rights: UDHR),
  ○ नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR), तथा
  ○ अत्याचार/ यातना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (Convention against Torture)।
• **जवाबदेही की कमी:** AFSPA सशस्त्र बलों को व्यापक शक्तियां प्रदान करता है और जब तक केंद्र सरकार मंजूरी नहीं दे देती, तब तक अभियोजन से भी छूट देता है।
	• **सीमाओं की रक्षा करना:** AFSPA ने सैन्य बलों को राष्ट्रीय सीमाओं की प्रभावी ढंग से रक्षा करने में सक्षम बनाया है।
	• **संवैधानिकता मान्यता: नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1997) वाद** में सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को बरकरार रखने का निर्णय दिया था। इस निर्णय में इस कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिए गए थे:
	  ○ जैसे- किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करने से पहले संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करना; स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करना आदि।
	• **उपद्रव/ विद्रोह के खिलाफ प्रभावी प्रतिक्रिया:** AFSPA विशेष रूप से कश्मीर और पूर्वोत्तर के विद्रोही समूहों से निपटने के लिए आवश्यक है।
	• **राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य:** AFSPA विप्लव और आतंकवाद के खिलाफ एक समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करता है। संभवत: इस समन्वित कार्रवाई की अलग-अलग राज्यों में कमी हो सकती है।

• **शासन व्यवस्था का सैन्यीकरण:** आलोचकों का तर्क है कि AFSPA सैन्य शासन को बढ़ावा देता है। साथ ही, संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में लोकतांत्रिक सिद्धांतों और नागरिक अधिकार को कमजोर करता है। • **केंद्र-राज्य संघर्ष:** कानून और व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। संबंधित राज्य हमेशा जमीनी/ स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष मूल्यांकन/ आकलन करने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। हालांकि, AFSPA जैसे अधिनियम शांति के समय में भी राज्यों की स्वायत्तता को कमजोर करते हैं।	• **दुरुपयोग को रोकने के उपाय: एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य वाद (2016)** में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि **सेना के जवानों द्वारा अपराध किए जाने पर भी क्रिमिनल कोर्ट द्वारा अभियोजन से पूर्ण छूट** का कोई प्रावधान नहीं है।

आगे की राह

- **विश्वास का निर्माण करना:** जमीनी स्तर के समुदायों को सशक्त बनाने तथा लोगों और सरकार के बीच अंतर को समाप्त करने के लिए एक **बॉटम-अप गवर्नेंस मॉडल** लागू करना चाहिए।
- **शांति समझौतों को प्राथमिकता देना:** AFSPA को हटाने के लिए, सरकार को सबसे पहले विद्रोही समूहों को एक स्पष्ट स्थायी शांति समझौता करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। प्रोत्साहन के रूप में ऐसे समूहों के समाज में फिर से समेकन, उनके पुनर्वास और उन्हें मुख्यधारा में लाने जैसे कदम उठाने चाहिए।
- **कनेक्टिविटी में वृद्धि:** यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के सुरक्षा परिदृश्य को सीधे तौर पर प्रभावित करेगी। साथ ही, लंबे समय में, AFSPA को पूरी तरह से हटाने में भी मदद करेगी।

- **मानवाधिकार संबंधी मानदंडों का पालन करना:** यह विद्रोह-रोधी अभियानों को मजबूत बनाता है।

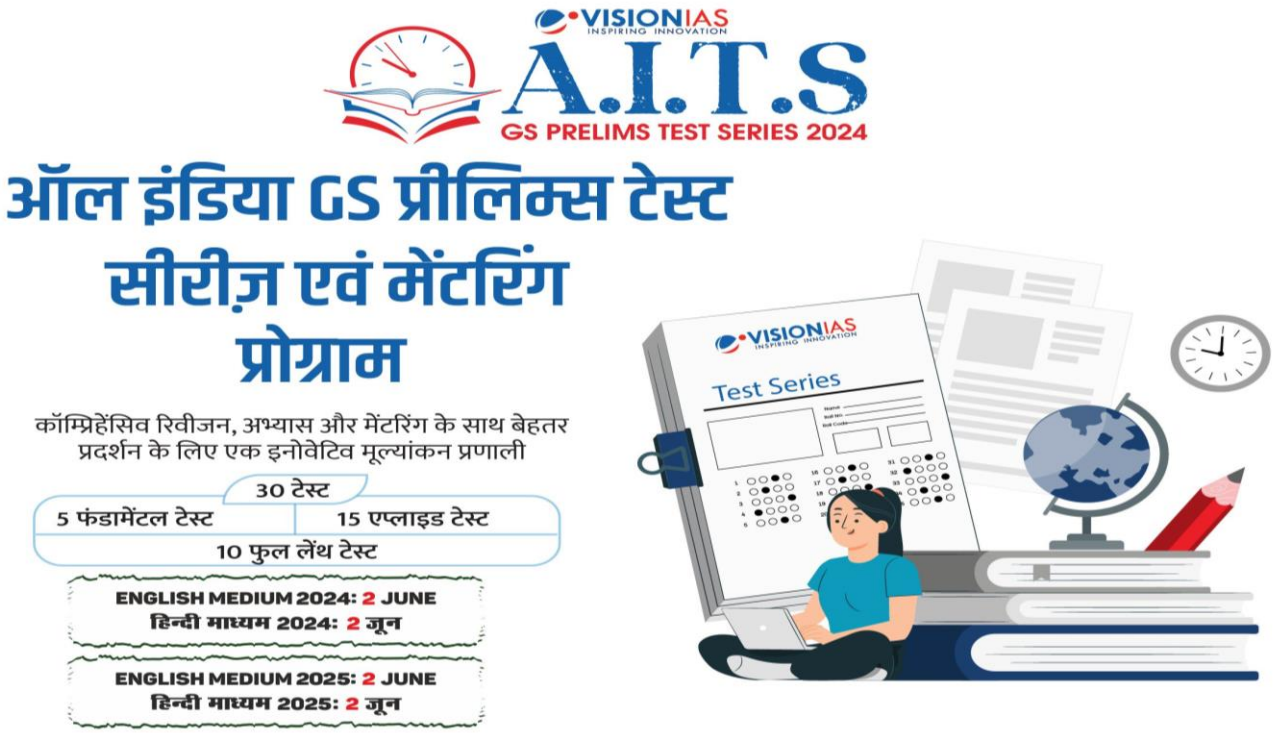

4.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

4.5.1. साइबर खतरा: मैक्रो-फाइनेंशियल स्थिरता के लिए चिंता (Cyber Risk: Concern For Macro-Financial Stability)

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने चेतावनी दी है कि बढ़ते साइबर खतरे मैक्रो-फाइनेंशियल स्थिरता के लिए गंभीर चिंता उत्पन्न कर रहे हैं।
- **IMF की 'ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट' 2024 के अनुसार:**
  - साइबर अपराध की घटनाओं से होने वाला नुकसान बढ़कर **2.5 बिलियन डॉलर** हो गया है।
  - कोविड-19 महामारी के बाद से **साइबर हमलों की संख्या लगभग दोगुनी** हो गई है।
  - कुल साइबर हमलों का लगभग **20% वित्तीय कंपनियों को झेलना** पड़ता है। **बैंक** इन हमलों से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं।
- **वित्तीय क्षेत्रक में साइबर हमलों के बढ़ने के लिए जिम्मेदार कारण**
  - **समय के साथ डिजिटल वित्तीय सेवाओं का विस्तार** हुआ है। इससे हैकर्स के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को अपना लक्ष्य बनाना काफी आसान हो गया है।
  - **आंतरिक खतरे:** कई बार यूजर या किसी संस्थान के अधिकृत कर्मचारी की संस्थान में संवेदनशील डेटा तक पहुंच होती है। यूजर या कर्मचारी अपने मौद्रिक लाभ के लिए जानबूझकर या अनजाने में इस डेटा का दुरुपयोग करता है।
  - **साइबर सुरक्षा कौशल का अभाव:** इसके कारण वित्तीय संस्थाओं पर साइबर हमलों का खतरा अधिक बढ़ गया है।
  - **भूराजनीतिक तनाव:** उदाहरण के लिए, यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद साइबर हमलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।
- **मैक्रो-फाइनेंशियल स्थिरता पर साइबर हमलों का प्रभाव**
  - किसी वित्तीय संस्थान के ग्राहकों के गोपनीय डेटा सार्वजनिक हो जाने से उस संस्थान की **कार्य-प्रणाली में विश्वास कम** होने लगता है। इसके परिणामस्वरूप, लोग शीघ्रता से उस संस्थान में जमा अपनी धनराशि निकालने लगते हैं।
  - भुगतान नेटवर्क पर साइबर हमले **व्यापार, ऑनलाइन बैंकिंग आदि सेवाओं को बाधित** कर सकते हैं। साथ ही, ये **देश की वित्तीय स्थिरता को भी कमजोर** कर सकते हैं।
  - **वित्तीय प्रणालियों के एक-दूसरे से जुड़े होने के कारण साइबर हमले वित्तीय प्रणालियों के नेटवर्क में तेजी** से फैलते हैं। इससे **बाजार की स्थिरता प्रभावित** होती है।
- **नीतिगत सिफारिशें**
  - वित्तीय फर्मों द्वारा पर्यवेक्षी एजेंसियों को **साइबर हमलों के बारे में रिपोर्टिंग करने के तंत्र को मजबूत** किया जाना चाहिए।
  - वित्तीय कंपनियों को साइबर हमलों से निपटते समय अपने परिचालन को बनाए रखने के लिए **प्रतिक्रिया और रिकवरी प्रक्रियाओं का विकास एवं परीक्षण** करना चाहिए। (इन्फोग्राफिक देखें)

4.5.2. वैश्विक सैन्य व्यय का ट्रेंड, 2023 रिपोर्ट (Trends In World Military Expenditure, 2023 Report)

- यह रिपोर्ट **स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI)** ने जारी की है।
  - सिपरी/ SIPRI की **स्थापना** 1966 में हुई थी। यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह संस्था **संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण** में अनुसंधान-कार्य करती है।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**
  - भारत 2023 में दुनिया में **चौथा सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश** था। 2023 में भारत का सैन्य व्यय 83.6 बिलियन डॉलर था।
    - **तीन सर्वाधिक सैन्य व्यय वाले देश हैं:** संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस।
  - 2023 में नाटो सदस्य देशों का कुल सैन्य व्यय 1341 बिलियन डॉलर था। यह **वैश्विक सैन्य व्यय का 55%** था।
  - 2023 में वैश्विक सैन्य व्यय, **2443 बिलियन डॉलर के सर्वोच्च स्तर पर** पहुंच गया था।
    - यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और भू-राजनीतिक तनाव के कारण सैन्य व्यय बढ़ गया है।

4.5.3. संयुक्त राष्ट्र शांति-रक्षक सेना के खिलाफ अपराधों की रोकथाम के लिए पहलें (Initiatives for Prevention of Crimes Against Peacekeepers)

- भारत के नेतृत्व वाले **ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स (GOF) ने एक नया डेटाबेस** लॉन्च किया है।
- इस डेटाबेस को शांति-सैनिकों (Peacekeepers) के खिलाफ होने वाले अपराधों को दर्ज करने और **अपराधियों को सजा दिलवाने** में हुई प्रगति की निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया है।
    - भारत ने **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** की अपनी अध्यक्षता के दौरान **'ब्लू हेलमेट'** के खिलाफ अपराधों के लिए दोषियों की जवाबदेही तय करने हेतु 2022 में **ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स** की शुरुआत की थी।
- संयुक्त राष्ट्र शांति-सेना को **सशस्त्र संघर्ष वाले क्षेत्र में शांति बनाए रखने या पुनः शांति स्थापित करने** के लिए तैनात किया जाता है। हालांकि, कभी-कभी उन्हें **तैनाती वाले क्षेत्रों में हिंसा का सामना** भी करना पड़ता है।
    - इन शांति-रक्षक बलों को **ब्लू हेलमेट** भी कहा जाता है, क्योंकि ये **नीले रंग के हेलमेट** पहनते हैं।
    - संयुक्त राष्ट्र शांति-रक्षक सेना को **1988 का नोबेल शांति पुरस्कार** दिया गया था।

4.5.4. इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (International Narcotics Control Board: INCB)

- भारत के **जगजीत पवाडिया** को INCB के लिए **फिर से निर्वाचित** किया गया है। यह उनका **तीसरा कार्यकाल (2025 से 2030)** होगा।
- **INCB के बारे में**
    - यह एक **स्वतंत्र और अर्ध-न्यायिक** निगरानी निकाय है। इसका कार्य **संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण अभिसमय** को लागू करना है।
    - इसकी स्थापना **नारकोटिक ड्रग्स पर सिंगल कन्वेंशन, 1961** के अनुसार **1968** में की गई थी।
    - **सदस्य:** इसके **13 सदस्य** हैं। सदस्यों का चुनाव **संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद** द्वारा किया जाता है।
    - **इसके कार्य के निम्नलिखित स्रोत हैं:**
        - नारकोटिक ड्रग्स पर सिंगल कन्वेंशन, 1961;
        - साइकोट्रोपिक पदार्थों पर कन्वेंशन, 1971; तथा
        - नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, 1988.

4.5.5. स्वदेशी प्रौद्योगिकी आधारित क्रूज़ मिसाइल (ITCM) का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण {Indigenous Technology Cruise Missile (ITCM) Flight Tested}

- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने देश के पूर्वी तट पर स्थित **एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR), चांदीपुर (ओडिशा)** से इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
- **स्वदेशी प्रौद्योगिकी आधारित क्रूज़ मिसाइल (ITCM)[89] के बारे में**
    - इसे **DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान (ADE)[90] ने विकसित** किया है।
    - यह एक **स्वदेशी प्रणोदन प्रणाली** (Propulsion system) द्वारा संचालित **लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल** है।
        - इसकी प्रणोदन प्रणाली **गैस टर्बाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान** ने विकसित की है।
        - क्रूज मिसाइलें **मानव रहित** होती हैं। ये वायुमंडल में ही गमन करती हैं और भूमि से कुछ मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरती हैं।
        - **सबसोनिक** क्रूज़ मिसाइल **ध्वनि की गति से कम गति (लगभग 0.8 मैक/ MACH) पर उड़ती** है।
- **भारत के पूर्वी तट से ही मिसाइल का परीक्षण एवं उपग्रह का प्रक्षेपण क्यों किया जाता है?**
    - प्रक्षेपित उपग्रहों को अंतरिक्ष में तीव्र गति से निकलना होता है ताकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे खींच नहीं ले। भूमध्यरेखा की पास घूर्णन गति अधिक होता है, इसलिए इसके नजदीक से प्रक्षेपित उपग्रह अंतरिक्ष में तीव्र गति से निकलकर पृथ्वी की परिक्रमा शुरू कर देता है।
    - इससे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए उपयोग किए जाने वाले **रॉकेट की लागत को कम करने में मदद** मिलती है।
    - उपग्रह/ मिसाइल की **विफलता के मामले में, बंगाल की खाड़ी एक सुरक्षित स्थान** प्रदान करती है। इससे **मिसाइल/ उपग्रह आंतरिक रिहायशी इलाकों** की बजाय बंगाल की खाड़ी में गिरकर नष्ट हो जाते हैं।
    - इस क्षेत्र में कोई प्रमुख **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री या एयरलाइन मार्ग नहीं है। इसलिए, किसी भी तरह से परीक्षण** किया जा सकता है।

[89] Indigenous Technology Cruise Missile

[90] Aeronautical Development Establishment

- टेस्टिंग लॉन्च के दौरान, **कुछ मौजूदा समुद्री या एयरलाइन मार्गों को बिना अधिक बाधा पैदा किए अस्थायी रूप से बंद** किया जा सकता है।

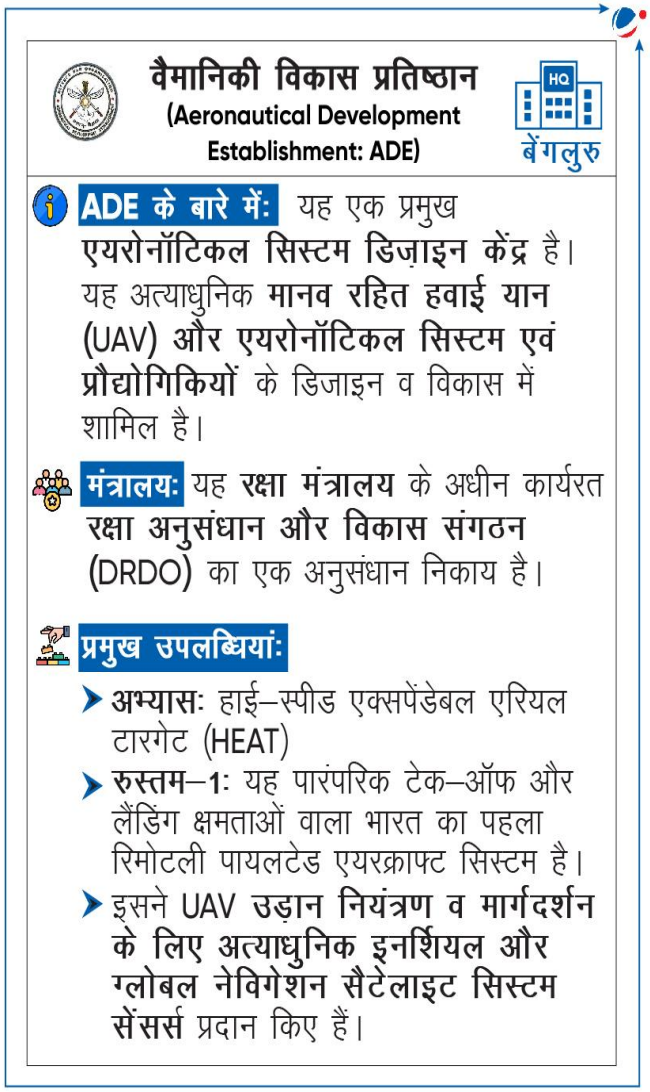

4.5.6. "अग्नि-प्राइम" का सफल परीक्षण (Agni Prime Successfully Flight-Tested)

- नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल "अग्नि-प्राइम" का सफल परीक्षण किया गया।
- अग्नि-प्राइम का परीक्षण **डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप** से किया गया है। इसका परीक्षण **सामरिक बल कमान (SFC)[91] और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)** ने किया है।
  - SFC पर देश के **सामरिक और रणनीतिक परमाणु हथियार भंडार के प्रबंधन एवं प्रशासन** की जिम्मेदारी है।
- **अग्नि प्राइम के बारे में**
  - यह **दो चरणों वाली कनस्तरीकृत ठोस प्रणोदक बैलिस्टिक मिसाइल** है। इसकी अधिकतम मारक क्षमता **1,000-2,000 कि.मी.** है।
  - यह **अग्नि सीरीज की मिसाइलों का एक परमाणु-सक्षम** उन्नत संस्करण है।
  - यह अग्नि सीरीज की सभी पुरानी मिसाइलों की तुलना में हल्की है। इसका निर्देशन **एडवांस्ड रिंग-लेजर जाइरोस्कोप पर आधारित इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम्स (INS)** द्वारा किया जाएगा।
  - **इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम (IGMDP)** की समाप्ति के बाद यह नई पीढ़ी की पहली मिसाइल है।
- **महत्त्व:**
  - इस मिसाइल में **वारहेड पहले से लगा** होता है, इसलिए इसे काफी कम समय में दागा जा सकता है।
  - इसे **कई वर्षों तक स्टोर** किया जा सकता है। समय-समय पर न्यूनतम निरीक्षण की जरुरत पड़ती है।
  - यह बहुत अधिक सटीक **निशाना लगाने वाली मिसाइल** है। यह विशेषता इसे सटीक लक्ष्य निर्धारण के लिए उपयोगी बनाती है।

इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम (IGMDP) के बारे में

- इस कार्यक्रम की **शुरुआत 1983** में की गई थी। इसका उद्देश्य **भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर** बनाना है।
- **कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित मिसाइलें:**
  - **पृथ्वी:** यह **कम** दूरी की **सतह-से-सतह** पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है।
  - **अग्नि:** यह **मध्यम** दूरी की **सतह-से-सतह** पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है।
  - **त्रिशूल:** यह **कम** दूरी में और **कम** ऊंचाई पर **सतह-से-हवा** में मार करने वाली मिसाइल है।
  - **आकाश:** यह **मध्यम** दूरी की **सतह-से-हवा** में मार करने वाली मिसाइल है।
  - **नाग:** यह **तीसरी पीढ़ी की एंटी-टैंक** मिसाइल है।

4.5.7. सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन {Submersible Platform for Acoustic Characterisation and Evaluation (SPACE)}

- SPACE, **भारतीय नौसेना के लिए सोनार सिस्टम का एक प्रमुख परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र** है।
  - इसे **रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO)** ने स्थापित किया है।

[91] Strategic Forces Command

- **SPACE के बारे में**
  - इसमें **दो अलग-अलग असेंबलीज** शामिल होंगी:
    - जल की सतह पर तैरने वाला एक **प्लेटफॉर्म; तथा**
    - एक **सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म,** जिसे पानी में **100 मीटर तक की गहराई** तक ले जाया जा सकता है।
- **महत्त्व:**
  - **सोनार सिस्टम** का मूल्यांकन किया जा सकेगा। इससे इनकी **शीघ्र तैनाती और वैज्ञानिक पैकेज की आसानी से रिकवरी** संभव हो सकेगी।
  - आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से **वायु, सतह, जल की मध्यम गहराई और जलाशय नितल** की विशेषताओं के **सर्वेक्षण, सैंपलिंग एवं डेटा संग्रह** में सहायता मिलेगी।
  - यह भारत की **पनडुब्बी-रोधी युद्ध अनुसंधान क्षमताओं** को बढ़ाएगा।

4.5.8. हाइपरसोनिक मिसाइल (Hypersonic Missile)

- रूसी राष्ट्रपति ने पुष्टि की है कि यूक्रेन-रूस युद्ध में **3M22 जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल** का इस्तेमाल किया गया था।
- **हाइपरसोनिक मिसाइल**
  - इसकी गति **मैक-5 या इससे अधिक होती है या यह ध्वनि की गति से कम-से-कम पांच गुना तेज गति** से गमन कर सकती है।
  - यह **बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में कम ऊंचाई पर उड़ान भर** सकती है। इसके चलते इसे **ट्रैक करना कठिन** हो जाता है।
  - इसकी अत्यधिक गति और पैंतरेबाजी के कारण इसके हमले से बचना बहुत कठिन हो जाता है।
  - **हाइपरसोनिक हथियार प्रणाली के दो प्रकार हैं:**
    - हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल (HGV), और
    - हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल।

4.5.9. क्रिस्टल मेज 2 (Crystal Maze 2)

- हाल ही में, भारतीय वायु सेना (IAF) ने अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में **मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल** के नए वर्जन का सफल परीक्षण किया।
- **क्रिस्टल मेज 2 (यानी रॉक्स/ ROCKS) के बारे में:**
  - **विकास**: यह **इजरायल द्वारा विकसित** मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है।
  - **मारक क्षमता:** यह **250 किलोमीटर से अधिक की दूरी** तक लक्ष्य को निशाना बनाने में सक्षम है।
  - **मिसाइल का प्रकार:** यह **हवा से सतह पर मार करने वाली** मिसाइल है।
  - **लक्ष्य:** इसे **GPS-रहित परिवेश** में अधिक महत्त्व वाले स्थिर और स्थान बदलने वाले लक्ष्यों पर हमला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
    - जैसे यह मिसाइल **लॉन्ग रेंज रडार और वायु रक्षा प्रणालियों को निशाना** बना सकती है।

4.5.10. C-डोम रक्षा प्रणाली (C-Dome Defense System)

- **इजरायल** ने पहली बार **C-डोम रक्षा प्रणाली** तैनात की है।
- **C-डोम के बारे में**
  - यह **आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली का नौसैनिक वर्जन** है। यह उन्नत बैलिस्टिक, हवाई और सतह से सतह आधारित खतरों से रक्षा करने वाली प्रणाली है।
    - आयरन डोम एक **मिसाइल रक्षा प्रणाली** है। यह तैनात और गतिमान हथियार प्रणालियों के साथ-साथ असैन्य क्षेत्रों को भी **अप्रत्यक्ष व हवाई खतरों से सुरक्षा** प्रदान करती है।
  - यह दुश्मनों के एक साथ कई केंद्रित हमलों को नष्ट करने के लिए **कम प्रतिक्रिया समय में एक साथ कई लक्ष्यों पर निशाना साधने की क्षमता** से युक्त है।
  - लक्षित निशानों का पता लगाने के लिए जहां आयरन डोम के पास अपना रडार है, वहीं C-डोम को इन लक्ष्यों का पता लगाने के लिए **जहाज के रडार के साथ एकीकृत** किया गया है।

4.5.11. सुर्ख़ियों में रहे युद्धाभ्यास (Exercises in News)

- **'गगन शक्ति' अभ्यास (Exercise 'Gagan Shakti')**
  - **भारतीय वायु सेना** के सबसे बड़े अभ्यास **'गगन शक्ति'** का आयोजन **जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज** में किया जा रहा है।
  - इस अभ्यास में **वायुसेना के सभी प्रमुख लड़ाकू विमानों और आधुनिक हेलीकॉप्टर्स द्वारा अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन** किया जा रहा है।

- **अभ्यास पूर्वी लहर या XPOL:** पूर्वी नौसेना कमान के ऑपरेशनल कंट्रोल के तहत **भारतीय नौसेना** ने पूर्वी तट पर अभ्यास पूर्वी लहर का आयोजन किया।
- **टाइगर ट्रायम्फ-24 अभ्यास (Tiger Triumph 2024):** टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का **हार्बर चरण विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश)** में आयोजित किया गया।
    - टाइगर ट्रायम्फ-24 **भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका** के बीच एक द्विपक्षीय **त्रि-सेवा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR)** अभ्यास है।

VISION IAS के PT 365 के साथ UPSC प्रीलिम्स में करेंट अफेयर्स की चुनौतियों में महारत हासिल कीजिए

करेंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें

करेंट अफेयर्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की आधारशिला है, जो प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीनों चरणों में जरूरी होता है। करेंट अफेयर्स से अपडेट रहना अभ्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा के नए ट्रेंड को समझने में सक्षम बनाता है। सही रिसोर्सेज और एक रणनीतिक दृष्टिकोण के जरिए अभ्यर्थी इस विशाल सेक्शन को अपना सकारात्मक पक्ष बना सकते हैं।

PT 365 क्या है?

PT 365 (हिंदी) डाक्यूमेंट के अंतर्गत, व्यापक तौर पर विगत 1 वर्ष (365 दिन) के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं को ठोस तरीके से कवर किया जाता है ताकि प्रीलिम्स की तैयारी में अभ्यर्थियों को सहायता मिल सके। इसे करेंट अफेयर्स के रिविजन हेतु एक डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार किया गया है।

PT365 की विशेषताएं

व्यापक कवरेज

- पूरे साल के करेंट अफेयर्स की कवरेज।
- UPSC हेतु प्रासंगिक विषय, जैसे– राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आदि।
- आगामी प्रारंभिक परीक्षा में आने वाले संभावित विषयों पर जोर।

स्पष्ट एवं संक्षिप्त जानकारी

- प्रमुख मुद्दों के लिए स्पष्ट एवं संक्षिप्त प्रस्तुति
- विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी
- तेजी से रिविजन के लिए परिशिष्ट

QR आधारित स्मार्ट क्विज

- अभ्यर्थियों की समझ और पढ़े गए आर्टिकल्स के परीक्षण के लिए QR आधारित स्मार्ट क्विज़ को शामिल किया गया है।

इन्फोग्राफिक्स

- आर्टिकल्स एवं तथ्यों को समझने और याद रखने में सहायता मिलती है।
- आर्टिकल्स को समझाने के लिए अलग–अलग तकनीक, विधियों और प्रक्रियाओं का इस्तेमाल।
- लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए मानचित्रों का रणनीतिक उपयोग किया गया है।

सरकारी योजनाएं और नीतियां

- प्रमुख सरकारी योजनाओं, नीतियों और पहलों की गहन कवरेज।

नया क्या है?

- पिछले वर्ष के प्रश्नों के पैटर्न के अनुरूप तैयार किया गया है।

PT 365 का महत्त्व

रिविजन में आसानी: कंटेंट को विषयों या टॉपिक्स के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिससे अभ्यर्थी आसानी से टॉपिक खोज सकते हैं और रिविजन आसान हो जाता है।

वैल्यू एडिशन: इसमें ऐसे इन्फोग्राफिक्स, संबंधित घटनाक्रम या सुर्ख़ियाँ शामिल हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करते हैं।

क्रिस्प मटेरियल: आर्टिकल्स में क्रिस्प पॉइंट्स का प्रयोग किया गया है। इससे अभ्यर्थियों को सीमित समय में आसानी से कई बार रिविजन करने में सुविधा मिलती है।

इंटीग्रेटेड एप्रोच: UPSC में पूछे गए प्रश्नों के पिछले ट्रेंड के अनुरूप ही करेंट अफेयर्स की सभी बुनियादी अवधारणाओं और सूचनाओं को स्पष्ट तरीके से शामिल किया गया है। इससे स्टेटिक पार्ट और महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को एकीकृत करने में भी मदद मिलती है।

और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

PT 365 एक भरोसेमंद रिसोर्स है जिसने पिछले कुछ वर्षों में लाखों अभ्यर्थियों को समग्र तरीके से करेंट अफेयर्स को कवर करने में मदद की है। इसकी प्रभावशाली विशेषताओं की वजह से UPSC सिविल सेवा परीक्षा में करेंट अफेयर्स को समझने और सफल होने में अभ्यर्थियों को मदद मिलती है।

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. पर्यावरणीय मुद्दों का संवैधानिकीकरण (Constitutionalization of Environmental Issues)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में यह टिप्पणी की कि "जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार" को संविधान के **अनुच्छेद 14 और 21** के तहत मान्यता दी जानी चाहिए।

अन्य संबंधित तथ्य

- **संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 में क्या कहा गया है?**
  - भारत के संविधान के **अनुच्छेद 14** में सभी व्यक्तियों को **"विधि के समक्ष समता"** तथा **"विधियों के समान संरक्षण"** का मूल अधिकार दिया गया है।
  - संविधान के **अनुच्छेद 21** में **"प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता** यानी **जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण"** को मूल अधिकार घोषित किया गया है। इसमें यह उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति को **विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया** के अतिरिक्त, उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने **एम.के. रणजीतसिंह और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य वाद** में अपना फैसला सुनाते हुए उपर्युक्त टिप्पणी की है। गौरतलब है कि इस वाद में **ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और उसके पर्यावास के संरक्षण** के लिए एक रिट याचिका दायर की गई थी।
- यह एक ऐसा उदाहरण है जहां सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए **संविधान में शामिल कुछ मूल अधिकारों के दायरे को बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग** किया है। ये मूल अधिकार हैं:
  - **अनुच्छेद 21:** जीवन का अधिकार,
  - **अनुच्छेद 14:** समता का अधिकार, और
  - **अनुच्छेद 19:** अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, आदि

नोट: *एम.के. रणजीतसिंह और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य वाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अगले आर्टिकल में चर्चा की गई है।*

पर्यावरणीय अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट को संविधान से मिली शक्तियां

- **अनुच्छेद 32:** सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा के लिए दिशा-निर्देश, आदेश या रिट जारी कर सकता है (**अनुच्छेद 226** के तहत देश के सभी हाई कोर्ट भी ऐसा कर सकते हैं।)
  - इसे **अनुच्छेद 13(2)** के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। गौरतलब है कि **अनुच्छेद 13(2)** राज्य को ऐसा कोई भी कानून बनाने से रोकता है जो मूल अधिकारों का हनन करते हैं या जिनसे मूल अधिकारों में कटौती होती है।
- **अनुच्छेद 142:** यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में **'पूर्ण न्याय (Complete justice)' करने के लिए डिक्री या आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान** करता है।

पर्यावरणीय मुद्दों के संवैधानिकीकरण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के अन्य फैसले

- **रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट सेंटर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद (1988):** इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के **अनुच्छेद 21** के हिस्से के रूप में स्वस्थ वातावरण यानी बेहतर पर्यावरण में रहने के अधिकार को मान्यता दी थी।
- **एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ वाद (1987):** संविधान के **अनुच्छेद 21** के तहत **प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के अधिकार** को जीवन के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा माना गया है।
- **वीरेंद्र गौर बनाम हरियाणा राज्य वाद (1995):** इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण तथा वायु एवं जल प्रदूषण से मुक्त पारिस्थितिक संतुलन को **अनुच्छेद 21 का हिस्सा** बताया था।
- **टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ और अन्य वाद (1996):** इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हरे भरे क्षेत्रों की प्रकृति, वर्गीकरण या स्वामित्व की परवाह किए बिना **"वन (Forest)" के अर्थ का विस्तार** किया था। इसका उद्देश्य हरित क्षेत्रों का संरक्षण करना था।

शब्दावली को जानें

- **एहतियाती सिद्धांत (Precautionary principle):** यह सिद्धांत नीति-निर्माताओं को पर्यावरण या स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे स्पष्ट वैज्ञानिक साक्ष्य न होने पर सावधानी बरतने को कहता है।
- **प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान का सिद्धांत (Polluter pays principle):** यह सिद्धांत प्रदूषण उत्पन्न करने वालों द्वारा ही प्रदूषण के प्रबंधन की लागत उठाने की बात करता है।

- **वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ वाद (1996):** सुप्रीम कोर्ट ने माना कि **"एहतियाती सिद्धांत[92]"** और **"प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान का सिद्धांत[93]"** वस्तुतः "संधारणीय विकास" की अनिवार्य विशेषताएं हैं।

पर्यावरण के संबंध में अन्य संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 48A:** राज्य, देश के पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा वन एवं वन्य जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा।
- **अनुच्छेद 51A(g):** प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वन, झील, नदी और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उन्हें बढ़ावा दे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे।

"जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार" को लागू करने में चुनौतियां

- **न्याय मिलने में देरी:** यदि इसे एक मूल अधिकार के तौर लागू किया जाता है तो अत्यधिक बोझ तले दबी हमारी न्यायिक प्रणाली पर **पर्यावरणीय विवादों से जुड़े मामलों का बोझ और बढ़ जाएगा।** ऐसे में पर्यावरणीय विवादों और मामलों को सुलझाने में भी देरी हो सकती है, जिससे इन अधिकारों को लागू करना और उन्हें अमल में लाने का कार्य प्रभावित हो सकता है।
- **प्रदूषणकर्ता की पहचान करने में कठिनाई:** प्रदूषण के लिए कोई एक व्यक्ति या कंपनी जिम्मेदार नहीं होती है, इसके लिए कई गतिविधियों की एक श्रृंखला को जिम्मेदार माना जाता है। इससे प्रदूषण के स्रोत की पहचान करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **विकासात्मक कार्य और पर्यावरणीय कानून में टकराव:** प्रायः पहले से निर्मित हो चुकी अवसंरचना परियोजनाओं के खिलाफ ही पर्यावरणीय कानून और न्यायिक निर्णयों का टकराव देखने को मिलता है।
- **पर्यावरणीय प्रभावों की पहचान करने और उनका समाधान करने में कठिनाई:** स्पष्ट प्रावधानों की कमी के कारण विकासात्मक परियोजनाओं एवं उद्योग से संबंधित जोखिमों की पहचान करने में कठिनाई आती है।
- **कमजोर निगरानी:** राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCBs)[94] जैसे विनियामक निकायों के पास नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी है। हालांकि, उन्हें अपने निगरानी कार्यों के लिए अपर्याप्त धन, आधुनिक उपकरणों और आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी आदि से जूझना पड़ता है।
- **जन जागरूकता और लोगों में संवेदनशीलता की कमी:** अधिकांश लोग पर्यावरण के प्रति अपने अधिकारों और कर्तव्यों से अनभिज्ञ हैं।

आगे की राह

- **प्रभावी तरीके से लागू करना:** सरकार पर्यावरणीय अधिकारों तथा इनसे संबंधित नियमों एवं दिशा-निर्देशों को ठीक से लागू करने में आने वाली बाधाओं और न्यायिक देरी की समस्या से निपटने के लिए अलग संस्थाएं स्थापित कर सकती है। इसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) जैसी संस्था की स्थापना की जा सकती है।
- **वैश्विक स्तर पर कार्रवाई:** चूंकि पर्यावरण संबंधी चिंता अक्सर किसी देश की सीमाओं तक सीमित नहीं होती, इसलिए पेरिस समझौते के तहत विभिन्न देशों द्वारा की गई प्रतिबद्धता को पूरा करने पर बल दिया जाना चाहिए।
- **जलवायु परिवर्तन संबंधी कानून:** जलवायु परिवर्तन और संबंधित चिंताओं से निपटने और उसे दूर करने के लिए एक व्यापक कानून की आवश्यकता है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने **एम.के. रणजीतसिंह और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य वाद** में इसकी आवश्यकता पर भी बल दिया है।
- **संस्थागत क्षमता को मजबूत करना:** यह कार्य पर्यावरणीय मामलों से निपटने वाली संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय संसाधन आवंटित करके और उनके क्षमता निर्माण में निवेश कर किया जा सकता है।
- **अधिकारों के बारे में जागरूकता: यूरोपियन कोर्ट ऑफ़ ह्यूमन राइट्स** ने अपने कई फैसलों में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ आम जन की ओर से कानूनी मुकदमों का समर्थन किया है। ऐसे उदाहरण विश्व स्तर पर जागरूकता पैदा कर सकते हैं।

5.1.1. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण {Protection of Great Indian Bustard (GIB)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पर्यावास वाले इलाकों में ओवरहेड हाई-वोल्टेज और लो-वोल्टेज वाली बिजली लाइनों को जमीन के नीचे बिछाने हेतु दिए गए अपने पहले के **व्यापक दिशा-निर्देश को संशोधित** किया है।

इस मामले की पृष्ठभूमि

- गौरतलब है कि 2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में **सभी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना पर प्रतिबंध** लगा दिया था। इस फैसले में ही कोर्ट ने ओवरहेड बिजली लाइनों को जमीन के नीचे बिछाने हेतु व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए थे।

---

[92] Precautionary Principle

[93] Polluter Pays Principle

[94] State Pollution Control Boards

- सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश में संशोधन के लिए MoEF&CC[95], विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक याचिका दायर की थी।
- सुप्रीम कोर्ट ने 2021 वाले अपने फैसले में **निम्नलिखित के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए थे:**
    - कोर्ट ने एक **समिति** नियुक्त की थी। इस समिति को **ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB)** के पर्यावास वाले हर इलाके को ध्यान में रखते हुए **ओवरहेडेड हाई-वोल्टेज लाइनों को भूमि के नीचे बिछाने के कार्य का मूल्यांकन करने का जिम्मा सौंपा गया था।**
    - **कम वोल्टेज वाली सभी बिजली लाइनों** को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के "प्राथमिकता/ मूल (Priority)" और भविष्य के "संभावित (Potential)" पर्यावास वाले इलाकों में भूमिगत बिछाने का निर्देश दिया गया था।
    - जब तक ओवरहेड हाई-वोल्टेज वाली बिजली लाइनों को भूमि के नीचे नहीं बिछा दिया जाता, तब तक मौजूदा बिजली लाइनों पर **बर्ड डायवर्टर स्थापित करने हेतु कहा गया था।**

सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में अब क्या कहा

- कोर्ट ने GIB के पर्यावास वाले सभी इलाकों में हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज बिजली लाइनों को भूमिगत करने के लिए दिए गए अपने पहले के **व्यापक दिशा-निर्देश** को वापस ले लिया है।
- **अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जो-**
    - GIB के लिए प्राथमिकता वाले इलाकों के रूप में पहचाने गए पर्यावास में **ओवरहेड और भूमिगत विद्युत लाइनों की संभावना/ दायरा, व्यवहार्यता और सीमा निर्धारित करेगी।**
    - मध्य-पूर्व के देशों में **होउबारा बस्टर्ड** नामक इसी तरह की एक प्रजाति के संरक्षण के लिए किए जा रहे **अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सर्वोत्तम उपायों का अध्ययन करेगी।**
    - GIB के साथ-साथ उनके पर्यावास में रहने में वाले अन्य जीवों की **सुरक्षा और संरक्षण हेतु उपाय बताएगी।**

सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के अपने फैसले को क्यों पलटा?

- **GIB की आबादी में कमी के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं,** जैसे- उनके बीच कम प्रजनन दर, पर्यावास का विखंडन, पर्यावास की हानि, प्रिडेटर्स की उपस्थिति, प्रे यानी शिकार/ आहार की हानि, आदि।
- **भूमिगत केबल बिछाने में समस्याएं:** उदाहरण के लिए-
    - जिन किसानों की जमीन के नीचे केबल बिछाई गई है, उनकी जान को खतरा;
    - उच्च पारेषण (Transmission) हानि;
    - बिजली संयंत्र के डाउनटाइम में वृद्धि;
    - रेगिस्तानों में हाई वोल्टेज वाली भूमिगत लाइनों को बिछाना असुरक्षित और अव्यवहारिक, दोनों है;
    - भूमिगत बिजली लाइनों की उच्च लागत;
    - भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दे; आदि।
- सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में यह भी कहा कि **जैव विविधता की सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के बीच दुविधा** है।

सुप्रीम कोर्ट ने किन दुविधाओं का उल्लेख किया

- **जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता:** राजस्थान और गुजरात, दोनों GIB के पर्यावास वाले प्राथमिक क्षेत्र हैं। दूसरी ओर, ये दोनों राज्य सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए अति महत्वपूर्ण भी हैं।
    - गौरतलब है कि भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC)[96] के तहत वर्ष 2030 तक, गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से कुल 50% बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है।

---

[95] Ministry of Environment, Forests and Climate Change/ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

[96] Nationally Determined Contribution

- **GIB के समक्ष खतरा:** GIB के पर्यावास में **सौर ऊर्जा संयंत्र** या **विंड मिल** जैसी परियोजनाएं **क्रिटिकली एंडेंजर्ड** ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अस्तित्व को संकट में डाल सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस दुविधा का समाधान करने के लिए क्या कहा

- पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समता, आर्थिक समृद्धि और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को शामिल करते हुए **GIB के संरक्षण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है।**
- **सरकार और न्यायालय, दोनों को एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए,** ताकि उपर्युक्त दोनों में से किसी भी लक्ष्य को एक-दूसरे की कीमत पर हासिल न किया जाए।
- **जलवायु परिवर्तन से निटपने के लिए राष्ट्रीय लक्ष्यों को निर्धारित करते समय** संधारणीय विकास की समग्र समझ की आवश्यकता है। इससे दीर्घकालिक संधारणीयता सहित तत्काल जरूरतों को संतुलित किया जा सकता है।
- संधारणीय विकास के साथ-साथ GIB के संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने **एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है।**

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में

- **विशेषताएं:**
  - ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की नर प्रजाति के गर्दन के नीचे **बड़ी काली धारियां (मुकुट के समान)** होती हैं।
  - यह **भारतीय उपमहाद्वीप की एक स्थानिक प्रजाति** है। यहां की **कृषि-घासभूमि** इनका मुख्य पर्यावास है।
  - यह **सर्वाहारी (Omnivorous) पक्षी** है।
- **पर्यावास (Habitat):**
  - यह प्रजाति मुख्य रूप से राजस्थान के **थार रेगिस्तान** में रहती है। इनकी **कुल आबादी लगभग 100** के आस-पास है।
  - राजस्थान के अलावा, इनकी कुछ आबादी **गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश** में भी पाई जाती है।

5.2. भारत में पर्यावरणीय आंदोलन (Environmental Movements in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2023 में चिपको आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी।

चिपको आंदोलन के बारे में

- चिपको आंदोलन वनों की कटाई के खिलाफ एक अहिंसक प्रतिरोध था। यह आंदोलन, उत्तराखंड के चमोली जिले के रेनी गांव में शुरू हुआ था।
- **'चिपको' का अर्थ:** इसका शाब्दिक अर्थ है- **'आलिंगन'/'Embrace'**। इस आंदोलन के दौरान ग्रामीण आंदोलनकारी वृक्षों को काटे जाने से रोकने के लिए चिपककर उन्हें अपने गले लगा लेते थे।
- **आंदोलन की उत्पत्ति: मूलतः 'चिपको आंदोलन' की शुरुआत 18वीं शताब्दी में राजस्थान के बिश्नोई समुदाय** ने पवित्र वृक्षों की रक्षा के लिए की थी।
  - वहां पर इस आंदोलन का नेतृत्व **अमृता देवी ने जोधपुर के तत्कालीन राजा के आदेश के विरुद्ध** किया था।
  - इस आंदोलन के परिणामस्वरूप एक शाही आदेश पारित किया गया, जिसमें **सभी बिश्नोई समुदायों के गांवों में पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध** लगा दिया गया था।
- **आंदोलन के नेता और कार्यकर्ता:** इस आंदोलन में मुख्य रूप से ग्रामीण महिलाओं ने अपने निर्वाह के साधनों और समुदायों की रक्षा के लिए भागीदारी की थी।
  - **प्रमुख नेतृत्वकर्ता:** सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी आदि।
- चिपको आंदोलन **'इको-फेमिनिज्म'** दर्शन का उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह आंदोलन **वन संरक्षण के प्रयासों में महिलाओं की सामूहिक लामबंदी** के लिए प्रसिद्ध है।

इको-फेमिनिज्म के बारे में

- **इको-फेमिनिज्म: इको-फेमिनिज्म:** यह **दार्शनिक और राजनीतिक** आंदोलन का एक रूप है, जिसमें **पारिस्थितिक मुद्दों और उनके समाधान में महिलाओं की भूमिका के महत्त्व** को उजागर किया जाता है।
  - इको-फेमिनिज्म की विचारधारा के अनुसार, हमारी संस्कृति पर एक **पूंजीवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था का प्रभुत्व** है। इस विचारधारा के समर्थकों का मानना है कि पूंजीवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में **सामाजिक मूल्य और नैतिकता का निर्धारण एक ऐसे वर्ग द्वारा किया जाता है, जो लाभ से प्रेरित होने के साथ-साथ लिंगभेदी और पुरुष-केंद्रित** भी है।
- **इको-फेमिनिज्म के उद्भव के पीछे कारण:**
  - प्राकृतिक पर्यावरण के दोहन और उसे नुकसान पहुंचाने तथा पितृसत्तात्मक समाजों में महिलाओं के दमन के बीच **परस्पर संबंध** से इको-फेमिनिज्म का उदय हुआ।
  - इको-फेमिनिज्म के उद्भव का एक अन्य कारक महिलाओं द्वारा संजो के रखी गई संधारणीय प्रथाओं से संबंधित पारंपरिक ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना भी है।
  - **महिलाओं के जीवन के अनुभवों ने भी इको-फेमिनिज्म के उदय में मुख्य कारक** की भूमिका निभाई है। महिलाओं का प्राचीन काल से ही प्रकृति और अपने आस पास के पर्यावरण के साथ घनिष्ठ जुड़ाव रहा है। महिलाएं अपनी कई घरेलू आवश्यकताओं जैसे खाना पकाने के लिए लकड़ी, पानी आदि की पूर्ति हेतु मुख्य भूमिका निभाती रही हैं।
- **मौजूदा दौर में इको-फेमिनिज्म की प्रासंगिकता:**
  - यह दर्शन **पूंजीवादी शोषण की आलोचना** करता है;
  - **यह पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान के महत्त्व** पर बल देता है; और
  - **यह पर्यावरणीय न्याय की मान्यता** का समर्थन करता है।

अन्य प्रमुख पर्यावरण आंदोलन

- **साइलेंट वैली मूवमेंट (1973):** यह आंदोलन केरल के पलक्काड जिले में कुंथिपुझा नदी पर बनने वाली **एक जलविद्युत परियोजना के विरोध में चलाया गया** था।
- **अप्पिको आंदोलन (1983):** यह आंदोलन कर्नाटक में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में चलाया गया था। यह चिपको आंदोलन से प्रेरित था। इसके तहत **कर्नाटक के पश्चिमी घाट में महिलाओं ने वनों की कटाई को रोकने के लिए वृक्षों को गले लगा** लिया था।
- **नर्मदा बचाओ आंदोलन (1985):** इसका नेतृत्व पर्यावरण कार्यकर्ता **मेधा पाटकर** ने नर्मदा पर बड़े बांध बनाने के खिलाफ किया था।
- **अन्य महत्वपूर्ण पर्यावरणीय आंदोलन:** चिल्का बचाओ आंदोलन, काशीपुर में बॉक्साइट खनन के खिलाफ आंदोलन, गंधमर्दन पर्यावरण संरक्षण आंदोलन आदि।

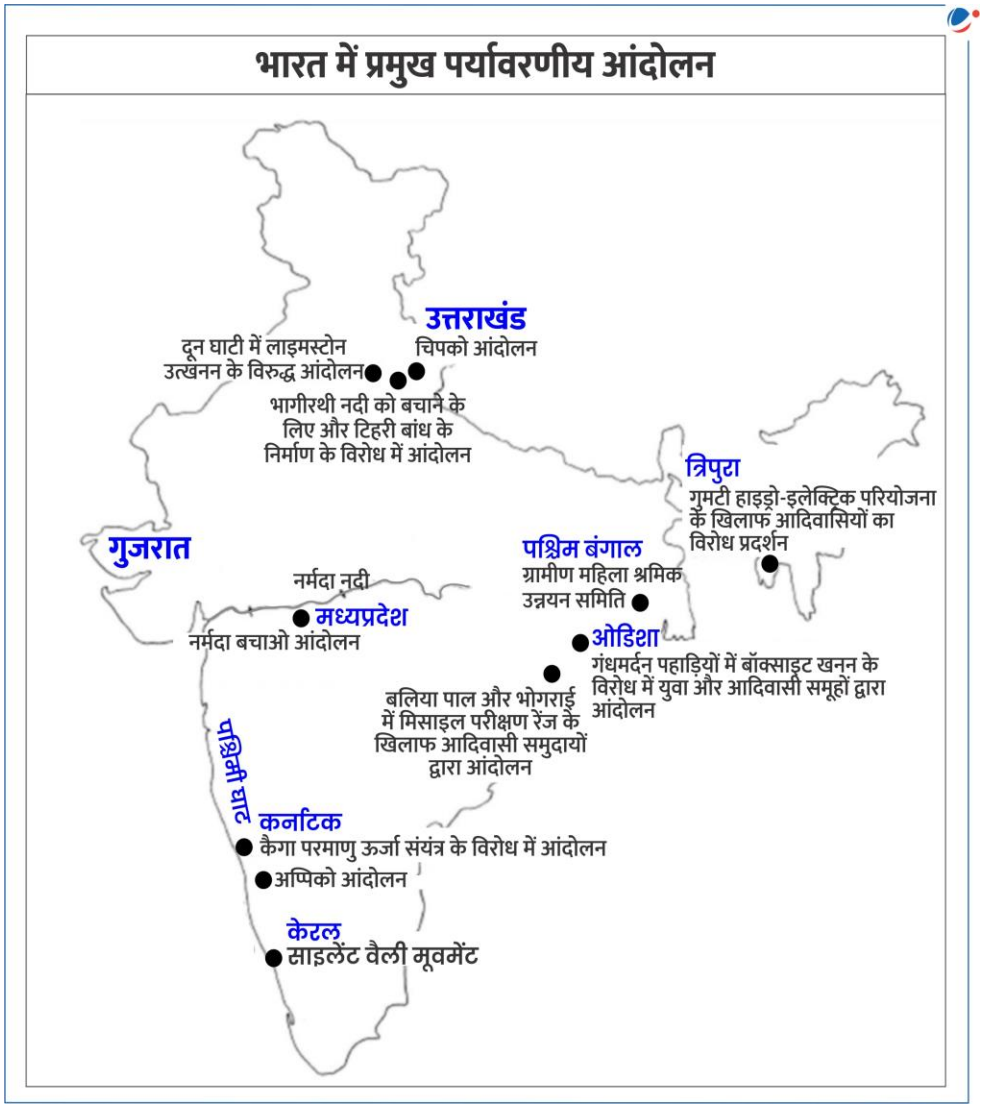

भारत में पर्यावरण आंदोलन का प्रभाव

- **महिलाओं को नेतृत्व का अवसर:** कई पर्यावरण आंदोलनों में महिलाओं ने लीडर और भागीदार, दोनों के रूप में आंदोलनों का नेतृत्व किया। जैसे- मेधा पाटकर, गौरा देवी।

- **पर्यावरण नीति और कानूनों को प्रभावित करना:** इन आंदोलनों ने वन अधिकार अधिनियम 2006 जैसे कानूनों के निर्माण को प्रभावित किया, जिसके तहत वन प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी को शामिल किया गया है।
- **अहिंसक आंदोलनों की विरासत को बरकरार रखना:** लगभग सभी आंदोलनों में, लोगों ने अहिंसा और सत्याग्रह की गांधीवादी अवधारणा को अपनाया है।
- **संधारणीय विकास:** इन आंदोलनों ने जागरूकता का प्रसार करके और सार्वजनिक समर्थन जुटा कर पर्यावरण की कीमत पर विकास करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया। जैसे- नर्मदा बचाओ आंदोलन।
- **सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना:** इन आंदोलनों ने इस बात पर बल दिया कि देशज और स्थानीय समुदाय प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त हितधारक हैं, क्योंकि उनकी संस्कृति और पर्यावरण आपस में काफी घनिष्ठता से जुड़ी हुई है।
- **'गरीबों के पर्यावरणवाद' की विचारधारा की वकालत की:** इन आंदोलनों ने आधुनिक विकासवाद की आलोचना की और पारंपरिक संधारणीय प्रथाओं के पुनरुद्धार पर बल दिया है।

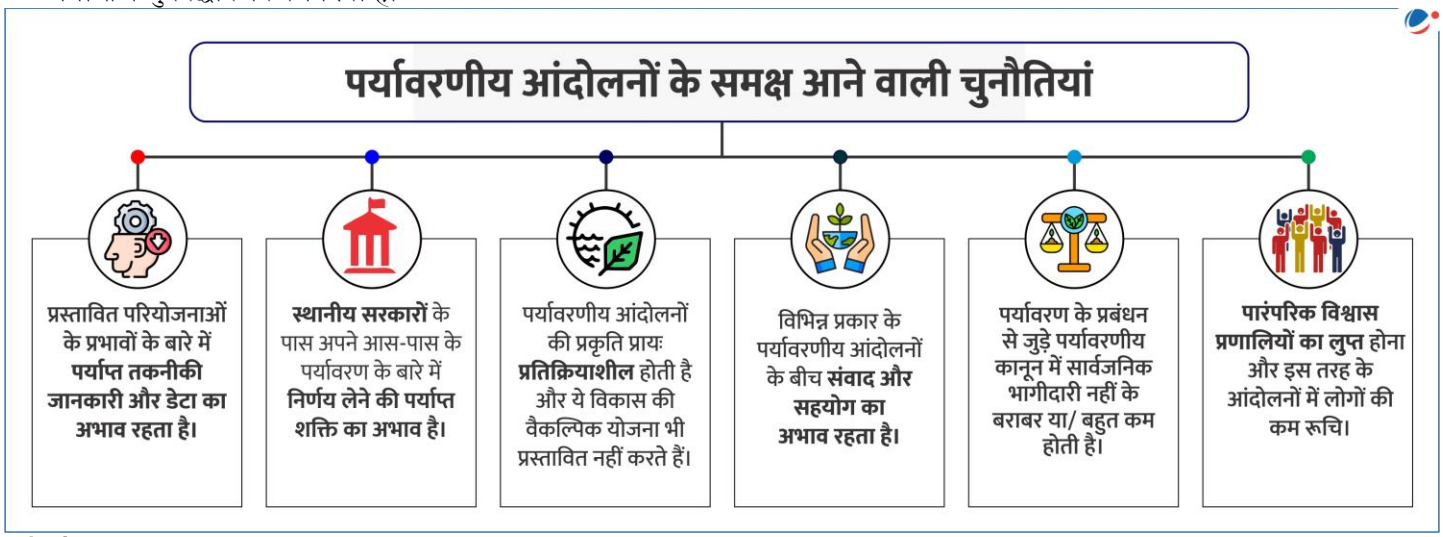

आगे की राह

- इन आंदोलनों के जरिए **वैकल्पिक जन अनुकूल विकास योजनाओं** की रूपरेखा प्रस्तुत की जा सकती है। यह संधारणीय और समानता पर आधारित समाज का निर्माण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
- लोगों को अपने पर्यावरण के प्रबंधन के मामले में अधिक नियंत्रण प्रदान करने वाले कानूनों के लिए अभियान चलाकर विकास में आम जन की भागीदारी को बढ़ाना चाहिए।
    - उदाहरण के लिए, परियोजना के स्वामियों के बजाय उससे **प्रभावित होने वाली आबादी द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के लिए अभियान** चलाया जा सकता है।
- आंदोलनों के आधार में **तकनीकी और डेटा संबंधी ज्ञान** को भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि की जाने वाली मांगें प्रभावित लोगों के लिए अधिक फायदेमंद हो सकें।
- संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण जैसे **स्थानीय और वैश्विक मुद्दों** को संधारणीयता जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों से जोड़ना चाहिए।
- **आंदोलनों के साथ-साथ व्यक्तिगत कार्रवाई को भी बढ़ावा देना** चाहिए। **उदाहरण के लिए, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली (LiFE) पहल** लोगों को जीवन के पारंपरिक तरीके के आधार पर 'प्रो-प्लैनेट पीपल' बनने के लिए प्रेरित करने वाला एक सार्वजनिक आंदोलन है।

संधारणीय विकास के लिए भारतीय रीति-रिवाज और परंपरा

- **उदार पूंजीवाद:** जैसा कि गांधीजी की सर्वोदय की अवधारणा में देखा जा सकता है, भारतीय परंपरा सभी के उत्थान और सभी को समान अवसर प्रदान करने में विश्वास करती है।
- **चक्रीय अर्थव्यवस्था:** भारत में संसाधनों का यथासंभव लंबे समय तक उपयोग करने तथा वस्तुओं और सामग्रियों की उपयोग अवधि के पूर्ण होने के बाद उनसे जरूरी घटकों की रिकवरी और उनसे नए उत्पाद बनाने का चलन भी रहा है। जैसे- पुराने कपड़ों का अन्य कार्यों में दोबारा उपयोग करना आदि।
- **ऊर्जा संरक्षण:** भारत में पारंपरिक घर निर्माण पद्धति में बांस, पत्थर और मिट्टी जैसी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। ऐसे घरों को ठंडा या गर्म बनाए रखने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
- **पवित्र उपवन:** ये वनों या प्राकृतिक वनस्पतियों के क्षेत्र होते हैं, जो आमतौर पर स्थानीय देवी या देवताओं (उदाहरण - अय्यनार और अम्मान) या पवित्र वृक्ष आत्माओं (वन देवता) को समर्पित होते हैं।
    - इन परंपराओं से कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, जैव विविधता एवं मृदा में नमी बनाए रखने में काफी मदद मिलती है।

- **जीवों का संरक्षण:** भारत में, जीव प्रतीकात्मक रूप से देवी-देवताओं के वाहन के रूप में या स्वयं देवताओं के रूप माने जाते हैं।
- **स्वास्थ्य:** भारत पारंपरिक औषधीय प्रणालियों - आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी के लिए जाना जाता है।

5.3. सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप्स कांफ्रेंस (Sustainable Finance for Tiger Landscapes Conference: SFTLC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, SFTLC की मेजबानी **भूटान सरकार** द्वारा की गई और इसका समर्थन **टाइगर संरक्षण गठबंधन** ने किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF) के अनुमान के अनुसार, 2020 में एशिया में **शेष बचे अंतिम बाघ परिदृश्य (Tiger Landscape) को सुरक्षित करने के लिए प्रति वर्ष 138 मिलियन अमेरिकी डॉलर** की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता थी।
  - बाघों की आबादी **2010 में 3,200 थी, जो बढ़कर 12 वर्षों में लगभग 4,500** हो गई है। हालांकि, 2010 की तुलना में बाघ अब कम क्षेत्रों में रहते हैं।
  - वर्तमान में, बाघ परिदृश्य एशिया में **बाघ के मूल परिदृश्य के 8% से भी कम हिस्से** पर फैला हुआ है।
  - बाघ पर्यावास के पारिस्थितिक रूप से आपस में जुड़े क्षेत्रों के विशाल दायरे को ही बाघ परिदृश्य कहते हैं।
- वित्त के अलावा, बाघों के परिदृश्य पर अवसंरचना के विकास का भी प्रभाव पड़ता है।
  - उदाहरण के लिए- राजस्थान में स्थित मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से गुजरने वाली 8 लेन की सड़कों वाले ग्रीनफील्ड हाईवे के विकास के कारण बाघ परिदृश्य का विखंडन हुआ है।
- SFTLC का उद्देश्य **नई वित्तीय रणनीतियों** का उपयोग करके और वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा देकर **बाघ संरक्षण और बाघ परिदृश्य** के लिए समर्थन को बढ़ावा देना है, जैसा कि **पारो स्टेटमेंट (Paro statement)** में कहा गया है।
  - इसका लक्ष्य **2034** तक बाघ संरक्षण के लिए **1 बिलियन अमेरिकी डॉलर** की अतिरिक्त धनराशि जुटाना है।

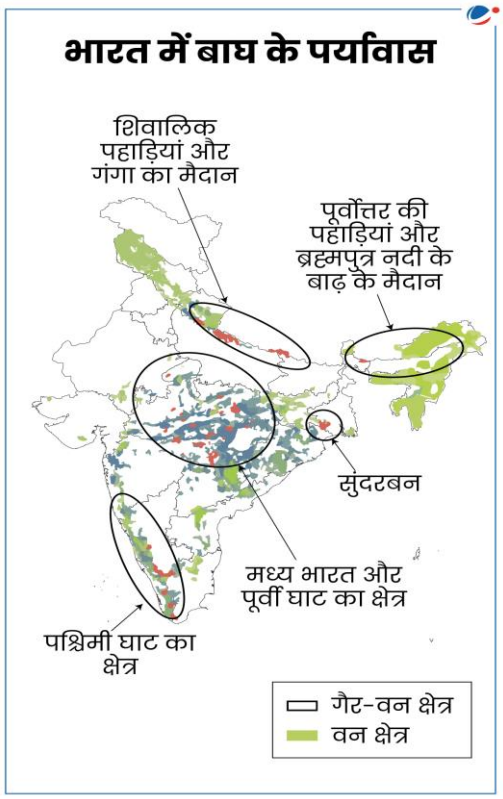

इस सम्मेलन में सस्टेनेबल फाइनेंस हेतु की गई पहलें

- **टाइगर लैंडस्केप्स इंवेस्टमेंट फंड:** इस फंड को UNDP द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह डेवलपमेंट के लिए एक नया मिश्रित वित्तीय तंत्र है जो प्रकृति-अनुकूल कार्यों को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। इससे बाघों, जैव विविधता और लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
  - प्रकृति-अनुकूल कार्यों से तात्पर्य ऐसी नवीन रणनीतियों को अपनाने से है जो न केवल पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करती है बल्कि सक्रिय रूप से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा भी देती है।
- **टाइगर बॉण्ड्स:** एशियाई विकास बैंक का उद्देश्य निजी क्षेत्रक के निवेशकों को जोड़ने और प्रकृति आधारित समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए **टाइगर बॉण्ड्स** जैसे नवीन वित्तीय साधनों का उपयोग करना है।

- **बाघ संरक्षण गठबंधन (Tiger Conservation Coalition) संगठनों का एक स्वतंत्र समूह है** जो बाघ संरक्षण के लिए एक साझा दृष्टिकोण के तहत व्यापक रूप से मिलकर काम करता है।
  - **बाघ संरक्षण गठबंधन का उद्देश्य** बाघों का संरक्षण करना है। इसके लिए यह वन्यजीव अपराध, मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व आदि के क्षेत्र से संबंधित अग्रणी जीवविज्ञानी एवं विशेषज्ञों को एकजुट करता है।
  - इसके सदस्य संगठनों में प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN)[97], संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)[98], वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) आदि शामिल हैं।
- **टाइगर रेंज देशों** में बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं।

[97] International Union for Conservation of Nature

[98] वन्यजीव संरक्षण सोसायटी (Wildlife Conservation Society)

बाघ परिदृश्य के संरक्षण की क्या आवश्यकता है?

- **बाघ अम्ब्रेला प्रजाति के रूप में:** अम्ब्रेला प्रजाति के रूप में किसी प्रजाति को मान्यता मिलने का अर्थ है कि उस प्रजाति की आबादी संबंधित जैव विविधता के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
  - शीर्ष शिकारी के रूप में, बाघ शिकार प्रजातियों की आबादी को नियंत्रित करते हैं और खाद्य श्रृंखला में अन्य प्रजातियों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं।
- **सांस्कृतिक पहचान:** बाघ एशिया की सांस्कृतिक पहचान और विरासत में गहराई से जुड़ा हुआ है। कई संस्कृतियों में बाघ सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं का अभिन्न अंग है और पूजनीय भी है एवं उसे शक्ति, साहस और सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है।
- **जलवायु परिवर्तन का शमन:** विशाल क्षेत्रों में फैले अविखंडित वनों का संरक्षण करने से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और **इबोला जैसी ज़ूनोटिक बीमारियों के प्रसार को नियंत्रित** करने में मदद मिल सकती है।

__नोट:__ प्रोजेक्ट टाइगर एवं बाघ के बारे में और अधिक जानकारी के लिए जनवरी, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 5.1. देखें।

5.4. ई-अपशिष्ट (E-waste)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2024** जारी किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह रिपोर्ट निम्नलिखित की साझेदारी में वित्त-पोषित और तैयार की गई है:
  - **संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (UNITAR)**[99] के **सस्टेनेबल साइकिल्स (SCYCLE) कार्यक्रम,**
  - **अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU)**[100] और
  - फोंडेशन कार्मिग्नैक (Fondation Carmignac)
- **UNITAR,** संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की एक समर्पित प्रशिक्षण शाखा है। यह व्यक्तियों, संगठनों और संस्थानों को नवाचारी शिक्षण समाधान प्रदान करती है।
  - SCYCLE की शुरुआत 2022 में UNITAR **डिवीजन फॉर प्लैनेट** के तहत एक प्रोग्राम के रूप में हुई थी।
  - इसका मिशन **विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (EEE)**[101] आदि के लिए **संधारणीय उत्पादन, उपभोग और निपटान पैटर्न** के विकास को संभव करते हुए संधारणीय समाज को बढ़ावा देना है।
- **अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU),** सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (ICTs) के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **उत्पन्न ई-अपशिष्ट:** 2022 में वैश्विक स्तर पर 62 अरब किलोग्राम ई-अपशिष्ट उत्पन्न हुआ था।
- **संग्रहण और पुनर्चक्रण:** 22.3% अपशिष्ट को औपचारिक रूप से संग्रहित कर उसका पुनर्चक्रण किया गया।
  - दुर्लभ भू-तत्व की मांग का केवल 1% ही ई-अपशिष्ट के पुनर्चक्रण से पूरा होता है।
- **बढ़ती दर:** 2010 के बाद, दुनिया में उत्पन्न ई-अपशिष्ट की मात्रा आधिकारिक ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण की तुलना में लगभग 5 गुना तेजी से बढ़ रही है।
- **ई-अपशिष्ट में धातुओं का अनुमानित आर्थिक मूल्य:** यह लगभग 91 अरब अमेरिकी डॉलर है।
- **क्षेत्रवार प्रति व्यक्ति उत्पन्न ई-अपशिष्ट:** यूरोप में सबसे अधिक ई-अपशिष्ट उत्पन्न होता है। इसके बाद ओशिनिया और अमेरिका का स्थान आता है।
- **नीति निर्माण:** दुनिया भर के सभी देशों के 42% यानी 81 देशों ने ई-अपशिष्ट नीति, कानून या विनियमन को अपनाया है।
  - भारत सहित **67 देशों** में ई-अपशिष्ट के लिए विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (EPR)[102] के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं।
- **भारत से जुड़े बिंदु:** चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत सर्वाधिक ई-अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला (लगभग 4,100 अरब किलोग्राम) तीसरे नंबर का देश है।

---

[99] United Nations Institute for Training and Research

[100] International Telecommunication Union

[101] Electrical and Electronic Equipment

[102] Extended Producer Responsibility

ई-अपशिष्ट के बारे में

इसमें ऐसे सौर फोटोवोल्टिक सहित विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं, जिन्हें

- **पुन: उपयोग न करके अपशिष्ट के रूप में त्याग** दिया जाता है, और
- विनिर्माण, नवीनीकरण और मरम्मत प्रक्रियाओं से बाहर रखा जाता है।

भारत में ई-अपशिष्ट प्रबंधन

- **खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) संशोधन नियम, 2003:** पहली बार ई-अपशिष्ट की संरचना के दायरे में स्पष्ट रूप से खतरनाक पदार्थों (Hazardous materials) को शामिल किया गया।
- **ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2011:** इसमें EPR की अवधारणा को अपनाया गया।
- **ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016:** इसमें **निर्माता दायित्व संगठन**[103] की अवधारणा प्रस्तुत की गई।
- **ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022** का उद्देश्य EPR व्यवस्था के माध्यम से चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।

शब्दावली को जानें

विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (Extended Producer Responsibility: EPR): यह पर्यावरण से जुड़ा एक दृष्टिकोण है। इसके तहत किसी उत्पाद की उपयोग अवधि की समाप्ति के बाद तक पर्यावरण की दृष्टि से उसके बेहतर प्रबंधन की जिम्मेदारी निर्माता की होती है।

- **ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) द्वितीय संशोधन नियम, 2023:** इसके प्रमुख प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल हैं-
  - इसमें **हानिकारक पदार्थों की कमी करने से संबंधित छूट के बारे में अधिक स्पष्टता** प्रदान की गई है।
  - **इसमें EPR प्रमाण-पत्र तैयार करने वाले कन्वर्जन फैक्टर** निर्धारण किए गए हैं।
  - **निर्माताओं द्वारा प्रशीतन (Refringent)** का प्रबंधन करने का दायित्व सौंपा गया है।
- **ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) संशोधन नियम, 2024:** इसके प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं-
  - **रिटर्न या रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा में छूट:** इसके तहत विनिर्माता, निर्माता, नवीकरणकर्ता (Refurbisherr) या पुनर्चक्रणकर्ता (Recycle के लिए नौ महीने की छूट प्रदान की गई।
  - **केंद्र सरकार** द्वारा EPR प्रमाण-पत्रों के विनिमय या हस्तांतरण के लिए एक या अधिक प्लेटफार्म की स्थापना की जा **सकती** है।
  - EPR प्रमाण-पत्र का विनिमय मूल्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा **निर्धारित उच्चतम और न्यूनतम कीमतों के बीच होना चाहिए।**

भारत में ई-अपशिष्ट से जुड़ी चुनौतियां

- **अनौपचारिक पुनर्चक्रण:** लगभग 85% ई-अपशिष्ट का प्रबंधन असंगठित क्षेत्रक द्वारा किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से देश भर में फैले स्क्रैप डीलर शामिल होते हैं।
- **अपर्याप्त ई-अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना:** वर्तमान पुनर्चक्रण और संग्रहण सुविधाओं और उत्पन्न होने वाले ई-अपशिष्ट की मात्रा के बीच एक बड़ा अंतर है।
- **ई-अपशिष्ट का आयात:** भारत में अपशिष्ट उपकरणों का सीमा पार से आयात किया जाता है। विकसित देशों द्वारा पुनर्चक्रण के लिए 80% ई-अपशिष्ट भारत, चीन, घाना और नाइजीरिया जैसे विकासशील देशों में भेजा जाता है।

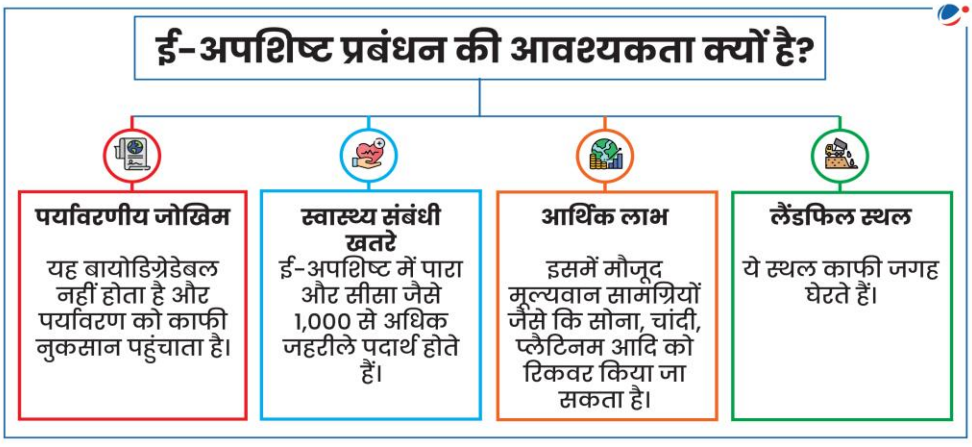

[103] Producer Responsibility Organization

- **जागरूकता और संवेदनशीलता का अभाव:** इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करने योग्य जीवन काल समाप्त होने के बाद, उसके निपटान के बारे में लोगों के बीच सीमित जागरूकता है।
- **तकनीकी उन्नति:** इलेक्ट्रॉनिक समाधानों और उत्पाद के छोटे जीवन चक्र से खपत एवं ई-अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि हुई है।
- **अन्य मुद्दे:** इसमें मरम्मत हेतु सीमित विकल्प; ई-अपशिष्ट के अकुशल अनुचित निपटान और पुनर्चक्रण का प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव आदि शामिल हैं।

ई-अपशिष्ट की मात्रा को नियंत्रित करने हेतु की गयी वैश्विक पहलें

- **बेसल कन्वेंशन:** यह एक वैश्विक संधि है जिसका उद्देश्य ई-अपशिष्ट सहित देशों के बीच खतरनाक अपशिष्ट के स्थानांतरण को कम करना है।
- **वैश्विक ई-अपशिष्ट सांख्यिकी साझेदारी (GESP)[104]:** यह दुनिया भर में ई-अपशिष्ट से संबंधित डेटा की निगरानी और रिपोर्टिंग में सुधार लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय (United Nations University) और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का संयुक्त प्रयास है।
- **ई-अपशिष्ट चुनौती (E-waste Challenge):** यह विश्व आर्थिक मंच[105] की एक वैश्विक पहल है, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था को संभव बनाना है।
- **ई-अपशिष्ट गठबंधन (E-waste Coalition) 2018:** यह वैश्विक स्तर पर ई-अपशिष्ट से जुडी चुनौती का समाधान करने के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के सात संगठनों द्वारा हस्ताक्षरित एक गैर-बाध्यकारी लेटर ऑफ़ इंटेंट है।

भारत में ई-अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए आगे की राह

- **कॉर्पोरेट जिम्मेदारी:** कंपनियों को हरित नीतियां अपनाने, पुनर्चक्रण संबंधी पहलों का समर्थन करने और ई-अपशिष्ट की मात्रा को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **अनौपचारिक क्षेत्रक:** स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग और क्षमता निर्माण द्वारा ई-अपशिष्ट के पुनर्चक्रण एवं निपटान के मामले में अनौपचारिक क्षेत्रक के कौशल को और बेहतर किया जाना चाहिए।
- **पुनर्चक्रण और निपटान:** इस संबंध में विशेष महारत रखने वाली कंपनियों की सहायता से बेहतर पुनर्चक्रण सुविधाएं स्थापित करना चाहिए।
    - उदाहरण के लिए, **विनिर्माण क्लस्टरों के साथ ई-अपशिष्ट प्रबंधन औद्योगिक क्लस्टर की सह-स्थापना करना।**
- **तकनीकी विकास:** इसके तहत भारत और वैश्विक स्तर पर उपलब्ध प्रमाणित तकनीकी और प्रौद्योगिकी समाधानों का उपयोग किया जाना चाहिए।
    - उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ई-अपशिष्ट से मूल्यवान धातुओं एवं प्लास्टिक को रिकवर करने के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित की है।
- **सख्त निगरानी और प्रवर्तन:** यह सुनिश्चित करना कि ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2022 के प्रावधान और EPR लक्ष्यों का पूर्णतया पालन हों और 'पुनर्चक्रित' ई-अपशिष्ट की मात्रा के बारे पारदर्शिता हो।
- **सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा:** जनता को ई-अपशिष्ट के बेहतर प्रबंधन और इसके प्रभावों के बारे में सूचित करना और उनमें संधारणीय आदतों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

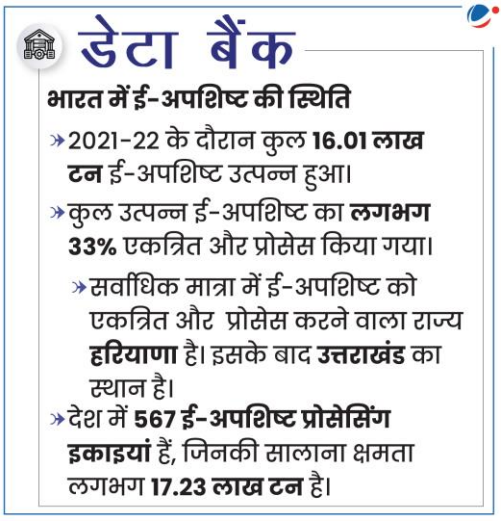

5.5. मिलेट्स (Millets)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023** का समापन समारोह इटली की राजधानी रोम में स्थित FAO के मुख्यालय में संपन्न हुआ।

अन्य संबंधित तथ्य

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 में यू.एन. के 75वें सत्र के दौरान 2023 को **अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष (IYM 2023)** घोषित किया था।

[104] The Global E-waste Statistics Partnership

[105] World Economic Forum

- संयुक्त राष्ट्र महासभा का यह निर्णय **भारत के प्रस्ताव पर** लिया गया था। **संयुक्त राष्ट्र के 70 से अधिक देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था।**
- IYM 2023 का उद्देश्य **घरेलू और वैश्विक स्तर पर मिलेट्स की मांग में वृद्धि करना** तथा **मिलेट्स के अनेक लाभों,** जैसे- पोषण, स्वास्थ्य, पर्यावरणीय संधारणीयता, आर्थिक विकास इत्यादि के बारे में **जागरूकता बढ़ाना** है।

मिलेट्स या श्री अन्न या मोटे अनाज के बारे में

- मिलेट्स **छोटे दाने वाले, वार्षिक रूप से गर्म मौसम में उगाए जाने वाले** अनाज हैं।
- ये **अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र** में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। साथ ही, ये **मानव द्वारा उगाई जाने वाली सबसे पुरानी खाद्य फसलों में से भी एक** हैं।
- आकार के आधार पर, **इन्हें सामान्य रूप से निम्नलिखित में विभाजित किया गया है:**
  - **बड़े मिलेट्स (Major millets):** जैसे- ज्वार, बाजरा और रागी
  - **छोटे मिलेट्स (Minor millets):** जैसे- कुटकी, कंगनी, चीना, सावां और कोदो

भारत में मिलेट्स

- **भारत दुनिया में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र (लगभग 41%)** है। भारत के बाद **नाइजर (लगभग 12%)** और **चीन (लगभग 8%)** का स्थान आता है।
- भारत दुनिया में मिलेट्स का **5वां सबसे बड़ा निर्यातक** भी है (2020)।
- भारत में मिलेट्स का **कुल उत्पादन** लगभग **16 मिलियन टन** प्रतिवर्ष है।
- भारत में **कुल मिलेट्स उत्पादन का 83%** से अधिक हिस्सा छह राज्यों यथा **राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र** और **गुजरात** में उत्पादित होता है।

भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख मिलेट्स या श्री अन्न

मिलेट	विशेषताएं
मिलेट	· इसे **'किंग ऑफ मिलेट्स'** कहा जाता है। · **वर्षा:** 250-300 मि.मी. · **मृदा:** चिकनी गहरी रेगुर और जलोढ़ मृदा · यह उत्तरी राज्यों में उगाई जाने वाली खरीफ मौसम की फसल है। इसका उपयोग मुख्य रूप से चारे की फसल के रूप में किया जाता है।
बाजरा (पर्ल मिलेट)	· यह कम अवधि में तैयार होने वाली फसल है। इसे वर्षा आधारित और सिंचित, दोनों क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। · **वर्षा:** 400-500 मि.मी. · **मृदा:** उचित जल निकासी वाली दोमट मृदा
रागी (फिंगर मिलेट)	· इसे अधिकतर दक्षिण भारत में उगाया जाता है। **कर्नाटक** इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। · **वर्षा:** 600-750 मि.मी. · **मृदा:** उचित जल निकासी वाली दोमट मृदा

मिलेट्स का महत्त्व

किसानों के लिए	• चावल और गेहूं जैसी मुख्य फसलों की तुलना में इनकी खेती में **कम इनपुट लागत आती है** और **पानी की भी कम खपत** होती है। ○ उदाहरण के लिए- **1 किलोग्राम चावल के उत्पादन में लगभग 5,000 लीटर पानी की खपत होती है**, वहीं 1 किलोग्राम मिलेट्स के उत्पादन में लगभग 250-300 लीटर पानी की खपत होती है। • ये **90-180 दिनों की अल्प अवधि** में पक कर तैयार हो जाती हैं और इन्हें किसी भी फसली मौसम में उगाया जा सकता है। • इनका उपयोग पशुओं के लिए **चारे के रूप में** भी किया जा सकता है।
स्वास्थ्य के लिए	• ये **ग्लूटेन मुक्त** होते हैं और उनका **ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है।** इसके कारण इन्हें मधुमेह के रोगियों के लिए आदर्श अनाज माना जाता है। • इसमें **चावल और गेहूं की तुलना में बेहतर सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं।** इसलिए कुपोषण को ख़त्म करने के लिए इसका उपयोग काफी प्रभावी साबित हो सकता है।

पर्यावरण के लिए	• ये **C4 श्रेणी की फसलें** हैं (इन्फोग्राफिक देखें)। इसलिए इनमें कार्बन-डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और उपयोग करने की उच्च क्षमता होती है। • इनमें **जलवायु परिवर्तन,** सूखे, बाढ़ और हीट वेव सहित **चरम मौसमी घटनाओं को सहने की बेहतर क्षमता होती है।** • ये मृदा संरचना को बेहतर करके, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को बढ़ाकर, मृदा अपरदन को कम करके तथा मृदा स्वास्थ्य में सुधार करके **संधारणीय कृषि को बढ़ावा देते है।**

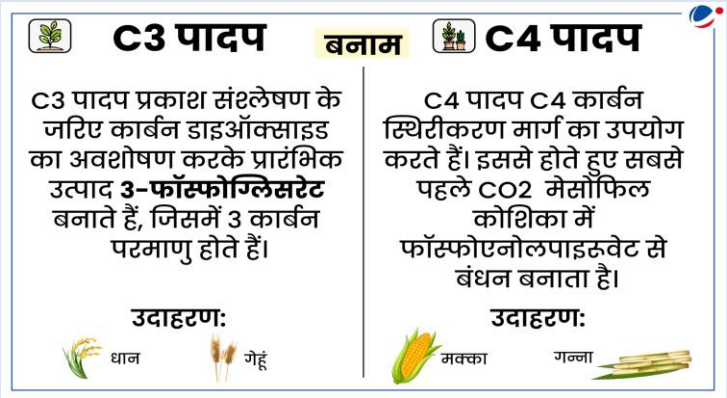

मिलेट्स के उपभोग को मुख्यधारा में शामिल करने के समक्ष मौजूद चुनौतियां

- **लोगों में जागरूकता का अभाव:** मिलेट्स के पोषण संबंधी लाभों के बारे में लोगों में जागरूकता की कमी होने के कारण मिलेट्स-आधारित उत्पादों को सीमित रूप से अपनाया जाता है।
- **एकाधिक प्रसंस्करण आवश्यकताएं:** कुछ मिलेट्स में अनाज के बीजों को प्राप्त करने के लिए उन्हें कई बार प्रसंस्कृत करने तथा उनके पोषक गुणों को बनाए रखने के लिए पॉलिशिंग की आवश्यकता होती है।
- **खराब शेल्फ लाइफ:** मिलेट्स में **लाइपेज** नामक एक सक्रिय एंजाइम पाया जाता है, जो मिलेट्स आधारित उत्पादों के शेल्फ लाइफ को कम कर देता है।
- **आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े मुद्दे:** मिलेट्स की बाजरा आपूर्ति श्रृंखला में मांग और पूर्ति के मध्य अंतर मौजूद है। इससे उनकी व्यावसायिक व्यवहार्यता कम हो जाती है।
- **अधिक उपज देने वाले किस्म (HYV) के बीजों की अनुपलब्धता:** इससे मिलेट्स की फसल उत्पादकता कम हो गई है।

भारत में मिलेट्स के उपभोग को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलें

- **श्री अन्न योजना:** यह योजना वर्ष 2023 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य मिलेट्स को लोकप्रिय बनाना और देश में इसकी खपत को बढ़ाना है।
  - इस योजना के तहत, **भारतीय श्री अन्न अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद** को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) ने **2022-23 से 2026-27 के लिए "मिलेट्स-आधारित उत्पादों हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (PLISMBP)"** लागू की है।
- 2018 को **"राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष"** घोषित किया गया और मिलेट्स की ब्रांडिंग "पोषक अनाज (Nutri-Cereals)" के रूप में की गयी।
- **अन्य प्रयास:**
  - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने **पोषण मिशन अभियान में मिलेट्स को शामिल किया** है।
  - वर्ष 2018 में **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन** के तहत **मिलेट्स पर एक उप-मिशन** शुरू किया गया है।

निष्कर्ष

मिलेट्स के उपयोग की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। हालांकि इसका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मिलेट्स और मिलेट्स-आधारित उत्पादों को लोकप्रिय बनाने, किफायती बनाने के साथ-साथ आपूर्ति श्रृंखला तथा अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करने की आवश्यकता है।

5.6. बेसफ्लो (Baseflow)

सुर्ख़ियों में क्यों?

एक हालिया अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि प्रायद्वीपीय भारत में नदी जनित बाढ़ के लिए वर्षा और मिट्टी की नमी की तुलना में बेसफ्लो अधिक जिम्मेदार रहा है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इसके तहत प्रायद्वीपीय भारत की छह प्रमुख नदी घाटियों यथा- **नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी** का अध्ययन किया गया।
- इसमें नदी घाटियों में नदी की बाढ़ के लिए उत्तरदायी कारकों, जैसे- वर्षा, मिट्टी की नमी और बेसफ्लो के प्रभाव की समझ को बेहतर बनाने के लिए नदी घाटियों में पहुंचने वाली जल की मात्रा से संबंधित डेटा का उपयोग किया गया है।

- इस अध्ययन से पता चला है कि उच्च बेसफ्लो वाले जलग्रहण क्षेत्रों में जल्दी-जल्दी और कम समय अंतराल पर वर्षा के चलते तीव्र सतही जल प्रवाह की संभावना बढ़ जाती है।

बेसफ्लो क्या होता है?

- दीर्घावधि के दौरान नदी में भूजल के माध्यम से पहुंचने वाली जलधारा को बेसफ्लो कहते हैं।
- भूजल का जल जब ऊपर बढ़ता हुआ नदियों के तल तक पहुँच जाता है तो भूजल नदियों के जल में जा मिलता है। इससे नदी में जल की मात्रा बढ़ जाती है। सरल शब्दों में कहें तो नदी में भूजल के प्रवाह को ही आम तौर पर बेसफ्लो कहा जाता है।

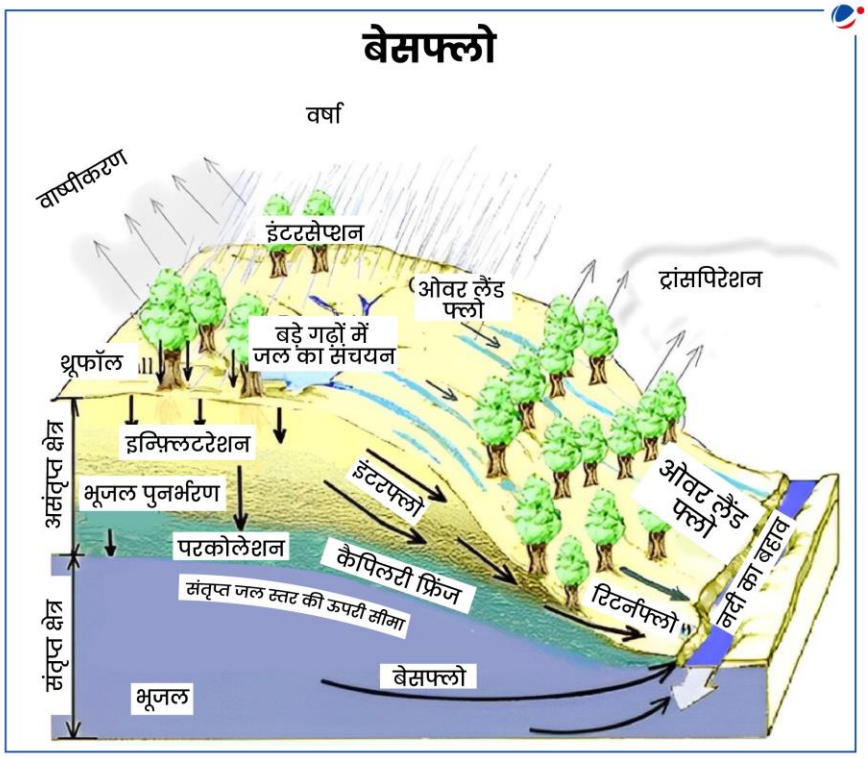

बेसफ्लो को प्रभावित करने वाले कारक

- **भूमि की स्थलाकृति:** तीव्र ढ़ालन वाली धरातलीय सतह के चलते सतह और उपसतह से होते हुए भूजल तक पहुँचने वाली जल की मात्रा प्रभावित हो सकती है।
- **मिट्टी की प्रकृति:** यह रिसाव द्वारा वर्षा के जल की भूजल तक पहुँचने की दर (इन्फ़िल्टरेशन), हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी और भूजल पुनर्भरण को प्रभावित करती है।
    - हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इस बात का माप है कि जल कितनी आसानी से मिट्टी या चट्टान से होकर गुजर सकता है।
- **भूमि उपयोग पैटर्न:** शहरी क्षेत्रों में अभेद्य सतहों की उपस्थिति के कारण भी बेसफ्लो बढ़ता है।
- **जलवायु परिवर्तन:** वर्षा की मात्रा और समय में परिवर्तन से इन्फ़िल्टरेशन व भूजल स्तर में भी परिवर्तन हो सकता है। इससे अंततः बेसफ्लो डिस्चार्ज प्रभावित होता है।

बेसफ्लो का पर्यावरणीय महत्त्व

- **नदी के प्रवाह और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में:** बेसफ्लो से नदी में जल का पुनर्भरण होता है और शुष्क मौसम के दौरान नदी में आवश्यक जल की आपूर्ति भी होती है।
- **गाद संचय में कमी:** सतत बेसफ्लो नदी में पर्याप्त मात्रा में जल के प्रवाह को बनाए रखते हैं, जिसके चलते गाद नदी में नीचे बैठने के बजाए नदी के प्रवाह में आगे बहती जाती है।
- **पानी की गुणवत्ता बनाए रखने में:** नेचुरल फिल्ट्रेशन प्रक्रिया के जरिए जल भूजल तक पहुंचता है। इस प्रकार बेसफ्लो के माध्यम से नदी में पहुंचने वाले जल से नदी के जल की समग्र गुणवत्ता में सुधार होता है।

बेसफ्लो में परिवर्तन के संभावित प्रभाव

- **बाढ़ के खतरे में वृद्धि:** उच्च बेसफ्लो वाले जलग्रहण क्षेत्र में अधिक आर्द्र सतही और उप-सतही स्थितियों के चलते भारी वर्षा के दौरान ढलानों से तेजी से जल नीचे को ओर बहने लगता है। इससे बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है।
    - इसके विपरीत, लंबे समय तक औसत से कम वर्षा और उच्च तापमान के कारण भूजल पुनर्भरण दर में कमी आती है। इसे सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
- **नदी के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव:** बेसफ्लो कम होने से नदी में जल का बहाव ठहर सा जाता है और जल में घुलित ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। इससे नदी में रहने वाले जीवों का जीवन खतरे में पड़ सकता है।
- **जल के तापमान पर प्रभाव:** भूजल, सतही जल की तुलना में ठंडा होता है। इसलिए नदी में बेसफ्लो से पहुंचने वाली जल की मात्रा कम होने से नदी के जल का तापमान बढ़ जाता है।
- अन्य प्रभावों में नदी के आगे के प्रवाह मार्ग में जल की मात्रा में कमी, जल उपयोग पैटर्न में बदलाव और गाद संचय में वृद्धि शामिल हैं।

निष्कर्ष

इस अध्ययन से सामने आए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अब नदी के बेसफ्लो को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाना चाहिए। इसके लिए इष्टतम भूमि उपयोग नीतियों, भूजल के पुनर्भरण, नदी बेसिनों की निरंतर निगरानी और मूल्यांकन आदि को शामिल करते हुए एकीकृत जल प्रबंधन दृष्टिकोण को अपनाया जा सकता है।

5.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

5.7.1. ग्रीन क्रेडिट रूल (Green Credit Rule)

- हाल ही में, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने **ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP)** पर **अतिरिक्त दिशा-निर्देश** जारी किए।
    - फरवरी 2024 में, मंत्रालय ने वृक्षारोपण गतिविधि के लिए ग्रीन क्रेडिट की गणना हेतु नियम जारी किए थे।
- निम्नीकृत वनों की **पर्यावरण अनुकूल पुनर्बहाली के लिए लागत संबंधी अनुमान तैयार करने के लिए नए दिशा-निर्देश** जारी किए गए हैं।
- **नए दिशा-निर्देशों के प्रमुख प्रावधान:**
    - **GCP के अंतर्गत निम्नीकृत वन क्षेत्रों पर वृक्षारोपण** के कार्य **पर्यावरण अनुकूल पुनर्बहाली पर केंद्रित** होगा।
    - निम्नीकृत वन क्षेत्रों में रोपित किए जाने वाले वृक्षों की संख्या उस क्षेत्र की विशेषताओं पर निर्भर करेगी। क्षेत्र की स्थितियों के अनुसार यह संख्या अलग-अलग हो सकती है।
    - **पर्यावरण अनुकूल पुनर्बहाली गतिविधियों में वृक्षारोपण के अलावा** अन्य गतिविधियां भी शामिल हो सकती हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।
        - बाड़ (Fencing) का इस्तेमाल मानवजनित कारकों से संरक्षण के लिए किया जा सकता है।
    - **देशी प्रजातियों को प्राथमिकता** देनी होगी।
    - **उच्च गुणवत्ता वाले पौधों का रोपण** किया जाएगा ताकि पौधों की स्वस्थ वृद्धि होती रहे।
    - **प्राकृतिक रूप से उगने वाले पौधों का संरक्षण किया जाएगा।**
    - लागत अनुमानों का शीर्षक **"पहचाने गए निम्नीकृत वनों की पर्यावरण के अनुकूल पुनर्बहाली"** रखा जा सकता है।

नोट: *ग्रीन क्रेडिट नियमों और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में और अधिक जानकारी के लिए मार्च, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 5.3. देखें।*

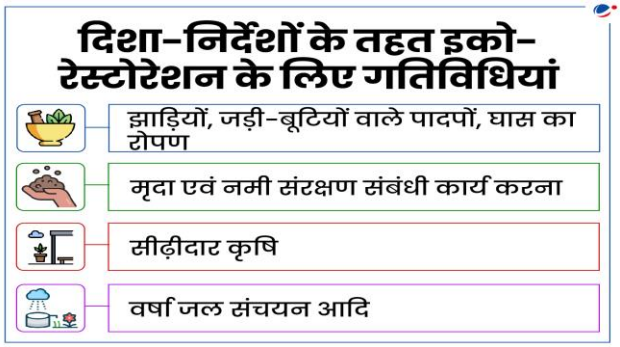

5.7.2. CPCB द्वारा फंड का उपयोग नहीं होना (Unutilized Funds with CPCB)

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की रिपोर्ट के अनुसार उसने पर्यावरण संबंधी निधियों में जमा 80 प्रतिशत राशि का उपयोग नहीं किया है।
- CPCB ने यह रिपोर्ट **राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)** को सौंपी है।
- रिपोर्ट के अनुसार, **पर्यावरण संरक्षण शुल्क (EPC) और पर्यावरण प्रतिपूर्ति** के माध्यम से कुल 777.69 करोड़ रुपये संग्रह किए गए थे। हालांकि, **CPCB ने इसमें से केवल 20% का ही उपयोग** किया है।
    - **इन निधियों का निम्नलिखित कार्यों के लिए उपयोग किया गया था:**
        - वायु गुणवत्ता पर अनुसंधान एवं विकास,
        - स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन,
        - वायु और जल गुणवत्ता निगरानी के लिए अवसंरचना का विकास,
        - दूषित स्थलों का उपचार आदि।
- **CPCB को दो मदों के तहत प्रतिपूर्ति मिलती है:**
    - **पर्यावरण संरक्षण शुल्क (EPC) के तहत:** वाहन डीलर/ निर्माता को विभिन्न प्रकार के नए डीजल वाहनों पर **एक प्रतिशत EPC का भुगतान करना आवश्यक** है। यह शुल्क **केवल दिल्ली और NCR में पंजीकृत वाहनों** पर ही लगाया गया है।
        - **सुप्रीम कोर्ट के आदेश** के तहत यह शुल्क प्राप्त होता है।
    - **पर्यावरण प्रतिपूर्ति के रूप में:** यह पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नीतिगत उपाय है। यह **"प्रदूषक द्वारा भुगतान" सिद्धांत (Polluter Pay Principle)** पर आधारित है।

- यह प्रतिपूर्ति **NGT के आदेश** के तहत प्राप्त होती है।
- इससे प्राप्त फंड का उपयोग **पर्यावरण संरक्षण से जुड़े निम्नलिखित कार्यों में किया जाता है;**
  - ✓ लैब्स/ निगरानी नेटवर्क को मजबूत करने में,
  - ✓ NGT के आदेशों के अनुपालन में परियोजनाओं को लागू करने में,
  - ✓ प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के क्षमता निर्माण में आदि।

- **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के बारे में**
  - CPCB **जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974** के तहत गठित एक **वैधानिक** संस्था है।
  - इसे **वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981** के तहत भी शक्तियां एवं कार्य सौंपे गए हैं।
  - यह केंद्रीय **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** के अधीन कार्य करता है।

5.7.3. जियोपार्क्स (Geoparks)

- यूनेस्को (UNESCO) ने 18 नए जियोपार्क्स को **"ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क (GGN)"** में शामिल करने को मंजूरी दी। इसके साथ ही अब **जियोपार्क्स की कुल संख्या 213** हो गई है। ये सभी जियोपार्क्स **48 देशों** में स्थित हैं।
  - गौरतलब है कि **भारत में यूनेस्को द्वारा नामित कोई जियोपार्क मौजूद नहीं** है।
- **GGN में हाल ही में शामिल किए गए कुछ प्रमुख जियोपार्क्स निम्नलिखित हैं:**
  - **लैंड ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनोज़ (पोलैंड):** यहां पैलियोजोइक और सेनोजोइक महाकल्प के ज्वालामुखियों के विशिष्ट अवशेष प्राप्त हुए हैं।
  - **इम्पैक्ट क्रेटर झील (फिनलैंड):** यह यूरोप की सबसे बड़ी इम्पैक्ट क्रेटर झील है। यह 78 मिलियन वर्ष पहले एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने से बनी थी।
  - **उबेराबा (ब्राज़ील):** इसे 'लैंड ऑफ जायंटस' भी कहते हैं। यह उपनाम इस पार्क की जीवाश्म विज्ञान से जुड़ी समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है।

यूनेस्को के ग्लोबल जियोपार्क (UGGPs)

- **UGGP के बारे में: UGGPs ऐसे एकल और एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र हैं,** जहां अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के भूवैज्ञानिक परिदृश्यों को समग्र रूप से प्रबंधित किया जाता है।
- **उत्पत्ति:** जियोपार्क की अवधारणा की उत्पत्ति 1990 के दशक के मध्य में हुई थी। हालांकि, **UGGPs की स्थापना 2015** में जाकर हुई थी।
- **प्रबंधन:** जियोपार्क का प्रबंधन **राष्ट्रीय कानून के तहत गठित वैधानिक संस्था** द्वारा किया जाता है।
- **जियोपार्क का दर्जा स्थायी नहीं होता:** यह दर्जा **चार साल की अवधि** के लिए दिया जाता है। इस अवधि के बाद जियोपार्क का फिर से मूल्यांकन किया जाता है।
- **अनिवार्य नेटवर्किंग:** **UGGPs** के लिए "ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क (**GGN**)" की सदस्यता अनिवार्य है।
- **महत्त्व: UGGPs** का दर्जा **स्थानीय समुदाय के भीतर अपने क्षेत्र के बारे में गर्व की भावना पैदा** करता है। साथ ही, यह क्षेत्र के साथ उनकी पहचान को भी मजबूत करता है। जियो–टूरिज्म को बढ़ावा देकर **राजस्व के नए स्रोत सृजित** होते हैं।

ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क (GGN) के बारे में

- यह एक **गैर-लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संघ** है। आधिकारिक तौर पर इसकी स्थापना **2014** में की गई थी।
  - GGN की स्थापना **यूनेस्को के तत्वाधान में विकसित एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी** के रूप में की गई है।
- **ग्लोबल जियोपार्क्स के बीच नेटवर्किंग और सहयोग** GGN का एक महत्वपूर्ण घटक है।

5.7.4. जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र और नेटवर्क (Climate Technology Centre and Network: CTCN)

- जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र और नेटवर्क (CTCN) ने अपनी **स्थापना के 10 वर्ष** पूरे किए।
- **CTCN के बारे में**
  - **मुख्यालय:** कोपेनहेगन (डेनमार्क)।

- इसकी स्थापना **2014** में की गई थी। यह **जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)[106] के प्रौद्योगिकी तंत्र** की कार्यान्वयन शाखा है।
  - **प्रौद्योगिकी तंत्र** (Technology Mechanism) को **2010 में स्थापित** किया गया था। इसका उद्देश्य **जलवायु से संबंधित प्रौद्योगिकियों के विकास और हस्तांतरण में तेजी लाना एवं प्रसार** करना है।
- CTCN, **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)** के तहत कार्य करता है।
- यह विकासशील देशों के अनुरोध पर **कम कार्बन उत्सर्जन वाली पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों के शीघ्र हस्तांतरण और जलवायु अनुकूल विकास** को बढ़ावा देता है।

5.7.5. वन मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज {One Million Youth Actions Challenge: 1MYAC}

- **द वन यू.एन. क्लाइमेट चेंज लर्निंग पार्टनरशिप (UN CC:Learn) द्वारा 1MYAC को बढ़ावा** दिया जा रहा है।
- **1MYAC के बारे में**
  - इसका उद्देश्य **10 से 30 वर्ष** के युवाओं को अधिक **संधारणीय भविष्य** के लिए ठोस कार्रवाई करने हेतु प्रोत्साहित करना है।
  - यह निम्नलिखित **चार सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को बढ़ावा** देने के लिए काम करता है:
    - SDG 6: **स्वच्छ जल और स्वच्छता,**
    - SDG 12: **जिम्मेदारीपूर्ण उपभोग और उत्पादन,**
    - SDG 13: **जलवायु कार्रवाई,** और
    - SDG 15: **स्थल पर जीवन।**
- **UN CC: Learn के बारे में**
  - यह **36 बहुपक्षीय संगठनों** की एक सहयोगी पहल है।
  - इसके तहत उपर्युक्त संगठन देशों की जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्रवाइयों में आवश्यक ज्ञान और कौशल सृजित करने में मदद करने हेतु मिलकर काम कर रहे हैं।

5.7.6. क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव (Climate Promise Initiative)

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने **"क्लाइमेट प्रॉमिस 2025"** का अनावरण किया। यह पहल इसकी "क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव" का अगला चरण है।
- **'क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव' के बारे में**
  - यह **विकासशील देशों को उनके जलवायु कार्रवाई संबंधी उपायों में समर्थन** देने की एक पहल है।
  - यह **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (Nationally Determined Contributions: NDCs)** के विस्तार और कार्यान्वयन पर विकासशील देशों को समर्थन देने की **दुनिया की सबसे बड़ी पहल** है।
    - जलवायु परिवर्तन पर **पेरिस समझौते (2015)** के तहत **प्रत्येक पक्षकार देश** को अपने **NDCs** की घोषणा करनी पड़ती है। **NDCs** में **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अनुकूलन** से संबंधित राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।
- **क्लाइमेट प्रॉमिस 2025** का लक्ष्य विकासशील देशों के **NDCs** के अगले चरण को **पेरिस जलवायु समझौते (2015) के लक्ष्यों के अनुरूप रखने में मदद** करना है।

5.7.7. भारत का वार्षिक भूमि उपयोग और भूमि आवरण एटलस {Annual Land Use and Land Cover (LULC) Atlas of India}

- यह एटलस **राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (NRSC)[107] ने जारी** किया है। इस एटलस का उद्देश्य **पर्यावरण की विकासमान कार्यप्रणाली की बेहतर समझ प्रदान करने के लिए भूमि उपयोग पैटर्न का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण** करना है।
- **एटलस के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**
  - **कृषि:** पिछले 17 वर्षों में **खरीफ और रबी फसल** के उत्पादन क्षेत्र में **क्रमशः 46.06% और 35.23% की वृद्धि** दर्ज की गई है। इसके विपरीत, **परती भूमि में 45.19% की कमी** आई है।
    - **दोहरी/ तिहरी या वार्षिक फसली क्षेत्रों में भी 82.22% की वृद्धि** हुई है। दोहरी/ तिहरी फसली भूमि वे क्षेत्र (खेत) हैं, जहां फसलें **एक फसल वर्ष में दो/ तीन बार बोई और काटी** जाती है। **वार्षिक फसलें बारहमासी** होती हैं और पूरे वर्ष उगाई जाती हैं जैसे- गन्ना।
    - 2005 के बाद से **2016-17 तक झूम खेती में वृद्धि** हुई थी। इसके बाद इसमें गिरावट देखी गई है।
  - **जल संसाधन:** जल संसाधन से आशय है न्यूनतम जल वाला जल निकाय। एटलस से संकेत मिलता है कि **2005 के बाद से जल संसाधनों में 146%** की वृद्धि हुई है।

[106] United Nations Framework Convention on Climate Change

[107] National Remote Sensing Centre

- **बिल्ट अप एरिया:** 2005 के बाद से **30.77% की समग्र वृद्धि के साथ बढ़ोतरी** दर्शाता है।
  - **बिल्ट अप एरिया** से तात्पर्य **इमारतों, पक्की सतहों, वाणिज्यिक और औद्योगिक स्थलों एवं शहरी हरित क्षेत्रों** से है।
  - **बंजरभूमि (निम्नीकृत और अनुत्पादक भूमि) ने बिल्ट अप एरिया के विस्तार में 12.3% का महत्वपूर्ण योगदान** दिया है।
- **LULC में बदलाव के कारण:** कृषि इनपुट्स की बेहतर उपलब्धता जैसे **बेहतर सिंचाई सुविधाएं, शहरीकरण, बुनियादी ढांचे का विकास** आदि।

5.7.8. ग्रीन एंड सोशल बॉण्ड इम्पैक्ट रिपोर्ट, 2023 (Green and Social Bond Impact Report 2023)

- **अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC)** ने 'ग्रीन एंड सोशल बॉण्ड इम्पैक्ट रिपोर्ट, 2023' जारी की।
  - इसे **1956** में स्थापित किया गया था। यह **विश्व बैंक समूह का सदस्य** है। यह विकासशील देशों में निजी क्षेत्र पर केंद्रित **सबसे बड़ा वैश्विक विकास संस्थान** है।
- IFC ने **2010 में ग्रीन बॉण्ड कार्यक्रम** और **2017 में सोशल बॉण्ड कार्यक्रम** आरंभ किया था।
  - **ग्रीन बॉण्ड कार्यक्रम का उद्देश्य** निजी क्षेत्र की उन पात्र परियोजनाओं के लिए निवेश की व्यवस्था करना है जो जलवायु परिवर्तन शमन यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित हैं।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
  - **ग्रीन बॉण्ड** के माध्यम से जुटाए गए **2 बिलियन डॉलर से प्रति वर्ष 3.3 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन में कमी** आने की उम्मीद है।
  - **सोशल बॉण्ड** के माध्यम से जुटाए गए **1.2 बिलियन डॉलर से कृषि-व्यवसाय, महिलाओं का वित्तीय समावेशन, शिक्षा** जैसे क्षेत्रकों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा।
- **ग्रीन बॉण्ड्स के बारे में**
  - ये संधारणीय जल और अपशिष्ट प्रबंधन, हरित भवन, प्रदूषण नियंत्रण जैसी **पर्यावरण-अनुकूल परियोजनाओं को वित्त-पोषित करने के लिए नामित ऋण प्रतिभूतियां** हैं।
  - 2022 में, वित्त मंत्रालय ने भारत के पहले **सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड्स (SGBs) फ्रेमवर्क** को मंजूरी दी थी। इसमें **परमाणु ऊर्जा उत्पादन, लैंडफिल परियोजनाएं, 25 मेगावाट से बड़े जलविद्युत संयंत्र** जैसी परियोजनाएं शामिल नहीं हैं।
  - भारत का पहला **ग्रीन बॉण्ड 2015 में यस बैंक लिमिटेड** ने जारी किया था।
  - 2023 में, भारत ने **80 अरब रुपये मूल्य के अपने पहले SGBs की पहली किस्त** जारी की थी।
- **सोशल बॉण्ड्स के बारे में**
  - ये **सरकारों और निगमों द्वारा जारी वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स** हैं। इनके माध्यम से अभावग्रस्त आबादी को लाभ पहुंचाने के लिए **किफायती आवास, स्वास्थ्य देखभाल जैसी सामाजिक जरूरतों को शामिल** करने वाली परियोजनाओं के लिए **धन जुटाया** जाता है।
  - 2023 में, **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD/ नाबार्ड)** ने सोशल बॉण्ड्स के माध्यम से 1000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाई थी।

5.7.9. स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 (State of Global Climate Report 2023)

- यह रिपोर्ट **विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO)** ने जारी की है।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**
  - रिपोर्ट के अनुसार, **2023 अब तक का सबसे गर्म साल** था। 2023 में सतह के नजदीक का वैश्विक औसत तापमान **औद्योगिक क्रांति के पहले की बेसलाइन से 1.45 डिग्री सेल्सियस अधिक** था।
  - चरम जलवायवीय घटनाओं की वजह से **मानवीय संकट में बढ़ोतरी** हुई है। करोड़ों लोग **गंभीर खाद्य संकट** का सामना कर रहे हैं। इसी तरह करोड़ों लोगों को अपने मूल निवास स्थान से **विस्थापन के लिए मजबूर** होना पड़ा है।
  - **ग्रीनहाउस गैस का स्तर, सतह का तापमान, महासागरों की उष्णता और अम्लीकरण** आदि अब तक के सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गए हैं।

5.7.10. क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस प्रोग्राम (Clean Energy Transitions Programme: CETP)

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने **"क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस प्रोग्राम (CETP) वार्षिक रिपोर्ट 2023"** जारी की है।
- **CETP के बारे में**
  - इसे **अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने 2017** में लॉन्च किया था।
  - यह **स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में तेजी लाकर** जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है।

- CETP के तहत IEA **तकनीकी सहायता, समझ** आदि प्रदान करता है।
- इसके उद्देश्य, **पेरिस समझौते (2015) और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप** हैं।

5.7.11. UNEP रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन 2024 (UNEP Report For Buildings and Construction 2024)

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme: UNEP) ने **'ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन (बिल्डिंग्स-GSR) 2024'** जारी की।
- यह रिपोर्ट **UNEP और ग्लोबल एलायंस फॉर बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन (GlobalABC)** ने **संयुक्त रूप** से जारी की है।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
  - भवन और निर्माण क्षेत्रक (BCS) **वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन के लगभग 21% हिस्से** के लिए जिम्मेदार है।
  - 2022 में भवन क्षेत्रक **वैश्विक ऊर्जा मांग के 34% तथा ऊर्जा और प्रक्रिया से संबंधित 37% कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार** थे।
  - भारत में भवन क्षेत्रक **कुल CO2 उत्सर्जन के लगभग 40%** के लिए जिम्मेदार है।
  - **भवन और निर्माण क्षेत्रक को विकार्बनीकृत (Decarbonise) करने की आवश्यकता क्यों है?**
    - जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के तहत **ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित** करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए; तथा
    - निर्माण सामग्री प्राप्त और उपयोग करने की पूरी प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन को कम करके **2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य** हासिल करने के लिए।

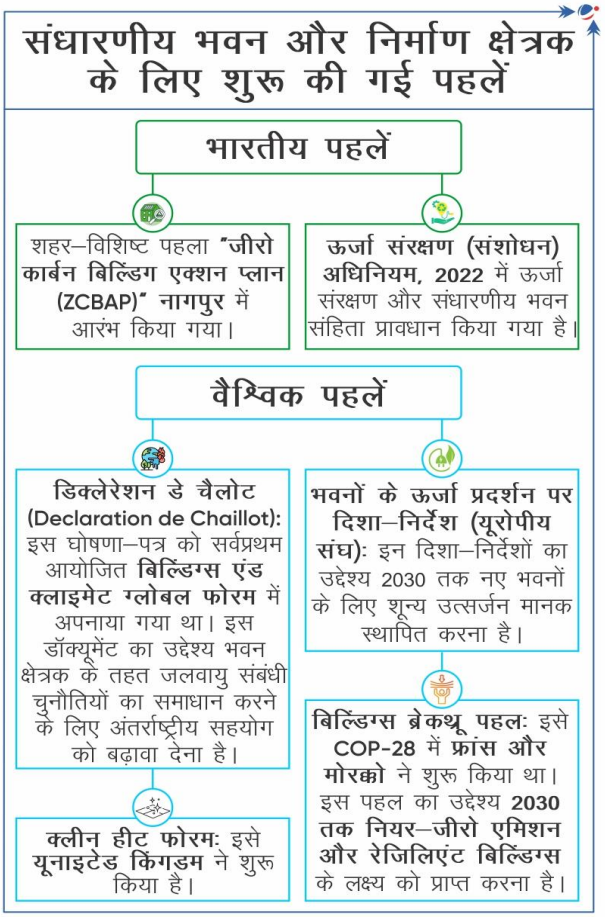

GlobalABC के बारे में

- इसे **COP-21 में स्थापित** किया गया था। यह **"शून्य उत्सर्जन, दक्ष और आघात सहनीय भवन एवं निर्माण क्षेत्रक"** के साझा विज़न के प्रति प्रतिबद्ध भवन क्षेत्रक के हितधारकों का अग्रणी **वैश्विक प्लेटफॉर्म** है।

भवन और निर्माण क्षेत्र के विकार्बनीकरण के समक्ष चुनौतियां

- **खराब निर्माण पद्धतियां** पर्यावरणीय चिंताएं उत्पन्न कर सकती हैं। इसके कारण ऊर्जा खपत और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में वृद्धि हो सकती है।
- जलवायु जोखिम वाले क्षेत्रों में **अधिक कार्बन उत्सर्जन में योगदान देने वाले नए भवनों का निरंतर निर्माण** एक अन्य बड़ी समस्या है।

सिफारिशें

- **शून्य-उत्सर्जन भवन सिद्धांतों** के अनुरूप **"भवन ऊर्जा संहिता"** विकसित करने की आवश्यकता है।
- भवन और निर्माण क्षेत्र के विकार्बनीकरण में **अधिक निवेश के लिए वित्तीय प्रोत्साहन** देने की जरूरत है।

5.7.12. पर्माफ्रॉस्ट क्षेत्र (Permafrost Region)

- हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्तरी पर्माफ्रॉस्ट क्षेत्र **कार्बन के नेट सिंक** से **कार्बन उत्सर्जन के स्रोत** में तब्दील हो सकते हैं।

- यह आर्कटिक और उसके आसपास के क्षेत्र में **वर्ष 2000 से 2020** के बीच **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2), मीथेन (CH_4)** और **नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O)** के उत्सर्जन और कैप्चरिंग की मात्रा का पहला व्यापक अनुमान है।
- इस अध्ययन में यह निश्चित रूप से सामने आया कि पर्माफ्रॉस्ट क्षेत्र, **मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड** का उत्सर्जन करते हैं। हालांकि, इस अध्ययन में इस क्षेत्र के कार्बन डाइऑक्साइड के सिंक के रूप में कार्य करने को लेकर कोई निश्चित निष्कर्ष सामने नहीं आया।

- **पर्माफ्रॉस्ट के बारे में:**
  - पर्माफ्रॉस्ट **पृथ्वी की सतह पर या उसके नीचे** स्थायी रूप से जमी हुई परत होती है। इसमें बर्फ के कारण मिट्टी, बजरी और रेत जमी हुई अवस्था में होती है।
  - पर्माफ्रॉस्ट का तापमान आमतौर पर **कम-से-कम दो वर्षों** तक **0°C (32°F) पर** या **उससे नीचे** रहता है।
  - पर्माफ्रॉस्ट क्षेत्र आर्कटिक क्षेत्रों जैसे ग्रीनलैंड, यू.एस. के अलास्का, रूस, चीन और पूर्वी यूरोप में पाए जाते हैं।
  - जैसे-जैसे पृथ्वी की जलवायु गर्म होती है वैसे-वैसे पर्माफ्रॉस्ट पिघलने लगता है।
- **पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने का प्रभाव:**
  - **कार्बन का नेट सोर्स:** जैसे-जैसे पर्माफ्रॉस्ट पिघलता है, सूक्ष्मजीव मृदा में मौजूद पादपों का अपघटन करना शुरू कर देते हैं। इस प्रक्रिया से वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं।
  - **रोग का प्रकोप:** जब पर्माफ्रॉस्ट पिघलता है, तो बर्फ और मृदा के नीचे मौजूद प्राचीन बैक्टीरिया और वायरस बाहर आ सकते हैं। ये नए बैक्टीरिया और वायरस मनुष्यों एवं जीवों को बीमार कर सकते हैं।
  - **अवसंरचनाओं की स्थिरता:** पर्माफ्रॉस्ट के क्षेत्र में मकान, सड़कें एवं अन्य अवसंरचनाओं को स्थायी रूप से जमी हुई जमीन के ऊपर बनाया जाता है। यदि पर्माफ्रॉस्ट पिघलता है, तो ये नष्ट हो सकते हैं।

5.7.13. चौथी वैश्विक व्यापक कोरल ब्लीचिंग (प्रवाल विरंजन) परिघटना (Fourth Global Mass Coral Bleaching Event)

- इस **व्यापक** कोरल ब्लीचिंग की पुष्टि **NOAA के कोरल रीफ वॉच (CRW) और इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव (ICRI)** ने की है।
- 2023 की शुरुआत से **ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ सहित कम-से-कम 53 देशों, राज्यक्षेत्रों और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में प्रवाल भित्तियों (कोरल रीफ्स) के बड़े पैमाने पर विरंजन** की पुष्टि की गई है।
  - यह **पिछले 10 वर्षों में इस तरह की दूसरी परिघटना** है। इससे पहले यह परिघटना **2014 से 2017** के बीच घटित हुई थी।
- कोरल (मूंगा/ प्रवाल) **अकशेरुकी (Invertebrate) जीव** हैं, जो **निडारिया नामक जीवों के एक बड़े समूह** से संबंधित हैं।
  - आम तौर पर इन्हें **"हार्ड कोरल"** या **"सॉफ्ट कोरल"** के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हार्ड कोरल, भित्ति (रीफ) निर्माणकारी प्रवाल होते हैं। इनके चट्टान जैसे अस्थि-पंजर कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं।
  - प्रवाल भित्तियां **हार्ड कोरल के पॉलीप्स** से बनती हैं। ये **ज़ूजैंथले नामक सूक्ष्म शैवाल के साथ सहजीवी संबंध** स्थापित करते हैं। ये **शैवाल उन्हें विशिष्ट रंग प्रदान** करते हैं।
- **प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए अनुकूल स्थितियां:**
  - गर्म (23-29 डिग्री सेल्सियस), लवणीय (32-42 ppt) साफ और उथला समुद्री जल; तथा
  - स्थिर तापमान एवं प्रचुर मात्रा में सूर्य-प्रकाश।
- **प्रवाल भित्तियों का महत्त्व:**
  - इनमें लगभग **25% समुद्री जीवन का पोषण करने वाली उच्च जैव विविधता और उत्पादकता** होती है। इस वजह से इन्हें अक्सर **समुद्री वर्षावन** कहा जाता है।
  - ये **तूफान के प्रभाव या गति को कम** करती हैं,
  - इनसे **पर्यटन को बढ़ावा** मिलता है,
  - **ये कार्बन सिंक** के रूप में कार्य करते हैं।
- **कोरल ब्लीचिंग:** जब ये प्रवाल **तापमान, प्रकाश या पोषक तत्वों जैसी स्थितियों में परिवर्तन से दबावग्रस्त** होते हैं, तो वे अपने **सहजीवी शैवाल को स्वयं से अलग** कर देते हैं। इससे वे **पूरी तरह से सफेद** हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को **कोरल ब्लीचिंग** कहा जाता है।
  - **कोरल ब्लीचिंग के लिए जिम्मेदार कारक:** जलवायु परिवर्तन के कारण महासागर के तापमान में वृद्धि, समुद्र में अपशिष्ट जल का मिलना एवं प्रदूषण, अत्यधिक निम्न ज्वार, महासागर का अम्लीकरण आदि।

प्रवाल भित्तियों के संरक्षण हेतु किए गए उपाय

- **वैश्विक उपाय:** ICRI, ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ्स, ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क (GCRMN), **कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव (CTI)** आदि।
  - **कोरल ट्रायंगल, पश्चिमी प्रशांत महासागर** में स्थित एक समुद्री क्षेत्र है। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, तिमोर लेस्ते और सोलोमन द्वीप का जल क्षेत्र शामिल है।
- **भारत में किए गए उपाय:**
  - समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPA) घोषित किए गए हैं;
  - एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (ICZM) योजना शुरू की गई है और
  - बायोरॉक तकनीक के माध्यम से प्रवालों की पुनर्स्थापना की जा रही है आदि।

5.7.14. गैप लिमिटेशन (Gape Limitation)

- गैप लिमिटेशन पारिस्थितिकी संबंधी एक अवधारणा है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि **शिकारियों (Predator)** द्वारा एक निश्चित शारीरिक आकार वाले **शिकार (Prey)** का ही शिकार किया जा सकता है। यह शिकारी के जबड़े के खुलने या पंजे की पकड़ के दायरे या **"गैप"** से तय होता है।
    - इसका मतलब है, **छोटे शिकारी केवल छोटे शिकार को खा सकते हैं, जबकि बड़े शिकारी बड़े शिकार को खा सकते** हैं।
    - उदाहरण के लिए- शेर अपने जड़बे की बड़ी पकड़ के कारण जेबरा जैसे बड़े शिकार को मार सकते हैं, जबकि बाज जैसे छोटे शिकारी कृन्तकों को ही शिकार बना सकते हैं।
- **पारिस्थितिकी में गैप लिमिटेशन का महत्त्व:**
    - **खाद्य जाल को आकार देना:** गैप लिमिटेशन शिकारियों के आहार विकल्पों को निर्धारित करती है और अंततः खाद्य जाल की जटिल संरचना को संतुलित बनाए रखती है।
        - यह अलग-अलग प्रजातियों के बीच ऊर्जा प्रवाह और पारिस्थितिक संबंधों को प्रभावित करते हुए निर्धारित करती है कि कौन किसे अपना आहार बनाता है।
    - **अनुकूलन को बढ़ावा:** कुछ जीव अपने जबड़े और पंजों की क्षमता से परे शिकार को मारने के लिए झुण्ड में शिकार करने लगते हैं। अन्य जीव अपने जबड़े और पंजों की क्षमता के भीतर छोटे शिकार का शिकार करने लगते हैं।
        - मगरमच्छ अपने जबड़े की क्षमता या गैप से परे शिकार को पकड़ने के लिए मिलकर शिकार करते हैं।
    - **शिकारी-शिकार संतुलन को बनाए रखना:** इसके चलते निश्चित शिकारियों द्वारा निश्चित आकार के शिकार को ही आहार बनाया जाता है। इसलिए गैप लिमिटेशन शिकारी और शिकार की आबादी के समीकरण को संतुलित बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाती है।
        - यह पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर नाजुक संतुलन को बनाए रखने में योगदान देता है।
    - **पारिस्थितिकी तंत्र में होने वाले परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाना:** गैप लिमिटेशन को समझने से वैज्ञानिकों को यह पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलती है कि पर्यावरणीय असंतुलन, जैसे आक्रामक प्रजातियों के प्रवेश या शीर्ष शिकारियों के हटने से समग्र पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्यप्रणाली कैसे प्रभावित होती है।

5.7.15. वासुकी इंडिकस (Vasuki Indicus)

- पुरातत्वविदों को **गुजरात के कच्छ में पानंध्रो लिग्नाइट खदान में एक विशाल शिकारी सांप** का जीवाश्म मिला है। इसे **वासुकी इंडिकस नाम** दिया गया है।
- **वासुकी इंडिकस के बारे में:**
    - सांप की यह प्रजाति **संभवतः 47 मिलियन वर्ष पहले मध्य इओसीन कल्प (Period)** में पाई जाती थी।
    - इसकी लंबाई **36-49 फीट** के बीच थी।
    - यह **मैडट्सोइडे स्नैक फैमिली** का सदस्य है। यह प्रजाति लगभग **90 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व** में आई थी और लगभग 12,000 वर्ष पहले **विलुप्त** हो गई थी।
    - लगभग **50 मिलियन वर्ष पहले जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट** से टकराई थी, तब यह प्रजाति **भारत से दक्षिणी यूरेशिया और उत्तरी अफ्रीका** में पहुंचने लगी थी।

5.7.16 बटरफ्लाई सिकाडा (Butterfly Cicada)

- **मेघालय** में सिकाडा की एक नई प्रजाति की खोज की गई है।
- **बटरफ्लाई सिकाडा के बारे में**
    - यह **जीनस बेक्वार्टिना** से संबंधित है। देश में यह **जीनस पहली बार दर्ज** किया गया है।
    - इस जीनस की प्रजातियों के पंख **रंगीन** होते हैं। इस कारण इन्हें अक्सर **"बटरफ्लाई सिकाडा"** भी कहा जाता है।
    - भारत में इसकी खोज के बाद अब **जीनस बेक्वार्टिना का वितरण दक्षिण-पूर्व एशिया से पूर्वोत्तर भारत** तक माना जाने लगा है।
    - इसके अलावा, **अब ज्ञात बेक्वार्टिना प्रजातियों की कुल संख्या सात** हो गई है।

5.7.17. आरोग्यपचा (ट्राइकोपस ज़ेलेनिकस) {Arogyapacha (Trichopus Zeylanicus)}

- 'आरोग्यपचा' (ट्राइकोपस ज़ेलैनिकस) के पौधे केरल की अगस्त्य माला पहाड़ियों में पाए जाते हैं। यहाँ की **स्थानीय जनजाति 'कानि' द्वारा इसका उपयोग शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए किया जाता** है।
- **आरोग्यपचा के बारे में:**
    - आरोग्यपचा शब्द का शाब्दिक अर्थ है- **"हरित, जो शक्ति प्रदान करता है"।**
    - आरोग्यपचा एक छोटा औषधीय पौधा है जिसके **तने पतले और पत्ते मोटे** होते हैं। यह **नदियों और जल-धाराओं के किनारे छाया में उगता** है। इस पौधे के केवल फल ही खाने योग्य होते हैं।
    - **औषधीय गुण:** एंटी-ऑक्सीडेंट, एंटी-माइक्रोबियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटी-ट्यूमर, एंटी-अल्सर, एंटी-

हाइपरलिपिडेमिक, हेपेटोप्रोटेक्टिव और एंटी डायबिटिक आदि।

- आरोग्यपचा, ट्राइकोपस जेलेनिकस की एक उप-प्रजाति है।
  - भारत में पाई जाने वाली इस उप-प्रजाति को **ट्राइकोपस जेलेनिकस ट्रेवेनकोरिक्स** कहा जाता है।
  - हालांकि मुख्य प्रजाति ट्राइकोपस जेलेनिकस, श्रीलंका और थाईलैंड में पाई जाती है, लेकिन केवल भारतीय किस्म में ही औषधीय गुण पाए जाते हैं।

- केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित ट्रॉपिकल बोटेनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (TBGRI) ने "आरोग्य पाचा" में तीन अन्य सामग्रियों को मिला करके **'जीवनी' नामक एक दवा** विकसित की है।
  - कानि जनजातियों को इस दवा के वाणिज्यिक बिक्री पर होने वाले लाभ का 50% हिस्सा मिलता है।

5.7.18. रिंगवूडाइट (Ringwoodite)

- शोधकर्ताओं की एक टीम ने जल के एक विशाल भंडार **'रिंगवूडाइट महासागर'** की खोज की है। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 700 कि.मी. नीचे **मैंटल** में स्थित है।
  - **"रिंगवूडाइट महासागर"** पृथ्वी के मैंटल में रिंगवुडाइट नामक खनिजों में मौजूद जल का एक विशाल भंडार है।
- **रिंगवूडाइट के बारे में:**
  - यह **नीले रंग का एक चमकीला** खनिज है। इसका निर्माण पृथ्वी के मैंटल में उच्च तापमान और उच्च-दाब के कारण होता है।
  - यह उल्कापिंडों में अत्यधिक **उच्च दबाव में बनने वाले खनिजों में से एक है।**
  - इसका नाम ऑस्ट्रेलियाई भू-वैज्ञानिक **अल्फ्रेड ई. रिंगवुड** के नाम पर रखा गया है। उन्होंने मैंटल में पाए जाने वाले आम खनिजों जैसे ओलिवाइन और पाइरोक्सिन में **पॉलीमोरफिक फेज ट्रांजिशन (Polymorphic phase transitions)** का अध्ययन किया था।

5.7.19. बाओबाब वृक्ष (Baobab Tree)

- **ग्लोबल सोसाइटी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ बाओबाब एंड मैंग्रोव्स** ने बाओबाब वृक्षों को पुनर्जीवित करने के लिए एक मिशन शुरू किया है।

- **बाओबाब वृक्ष (जीनस: एडानसोनिया) के बारे में**
  - यह **लंबी अवधि तक जीवित रहने वाला एक पर्णपाती वृक्ष** है। इसका **तना चौड़ा और शीर्ष सघन** होता है। **बाओबाब वृक्ष 20 फीट से लेकर 100 फीट तक लंबे** हो सकते हैं।
  - यह **अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया** में उगता है।
  - यह वृक्ष **मध्य प्रदेश के धार जिले के मांडू** में भी पाया जाता है।
  - इन्हें **'उल्टे वृक्ष'** (Upside-down tree) के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि शुष्क मौसम में इन पर पत्तियां नहीं होती हैं, जिससे इनकी पत्ती विहीन भूरी और गांठदार शाखाएं जड़ों के समान दिखाई देती हैं।
  - इस वृक्ष की **छाल के रेशे का उपयोग रस्सी, कपड़ा, वाद्ययंत्र के तार** आदि बनाने में किया जाता है।

5.7.20. दक्षिणी महासागर क्षेत्र में सबसे स्वच्छ वायु के पीछे के कारण (Reasons For Cleanest Air in Southern Ocean)

- **वैज्ञानिकों ने** दक्षिणी महासागर (Southern Ocean) क्षेत्र में **सबसे स्वच्छ वायु के पीछे के कारणों** का पता लगाया।
- **स्वच्छ वायु** का अर्थ है **वायुमंडल में एरोसोल का निम्न स्तर** होना।
  - एयरोसोल **वायु में निलंबित महीन ठोस कणों या तरल बूंदों** को कहते हैं।
- **दक्षिणी महासागर क्षेत्र में वायु में एरोसोल के निम्न स्तर के लिए उत्तरदायी कारण:**
  - इस क्षेत्र में मानव गतिविधियां कम है। इसकी वजह से **जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम** होता है और **उत्सर्जन** भी कम होता है।
  - यहां सर्दियों में **पादपप्लवक (Phytoplankton) कम** होते हैं। इसकी वजह से सर्दियों में **कम मात्रा में सल्फेट कण मौजूद** होते हैं।
    - गौरतलब है कि **पादपप्लवक वायुजनित सल्फेट कणों** का एक स्रोत है।
  - **बादलों और वर्षा की भूमिका**
    - **मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना वाले बादल,** दक्षिणी महासागर क्षेत्र की जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
    - **खुले मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना** वाले बादल सूर्य के प्रकाश को स्वयं में से गुजरने देते हैं। ये बादल **अधिक तीव्र और छिटपुट वर्षा का कारण** बनते हैं। यह वर्षा **एरोसोल को हटा** देती है।
      - ✓ ये **बादल सर्दियों में अधिक** बनते हैं।
    - गौरतलब है कि **बंद मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना** वाले बादल सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। इससे **कम वर्षा** होती है और इस प्रकार ये बादल **एरोसोल को हटाने में कम प्रभावी** होते हैं।
- **दक्षिणी महासागर (अंटार्कटिक महासागर) के बारे में**
  - यह **भूगर्भिक दृष्टि से विश्व का सबसे युवा/ नया महासागर** है।

- यहां **दक्षिणावर्त** (Clockwise) प्रवाहित होने वाली **अंटार्कटिक परिध्रुवीय धारा** (Antarctic Circumpolar Current) अधिक है।
- यह क्षेत्र अपनी **तेज हवाओं, प्रबल तूफानों, नाटकीय मौसमी बदलावों और ठंडे तापमान** के लिए जाना जाता है।

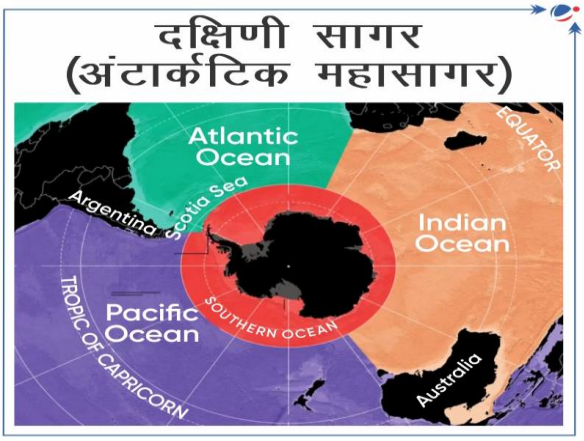

5.7.21. अफ़ार ट्रायंगल (Afar Triangle)

- भूवैज्ञानिकों ने **हॉर्न ऑफ अफ्रीका** में स्थित अफ़ार ट्रायंगल पर एक **नए महासागर के उभरने** की संभावना व्यक्त की है। अफ़ार ट्रायंगल को **अफ़ार डिप्रेशन** भी कहा जाता है।
- **अफ़ार ट्रायंगल के बारे में**
  - **ग्रेट रिफ्ट वैली** का सबसे **उत्तरी भाग** अफ़ार ट्रायंगल कहलाता है।
  - यह पृथ्वी पर सबसे अधिक भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। यहां **न्युबियन, सोमाली और अरेबियन प्लेट्स** आपस में अभिसरण (Converge) करती हैं।
  - जब नया महासागर बेसिन बन जाएगा तो अफ़ार ट्रायंगल **लाल सागर और अदन की खाड़ी** में जलमग्न हो जाएगा। इससे **पूर्वी अफ्रीका में एक अलग महाद्वीप** की उत्पत्ति हो सकती है।
  - इसमें **इरिट्रिया, जिबूती और इथियोपिया** के हिस्से शामिल हैं।
  - **अवाश नदी** अफ़ार ट्रायंगल से होकर बहने वाली मुख्य नदी है।

5.7.22. अरल सागर (Aral Sea)

- एक हालिया अध्ययन के अनुसार अरल सागर के सूखने से बने रेगिस्तान ने **मध्य एशिया** को अधिक धूल भरी जगह बना दिया है।
- **अरल सागर के बारे में**
  - कभी यह **मध्य एशिया** की खारे पानी की बड़ी झील थी।
  - इस सागर के **उत्तर में कजाकिस्तान और दक्षिण में उज्बेकिस्तान** स्थित है।
- **अन्य महत्वपूर्ण झीलें, जिनमें पिछले कुछ दशकों में पानी काफी कम हो गया है:**
  - **उर्मिया झील:** यह **उत्तर-पश्चिमी ईरान** में इसके **अजरबैजान** नामक क्षेत्र के विशाल मध्य निम्न भूमि क्षेत्र के नीचे स्थित है।
  - **हामौन झील:** यह **ईरान-अफगानिस्तान सीमा पर ईरान के क्षेत्र** में स्थित ताजे जल की झील है।

5.7.23 माउंट एटना ज्वालामुखी में वॉल्कैनिक वॉरटेक्स रिंग्स {Volcanic Vortex Rings (VVR) Observed From The Mount ETNA}

- गौरतलब है कि वॉल्कैनिक वॉरटेक्स रिंग्स (VVR) को **ज्वालामुखीय धुएं के छल्ले (Smoke rings)** भी कहा जाता है। ये छल्ले ज्वालामुखी में बने **क्रेटर में सर्कुलर वेंट (छिद्र) के जरिए जलवाष्प जैसी गैसों के बाहर निकलने** के दौरान बनते हैं।
  - वास्तव में इस परिघटना में ज्वालामुखी क्रेटर से धुआं ऐसे निकलता है, जैसे कोई व्यक्ति सिगरेट के धुएं से छल्ले बनाता है।
- **माउंट एटना** दुनिया का **सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है।** यह **सिसिली (इटली) के पूर्वी तट** पर स्थित है।
  - साथ ही, यह **यूरोप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी** भी है।
  - यह **भूमध्य सागर क्षेत्र** के अत्यधिक सक्रिय विवर्तनिकी (Tectonic) जोन में स्थित है।
  - यह क्षेत्र **मध्य-महाद्वीपीय ज्वालामुखी बेल्ट** का हिस्सा है।
    - सक्रिय ज्वालामुखियों वाली अन्य बेल्ट हैं- **सर्कम-पैसिफिक बेल्ट (रिंग ऑफ फायर) और मध्य-अटलांटिक बेल्ट।**
- **भूमध्य सागर क्षेत्र में अत्यधिक सक्रिय विवर्तनिकी क्षेत्र क्यों है?**
  - यह क्षेत्र **यूरेशियन और अफ्रीकी महाद्वीपीय प्लेट्स की अभिसरण सीमा** (Convergent boundary) पर स्थित है। साथ ही, इस क्षेत्र में कई अन्य लघु विवर्तनिक प्लेट्स भी स्थित हैं।
    - जब एक विवर्तनिक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहां भूपर्पटी नष्ट होती है, वह **अभिसरण सीमा** होती है।
- प्लेट्स के अभिसरण (Convergence) से समुद्र के पश्चिमी भाग में **प्रविष्ठन क्षेत्र (Subduction zone)** बनता है। इससे **ज्वालामुखी का निर्माण** होता है।
  - **प्रविष्ठन क्षेत्र वह जोन है,** जहां पृथ्वी की **दो विवर्तनिक प्लेट्स के बीच टकराव** होता है और एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसकर **मेंटल परत में जाकर पिघल** जाती है। इस पिघली हुई प्लेट से ही **मैग्मा** बनता है।
- इस क्षेत्र में सागर के भीतर ज्वालामुखियों की श्रृंखलाएं बन गई हैं।
- इस क्षेत्र में स्थित कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं: **माउंट वेसुवियस, स्ट्रॉम्बोली** आदि।

5.7.24. हिंद महासागर अवलोकन प्रणाली (Indian Ocean Observing System: IndOOS)

- हाल ही में, **भारत और अमेरिका ने IndOOS को पुनः सक्रिय करने का निर्णय** लिया है। यह कोरोना महामारी के बाद से निष्क्रिय स्थिति में था।

- **IndOOS के बारे में:**
  - यह खुले समुद्र में स्थित **36 मूर्ड बोयो का एक नेटवर्क** है। इसे मौसम पूर्वानुमान के लिए हाई-रिज़ॉल्यूशन वाले महासागरीय एवं वायुमंडलीय डेटा को एकत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  - **मूर्ड बोये समुद्र विज्ञान में उपयोग होने वाला एक उपकरण** है। इसे समुद्र में एक निश्चित स्थान पर ही स्थापित किया जाता है और इसमें लगे सेंसर आवश्यक डेटा एकत्र करते हैं।
  - इसे **2006 में स्थापित किया गया था।** इसे **निम्नलिखित उद्देश्यों को हासिल करने के लिए स्थापित किया गया** है:
    - मौसम और जलवायु पूर्वानुमान तथा पर्यावरणीय आकलन के लिए **निरंतर, उच्च गुणवत्ता वाले समुद्र विज्ञान एवं समुद्री मौसम संबंधी डेटा प्रदान करना।**
    - **हिंद महासागर के किनारे स्थित देशों के बीच सहयोग और भागीदारी को बढ़ावा देना** और उनकी दीर्घकालिक निगरानी और पूर्वानुमान क्षमता को बेहतर करना।
  - शुरुआत में इसकी स्थापना **मानसून को समझने और उसका पूर्वानुमान लगाने** के लिए की गई थी।
- **IndOOS के घटक:** हिंद महासागर में तैनात पांच अवलोकन नेटवर्क (Observing network) उपकरण निम्नलिखित को मापते हैं:
  - **समुद्री जल का तापमान,**
  - **लवणता,**
  - **महासागरीय जलधाराएं,**
  - **वायुमंडलीय आर्द्रता** और
  - **पवन**

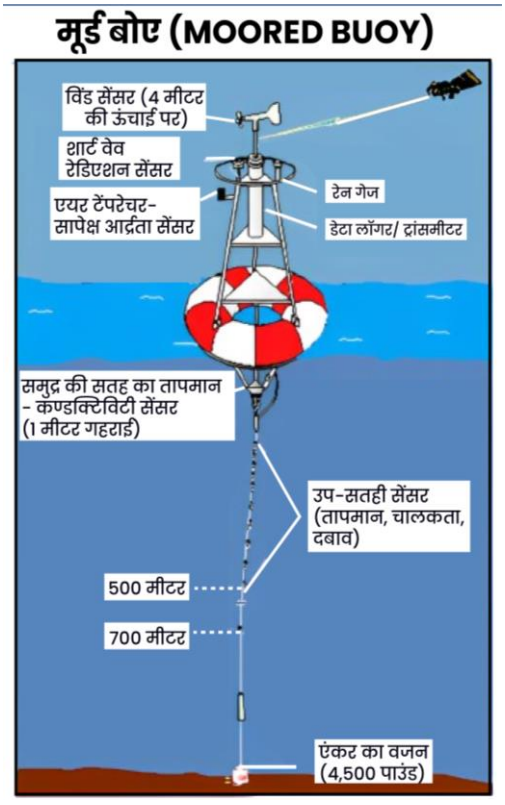

5.7.25. नेगेटिव लीप सेकंड (Negative Leap Second)

- शोधकर्ताओं के अनुसार **बर्फ के पिघलने में वृद्धि के कारण नेगेटिव लीप सेकंड जोड़ने की आवश्यकता में विलंब** हो सकता है। गौरतलब है कि **अंटार्कटिका व ग्रीनलैंड** में बर्फ के पिघलने के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति में कमी आई है।
- **नेगेटिव लीप सेकंड** वह सेकंड है, जिसे पृथ्वी के घूर्णन के साथ **समायोजित करने के लिए घड़ियों से घटाया** जाता है।
  - ऐसा तब किया जाता है, जब **पृथ्वी अधिक तेजी से घूर्णन कर रही होती है और दिन की अवधि कम** हो रही होती है।
- दूसरी तरफ, **पॉजिटिव लीप सेकंड के अंदर घड़ियों में एक अतिरिक्त सेकंड जोड़ा** जाता है।
  - ऐसा तब किया जाता है जब **पृथ्वी धीमी गति से घूर्णन कर रही होती है और दिन की अवधि अधिक** हो रही होती है।
- अब तक एक बार भी **नेगेटिव लीप सेकंड नहीं जोड़ा** गया है। हालांकि, **27 बार पॉजिटिव लीप सेकंड जोड़े** जा चुके हैं।

5.7.26. जीरो शैडो डे (Zero Shadow Day)

- हाल ही में, **बेंगलुरु में एक दुर्लभ खगोलीय परिघटना** दर्ज की गई। इसे **'जीरो शैडो डे'** के नाम से जाना जाता है।
- **जीरो शैडो डे के बारे में**
  - यह परिघटना तब घटित होती है, **जब सूर्य सिर के ठीक ऊपर एक सीध में आ जाता है।** ऐसी स्थिति में लंबवत (वर्टिकल) ऑब्जेक्ट्स की कोई परछाई नजर नहीं आती है।
  - यह परिघटना **वर्ष में दो बार कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित क्षेत्रों** में घटित होती है।
    - यह **एक बार ग्रीष्म अयनांत (Summer Solstice)** के दौरान और **दूसरी बार शीत अयनांत (Winter Solstice) के दौरान** घटित होती है।
  - जीरो शैडो डे **अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग घटित** होता है।

5.7.27. शुद्धि-पत्र (Errata)

- **जनवरी, 2024 मासिक समसामयिकी**
    - **आर्टिकल 5.3. "स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023"** के इन्फोग्राफिक 'मूल्यांकन के लिए मापदंड' में टाइपिंग संबंधी त्रुटि के चलते कुछ गलती हो गई है। नीचे दिए गए नए इन्फोग्राफिक को उसके स्थान पर रख कर आर्टिकल को पढ़ें।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **पर्यावरण** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन

UPSC मुख्य परीक्षा में सबसे ज्यादा उत्तर लेखन का कौशल मायने रखता है। इसका कारण यह है कि उत्तर लिखने की कला ही अभ्यार्थियों के लिए अपने ज्ञान, समझ, विश्लेषणात्मक क्षमता और टाइम मैनेजमेंट के कौशल को प्रदर्शित करने के एक प्राथमिक साधन के रूप में कार्य करती है। मुख्य परीक्षा में प्रभावी उत्तर लेखन, इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से पेश करने, विविध दृष्टिकोणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने और संतुलित तर्क प्रस्तुत करने की क्षमता प्रदर्शित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कुशलतापूर्वक एवं समग्रता से लिखा गया उत्तर, परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने एवं इस प्रतिस्पर्धी माहौल में अभ्यार्थियों को भीड़ से अलग करने में सहायक होता है, जो अंततः UPSC मुख्य परीक्षा में उनकी सफलता का निर्धारण करता है।

प्रभावशाली उत्तर लेखन के प्रमुख घटक

संदर्भ की पहचानः प्रश्न के थीम या टॉपिक को समझना एवं उस टॉपिक के संदर्भ में ही अपना उत्तर लिखना।

कंटेंट की प्रस्तुतीः विषय–वस्तु की व्यापक समझ का प्रदर्शन करना भी जरूरी होता है। इसके लिए प्रश्न से संबंधित सटीक तथ्यों, प्रासंगिक उदाहरणों एवं व्यावहारिक विश्लेषण को उत्तर में शामिल करना चाहिए।

सटीक एवं प्रभावी इंट्रोडक्शनः उत्तर शुरू करने के लिए भूमिका को आकर्षित ढंग से लिखने से, परीक्षक का ध्यान आकर्षित होता है एवं इससे उत्तर के आगे होने वाली चर्चाओं का संक्षिप्त विवरण मिलता है।

संरचना एवं प्रस्तुतीकरणः उत्तर को क्लियर हेडिंग के साथ, सब–हेडिंग या बुलेट पॉइंट के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से लिखना आवश्यक होता है। इसके अलावा, आसान समझ के लिए जानकारी को तार्किक ढंग से एवं बेहतर रूप से प्रस्तुत करना जरूरी होता है।

संतुलित निष्कर्षः मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में लिखने का प्रयास करना चाहिए। यदि प्रश्न में पूछा गया हो तो अंतर्दृष्टि या सिफारिशें प्रस्तुत करनी चाहिए। साथ ही, अपने तर्क या चर्चा को संतोषजनक निष्कर्ष तक पहुंचाना भी आवश्यक होता है।

भाषाः संदर्भ के अनुरूप सटीक और औपचारिक भाषा का उपयोग करना आवश्यक होता है। साथ ही, शब्दजाल, आम बोलचाल की भाषा के इस्तेमाल या अस्पष्टता से बचते हुए अभिव्यक्ति में प्रवाह एवं स्पष्टता का प्रदर्शन करना आवश्यक होता है।

Vision IAS के "ऑल इंडिया GS मेन्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" से जुड़कर प्रभावशाली उत्तर लेखन की कला एवं रणनीति में महारत हासिल कीजिए। इस प्रोग्राम में शामिल हैं:

- उत्तर लेखन पर 'मास्टर क्लासेज'
- विस्तृत मूल्यांकन
- व्यक्तिगत मेंटरिंग
- फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल
- व्यापक फीडबैक
- पोस्ट–टेस्ट डिस्कशन

यह हमेशा ध्यान रखिए कि **सिविल सेवा मुख्य परीक्षा UPSC CSE** की यात्रा का एक चरण मात्र नहीं है, बल्कि यह सिविल सेवाओं में प्रतिष्ठित पद तक पहुंचने का एक डायरेक्ट गेटवे है। इस प्रकार, यह परीक्षा आपकी आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदल देता है।

"ऑल इंडिया GS मेन्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए।

टॉपर्स के एप्रोच और तैयारी की रणनीतियों को जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

अहमदाबाद | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची | सीकर

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. भारत में शहरी निर्धनता (Urban Poverty in India)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, भारत रोजगार रिपोर्ट (IER)[108], 2024 जारी की गई, जिसमें **शहरी क्षेत्रों में उच्च बेरोजगारी और उच्च मजदूरी के सह-अस्तित्व पर प्रकाश डाला** गया है। साथ ही, इस रिपोर्ट में शहरी गरीबों के लिए इसके निहितार्थ को समझने के लिए आगे की जांच का आह्वान किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- IER, 2024 को **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)**[109] और **मानव विकास संस्थान (IHD)**[110] द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया है।
- 2015-16 से 2022-23 के दौरान वास्तविक आर्थिक संवृद्धि 5.4% के औसत से हुई। रिपोर्ट में इस तथ्य के मद्देनज़र **श्रमिक वर्ग पर लाभ के ट्रिकल-डाउन प्रभाव के संबंध में सवाल उठाए गए** हैं।
    - ट्रिकल-डाउन इफ़ेक्ट के तहत यह माना जाता है कि अमीरों और कॉर्पोरेट्स का धन और उनसे प्राप्त कर की राशि **अंततः श्रमिक वर्ग तथा हाशिए पर स्थित वर्ग तक पहुंचेगी,** जिससे उनकी **आर्थिक स्थिति में सुधार** होगा।

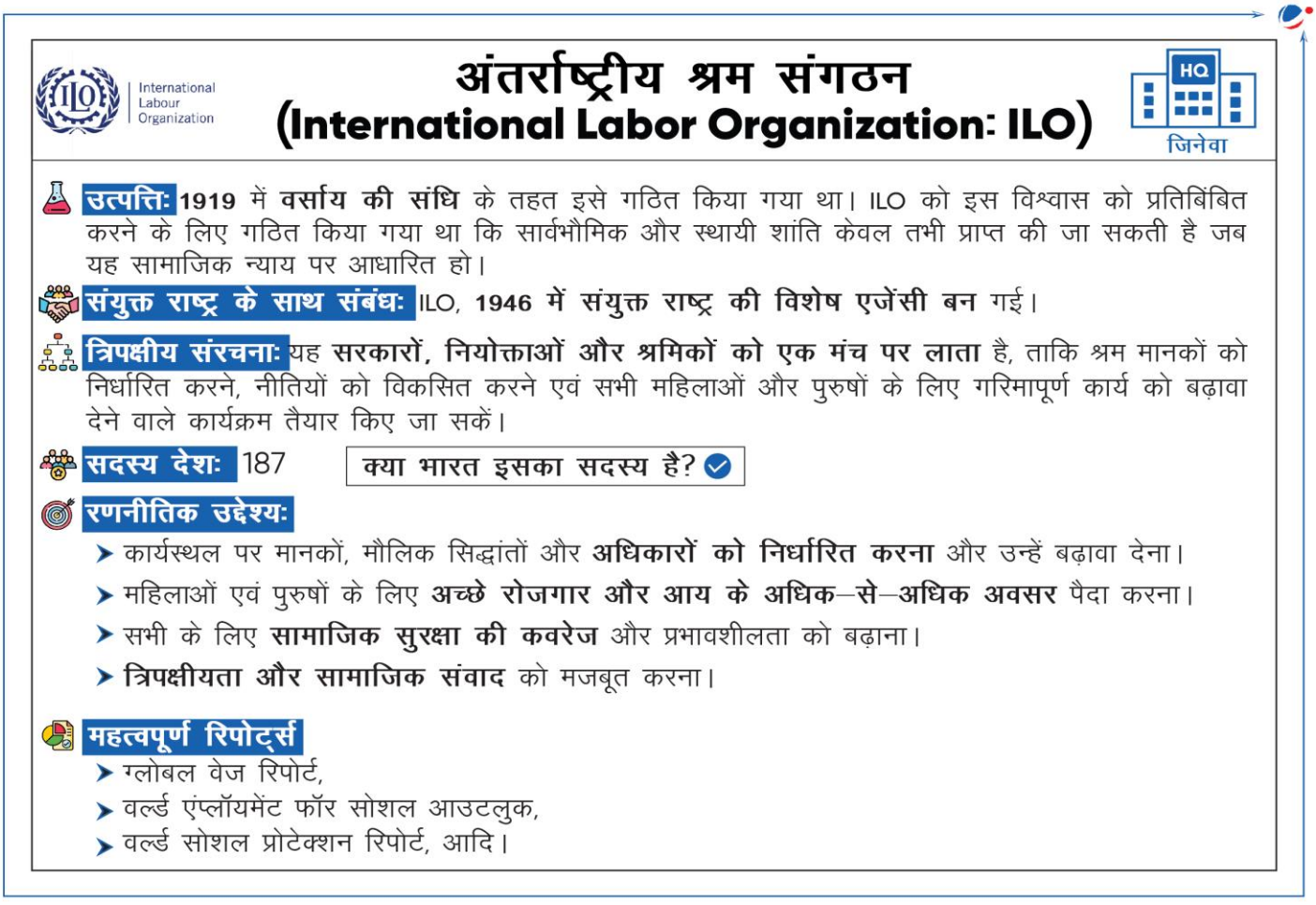

[108] India Employment Report

[109] International Labour Organization

[110] Institute for Human Development

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों पर एक नज़र

- **शहरी क्षेत्रों में उच्च बेरोजगारी:** ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं में बेरोजगारी दर अधिक है। साथ ही, यदि युवा आबादी की बात करें तो 20-29 आयु वर्ग के युवाओं की तुलना में 15-19 आयु वर्ग के युवाओं में बेरोजगारी दर अधिक है।
    - **हालांकि, उच्चतर बेरोजगारी और उच्च मजदूरी का सह-अस्तित्व** भी देखने को मिला है, जिसके कारण शहरी गरीबों पर इसके निहितार्थों को समझने के लिए और परीक्षण की आवश्यकता है।
- **लैंगिक अंतराल का जारी रहना:** वर्ष 2022 में ग्रामीण और शहरी दोनों, क्षेत्रों में युवकों की श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) (61.2%) युवतियों (21.7%) की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक थी।
- **शहरी गरीबी में कमी:** शहरी क्षेत्रों में गरीब व्यक्तियों का अनुपात अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 2012 के 13.7% से घटकर वर्ष 2022 में 12.55% हो गया।

शहरी गरीबी के बारे में

- शहरी गरीबी **ग्रामीण इलाकों की तरह ही रोजगार, भोजन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा** तक सीमित पहुंच से जुड़ी है। साथ ही, जिस इलाके में वो रहते हैं, वहां अपनी बात रखने का भी उनका अधिकार नहीं होता है।
- हालांकि, शहरी गरीबी की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, जो इसे **ग्रामीण गरीबी से अलग** बनाती हैं।

शहरी और ग्रामीण गरीबी के बीच अंतर

- **शहरी क्षेत्रों में आवास अपर्याप्त हैं और कानूनी अधिकारों की कमी** भी है, क्योंकि उनके आवास आमतौर पर अनधिकृत क्षेत्रों में होते हैं।
- **बुनियादी सेवाओं की कमी:** शौचालय सुविधाओं की कमी (विशेष रूप से महिलाओं के लिए); पेयजल, स्वच्छ हवा और वेंटिलेशन की कमी; और बीमारी के प्रति अधिक जोखिम।
- **परिवहन की चुनौतियां,** जबरन वसूली के खतरे और अपराध के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता।
- **शहरी गरीबों का सामाजिक नेटवर्क ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कमजोर होता है।** ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक संबंध और पारंपरिक समर्थन संरचनाएँ मजबूत होती हैं।
- **शहरी क्षेत्रों में गरीबी अधिक दिखाई देती है,** जिससे शहरी गरीबों में अधिक वंचित होने और सामाजिक बहिष्कार की भावना पैदा होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में, गरीबी अधिक व्यापक और एक जैसी होती है।
    - उदाहरण के लिए- मुंबई में गगनचुंबी इमारतों, लक्जरी होटलों, आदि का एशिया की सबसे बड़ी झुग्गियों में शामिल धारावी के साथ सह-अस्तित्व देखने को मिलता है।

शहरी गरीबी की व्यापकता के कारण

- **गरीबी का शहरीकरण: ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों का बेहतर रोजगार की तलाश में** गांव से शहरों की ओर पलायन करना, शहरी गरीबी का एक मुख्य कारण माना जाता है।
- **शहरीकरण में कई चीजें शामिल नहीं:** शहरी नियोजन की प्रक्रिया में अक्सर झुग्गी-झोपड़ियों जैसे अनौपचारिक बस्तियों में रहने वालों को नजरअंदाज कर दिया जाता है।
    - इन इलाकों में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी गरीबी के चक्र को बनाए रखती है।
- **शहरीकरण में क्षेत्रीय असमानता:** टियर II और टियर III शहरों के अपर्याप्त विकास ने दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों पर अत्यधिक जनसंख्या दबाव पैदा कर दिया है। इससे महानगरों में मलिन बस्तियों के विकास जैसी समस्याएँ बढ़ रही हैं।
    - **छोटे शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास में प्रति व्यक्ति लागत ज्यादा होने के कारण** भी असंतुलित शहरीकरण होता है। (उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की बुनियादी ढांचे पर रिपोर्ट, 2011)।
- **सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच की कमी:** कई गरीब प्रवासी शहरों में रहने का प्रमाण या पहचान पत्र नहीं दे पाते। इससे वे सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ नहीं उठा पाते और गरीबी के जाल में फंसे रहते हैं।
    - कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान गरीबी की ये समस्या और भी गंभीर हो गई थी, जिसके कारण गरीब लोगों को वापस गांव लौटना पड़ा था।
- **वित्तीय असुरक्षा:** अनौपचारिक **रोज़गार की उच्च व्यापकता, अल्प रोजगार जैसी समस्याएँ भी उत्पन्न हुई हैं,** क्योंकि तीव्र शहरीकरण के अनुरूप रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा नहीं हुए हैं। साथ ही, कम कौशल वाले लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा नहीं हुए हैं।

आगे की राह

- **समावेशी शहरीकरण:** शहरी विकास की योजना बनाने में स्थानीय समुदायों को शामिल करना और विकेंद्रीकृत निर्णय लेने की प्रक्रिया अपनाना जरूरी है।
    - शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोंपड़ियों और गरीब बस्तियों में **स्वयं-सहायता समूहों को बढ़ावा देना** और **समुदाय की अगुवाई वाली पहलों का समर्थन** करना चाहिए।
    - घेट्टो (पृथक्कृत वर्ग विशेष के लोगों की बस्ती) के निर्माण को रोकने और रोजगार के अवसरों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए **समावेशी ज़ोनिंग नीतियों** को बढ़ावा देना चाहिए।

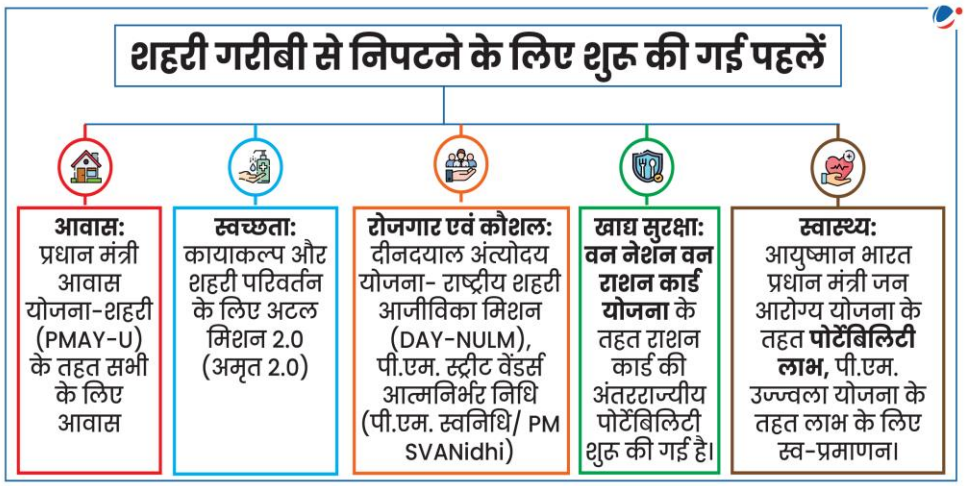

- **क्षेत्रीय विकास:** छोटे शहरों और कस्बों में आर्थिक गतिविधियों, उद्यमशीलता और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करके **संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि महानगरों पर दबाव कम हो सके।**
    - शहरी केंद्रों की ओर अत्यधिक प्रवासन को कम करने के लिए **ग्रामीण बुनियादी ढांचे, रोजगार के अवसरों और कृषि-उद्योग संबंधों में सुधार** करना चाहिए।
- **सतत आजीविका और कौशल विकास:** बेहतर ऋण सुविधा, व्यवसाय विकास सेवाओं और बाजार से जुड़ाव के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में श्रम प्रधान उद्योगों एवं लघु उद्यमों के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए।
    - **कुडुम्बश्री (महिलाओं का एक सामुदायिक नेटवर्क):** केरल ने इसे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के कार्यान्वयन में शामिल किया है।
- **सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की पोर्टेबिलिटी:** यह शहरी गरीबों के लिए बैंकिंग, ऋण और बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षाओं तथा वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करने की सुविधा प्रदान करेगा।

6.2. अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (Early Childhood Care and Education: ECCE)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) ने 3 से 6 साल के बच्चों के **'अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन' (ECCE) के लिए 'आधारशिला'** शीर्षक से एक **नेशनल करिकुलम (2024)** जारी किया है।

अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ECCE) के बारे में

- भारतीय संदर्भ में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ECCE) को आम तौर पर जन्म से लेकर आठ वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें शामिल है:
    - **0-3 वर्ष के बच्चों के लिए क्रेच/ होम स्टिम्युलेशन** के जरिए अर्ली स्टिम्युलेशन प्रोग्राम।
    - **3-6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन (ECE) कार्यक्रम** (जैसा कि आंगनबाड़ियों, बालवाड़ियों, नर्सरी, प्री-स्कूल, किंडरगार्टन, प्रारंभिक स्कूलों आदि में देखा जाता है)।
    - **6-8 वर्ष के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा** के भाग के रूप में प्रारंभिक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम।
- भारत सरकार ने **2013 में नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ECCE) नीति** को अपनाया था।

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020** और **नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज (NCF-FS) 2022** ने देश में ECCE की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी है।
    - NCF-FS के संस्थागत दिशा-निर्देश विशेष रूप से **3-6 साल और 0-3 साल के आयु समूह के बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले ECCE** को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए हैं।
- **आधारशिला ECCE, 2024** के लिए **नेशनल करिकुलम** इस आवश्यकता को पूरा करता है।
    - नेशनल ECCE करिकुलम 2024 (3-6 वर्ष) का उद्देश्य लर्निंग से जुड़े सभी डोमेन्स को कवर करते हुए क्षमता-आधारित शिक्षण और गतिविधियों को प्राथमिकता देकर आंगनवाड़ी केंद्र में प्रदान की जाने वाली प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की आयु से पहले होता है।

इस नीति के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- ECCE **पंचकोश की अवधारणा पर आधारित है।** यह भारत के प्राचीन ज्ञान और आधारित है और यह समग्र शिक्षा की दिशा की स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करता है। साथ ही, यह बच्चे के शारीरिक, मानसिक और अंतर्मन के बेहतर विकास के लिए एक व्यापक तथा संतुलित दृष्टिकोण भी प्रदान करता है।
- **प्रारंभिक वर्षों में भाषा और पढ़ना-लिखना सीखना:** बच्चों में पढ़ने लिखने से जुड़े उभरते कौशल, जैसे- प्रिंट अवेयरनेस (चित्र के विभिन्न हिस्सों को जोड़ना), ड्राइंग, स्क्रिबलिंग आदि को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
    - इसके तहत गणितीय से जुड़ी अवधारणाओं को भी विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **लर्निंग का सकारात्मक माहौल (दैनिक कार्य और आत्म-नियंत्रण संबंधी कौशल):** इसके तहत बच्चों में दिनचर्या का पालन करने, उनको सकारात्मक माहौल प्रदान करने, बच्चों में नेतृत्व के कौशल को बढ़ावा देने और निष्पक्ष रूप से विकल्प चुनने के लिए सक्षम बनाने पर ध्यान देना चाहिए।
- **खेल-खेल में सीखना:** खेलों के जरिए प्राप्त ज्ञान या सीख बच्चों के मस्तिष्क पर एक स्थायी छाप छोड़ती है।
    - कुछ खेल-आधारित गतिविधियां हैं- पहेलियां, रोल प्ले करना, किताबें पढ़ना, कहानियां बनाना, भाषा और गणित से जुड़े खेल, गाइडेड वाक।
- **अन्य**
    - आंगनवाड़ी केंद्रों में **सीखने या लर्निंग की विविधतापूर्ण पद्धतियों को अपनाना** आंगनवाड़ी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है।
    - **कम आयु से ही लैंगिक समानता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है,** क्योंकि लैंगिक भेद-भाव की शुरुआत और उसे आत्मसात करने की प्रक्रिया बच्चों में कम आयु से ही शुरू हो जाती है। यह बच्चों की आत्म-अवधारणा, आकांक्षाओं और व्यवहार को प्रभावित करता है।
    - **दिव्यांगों का समावेशन**
        - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2023 में दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल (Anganwadi Protocol for Divyang Children) जारी किया था। इसमें दिव्यांग बच्चों की स्क्रीनिंग, इन्क्लूशन और रेफरल की सुविधा प्रदान की गई है।

भारत में ECCE के लिए की गई पहलें

- **वर्ष 1975 में शुरू की गई एकीकृत बाल विकास सेवा** का उद्देश्य छोटे बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के कुपोषण, स्वास्थ्य और विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना था।
- **सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0:** यह एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है, जो बच्चों, किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की समस्या का समाधान करने पर केंद्रित है।

- मिशन शक्ति के तहत **पालना (आंगनवाड़ी सह क्रेच का प्रावधान)** और **प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)** शुरू की गई है।
- **वर्ष 2023 में 'पोषण भी पढ़ाई भी' पहल लॉन्च की गई।**
- **अन्य नीतियां:** इसमें राष्ट्रीय बाल नीति (1974), राष्ट्रीय शिक्षा नीति, (1986), बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (2005) शामिल हैं।

वैश्विक पहलें:

- यूनेस्को ने **प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए वैश्विक भागीदारी रणनीति (Global Partnership Strategy for Early Childhood) की स्थापना की है।**
  - इसका समग्र लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ECCE, प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास और प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चे के विकास को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां प्रत्येक बच्चे के लिए पूरी तरह से समावेशी, सुलभ, किफायती, जेंडर-रेस्पोंसिव और न्यायसंगत हों।
- **बाल अधिकारों पर कन्वेंशन (CRC)[111] 1989** और **सभी के लिए शिक्षा (EFA)[112] 1990,** का लक्ष्य सभी बच्चों के लिए शिक्षा को सुगम बनाना है, क्योंकि **"सीखने की शुरुआत जन्म से ही हो जाती है"।**
  - भारत इन दोनों कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता है।
- **"SDG4 - शिक्षा 2030"** एजेंडा में शिक्षा समुदाय से परे ECCE के लिए पहली वैश्विक प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया है।

ECCE को साकार करने से जुड़ी चुनौतियां

- **अपर्याप्त वित्त-पोषण:** 2020-21 में, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर **सार्वजनिक व्यय सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.1 प्रतिशत** था।
- **अवसंरचना, पाठ्य-सामग्री और कक्षा का माहौल:** ECCE केंद्रों में बच्चों की आयु और उनके विकास की दृष्टि से उपयुक्त टूल एवं खेल से संबंधित सामग्री का अभाव है।
- **शिक्षक:** शिक्षकों से जुड़े मुद्दे, जैसे- उनकी योग्यता, नियुक्ति, वेतन और प्रशिक्षण/ क्षमता निर्माण आदि भी मौजूद हैं।
  - ECCE शिक्षक/ देखभालकर्ताओं बच्चों की मातृभाषा सीखने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- **एडमिशन की अनिश्चित प्रक्रिया:** ECCE केंद्रों में बच्चों के एडमिशन की प्रक्रिया में एडमिशन की तारीख, एडमिशन हेतु बच्चे की आयु आदि के संदर्भ में स्पष्टता एवं पारदर्शिता नहीं है।
- **निगरानी और पर्यवेक्षण:** मैक्रो और माइक्रो स्तर पर ECCE केंद्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए **कोई स्पष्ट निगरानी एवं पर्यवेक्षण तंत्र मौजूद नहीं** है।
- **भारत में बाल्यावस्था देखभाल सहायता प्रणाली पर अत्यधिक बोझ:** सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 पहल के तहत प्रत्येक 22 बच्चों पर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही मौजूद है। मिशन वात्सल्य के तहत प्रत्येक 69 बच्चों पर एक जिला बाल संरक्षण अधिकारी ही मौजूद है।
- **अभिसरण/ समन्वय:** बच्चों की शिक्षा, देखभाल, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित विभिन्न आवश्यकताओं का समाधान अलग-अलग मंत्रालय और संस्थान द्वारा किया जाता हैं।

आगे की राह

- **ECCE सुविधाओं का विस्तार और उन्हें मजबूत बनाना:** विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित जिलों और स्थानों को फोकस करते हुए, देश में चरणबद्ध तरीके से उच्च गुणवत्ता वाले ECCE की सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- **विनियामक फ्रेमवर्क:** राज्यों को गुणवत्तापूर्ण परिणाम सुनिश्चित करने के लिए ECCE केंद्रों के पंजीकरण और मान्यता सहित प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक विनियामक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए।
- **अनुसंधान, मूल्यांकन और दस्तावेज़ीकरण:** नवीन और सफल मॉडल तैयार करने के लिए अनुसंधान करने और उनके प्रभाव का अध्ययन भी किया जाना चाहिए।
- **ECCE को MoWCD के वैधानिक दायित्व के रूप में मान्यता देना:** ECCE के संपूर्ण आयाम ('देखभाल' घटकों सहित) का समग्र प्रभार MoWCD के पास होना चाहिए।

---

[111] Convention on the Rights of the Child

[112] Education for All

- **प्रारंभिक-स्कूली शिक्षा** (ECE या प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा) प्रदान करने की जिम्मेदारी **शिक्षा मंत्रालय** द्वारा निभाई जा सकती है।

- **अन्य**
  - शिक्षाशास्त्र (Pedagogy) को **शिक्षक-केंद्रित बनाने के बजाय बाल-केंद्रित बनाना चाहिए।**
  - ECCE को बढ़ावा देने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि सरकारी धन का निवेश बेहतर समाधानों में हो।
  - आंगनवाड़ी शिक्षकों (AWTs) की उपलब्धता और समयबद्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।
  - **CSR** फंड बच्चों की देखभाल की गुणवत्ता और कवरेज को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

संबंधित सुर्खियां

- MoWCD ने जन्म से तीन साल तक के बच्चों के लिए **नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन 2024** भी लॉन्च किया गया है।

अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन (ECS) के बारे में

- इसकी शुरुआत **माता के गर्भ में गर्भधारण के बाद** बच्चों में **जैविक और संवेदन संबंधी विकास** से ही हो जाती है।
  - स्टिमुलेशन गतिविधियों में बच्चे के प्रारंभिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले प्रयास शामिल होते हैं।
- इसका उद्देश्य जन्म से लेकर बच्चे के विकास के पहले तीन वर्षों तक देखभाल और स्टिमुलेशन को समझने एवं लागू करने में मौजूद वैचारिक तथा व्यावहारिक अंतराल को भरना है।
- यह फ्रेमवर्क घर के अंदर और साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों या क्रेच में गतिविधियों का मार्गदर्शन करता है।
- इसमें **दिव्यांग बच्चों को भी शामिल करने के लिए** एक **स्क्रीनिंग टूल (आयु आधारित)** शामिल किया गया है।

6.3. अंग प्रत्यारोपण (Organ Transplantation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने **राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को अंग प्रत्यारोपण के सभी मामलों के लिए एक यूनिक NOTTO-ID** [113] आवंटित करने का निर्देश दिया है।

दिशा-निर्देशों के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **अस्पताल द्वारा NOTTO-ID** को **NOTTO वेबसाइट** से जनरेट किया जाएगा।
  - **किसी मृत दाता से प्राप्त अंग प्रत्यारोपण के मामले में अंगों के आवंटन** पर विचार करने के लिए **NOTTO-ID** अनिवार्य है।
  - **जीवित दाता से प्राप्त अंग के प्रत्यारोपण** के मामले में, प्रत्यारोपण सर्जरी होने के बाद **अधिकतम 48 घंटों के भीतर NOTTO-ID जनरेट की जाएगी।**
- मानव अंग और ऊतक का प्रत्यारोपण अधिनियम (THOTA)[114], 1994 के तहत **राज्य द्वारा नियुक्त प्राधिकारी** को **विदेशी नागरिकों से जुड़े अंग प्रत्यारोपण की जांच** करने के लिए अधिकृत किया गया है।
  - नियमों के उल्लंघन की किसी भी शिकायत की पर्याप्त जांच करनी होगी और उसी के आधार उचित कार्रवाई की जाएगी।
- प्रत्यारोपण/ पुनर्प्राप्ति के लिए **पंजीकृत अस्पतालों के नियमित निरीक्षण हेतु एक प्रणाली** विकसित की जानी चाहिए। इसके अलावा, **प्रत्यारोपण की गुणवत्ता, अंग दाता और प्राप्तकर्ता के पोस्ट-ऑपरेटिव फॉलो-अप और परिणामों** की भी निगरानी करनी चाहिए।

[113] National Organ and Tissue Transplant Organisation/ राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन

[114] Transplantation of Human Organs and Tissues Act

देश में **विदेशी नागरिकों से संबंधित अंग प्रत्यारोपण की संख्या में वृद्धि होने के मामले का संज्ञान लेते हुए** और ऐसे प्रत्यारोपण की निगरानी की आवश्यकता को देखते हुए ये निर्देश जारी किए गए हैं।

भारत में अंग प्रत्यारोपण के बारे में

- जब **शरीर का कोई अंग ख़राब या क्षतिग्रत हो जाता है तब अंग प्रत्यारोपण किया जाता है।** इसके तहत किसी जीवित व्यक्ति या मृत व्यक्ति (एक निश्चित समय के भीतर) से किसी अंग को किसी अन्य जीवित व्यक्ति में लगाया या प्रत्यारोपित किया जाता है।
- एक वर्ष में किए गए **कुल अंग प्रत्यारोपणों की संख्या के मामले में** विश्व में भारत का स्थान तीसरा है। इस मामले में प्रथम स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा स्थान चीन का है।
- भारत में अंग प्रत्यारोपण विशेष रूप से **किडनी और लीवर** के मामले में **जीवित दाता** पर निर्भर है।
    - इसलिए देश में हृदय, फेफड़े, अग्न्याशय और छोटी आंत का प्रत्यारोपण कम होता है।

क्या आप जानते हैं?

> **किडनी प्रत्यारोपण** दुनिया का **पहला सफल अंग प्रत्यारोपण** था, जिसे बोस्टन में डेविड ह्यूम और जोसेफ केली ने 1954 में किया था।

- 2023 में केंद्र सरकार द्वारा अंगदान और प्रत्यारोपण के लिए जारी संशोधित दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित बदलाव किए गए है:
    - सरकार ने मृत दाता का अंग प्राप्त करने हेतु **पंजीकरण की पात्रता के लिए 65 वर्ष तक की आयु सीमा को हटा** दिया है। अब, किसी भी आयु का व्यक्ति मृत दाता का अंग प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करा सकता है।
    - सरकार ने मृतक दाताओं से अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता वाले रोगियों के पंजीकरण हेतु संबंधित राज्य के निवासी होने वाली शर्त को हटा दिया है।
- सभी राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में अंगदान की प्रवृत्ति और प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा **राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (NOTP)**[115] लागू किया जा रहा है। **THOTA, 1994** के तहत निम्नलिखित निकाय स्थापित किए गए हैं:
    - **राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO):** यह नई दिल्ली में स्थित है। यह अंगों और ऊतकों की प्राप्ति एवं वितरण के मामले में समन्वय एवं नेटवर्किंग के लिए अखिल भारतीय गतिविधियों को संचालित करने वाला शीर्ष निकाय है।
    - **5 क्षेत्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन** (Regional Organ and Tissue Transplant Organizations: ROTTOs)
    - **14 राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन** (State Organ and Tissue Transplant Organizations: SOTTOs)
- **THOTA, 1994** में 2011 में **संशोधन** किया गया था। यह चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए **अंगों की पुनर्प्राप्ति, उनके भंडारण और प्रत्यारोपण को विनियमित करने** तथा **मानव अंगों एवं ऊतकों** के वाणिज्यिक लेन-देन को रोकने के लिए प्रमुख कानून है।
    - गौरतलब है कि यह **कृत्रिम अंगों** के प्रत्यारोपण को **विनियमित नहीं करता** है।

मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम (THOTA), 1994, (2011 में संशोधित)

- **प्रत्यारोपण के लिए अंगों के स्रोत:**
    - **जीवित दाता की सहायता से प्रत्यारोपण:** निकट संबंधी/ रिश्तेदार दाता, विशिष्ट शर्तों के साथ निकटतम रिश्तेदार के अलावा अन्य दाता, और विनिमय या स्वैप डोनर।
        - यदि **अंग प्राप्तकर्ता, कोई विदेशी नागरिक हो** और **दाता एक भारतीय नागरिक हो,** तो **अंगदान की अनुमति नहीं** दी जाती है, जब तक कि **वे करीबी रिश्तेदार न हों।**
        - जहां विदेशी नागरिक निकट रिश्तेदार होते हैं, तो उनके दाता या प्राप्तकर्ता होने की स्थिति में प्राधिकरण समिति की पूर्व मंजूरी अनिवार्य होगी।
    - **मृत दाता के अंगों का प्रत्यारोपण:** इसके तहत दाताओं की दो मुख्य श्रेणियां है:
        - **ब्रेन स्टेम डेथ (BSD) दाता**, और
        - **कार्डियक डेथ (DCD) दाता**
- अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी अस्पतालों में **अनिवार्य रूप से 'प्रत्यारोपण समन्वयक (Transplant Coordinator)'** की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।
- **ब्रेन डेथ या ब्रेन स्टेम डेथ (BSD)** को **कानूनी रूप से मृत्यु** के रूप में मान्यता दी गई है। इसके प्रमाणन के लिए **ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन बोर्ड के गठन का प्रावधान** किया गया है।

[115] National Organ Transplant Program

अंग प्रत्यारोपण से जुड़ी समस्याएं

भारत में अंगदान की दर **2013 से प्रति मिलियन जनसंख्या (PMP) पर 1 से भी कम पर स्थिर** बनी हुई है। अंगदान के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए अंगदान की अनुमानित दर लगभग 124 PMP होनी चाहिए।

अंग प्रत्यारोपण से जुड़ी कुछ प्रमुख समस्याएं

- **अस्पतालों से जुड़ी समस्याएं:** कई अस्पतालों में ब्रेन स्टेम डेथ (BSD) की पहचान और प्रमाणित करने एवं अंगों के रख-रखाव के लिए जानकारी और प्रशिक्षित कर्मियों का अभाव है। इसके अलावा, पर्याप्त कार्य बल, इष्टतम उपयोग और आवश्यक अवसंरचना की भी कमी है।
- **अपर्याप्त सरकारी स्वास्थ्य बजट:** ज्यादातर **अंगदान दाता मोटर वाहन दुर्घटना** से पीड़ित गरीब लोग होते हैं। इनका **इलाज मुख्य रूप से सरकारी अस्पतालों** में किया जाता है।
  - इन अस्पतालों में आम तौर पर मृतक अंगदान से जुड़ी सुविधाओं के लिए आवश्यक अवसंरचना की कमी होती है।
- **निजी क्षेत्रक का एकाधिकार:** भारत में जीवित अंगदान अवसंरचना तक विदेशियों की पहुंच तेजी से बढ़ रही है, और निजी भारतीय अस्पताल इसके लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभर रहे हैं।
  - इसके चलते उत्पन्न होने वाला **राजस्व, अवसंरचना और विशेषज्ञता निजी क्षेत्रक तक ही सीमित** हो गई है।
- **पहुंच संबंधी मुद्दे:** अंग दान से जुड़े अधिकांश मामले तृतीयक श्रेणी के अस्पताल संभालते हैं, लेकिन ऐसे ज्यादातर अस्पताल शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं।
- **कानून का दुरुपयोग:** THOTA के बावजूद भी भारतीय मीडिया में अंगों के व्यापार और किडनी के दुर्व्यापार के मामले नियमित रूप से रिपोर्ट किए जाते हैं।
- **गलत धारणाएं:** अंग दान के बारे में जागरूकता की कमी है। साथ ही, ज्यादातर डॉक्टर भी मृतक के परिजनों को अंगदान के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त, अंगदान के लिए प्रोत्साहन का अभाव और दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही का भय अंग दान में बाधा उत्पन्न करता है।

मानव अंगों की वाणिज्यिक खरीद और बिक्री से जुड़े नैतिक मुद्दों पर एक नज़र

- **गरीब दाताओं का शोषण:** गरीब लोगों को धन के एवज में अपने अंगों को बेचने के लिए मजबूर किया जा सकता है या धोखे से उनके अंग निकाले भी जा सकते हैं।
- **पूर्ण सूचना दिए बिना सहमति लेना:** कई बार जबरदस्ती, गलत सूचना देकर, या पूर्ण सूचना दिए बिना ही अंगदान करने वाले व्यक्ति की सहमति प्राप्त कर ली जाती है। यह कार्य दाताओं की स्वतंत्रता और स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।
- **मानव शरीर का वस्तुकरण:** अंगों को एक वस्तु समझ कर खरीद-फरोख्त करने से मानव की गरिमा और मानवीय नैतिक मूल्यों का पतन होता है।
  - यह **कांट की नैतिकता संबंधी उस अवधारणा के विरुद्ध** है, जिसके तहत, **"मनुष्य को अपने आप में एक साध्य माना जाता है, न कि किसी और चीज के लिए साधन"।**

आगे की राह

- **अवसंरचना का विकास:** सभी मेडिकल कॉलेजों और प्रमुख सरकारी अस्पतालों में गहन देखभाल चिकित्सा, **गैर-प्रत्यारोपण अंग पुनर्प्राप्ति केंद्र (NGORC)**[116] और अंग प्रत्यारोपण के लिए एक समर्पित विभाग बनाया जाना चाहिए।
- **NOTTO को सशक्त बनाना:** NOTTO कार्यालय में सेवा, अनुसंधान आदि के लिए **पर्याप्त संख्या में कार्यबल और बजट** होना चाहिए। ROTTO और SOTTO द्वारा किए गए कार्यों के मूल्यांकन के लिए **NOTTO स्तर पर लेखा-परीक्षण** की व्यवस्था की जानी चाहिए और उन्हें जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।
- **वहनीयता:**
  - **PMJAY-आयुष्मान भारत योजना:** इस योजना में **किडनी और अस्थि मज्जा** के प्रत्यारोपण को कवर किया गया है। हृदय, फेफड़े, लीवर, अग्न्याशय और अन्य अंगों के प्रत्यारोपण को भी इसमें शामिल करके प्रत्यारोपण की संख्या में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है।
  - **इम्यूनो-सप्रेसेंट्स जैसी दवाओं**, अंगों के परिवहन के लिए प्रिजर्वेटिव रसायनों और अंग प्रत्यारोपण के लिए आवश्यक अन्य उपयोगी सामग्रियों को टैक्स-फ्री करना चाहिए।
- **अनुसंधान एवं विकास में निवेश:** आधुनिक तकनीक का उपयोग करके **अंगों के संरक्षण और अंगों के पुनर्जीवन**[117] पर अनुसंधान करने की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए मृत दाताओं के अप्रयुक्त अंगों का उपयोग अनुसंधान कार्यों में किया जा सकता है।

[116] Non-Transplant Organ Retrieval Centers

- **जागरूकता:** देश में अंगदान करने की प्रतिज्ञा लेने वालों की संख्या में पहले की तुलना में काफी वृद्धि हुई है। हालांकि, अभी भी अंगदान के बारे में जागरूकता और अंगदान प्रणाली के बारे में प्रचार-प्रसार करने की जरूरत है। सभी ड्राइविंग लाइसेंस में अंग दान करने का प्रावधान सम्मिलित करना भी एक अच्छा उपाय साबित हो सकता है।
- **सहयोगात्मक दृष्टिकोण:** अंग प्रत्यारोपण के मामलों में उभरती प्रौद्योगिकियों, जैसे- ज़ेनोट्रांसप्लांटेशन और जीन एडिटिंग को नियंत्रित करने हेतु नैतिक दिशा-निर्देश एवं नीतियां तैयार करने के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए।

6.4. खेलों में डोपिंग (Doping in Sports)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी (WADA)[118] द्वारा जारी किए गए 2022 के टेस्टिंग आंकड़ों में भारत में **डोपिंग करने वाले खिलाड़ियों का उच्चतम प्रतिशत (3.26%)** दर्ज किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- डोपिंग के अपराधियों के प्रतिशत के मामले में भारत के बाद **दक्षिण अफ्रीका** और **बैंकॉक** का स्थान आता है।
- 2022 में, 2021 की तुलना में लगभग सभी तरह के प्रतिबंधित ड्रग्स के उपयोग की संख्या में वृद्धि देखी गई।

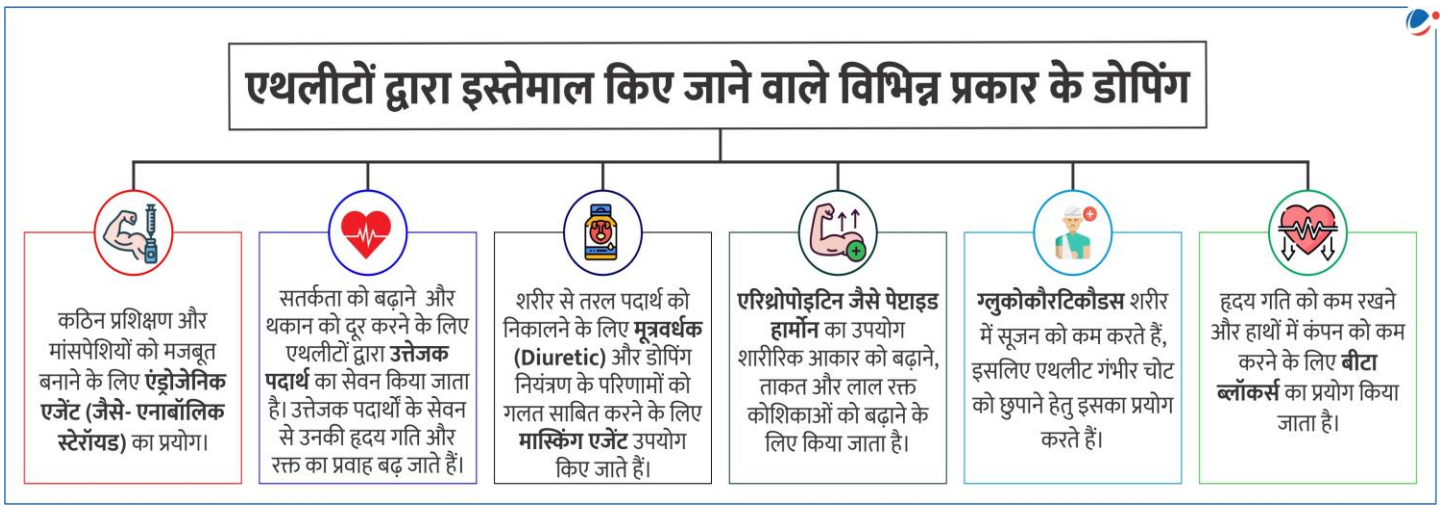

डोपिंग के बारे में

- खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त हासिल करने के लिए प्रतिबंधित, कृत्रिम और प्रायः अवैध पदार्थों का सेवन करना डोपिंग कहलाता है।
- डोपिंग में रक्त आधान (Blood Transfusions) के जरिए **रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने** जैसे अन्य तरीके भी शामिल हो सकते हैं।

---

[117] Organ Preservation and Organ Resuscitation

[118] World Anti-Doping Agency

भारतीय खेलों में डोपिंग की बढ़ती घटनाओं के कारण

- **प्रतिष्ठा और पुरस्कार:** विजेताओं को शीघ्र प्रतिष्ठा, वित्तीय पुरस्कार और सरकारी नौकरियां प्राप्त होती हैं।
- **आसान पहुंच और उपलब्धता:** ये पदार्थ प्रतिबंधित पदार्थों के वितरण पर अंकुश लगाने के लिए बनाए गए नियमों और प्रयासों के बावजूद विभिन्न रूपों में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं।

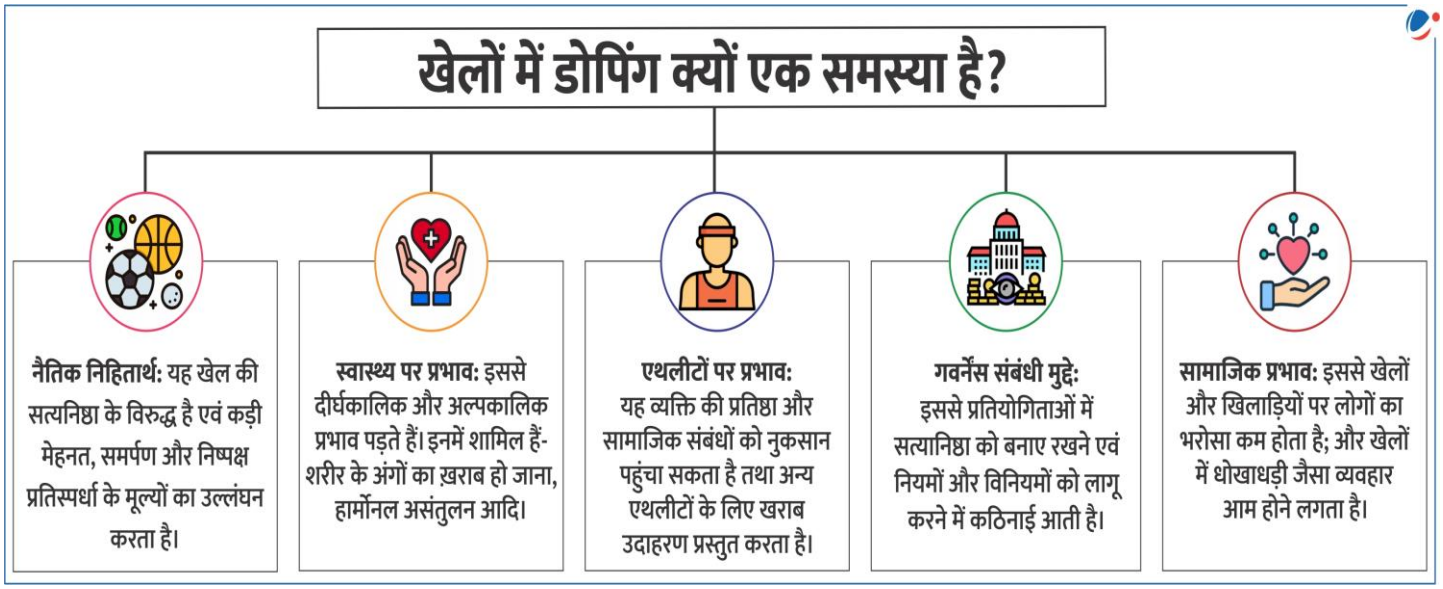

- **व्यापक शिक्षा और जागरूकता का अभाव:** खासकर शुरुआती स्तर पर, खिलाड़ियों को डोपिंग के खतरों और खेल भावना (Sportsmanship) को नुकसान पहुँचाने के बारे में उचित जानकारी नहीं होती है।
- **खेलों के लिए अवसंरचना और समर्थन की कमी:** बेहतर सुविधाओं वाले देशों के खिलाड़ियों से आगे निकलने के लिए खिलाड़ी मजबूरन डोपिंग का सहारा ले लेते हैं।
- **सामाजिक दबाव:** भारत में करियर के रूप में खेल को अक्सर हेय दृष्टि से देखा जाता है, जिससे एथलीटों पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कोच, परिवार और समाज का अत्यधिक दबाव होता है।
- **अप्रभावी परीक्षण और निगरानी:** देश के कई हिस्सों में छोटी खेल प्रतिस्पर्धाओं के लिए कोई डोपिंग रोधी संस्था मौजूद नहीं है।

भारत में डोपिंग के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए किए गए प्रयास

- **राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी अधिनियम, 2022:** इसका उद्देश्य डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम के संचालन के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना और तंत्र को मजबूत करना था।
  - इसके तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के गठन का प्रावधान किया गया था।
- **राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA):** यह युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत गठित एक स्वायत्त निकाय है। इसका उद्देश्य विश्व डोपिंग रोधी संहिता, 2021 के अनुरूप भारत में डोपिंग रोधी कार्यक्रम को संचालित करना है।
  - इसे 2005 में **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860** के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में गठित किया गया था।
- **NADA द्वारा की गई की प्रमुख पहलें:**
  - डोपिंग के संबंध में शिक्षा और जागरूकता का प्रसार करने के लिए **खेलों में डोपिंग रोधी शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम (PEADS)**[119] शुरू किया गया है।
  - खेल में डोपिंग रोधी क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए **दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन (SARADO)**[120] के साथ **समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर** किए गए है।

[119] Program for Education and Awareness on Anti-Doping in Sports

- एथलीटों और उनके सहायक कर्मियों के लिए एंटी-डोपिंग नियमों और दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए **एंटी-डोपिंग हेल्पलाइन नंबर** जारी किया गया है।

- **नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अधिनियम, 1985:** यह किसी भी व्यक्ति को किसी भी मादक पदार्थ या मन:प्रभावी पदार्थ के उत्पादन, खेती, बिक्री, खरीद, परिवहन, उपभोग जैसी किसी भी गतिविधि में शामिल होने से रोकता है।
- भारत ने **डोपिंग के खिलाफ 'संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन[121]' पर हस्ताक्षर और उसकी पुष्टि** की है।

भारत में डोपिंग पर अंकुश लगाने हेतु आगे की राह

- **शिक्षा:** सभी आयु के एथलीटों को प्रतिबंधित पदार्थों के खतरों के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है।
- **सप्लीमेंट्स को विनियमित करना:** भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) सप्लीमेंट्स को प्रमाणित कर सकता है कि उनमें प्रतिबंधित पदार्थ मौजूद नहीं हैं।
- **परीक्षण और निगरानी बढ़ाना:** एक निवारक उपाय के रूप में कार्य करने के लिए NADA प्रतियोगिता के दौरान और उसके बाहर दोनों तरह से डोपिंग परीक्षणों की आवृत्ति और उसकी गुणवत्ता बढ़ा सकता है।
- **खेल अवसंरचना को मजबूत करना:** उन्नत उपकरणों के साथ-साथ एथलीट्स के सहायक कर्मियों की उपलब्धता को बढ़ाना चाहिए।
- **समाज में खेल के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना:** एथलीटों पर दबाव कम करने के लिए सामाजिक बाधाओं और पूर्वाग्रहों को दूर करने की आवश्यकता है।

[120] South Asia Regional Anti-Doping Organization

[121] United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization International Convention

6.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

6.5.1. बाल देखभाल अवकाश (Child Care Leave: CCL)

- सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि माताओं को बाल देखभाल अवकाश (CCL) देने से मना करना संविधान का उल्लंघन है।
- हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों की पीठ ने हिमाचल प्रदेश सरकार को **बाल देखभाल अवकाश (CCL) पर अपनी नीतियों की समीक्षा** करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य को **कामकाजी माताओं (विशेषकर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की माताओं) से संबंधित CCL पर उसकी नीतियों की समीक्षा** करने का आदेश दिया है।
- **सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जुड़े मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**
  - कोर्ट ने कहा कि एक **कामकाजी माता का नियोक्ता** (Employer) होने के नाते राज्य सरकार सेवारत **महिला की घरेलू जिम्मेदारियों से अनभिज्ञ नहीं** रह सकती है।
  - **कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी संविधान के अनुच्छेद 15 द्वारा गारंटीकृत एक संवैधानिक अधिकार** है।
    - **अनुच्छेद 15** में प्रावधान किया गया है कि राज्य **केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं** करेगा।
  - प्रसव दौरान दिए गए **मातृत्व हितलाभ पर्याप्त नहीं हैं** और संभवतः ये बाल देखभाल अवकाश की अवधारणा से अलग हैं।

मातृत्व हितलाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के बारे में

- यह **महिला कर्मियों के लिए 26 सप्ताह के सवैतनिक मातृत्व अवकाश** का प्रावधान करता है।
  - इन 26 सप्ताहों में से, **अधिकतम 8 सप्ताह का अवकाश प्रसव की अपेक्षित तारीख से पहले** लिया जा सकता है।

- **बाल देखभाल अवकाश (CCL) के बारे में**
  - केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली, 1972 के नियम 43-C में **18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों वाली महिला कर्मचारियों को अपने बच्चों की देखभाल के लिए संपूर्ण सेवा वर्ष में 730 दिन के CCL** का प्रावधान किया गया है।
    - यह सुविधा केवल दो बच्चों तक ही उपलब्ध होगी। यह योजना 18 वर्ष की आयु तक के दो सबसे बड़े जीवित बच्चों की देखभाल के लिए उपलब्ध है।
    - उल्लेखनीय है कि दिव्यांग बच्चे के मामले में **कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं** की गई है।
    - हिमाचल प्रदेश राज्य ने **CCL के इन प्रावधानों को नहीं अपनाया** है।

6.5.2. 98% शहरी महिलाओं को घरेलू वित्तीय निर्णयों में शामिल करना (98% of Urban Women Involved in Household Financial Decisions)

- AMFi-CRISIL ने **'म्यूचुअल ग्रोथ'** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार **भारत में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर (LFPR)[122] और वित्तीय निर्णय लेने में भागीदारी बढ़** रही है।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**
  - महिला **LFPR पांच वर्ष पहले यानी 2017-18 में 23.3%** थी। यह अक्टूबर 2023 में जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)[123] के आंकड़ों के अनुसार बढ़कर **37.0%** हो गई है।
  - महिला LFPR पांच साल पहले के 23.3% के मुकाबले बढ़कर 37% (अक्टूबर, 2023 का PLFS) हो गई।
  - **47% महिलाएं स्वयं वित्तीय निर्णय** लेती हैं।
  - वित्तीय निर्णय लेने में **महिलाओं की स्वायत्तता उनके आय के स्रोत, आयु और समृद्धि की अवस्था पर निर्भर** करती है।
- **वित्तीय निर्णय लेने में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का महत्त्व**
  - **सामाजिक:** इससे लैंगिक असमानताओं, घरेलू हिंसा और संघर्ष में कमी आती है, जिससे **महिलाओं का समग्र सशक्तीकरण** सुनिश्चित होता है।
    - बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल आदि के लिए आवंटित संसाधनों में आनुपातिक वृद्धि होने से अगली पीढ़ी का बेहतर भविष्य सुनिश्चित होता है।
  - **आर्थिक:** वित्तीय साक्षरता और समावेशन के परिणामस्वरूप **परिवारों एवं समुदायों के लिए बेहतर वित्तीय योजना निर्माण व धन प्रबंधन संभव** होता है।
    - वित्तीय मध्यस्थता और बाजार विस्तार में वृद्धि होती है। उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए महिलाओं की प्रतिभा एवं कौशल का उपयोग किया जा सकता है।

[122] Labour Force Participation Rate

[123] Periodic Labour Force Survey

- **महिलाओं की वित्तीय स्वायत्तता के समक्ष मौजूद चुनौतियां**
  - **सामाजिक-सांस्कृतिक:** पितृसत्तात्मक व्यवस्था, लैंगिक रूढ़ियां आदि समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी हैं। ये महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को सीमित करती हैं।
  - **आर्थिक असमानताएं:** महिलाओं की औपचारिक कार्यबल में कम भागीदारी है। वेतन में लैंगिक आधार पर अंतर मौजूद है। विश्व असमानता रिपोर्ट, 2023 के अनुसार कुल श्रम बल की आय में महिला श्रम बल आय की हिस्सेदारी मात्र 18% थी।
    - कार्य का **'दोहरा बोझ'** (ऑफिस और घरेलू कार्य),
    - महिलाएं **घरेलू व देखभाल संबंधी** जो कार्य करती हैं, वे अवैतनिक होते हैं और इन कार्यों को अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता है।

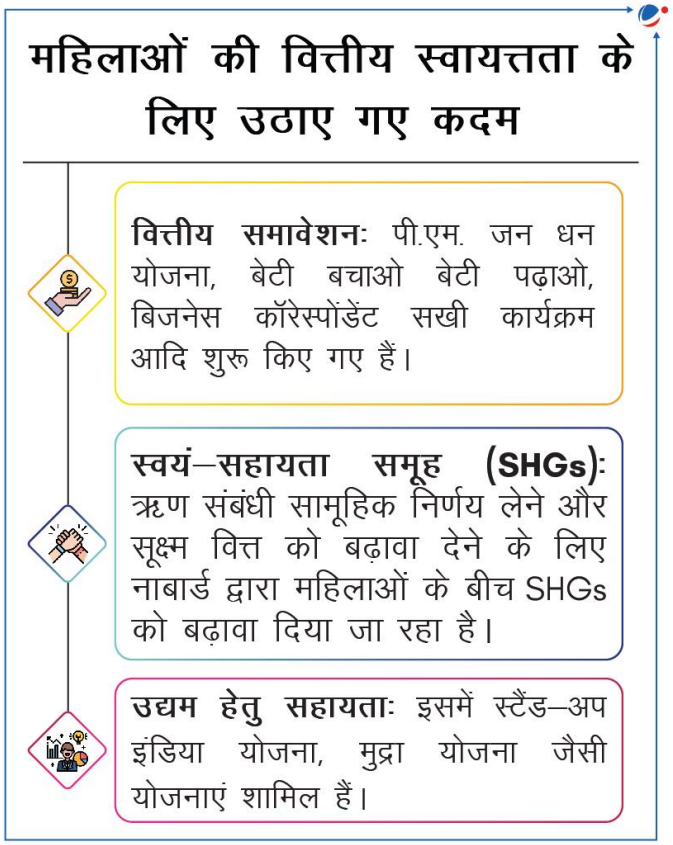

6.5.3. यूनेस्को की "टेक्नोलॉजी ऑन हर टर्म्स" रिपोर्ट (UNESCO'S "Technology on her Terms" Report)

- यूनेस्को ने वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट की "जेंडर रिपोर्ट 2024" को "टेक्नोलॉजी ऑन हर टर्म्स" शीर्षक से जारी किया गया है।
- रिपोर्ट में **लड़कियों के लिए शिक्षा के अवसरों और परिणामों पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव तथा भविष्य के तकनीकी विकास में शिक्षा की भूमिका का आकलन** किया गया है।
- **लड़कियों की शिक्षा पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव:**
  - कोविड महामारी जैसे संकट में भी सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (ICT) **लड़कियों की शिक्षा प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को** दूर कर सकती है।
    - उदाहरण के लिए: केन्या में **एम-शुले प्लेटफॉर्म (M-shule platform)** इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता के बिना टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है।
  - **डिजिटल विभाजन:** लड़कियां और महिलाएं प्रौद्योगिकी तक पहुंच बनाने में कम सक्षम होती हैं। विश्व स्तर पर **पुरुषों की तुलना में 130 मिलियन कम महिलाओं के पास मोबाइल फोन है। इसी तरह पुरुषों की तुलना में 244 मिलियन कम महिलाओं को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्राप्त है।** तक पहुंच है।
  - सोशल मीडिया कल्याण की भावना को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और लैंगिक रूढ़िवादिता को मजबूत करता है। 10 साल की उम्र में सोशल मीडिया पर अधिक सक्रियता **लड़कियों में उम्र के साथ बढ़ती सामाजिक-भावनात्मक कठिनाइयों** से जुड़ी हुई है।
  - **साइबरबुलिंग** की घटनाएं काफी आम हो गई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके बनाए गए **डीपफेक के खतरे से इसमें और बढ़ोतरी** हुई है।
- **तकनीकी विकास को दिशा देने में शिक्षा की भूमिका:**
  - **STEM क्षेत्रक** में युवा महिला स्नातकों की औसत भागीदारी **15%** और युवा पुरुष स्नातकों की **35%** है।
    - STEM से आशय है; साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स।
  - **तकनीकी डिजाइन और कार्यान्वयन में कम प्रतिनिधित्व:** 2022 में महिलाओं की विज्ञान, इंजीनियरिंग और ICT क्षेत्रक की नौकरियों में **25% से कम हिस्सेदारी** थी।
  - माता-पिता और शिक्षकों की भी STEM क्षेत्रक में लड़कियों द्वारा बेहतर प्रदर्शन की कम उम्मीद होती है। यह निराधार सोच **नकारात्मक लैंगिक रूढ़ियों** को मजबूत करती है। इससे लड़कियों की STEM क्षेत्रक में भागीदारी प्रभावित होती है।

रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें:

- **शिक्षा प्रौद्योगिकी और एल्गोरिदम का मूल्यांकन करने के लिए समर्पित निकायों** का गठन किया जाना चाहिए। इससे यह आकलन किया जा सकेगा कि शिक्षा प्रौद्योगिकी और एल्गोरिदम नकारात्मक लैंगिक रूढ़िवादिता को कहां तक बढ़ा रहे हैं या कल्याण को नकारात्मक रूप से कितना प्रभावित कर रहे हैं।
- **अधिक से अधिक लड़कियों को वैज्ञानिक करियर अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।** साथ ही, AI और प्रौद्योगिकी विकास में महिला नेतृत्व को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- सभी के लिए डिजिटल साक्षरता और कौशल को बढ़ाने के लिए **केवल अवसंरचना में निवेश करने के दृष्टिकोण से बचना** चाहिए।

इसके साथ-साथ **लैंगिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों** में भी निवेश किए जाने की जरूरत है।

6.5.4. विश्व जनसंख्या स्थिति, 2024 रिपोर्ट (State of World Population - 2024 Report)

- **संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA)[124] ने** 'विश्व जनसंख्या स्थिति, 2024 रिपोर्ट' जारी की।
- यह रिपोर्ट **"इंटरवोवन लाइव्स, थ्रेड्स ऑफ होप: एंडिंग इनइक्वलिटीज़ इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ (SRH) एंड राइट्स"** शीर्षक से जारी की गई है।
  - महिलाओं के **लैंगिक और जनन स्वास्थ्य अधिकार (Sexual and Reproductive Health Rights: SRHR)** में शामिल हैं:
    - यातना से मुक्ति का अधिकार;
    - स्वास्थ्य, निजता, शिक्षा व जीवन का अधिकार तथा
    - भेदभाव की रोकथाम का अधिकार।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**
  - **भारत की जनसंख्या** लगभग **144.17 करोड़** है। इस तरह **भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है।** इसके बाद **142.5 करोड़ की आबादी वाला चीन** दूसरे स्थान पर है।
    - **भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में दोगुनी होने का अनुमान है।**
  - **भारत की 68% जनसंख्या 15-64 वर्ष आयु वर्ग** की है। इसके बाद **10-24 वर्ष आयु वर्ग (26%) की हिस्सेदारी** है।
  - भारत की **कुल प्रजनन दर 2.0 अनुमानित** है।
    - **कुल प्रजनन दर (TFR):** यह महिला के प्रजनन काल की पूरी अवधि के दौरान उससे जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या है।
  - भारत में, **पुरुषों और महिलाओं** के लिए जन्म के समय **जीवन प्रत्याशा (Life expectancy)** क्रमशः **71 वर्ष और 74 वर्ष** अनुमानित है।
  - **2006-2023** के बीच **भारत में बाल विवाह की दर 23%** थी।
  - दिव्यांग महिलाओं को **सामान्य महिलाओं की तुलना में 10 गुना अधिक जेंडर-आधारित हिंसा** का सामना करना पड़ता है।
  - 30 वर्षों (1994-2024) के दौरान **लैंगिक और जनन स्वास्थ्य (SRH) में हुई प्रगति में सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले समुदायों की अनदेखी** की गई है।
- **लैंगिक और जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की पहलें**
  - **भारत में:**
    - **जननी सुरक्षा योजना** चलाई जा रही है,
    - **सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम, 2024** लागू किए गए हैं आदि।
  - **विश्व में:**
    - 1994 में काहिरा (मिस्र) में **अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या और विकास कार्यक्रम सम्मेलन** आयोजित किया गया था।
    - **बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, 1995** लॉन्च किया गया है आदि।

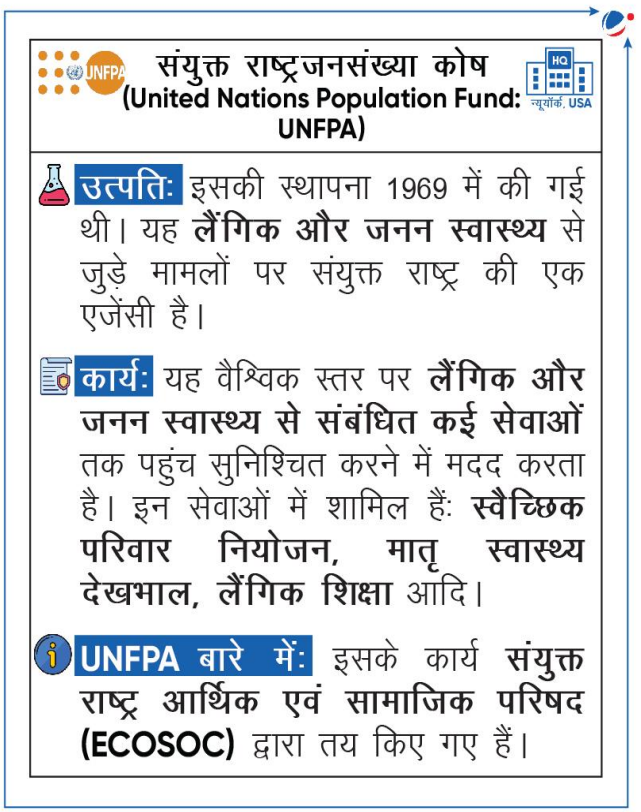

6.5.5. लॉन्गविटी इंडिया पहल (Longevity India Initiative: LII)

- **भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc)** ने भारत में वृद्ध होती आबादी (एजिंग) पर अनुसंधान का समर्थन करने के लिए **'लॉन्गविटी इंडिया'** पहल शुरू की है।
- **लॉन्गविटी इंडिया पहल के बारे में**

[124] United Nations Fund for Population Activities

- यह बुनियादी और व्यावहारिक अनुसंधान के जरिए **एजिंग से जुड़ी समझ को बढ़ाएगी।** साथ ही, ऐसे समाधान विकसित करेगी, जो **जीवन की गुणवत्ता में सुधार** कर सकें।
- यह देश भर में **हेल्दी एजिंग को बढ़ावा** देने के लिए शिक्षा और उद्योग जगत से अलग-अलग क्षेत्रों की विशेषज्ञता वाले लोगों को एक साथ लाएगी।
- **अनुसंधान के मुख्य विषय क्षेत्र होंगे:** बीमारी के आरंभिक संकेतों/ लक्षणों की पहचान करना, बुढ़ापे के संकेतों (बायोमार्कर) की जांच करना और **हेल्दी एजिंग** में सहायता के लिए नए चिकित्सा विधानों और प्रौद्योगिकियों का विकास करना।

6.5.6. क्वीर समुदाय के लिए अधिसूचित पैनल (Panel For Queer Community Notified)

- **कानून और न्याय मंत्रालय** ने क्वीर समुदाय से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए **पैनल** के गठन को **अधिसूचित** किया।
- इस पैनल का गठन **सुप्रियो बनाम भारत संघ मामले (2023)** में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में किया गया है। इस पैनल की अध्यक्षता **कैबिनेट सचिव** द्वारा की जाएगी।
  - इस वाद में, **सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता** देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि इस पर निर्णय करने का अधिकार संसद का है।

- **यह पैनल निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए उपायों का सुझाव देगा :**
  - क्वीर समुदाय द्वारा **वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति में सामना किए जाने वाले भेदभाव को समाप्त करना;**
  - क्वीर लोगों का उनकी **इच्छा के खिलाफ चिकित्सा उपचार नहीं किया जाए। साथ ही, उनके साथ हिंसा, जबरदस्ती जैसी घटनाओं को रोका जाए।**
- **क्वीर समुदाय**
  - यह समुदाय **LGBTQ+ (लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर और इंटरसेक्स) लोगों से ही संबंधित** है।
  - इस समुदाय के कुछ लोगों को **सामाजिक बहिष्कार, बेघर होना, कम शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तक कम पहुंच** आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
  - **ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019** के तहत इनके अधिकारों की **सुरक्षा और कल्याण का प्रावधान** किया गया है।

6.5.7. UNHRC ने इंटरसेक्स अधिकारों के लिए अपनी तरह का पहला संकल्प अपनाया (UNHRC Adopted First Resolution of Its Kind For Intersex Rights)

- यह संकल्प **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के 55वें सत्र** में अपनाया गया ।
- **यह संकल्प देशों से आह्वान करता है कि:**
  - **जन्मजात रूप से भिन्न लैंगिक विशेषताओं** वाले व्यक्तियों के खिलाफ किए जा रहे **भेदभाव, हिंसा और हानिकारक प्रथाओं** से निपटने में सहयोग करना;
  - इंटरसेक्स लोगों की मूल समस्याओं का समाधान करने के साथ-साथ उनकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानक का लाभ उठाने में मदद करना।
- **इंटरसेक्स लोग** विशिष्ट लैंगिक विशेषताओं के साथ पैदा होते हैं, जैसे- शरीर की लैंगिक रचना, प्रजनन अंग, हार्मोनल पैटर्न और/ या क्रोमोसोमल पैटर्न संबंधी विशेषता। ये विशेषताएं **पुरुष या महिला के रूप में जन्म लेने वाले सामान्य व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं से मेल नहीं खाती हैं।**
  - उनकी कोई भी **लैंगिक पहचान या यौन आकर्षण** हो सकता है।
  - विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार **1.7% आबादी इंटरसेक्स लक्षणों के साथ पैदा** होती है।
  - **इंटरसेक्स लोग ट्रांसजेंडर लोगों से भिन्न** होते हैं।
    - ट्रांसजेंडर लोग स्पष्ट लैंगिक विशेषताओं वाले होते हैं। वे या तो पुरुष या महिला की विशेषताओं से युक्त होते हैं। हालांकि, ये विशेषताएं **व्यक्ति की लैंगिक पहचान (हाव-भाव) से मेल नहीं खाती** हैं।
- **इंटरसेक्स लोगों से जुड़े मुख्य मुद्दे:** अपनी शारीरिक (लैंगिक) विशेषताओं के कारण उन्हें **मानवाधिकारों के उल्लंघन का शिकार** होना पड़ता है।

- समाज ने उनके प्रति गलत रूढ़ियां और समझ पैदा कर दी है। समाज इंटरसेक्स व्यक्तियों को बिल्कुल बीमार या विकृत मानता है।
- कभी-कभी ऐसे बच्चों को बचपन में ही मार दिया जाता है;
- इच्छा के विरुद्ध और बलपूर्वक चिकित्सकीय सर्जरी कराने के लिए मजबूर किया जाता है;
- शिक्षा आदि में भेदभाव किया जाता है;
- उन्हें कानूनी मान्यता मिलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

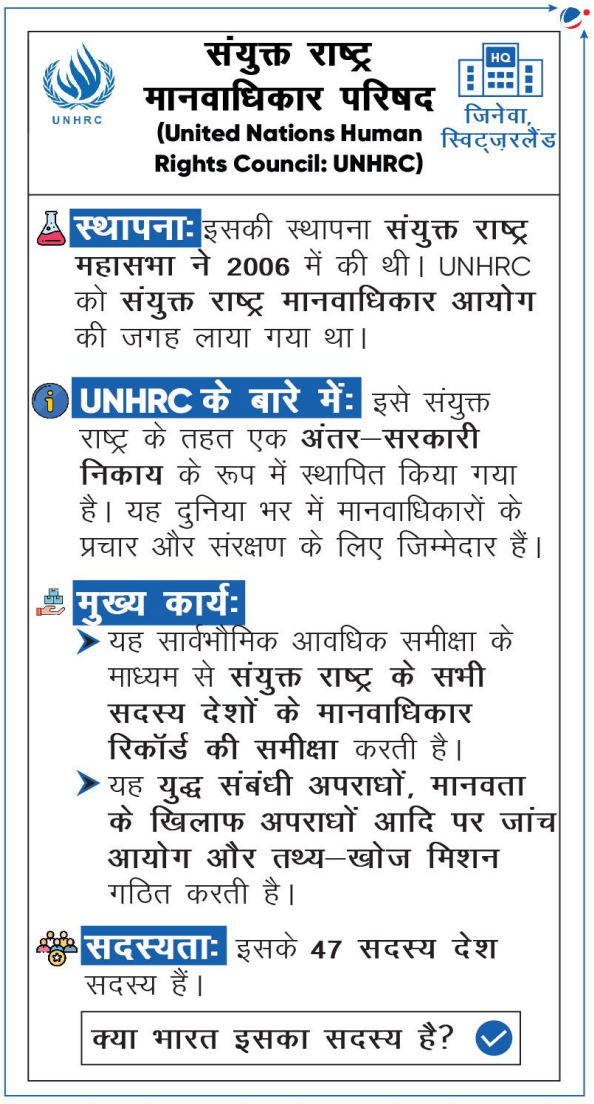

6.5.8. IOM ने "ए डिकेड ऑफ डोक्युमेंटिंग माइग्रेंट डेथ्स" रिपोर्ट जारी की (IOM Released "A Decade Of Documenting Migrant Deaths" Report)

- अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) ने **"ए डिकेड ऑफ डोक्युमेंटिंग माइग्रेंट डेथ्स"** शीर्षक से रिपोर्ट जारी की।
- यह रिपोर्ट IOM की **मिसिंग माइग्रेंट्स प्रोजेक्ट (MMP) के दस साल पूरे होने** के अवसर पर जारी की गई है।
  - गौरतलब है कि **MMP को 2014 में लॉन्च** किया गया था। इसका उद्देश्य **अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के दौरान होने वाली प्रवासियों की मृत्यु और उनके लापता होने** की घटनाओं को दर्ज करना है।
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) के बारे में**
  - इसकी स्थापना **1951** में हुई थी। यह प्रवासन के क्षेत्र में अग्रणी **अंतर-सरकारी संगठन** है।
  - इसका मुख्यालय **जिनेवा (स्विट्जरलैंड)** में है। **भारत सहित 175 देश** इसके सदस्य हैं।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**
  - **प्रत्येक तीन प्रवासियों** (जिनके मूल देश की पहचान हो चुकी होती है) में से **एक से अधिक प्रवासी** संघर्ष से गुजर रहे देश के होते हैं।
  - जिन प्रवासियों की मृत्यु को IOM के **मिसिंग माइग्रेंट्स प्रोजेक्ट** के तहत दर्ज किया गया है, उनमें से **दो-तिहाई की पहचान नहीं** हो पाई है।
  - **प्रवासन के दौरान मृत्यु के कारण हैं:** किसी जल निकाय में डूबने से मृत्यु; वाहन दुर्घटनाएं; श्वसन के दौरान ईंधन की जहरीली गैस या धुएं से दम घुटना; अपर्याप्त आश्रय; स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध नहीं होना आदि।
- **प्रवासन क्या है:** जब व्यक्ति किन्हीं वजहों से अपने पारंपरिक निवास से किसी अन्य देश में या अपने ही देश में किसी अन्य जगह रहने के लिए चला जाता है, तो उसे प्रवासन या माइग्रेशन कहते हैं।
- **प्रवासन की वजहें:** शहरीकरण, विवाह, आर्थिक असमानताएं, राजनीतिक अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव आदि।
- **प्रवासन के प्रभाव**
  - अलग-अलग संस्कृतियों के लोग एक ही जगह बस जाते हैं। इससे **सामासिक संस्कृति** (Composite culture) का विकास होता है।
  - शहरों में अत्यधिक भीड़-भाड़ बढ़ जाती है। इससे **शहरों का अनियमित** विकास होता है और **मलिन बस्तियां** बसने लगती हैं।
  - **प्रति व्यक्ति संसाधन अनुपात** कम हो जाता है।
  - **प्रतिभा का पलायन** (Brain drain) होता है। कुशल लोग बेहतर आर्थिक अवसरों की खोज में गरीब देशों से विकसित देशों की ओर पलायन कर जाते हैं। (इन्फोग्राफिक देखें)

6.5.9. खाद्य अपशिष्ट सूचकांक (FWI) रिपोर्ट 2024 (Food Waste Index Report 2024)

- **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने** 'खाद्य अपशिष्ट सूचकांक (FWI) रिपोर्ट, 2024' जारी की।
- यह रिपोर्ट **वेस्ट एंड रिसोर्सेज़ एक्शन प्रोग्राम (WRAP)** के सहयोग से तैयार की गई है। यह रिपोर्ट **अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस** के आयोजन से पहले प्रकाशित की गई है।
  - प्रतिवर्ष **30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस** आयोजित किया जाता है।
- FWI **रिटेल और उपभोक्ता (घरेलू एवं खाद्य सेवा)** के यहां बर्बाद होने वाले भोजन व अनाज के अखाद्य हिस्सों की मात्रा को **वैश्विक तथा राष्ट्रीय स्तर पर ट्रैक** करता है।
  - यह सतत विकास लक्ष्य (**SDG)-12.3 के दो संकेतकों के गोल्स का समर्थन** करता है, जिन्हें 2030 तक हासिल किया जाना है। **ये दो संकेतक हैं-**
    - **SDG 12.3.1 (a): खाद्य हानि सूचकांक (Food Loss Index: FLI)** इस संकेतक का उप-संकेतक है। FLI फसल कटाई के बाद के नुकसान सहित **उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं में खाद्य हानि को कम** करने में मदद करता है। **खाद्य और कृषि संगठन, FLI का संरक्षक** है।
    - **SDG 12.3.1 (b): FWI** इस संकेतक का उप-संकेतक है। FWI रिटेल और उपभोक्ता स्तर पर **प्रति व्यक्ति वैश्विक खाद्य अपशिष्ट की मात्रा को कम करके आधा** करने पर केंद्रित है। **UNEP, खाद्य अपशिष्ट सूचकांक (FWI) का संरक्षक** है।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**
  - 2022 में सभी महाद्वीपों के परिवारों ने प्रतिदिन **1 बिलियन से अधिक "एक वक्त का भोजन (मील्स)" बर्बाद** किया है। वहीं दूसरी ओर **783 मिलियन लोग भुखमरी से प्रभावित** हुए हैं। इसके अलावा, **संपूर्ण मानव आबादी के एक तिहाई हिस्से को खाद्य असुरक्षा का सामना** करना पड़ा है।
  - खाद्य अपशिष्ट **वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 8-10%** का योगदान करता है।
  - **रिपोर्ट में रेखांकित किए गए मुद्दे**
    - बेहतर कोल्ड चेन की कमी के कारण, अपेक्षाकृत उष्णकटिबंधीय देशों के **घरों में प्रति व्यक्ति अधिक खाद्य अपशिष्ट** उत्पन्न होता है।
    - विशेष रूप से **निम्न और मध्यम आय वाले देशों** में रिटेल व खाद्य सेवा क्षेत्रकों पर **उपलब्ध डेटा अपर्याप्त** है।
    - **खाद्य उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने की पूरी व्यवस्था में तालमेल की कमी है।**

वेस्ट एंड रिसोर्सेज़ एक्शन प्रोग्राम (WRAP) के बारे में

- यह **जलवायु कार्रवाई के उद्देश्य पर केंद्रित एक गैर-सरकारी संगठन (NGO)** है।
- इसकी स्थापना **2000 में यूनाइटेड किंगडम** में हुई थी।
- यह **जलवायु संकट के कारणों से निपटने और पृथ्वी को संधारणीय भविष्य प्रदान करने की दिशा में काम** कर रहा है।

सहयोग के द्वारा खाद्य की बर्बादी को कम करने के लिए सुझाव:

- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** मॉडल अपनाकर व्यवस्थागत तरीके से कार्रवाई करने की जरूरत है। **कोर्टौल्ड कमिटमेंट 2030 (यूनाइटेड किंगडम), ऑस्ट्रेलियाई खाद्य समझौता** इसके कुछ उदाहरण हैं।
- अपशिष्ट के **प्राथमिकता वाले क्षेत्रों या "हॉटस्पॉट" क्षेत्रों को लक्षित करते हुए एक रोडमैप या खाद्य वितरण योजना** तैयार करनी चाहिए।

6.5.10. द ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फ़ूड क्राइसिस (The Global Network Against Food Crises: GNAFC)

- GNAFC ने **'खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट' (GRFC)**[125] जारी की है। यह रिपोर्ट हर साल **फ़ूड सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन नेटवर्क (FSIN)** द्वारा तैयार की जाती है।

[125] Global Report on Food Crises

- **GNAFC के बारे में:**
  - इसे **2016** में लॉन्च किया गया था।
  - यह **यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र- खाद्य और कृषि संगठन (FAO) तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP)** की संयुक्त पहल है।
  - यह खाद्य संकट के मूलभूत कारणों का पता लगाने और उन्हें दूर करने के लिए वर्तमान में चल रही **पहलों, साझेदारियों, कार्यक्रमों और नीतिगत प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से जोड़ने, एकीकृत करने तथा मार्गदर्शन करने** का कार्य करता है।
  - यह मानवीय सहायताओं को बेहतर बनाने और गंभीर खाद्य संकट का सामना करने वाले लोगों की संख्या में कमी लाने हेतु **सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को एक साथ लाता** है।

QUIZ **SMART QUIZ**	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **सामाजिक मुद्दे** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

Lakshya
MAINS MENTORING PROGRAM 2024
25 जून 2024
(मुख्य परीक्षा – 2024 के लिए एक लक्षित रिवीजन, प्रैक्टिस और परामर्श कार्यक्रम)
70 दिवसीय विशेषज्ञ परामर्श
मेंटर्स की अत्यधिक अनुभवी और योग्य टीम
अधिक अंकदायी विषयों पर विशेष बल
GS मुख्य परीक्षा, निबंध और नीतिशास्त्र के प्रश्न–पत्रों के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस की सुनियोजित योजना
लक्ष्य मेन्स प्रैक्टिस टेस्ट की सुविधा
शोध आधारित विषयवार रणनीतिक दस्तावेज
मेंटर्स के साथ वन–टू–वन सेशन
स्ट्रेटेजिक डिस्कशन, लाइव प्रैक्टिस और सहपाठियों के साथ चर्चा के लिए निर्धारित ग्रुप सेशन
निरंतर प्रदर्शन मूल्यांकन और निगरानी

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सरकारी योजनाएं

त्रैमासिक रिवीजन

सिविल सेवा परीक्षा में आपके ज्ञान, एनालिटिकल स्किल और सरकारी नीतियों तथा पहलों की गतिशील प्रकृति के साथ अपडेटेड रहने की क्षमता को जांचा जाता है। इसलिए इस चुनौतीपूर्ण परीक्षा के लिए एक व्यापक और सुनियोजित दृष्टिकोण काफी आवश्यक हो जाता है।

"सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिविजन" डॉक्यूमेंट के साथ सिविल सेवा परीक्षा में सफलता की अपनी यात्रा शुरू कीजिए। यह विशेष पेशकश आपको परीक्षा की तैयारी में एक परिवर्तनकारी अनुभव प्रदान करेगी। सावधानीपूर्वक तैयार किया गया हमारा यह डॉक्यूमेंट न केवल आपकी सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बल्कि टाइम मैनेजमेंट और याद रखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। इस डॉक्यूमेंट को त्रैमासिक आधार पर तैयार किया जाता है। यह डॉक्यूमेंट फाइनल परीक्षा के लिए निरंतर सुधार और तनाव मुक्त तैयारी हेतु अभ्यर्थियों के लिए एक आधार के रूप में कार्य करेगा।

यह सीखने की प्रक्रिया को बाधारहित और आसान यात्रा में बदल देता है। इसके परिणामस्वरूप, आप परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ सरकारी योजनाओं, नीतियों और उनके निहितार्थों की गहरी समझ विकसित करने में सफल होते हैं।

डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

1. सुर्ख़ियों में रहीं में योजनाएं: अपडेट रहिए, आगे रहिए!

इस खंड में **आपको नवीनतम घटनाक्रमों से अवगत** कराया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी तैयारी न केवल व्यापक हो, बल्कि हालिया तिमाही के लिए प्रासंगिक भी हो। सुर्ख़ियों में रही योजनाओं के रियल टाइम एकीकरण से आप नवीनतम ज्ञान से लैस होकर आत्मविश्वास से परीक्षा देने में सक्षम बन पाएंगे।

2. सुर्ख़ियों में रहीं फ्लैगशिप योजनाएं: परीक्षा में आपकी सफलता की राह!

भारत सरकार की 'फ्लैगशिप योजनाएं' **सिविल सेवा परीक्षा के सिलेबस के कोर** में देखने को मिलती हैं। हम इस डॉक्यूमेंट में इन महत्वपूर्ण पहलों को गहराई से कवर करते हैं, जिससे सरकारी नीतियों के बारे में **आपकी गहरी समझ विकसित** हो। इन फ्लैगशिप योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके, हम आपको उन प्रमुख पहलुओं में महारत हासिल करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, जिन्हें परीक्षक सफल उम्मीदवारों में तलाशते हैं।

3. प्रश्नोत्तरी: पढ़िए, मूल्यांकन कीजिए, याद रखिए!

मटेरियल को समझने और मुख्य तथ्यों को याद रखने में काफी अंतर होता है। इस अंतर को खत्म करने के लिए, हमने इस डॉक्यूमेंट में एक 'प्रश्नोत्तरी' खंड शामिल किया है। इस डॉक्यूमेंट में **सावधानी से तैयार किए गए 20 MCQs** दिए गए हैं, जो आपकी **समझ को मजबूत करने के लिए चेकपॉइंट** के रूप में काम करते हैं। ये मूल्यांकन न केवल आपकी प्रगति का आकलन करने में मदद करते हैं बल्कि महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में भी सहायक होते हैं।

'सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन' एक डॉक्यूमेंट मात्र नहीं है; बल्कि यह आपकी परीक्षा की तैयारी में एक रणनीतिक साथी भी है। यह आपकी लर्निंग एप्रोच में बदलाव लाता है, जिससे यह एक सतत और कुशल प्रक्रिया बन जाती है। परीक्षा की **तैयारी के आखिरी चरणों में आने वाले तनाव को अलविदा कहिए, प्रोएक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस** को आपनाइए और आत्मविश्वास के साथ सफलता की ओर आगे बढ़िए।

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. हिग्स बोसॉन (Higgs Boson)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स का निधन हो गया।

पीटर हिग्स के बारे में

- पीटर हिग्स ने **1964 में ब्रह्माण्ड में एक नए फील्ड के रूप में हिग्स फील्ड का सिद्धांत प्रस्तावित किया था। उनके अनुसार यह संपूर्ण ब्रह्माण्ड में मौजूद है और सभी मौलिक कणों को द्रव्यमान प्रदान करता है।**
  - इसके अलावा, उन्होंने **एक नया मौलिक कण (Fundamental particle) "हिग्स बोसॉन"** का विचार भी प्रस्तुत किया था।
- उनके इस विचार की पुष्टि 2012 में **यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन (CERN)** के **लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर** में **टोरोइडल LHC एपरेटस (एटलस)** और **कॉम्पैक्ट म्यूऑन सोलेनोइड (CMS)** में किए गए एक्सपेरिमेंट्स से हुई।
- इस खोज के बाद उन्हें **2013 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।**

प्राथमिक कणों (मौलिक कणों) के बारे में

- ये ब्रह्माण्ड का निर्माण करने वाले अब तक ज्ञात **सबसे छोटे कण** हैं।
- ये कण आपस में मिलकर **न्यूट्रॉन और प्रोटॉन** जैसे कणों का निर्माण करते हैं।
  - उदाहरण: प्रोटॉन **दो अप क्वार्क** और **एक डाउन क्वार्क** से बने होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन **दो डाउन क्वार्क** और **एक अप क्वार्क** से बने होते हैं।

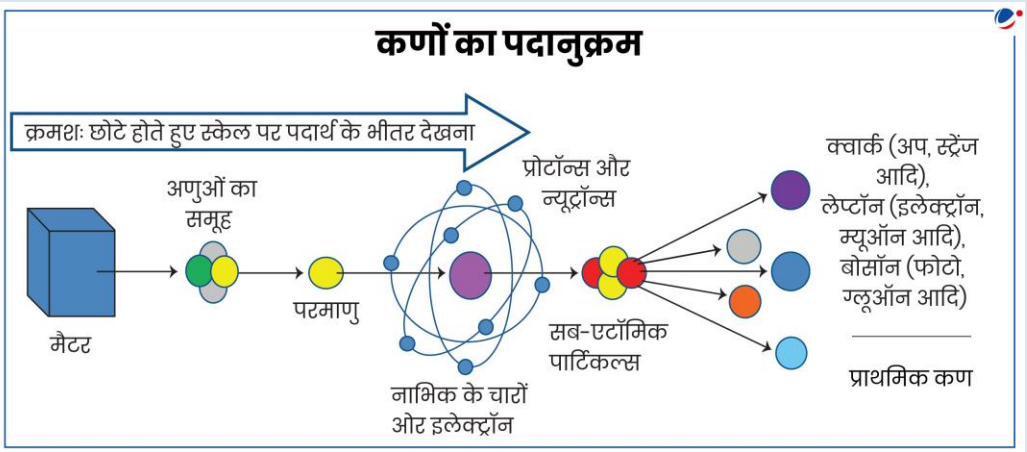

हिग्स फील्ड और मौलिक कणों के द्रव्यमान के बीच संबंध

- **अंत:क्रिया से द्रव्यमान:** हिग्स फील्ड का सिद्धांत इस बात को उजागर करता है कि कणों का अपना कोई द्रव्यमान नहीं होता है और वे अपना द्रव्यमान हिग्स फील्ड के साथ अंत:क्रिया या परस्पर क्रिया करके हासिल करते हैं।
  - कणों का **द्रव्यमान हासिल करने के लिए हिग्स फील्ड के साथ परस्पर क्रिया को ब्राउट-एंगलर्ट-हिग्स मेकेनिजम** के रूप में जाना जाता है। इसे रॉबर्ट ब्राउट, फ्रांकोइस एंगलर्ट और पीटर हिग्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
- **द्रव्यमान का स्तर:** हिग्स फील्ड और कण के बीच **परस्पर क्रिया** की **तीव्रता** कण के द्रव्यमान के स्तर को निर्धारित करती है। इसका मतलब है कि हिग्स फील्ड के साथ कण की परस्पर क्रिया जितनी प्रबल होगी, कण उतना ही भारी या उतना ही अधिक द्रव्यमान वाला होगा।
  - उदाहरण के लिए- **फोटॉन** हिग्स फील्ड के साथ परस्पर क्रिया नहीं करते, इसलिए उनका **द्रव्यमान नहीं** होता है।
  - इलेक्ट्रॉन, क्वार्क और बोसॉन सहित अन्य मौलिक कण हिग्स फील्ड के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। इसलिए उनका द्रव्यमान उनकी परस्पर क्रिया की तीव्रता के अनुसार अलग-अलग होता है।

हिग्स बोसॉन के बारे में

- यह एक **प्राथमिक या मौलिक कण** है और इसे लोकप्रिय रूप से **ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल** के रूप में भी जाना जाता है।
- यह **बोसॉन** का एक प्रकार है, जो बल को वहन करने वाला एक उप-परमाणिक (Subatomic) कण है।
  - अन्य बोसॉन में शामिल हैं- **फोटॉन या प्रकाश कण** (ये विद्युत चुम्बकीय बल का वहन करते हैं) और **ग्लूऑन** (ये कण नाभिक में बल का वहन करते हैं), आदि।

- यह भी अन्य कणों के समान **हिग्स फील्ड के साथ परस्पर क्रिया करके द्रव्यमान हासिल करता है।**
- **हिग्स बोसॉन के गुण:**
    - **द्रव्यमान:** इसका **द्रव्यमान 125 eV/c2** (उप-परमाण्विक कणों के लिए प्रयुक्त द्रव्यमान की इकाई) होता है, जो **प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 130 गुना है।**
        - हिग्स बोसॉन, **दूसरे बोसॉन के साथ भी परस्पर क्रिया कर सकता है।** इस गुण से यह जानने में मदद मिली कि हिग्स बोसॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक होता है।
    - **स्पिन:** यह एक **स्केलर कण (Scalar particle)** है और इसका **स्पिन '0'** है। इसीलिए इसमें कोई एंगुलर मोमेंटम (Angular momentum) नहीं होता है।
        - यह बिना किसी स्पिन वाला एकमात्र प्राथमिक कण है।
    - **जीवन काल:** यह **बहुत ही कम समय के लिए अस्तित्व** में रहता है। यह हाई-एनर्जी कोएलिशन से उत्पन्न होने के बाद **तेजी से अन्य कणों में विघटित या क्षय हो जाता है।**
    - **डिटेक्शन:** इसका पता **अप्रत्यक्ष** रूप से उन कणों को देखकर लगाया जाता है **जिनमें इसका क्षय होता है।**
        - इसका क्षय सामान्यतः **फोटॉन के युग्मों या W या Z बोसॉन के युग्मों** में होता है। हाल ही में, हुई खोज में पाया गया है कि हिग्स बोसॉन का क्षय फोटॉन और Z बोसॉन के रूप में हो रहा है, जो कि एक असामान्य बात है।
- **हिग्स बोसॉन का महत्त्व/ प्रासंगिकता:**
    - हिग्स बोसोन ने **कण भौतिकी (Particle physics) के स्टैंडर्ड मॉडल के पूर्वानुमानों की पुष्टि की है।**
        - **हिग्स बोसोन के क्षय से जुड़े हालिया साक्ष्य स्टैंडर्ड मॉडल द्वारा बताए गए कणों के अलावा अन्य कणों के अस्तित्व का अप्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान कर सकते हैं।**
    - इसकी विशिष्ट विशेषताओं और गुणों के कारण यह **डार्क मैटर** को समझने में काफी सहयोग कर सकता है।
    - अप्रत्यक्ष रूप से, यह **ब्रह्मांड के शुरुआती समय की स्थितियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने में सहायक हो सकता है।**

नोट: *कण भौतिकी के स्टैंडर्ड मॉडल के बारे में और अधिक जानकारी के लिए मार्च, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 7.2. देखें*

अन्य संबंधित तथ्य

लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC)

- यह **विश्व का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली कण त्वरक या पार्टिकल एक्सेलरेटर** है। इसे 2008 में जिनेवा के निकट सर्न (CERN) में स्थापित किया गया है।
- LHC में अतिचालक **चुम्बकों (Superconducting magnets) की 27 किलोमीटर लंबी वलयाकार संरचना है। इसमें अतिचालक चुम्बकों द्वारा** कणों की ऊर्जा को बढ़ाया जाता है।
- **प्रकाश की गति के करीब गति पर पार्टिकल बीम्स LHC के अंदर आपस में टकराती** हैं।
- LHC परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य बिग-बैंग मॉडल के अनुसार ब्रह्मांड के प्रारंभिक क्षणों में उत्पन्न हुई चरम स्थितियों को पुनः निर्मित करके **पदार्थ की मौलिक संरचना को समझना है।**

व्हाइट रैबिट (WR) तकनीक

- CERN ने उद्योग द्वारा व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए व्हाइट रैबिट कोलैबोरेशन (WRC) लॉन्च किया है।
    - WRC के उद्देश्य हैं- समर्पित समर्थन और प्रशिक्षण प्रदान करना; प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाना आदि।
- **व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी के बारे में**
    - इसे CERN में विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य **लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC) एक्सेलरेटर चेन के लिए सब-नैनोसेकंड सटीकता और सिंक्रनाइज़ेशन की पिकोसेकंड परिशुद्धता** प्रदान करना है।
    - इसका उपयोग **पहली बार 2012** में किया गया था। 2020 में इसे **विश्वव्यापी उद्योग मानक** में शामिल किया गया था। इस मानक को **प्रिसिजन टाइम प्रोटोकॉल (PTP)** के रूप में जाना जाता है।

7.2. अंतरिक्ष पर्यटन (Space Tourism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ब्लू ऑरिजिन नामक स्पेस स्टार्ट-अप ने घोषणा की है कि गोपी थोटाकुरा उनके न्यू शेपर्ड के 25वें मिशन (NS-25 मिशन) का हिस्सा होंगे।

अंतरिक्ष पर्यटन क्या है?

- अंतरिक्ष पर्यटन संबंधी गतिविधियां **व्यक्तियों को मनोरंजन, रोमांच या छुट्टी बिताने जैसे उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष में भेजने हेतु** आयोजित की जाती हैं।
  - अभी यह **शुरुआती दौर** में है। वर्जिन गेलेक्टिक, स्पेसएक्स जैसी कंपनियां अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही हैं।
  - वैश्विक अंतरिक्ष पर्यटन का बाजार 2023 में 851.4 मिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया।
- **अंतरिक्ष पर्यटन के प्रकार:**
  - **उप-कक्षीय (Suborbital):** इसमें यात्रियों को कारमन रेखा (पृथ्वी से 50 से 70 मील ऊपर) के ऊपर ले जाकर वापस लाया जाता है।
  - **कक्षीय (Orbital):** इसमें यात्रियों को कारमन रेखा से काफी ऊपर ले जाया जाता है। इसमें यात्री अंतरिक्ष में कई दिन या सप्ताह बिता सकते हैं।
  - **अन्य:** अंतरिक्ष पर्यटन के रूप में चंद्रमा की यात्रा, अंतर-ग्रहीय पर्यटन आदि।
- **भारत में अंतरिक्ष पर्यटन:** फिलहाल, भारत में अंतरिक्ष पर्यटन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
  - हालांकि, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष **उड़ान कार्यक्रम 'गगनयान'** की संभावित सफलता देश में अंतरिक्ष पर्यटन की नींव रख सकती है।

शब्दावली को जानें

- **कारमन रेखा: यह औसत समुद्री जल स्तर से 62 मील (100 किलोमीटर) की ऊंचाई पर होती है।** इसे पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष की शुरुआत की सीमा माना जाता है।
- **केसलर सिंड्रोम:** अंतरिक्ष मलबे के आपस में टकराने से एक विनाशकारी चक्र आरंभ हो जाता है, जिसे 'केसलर सिंड्रोम' कहते हैं। इसके तहत प्रत्येक टकराव से निर्मित अंतरिक्ष मलबे की वजह से अगले टकराव की संभावना बढ़ती जाती है। इससे उपग्रहों, अंतरिक्ष यात्रियों और मिशन प्लानर्स के लिए अधिक समस्याएं पैदा होती हैं।

भारत में अंतरिक्ष पर्यटन का मार्ग प्रशस्त करने वाली पहलें

- **अंतरिक्ष नीति, 2023:** यह निजी कंपनियों को इस क्षेत्रक में अपनी गतिविधियां शुरू करने अनुमति देती है। उम्मीद है कि यह नीति शिक्षा जगत, स्टार्ट-अप्स और उद्योग को अंतरिक्ष क्षेत्रक में कार्य करने को प्रोत्साहित करेगी।
- **भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe)[126]:** यह अंतरिक्ष विभाग (DoS) के अंतर्गत एक स्वायत्त एजेंसी है।
  - इसकी भूमिका में भारत में गैर-सरकारी निजी संस्थाओं (NGPE)[127] की अंतरिक्ष गतिविधियों को विनियमित करना, बढ़ावा देना, मार्गदर्शन करना, निगरानी करना और उनका पर्यवेक्षण करना शामिल है।
  - यह किसी NGPE को DoS की सुविधाओं का उपयोग करने की भी अनुमति दे सकता है।
- **भारतीय अंतरिक्ष संघ (ISpA)[128]:** 2020 में स्थापित, ISpA भारत में निजी अंतरिक्ष उद्योग के विकास के लिए बनाया गया एक शीर्ष गैर-लाभकारी उद्योग निकाय है।
  - यह प्रमुख घरेलू और वैश्विक निगमों (Corporations) का प्रतिनिधित्व करता है। इसका लक्ष्य अंतरिक्ष क्षेत्रक में कार्य करने हेतु वैश्विक नेटवर्क बनाना है, जो देश में महत्वपूर्ण तकनीक और निवेश लाएगा।

[126] Indian National Space Promotion and Authorization Centre

[127] Non-Governmental Private Entities

[128] Indian Space Association

अंतरिक्ष पर्यटन से जुड़ी चुनौतियां

- **अधिक लागत:** अभी अंतरिक्ष यात्राओं का खर्च बहुत ज्यादा है। यात्रियों के लिए **खास ट्रेनिंग** और **मेडिकल जांच** की ज़रूरत होती है, जिससे लागत और बढ़ जाती है।
  - यात्रियों को खाना, दवाईयां जैसी सुविधाएं देने के लिए **खास अंतरिक्ष यान** बनाने पड़ते हैं।
- **सीमित मांग:** अभी सिर्फ ऐसे अमीर लोग ही अंतरिक्ष यात्रा का खर्च उठा सकते हैं, जो सिर्फ एक बार के अनुभव के लिए इतना अधिक खर्च करने को तैयार हों।
- **अधिकार और ज़िम्मेदारियां (Rights and obligations):** यह भी तय किया जाना है कि अंतरिक्ष पर्यटकों को अंतरिक्ष यात्रियों जैसा दर्जा देना चाहिए या नहीं। इस प्रश्न से उनके अधिकार और जिम्मेदारियां तय होंगी, साथ ही यह भी तय हो सकेगा कि किसी हादसे के लिए कौन जिम्मेदार होगा।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताएं (Safety Concern):** अंतरिक्ष यात्रा में जटिल तकनीक इस्तेमाल होती है, जिससे लॉन्च और वापसी के समय दुर्घटना का खतरा रहता है।
  - उदाहरण के तौर पर- कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना में कल्पना चावला की मृत्यु।
- **कानूनों का अभाव (Lack of Regulation):** अभी तक अंतरिक्ष पर्यटन से जुड़े मुद्दों के लिए **कोई खास अंतर्राष्ट्रीय संधि नहीं** है।
- **अंतरिक्ष कचरा (Space Debris):** डर है कि रॉकेट और सैटेलाइट के आपस में टकराने से अंतरिक्ष कचरा बढ़ जाएगा। इससे **केसलर सिंड्रोम** की समस्या और गंभीर हो सकती है।

आगे की राह

भारत में अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाने होंगे। अंतरिक्ष यात्रियों/ पर्यटकों की सुरक्षा और अधिकारों जैसे मुद्दों पर बाह्य अंतरिक्ष संधि (1967) जैसे वैश्विक मानकों के अनुरूप मानक तैयार करना होगा। साथ ही, अंतरिक्ष पर्यटन के पर्यावरण पर असर को कम करने और अंतरिक्ष कचरे की समस्या से निपटने के लिए संधारणीय तकनीक पर शोध को बढ़ावा देना जरूरी है।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग के बारे में और अधिक जानकारी के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #112: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगः जिज्ञासा से वास्तविकता तक

7.3 स्वास्थ्य देखभाल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता {Artificial Intelligence (AI) in Health Care}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने **जन स्वास्थ्य के लिए जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करने वाले एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर प्रोटोटाइप** S.A.R.A.H. का अनावरण किया है।

S.A.R.A.H. के बारे में

- यह **स्वास्थ्य के लिए एक स्मार्ट AI रिसोर्स** असिस्टेंट है, जो नए भाषा मॉडल और अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करता है।
- यह स्वस्थ आदतों और मानसिक स्वास्थ्य सहित **प्रमुख स्वास्थ्य विषयों पर जानकारी** प्रदान कर सकता है।
- इसका उद्देश्य लोगों को उनके **स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारों को समझने में सहायता करना** है।
- यह लोगों को मौतों के कुछ प्रमुख कारणों (जैसे- कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी और मधुमेह) के जोखिम कारकों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है।

भारत में AI स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में विकास

- **iOncology.ai:** यह स्तन और ओवरियन कैंसर की शुरुआती पहचान के लिए बनाया गया है।
  - इसे **अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दिल्ली ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सी-डैक), पुणे** के सहयोग से लॉन्च किया है।

- **AI आधारित स्वास्थ्य देखभाल स्टार्ट-अप्स:** उदाहरण के लिए- वधवानी AI टीबी के रोगियों की देखभाल से संबंधित विभिन्न उपाय विकसित कर रहा है। यह भारत के **राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP)**[129] को AI के अनुकूल बनाने में मदद कर रहा है। गौरतलब है कि वधवानी AI एक गैर-लाभकारी AI आधारित स्वास्थ्य सेवा स्टार्ट-अप है।
- **महाराष्ट्र सरकार** ने ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित करते हुए **अंतर्राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिवर्तन केंद्र (ICTAI)**[130] का अनावरण करने के लिए नीति आयोग के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- नीति आयोग, प्रौद्योगिकी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट और मेडिकल स्टार्ट-अप फोरस हेल्थ के साथ मिलकर **डायबिटिक रेटिनोपैथी (रेटिना की बीमारी) की शुरुआती पहचान के लिए स्वचालित समाधान विकसित करने हेतु** से काम कर रहा है।
- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने **जैव-चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य देखभाल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग के लिए एथिकल गाइडलाइंस (Ethical Guidelines)** जारी किए।

स्वास्थ्य देखभाल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की क्षमता

- **निदान और इलाज की योजना:** एक्स-रे जैसी जांचों का विश्लेषण करने, बीमारियों की पहचान करने और चिकित्सकों द्वारा इलाज की बेहतर योजना बनाने में AI का इस्तेमाल किया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिए- अपोलो अस्पतालों ने अपोलो क्लिनिकल इंटेलिजेंस इंजन लॉन्च किया है, जो इलाज संबंधी निर्णयों में सहायता करता है।
- **भविष्यवाणी संबंधी विश्लेषण (Predictive Analytics):** मरीजों के इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड और अन्य डेटा का विश्लेषण करके **AI यह अनुमान लगा सकता है कि किन मरीजों को भविष्य में कुछ बीमारियां होने का खतरा** है।
- **नैदानिक अनुसंधान और खोज:** AI का उपयोग दवाओं के प्रभावों और दुष्प्रभावों से संबंधित डेटा की जांच करने के लिए किया जा सकता है। साथ ही, यह अनुमान लगाने के लिए भी AI का उपयोग किया जा सकता है कि कुछ स्थितियों के इलाज में कौन से यौगिक सबसे प्रभावी होंगे।
  - उदाहरण के लिए- टोरंटो विश्वविद्यालय का प्रोटीनएसजीएम (ProteinSGM) मॉडल दवाइयों को डिजाइन करने में इस्तेमाल किया जाता है।
- **रोबोटिक सर्जरी:** AI-सक्षम रोबोट सर्जरी में ऑपरेशन के दौरान होने वाली समस्याओं को कम किया जा सकता है, जिससे चिकित्सकों को जटिल काम करने में मदद मिलती है।
- **कार्यबल का बेहतर इस्तेमाल:** AI की मदद से काम के तरीकों को स्वचालित करते हुए कर्मचारियों की कम संख्या की समस्या को कम किया जा सकता है। इससे लागत भी कम हो सकती है।
  - इसका इस्तेमाल रोजमर्रा के कामों को स्वचालित करने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे- मरीजों की अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना और बीमा के दावों को प्रोसेस करना। उदाहरण के लिए- वर्चुअल असिस्टेंट और चैटबॉट्स।
- **स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती (Healthcare supply chain resilience):** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल डेटा के आधार पर भविष्यवाणी कर सकते हैं कि दवाओं और उपकरणों की कमी या अधिकता कब होगी।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मौजूदा स्वास्थ्य सेवा में शामिल करने में मददगार पहलें

- **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM):** हर नागरिक को एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी प्रदान करना।
- **हेल्थलॉकर/ पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स (PHR):** यह क्लाउड स्टोरेज पर आधारित एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य डेटाबेस है, जो पूरे देश के लिए स्वास्थ्य डेटा के एकल स्रोत के रूप में कार्य करता है।
- **नेशनल हेल्थ स्टैक (NHS):** इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य विश्लेषण मंच आदि शामिल हैं।

स्वास्थ्य देखभाल में AI से जुड़ी चिंताएं

- **डाटा की निजता और सुरक्षा:** AI का इस्तेमाल मरीजों के बहुत सारे डाटा पर निर्भर करता है। इससे डाटा की निजता और सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं।
- **पक्षपात:** अगर AI मॉडल्स को समाज के हर वर्ग के डाटा पर ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, तो वे गलत या पक्षपाती नतीजे दे सकते हैं। इससे खासकर वंचित समुदायों को दिक्कत हो सकती है।

[129] National TB Elimination Programme

[130] International Centre for Transformational Artificial Intelligence

- **कम पारदर्शिता:** AI मॉडल कैसे काम करते हैं, यह इस्तेमाल करने वाले को नहीं पता होता है। इस वजह से इन्हें **"ब्लैक बॉक्स"** कहा जाता है और इन पर **भरोसा करना मुश्किल** हो जाता है।
- **विनियम और गवर्नेंस:** स्वास्थ्य देखभाल में AI के इस्तेमाल को लेकर अभी स्पष्ट नियम और दिशा-निर्देश नहीं हैं।
    - इससे ये सवाल उठते हैं कि AI पर आधारित किसी सिस्टम (जैसे- AI रोबोट सर्जन) की गलती की जिम्मेदारी कौन लेगा।
- **अन्य चिंताएं:** शुरुआत में शायद बहुत से लोग AI का खर्च वहन नहीं कर पाएंगे। साथ ही, कुछ लोगों को नौकरी जाने का भी डर है।

निष्कर्ष

AI में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन इसके साथ ही उचित विनियम और गवर्नेंस तंत्र भी जरूरी है। इसलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने AI के इस्तेमाल के नैतिकता और नियमों के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

7.4. ग्लाइसेमिक इंडेक्स (Glycemic Index: GI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में किए गए एक वैज्ञानिक अध्ययन से भोजन में मौजूद ग्लाइसेमिक इंडेक्स तथा टाइप II डायबिटीज और हृदय रोगों के खतरे के बीच संबंध का पता चला है।

ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) के बारे में

GI सूचकांक	उदाहरण
उच्च (>70)	गेहूं, सफेद चावल, आलू, वाइट ब्रेड आदि।
मध्यम (56-69)	संतरे का रस, शहद, और होलमील ब्रेड आदि।
कम (<55)	फल, बिना स्टार्च वाली सब्जियां (गाजर, पालक, टमाटर आदि), साबुत अनाज, फलियां आदि।

- **परिभाषा:** GI इस बात का पैमाना है कि **कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करने के बाद यह कितनी जल्दी आपके रक्त में शुगर का लेवल बढ़ाता** है।
    - यह इंडेक्स शुद्ध ग्लूकोज (जिसका GI 100 है) की तुलना में कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों को रक्त में शुगर बढ़ाने की उनकी क्षमता के आधार पर 0 से 100 के पैमाने पर रैंक करती है।
- **किसने प्रस्तावित किया:** इसे टोरंटो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डेविड जेनकिन्स ने 1981 में प्रस्तावित किया था।
- **GI निर्धारित करने वाले कारक:** किसी भोजन का GI कई आंतरिक कारकों, जैसे- अमाइलोज, वसा, प्रोटीन, फाइटिक एसिड, फाइबर, रेसिस्टेंट स्टार्च आदि तथा बाह्य कारकों, जैसे- पकाने के तरीके, प्रसंस्करण, रेट्रो-ग्रेडेशन, भिगोने और अंकुरित करने से निर्धारित होता है।

ग्लाइसेमिक लोड (GL) के बारे में

- **ग्लाइसेमिक लोड (GL):** GL यह मापने का एक तरीका है कि कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ खाने के बाद आपके रक्त शर्करा (Blood Sugar) में कितनी मात्रा और कितनी तेजी से वृद्धि हो सकती है।
- **GL की गणना:** किसी भोजन का ग्लाइसेमिक लोड ज्ञात करने के लिए, भोजन के ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) को उस भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट की मात्रा से गुणा करना होगा।

GI और स्वास्थ्य के बीच संबंध

- **डायबिटीज से ग्रस्त लोगों के लिए जटिलताएं:** उच्च GI वाले खाद्य पदार्थ रक्त में शुगर के स्तर में तेज उतार-चढ़ाव का कारण बनते हैं, जो शरीर की इंसुलिन बनाने या उसका प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता को कमजोर कर सकता है।
  - कम GI वाले खाद्य पदार्थों पर ध्यान देने से रक्त में शुगर के नियंत्रण और कुल मिलाकर डायबिटीज के प्रबंधन में सुधार हो सकता है।
- **हृदय स्वास्थ्य के लिए समस्याएं:** उच्च GI वाले आहार से वजन बढ़ता है, शरीर में ट्राइग्लिसराइड का स्तर और रक्तचाप बढ़ता है, जिससे व्यक्ति लंबे समय में हृदय संबंधी जटिलताओं का शिकार हो सकता है।

7.5. इंडिया टीबी (TB) रिपोर्ट 2024 {India Tuberculosis (TB) Report 2024}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने **इंडिया टीबी (TB) रिपोर्ट 2024** जारी की।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र

- **नोटिफाइड टीबी रोगी:** 2023 में 25.52 लाख टीबी के मामले (2022 में 24.22 लाख मामले) दर्ज किए गए।
- **मामलों की रिपोर्टिंग:** लगभग 67% मामलों की रिपोर्टिंग सार्वजनिक क्षेत्रक द्वारा, जबकि लगभग 33% निजी क्षेत्रक द्वारा की जा रही है।
- **नोटिफाइड ड्रग-रेजिस्टेंट टीबी (DR-TB) रोगियों** में उपचार सफलता दर: 65%

उपलब्धियां

- 2023 में **संक्रमण से ग्रस्त 95% रोगियों में उपचार शुरू करने का लक्ष्य** हासिल कर लिया गया।
- **टीबी के मामलों में कमी** (हर साल सामने आने वाले नए मामले): **2015 की तुलना में 16%**
- **मृत्यु दर में कमी:** 2015 की तुलना में 18%
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले नोटिफाइड टीबी रोगियों के अनुपात में वृद्धि:** 70% (हालांकि, 2023 तक इसे 90% रखने का लक्ष्य रखा गया था)

टीबी के बारे में

- यह **बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया** के कारण होने वाली एक संक्रामक बीमारी है जो आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करती है। इसे **पल्मोनरी टीबी** के रूप में जाना जाता है।
  - **एक्स्ट्रापल्मोनरी टीबी** शरीर के अन्य हिस्सों को प्रभावित करती है। **(उदाहरण के लिए-** गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टीबी, स्केलेटल टीबी, लीवर टीबी)

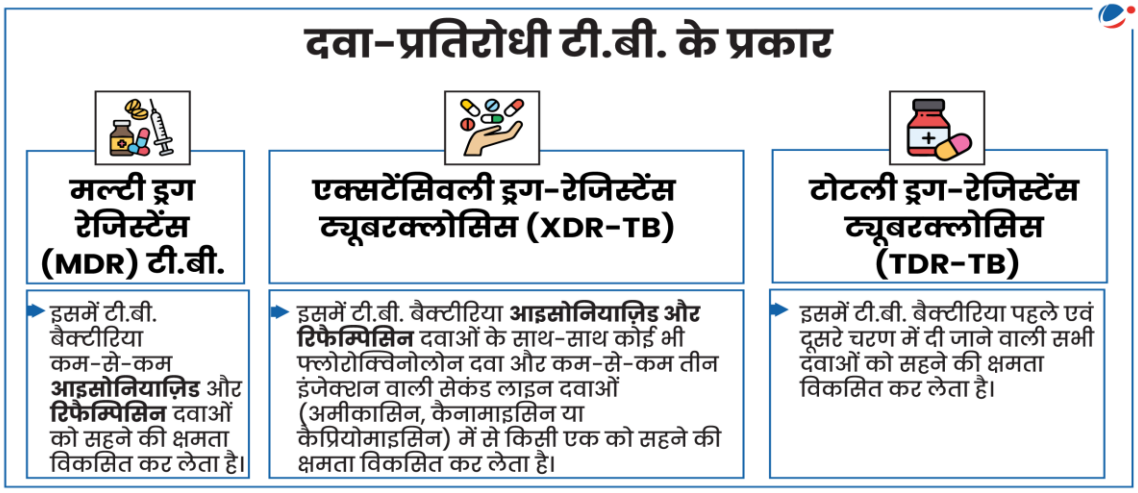

- **संक्रमण:** यह हवा के माध्यम से फैलता है, जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है, बोलता है, हंसता है, गाता है या छींकता है।
- **सामान्य लक्षण:** लंबे समय तक खांसी (कभी-कभी खून के साथ), सीने में दर्द, कमजोरी, थकान, वजन घटना, बुखार, रात को पसीना आना, आदि।

- **पहचान के लिए परीक्षण:** एक्सपर्ट MTB, RIF अल्ट्रा और ट्रूनेट असेस।
- **उपचार:** ट्यूबरकुलोसिस को रोका जा सकता है और इसका इलाज भी किया जा सकता है।
    - सबसे आम दवाओं में **आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, एथंबूटोल, पिराजीनामइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन** आदि शामिल हैं।
    - बचाव के लिए **बैसिल कैलमेट-गुएरिन (BCG)** का टीका भी उपलब्ध है।
- **ड्रग-रेजिस्टेंट टीबी** में मानक दवाओं का असर नहीं होता है।

आगे की राह

- **सीने के एक्स-रे का ज्यादा इस्तेमाल करके शुरुआती पहचान को सक्षम बनाना** और मरीजों की बेहतर जांच के लिए **रेफरल नेटवर्क को मजबूत करना।**
- **सटीक इलाज का निर्धारण:** निदान की शुरुआत में ही **टीबी की प्रतिरोधक क्षमता** संबंधी स्थिति की जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए। इससे उचित इलाज का निर्धारण करने में मदद मिल सकती है।
- **दीर्घकालिक और निरंतर इलाज:** यह नियमित रूप से फॉलो-अप करके और इलाज की पोर्टेबिलिटी (दूसरी जगह भी इलाज जारी रखने की सुविधा) पर विचार करके सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

- **रोगियों को पोषण सहायता:** उदाहरण के लिए- 2023 के लैंसेट अध्ययन में पाया गया है कि झारखंड में 'RATIONS' परीक्षण के तहत दी गई पोषण सहायता की वजह से फेफड़ों की टीबी के रोगियों में मृत्यु का जोखिम कम हो गया था।
- बेहतर अधिसूचना प्रणाली के लिए **डायनेमिक नोटिफिकेशन सिस्टम** स्थापित किया जाना चाहिए जिससे कि रियल टाइम में टीबी संबंधी डेटा प्राप्त किया जा सके।
- **टीबी सेवा वितरण** को "आयुष्मान आरोग्य मंदिर" के स्तर पर विकेंद्रीकृत करना चाहिए।
    - उदाहरण के लिए- BCG टीकाकरण के वयस्क लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए भारत में टीबी-विन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था।
- **निवेश को बढ़ाने से बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।**
    - WHO के एक अध्ययन के अनुसार, टीबी की जांच पर खर्च किए गए प्रत्येक डॉलर से 39 डॉलर का लाभ प्राप्त हो सकता है।

टीबी को रोकने हेतु भारत की पहलें

- **नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम (NTEP):** इसके तहत 2030 के वैश्विक लक्ष्य से पांच साल पहले ही 2025 तक टीबी के बोझ को कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
- **प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान:** यह मरीजों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने, समुदाय की भागीदारी बढ़ाने और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) गतिविधियों का लाभ उठाने के लिए शुरू किया गया था।
- **निक्षय पोषण योजना:** इस योजना के तहत निक्षय पोर्टल पर पंजीकृत टीबी मरीजों को 500 रुपये की आर्थिक प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
- **नेशनल टीबी कॉल सेंटर - नि-क्षय संपर्क:** इसे टीबी के बारे में मरीजों के सवालों का जवाब देने और इलाज के संबंध में टेली-काउंसलिंग प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है।
- **टीबी मुक्त पंचायत पहल:** इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को टीबी संबंधी मुद्दों को समझने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सशक्त बनाना है।
- **जनजातीय टीबी पहल:** इसे भारत के आदिवासी समुदायों में टीबी की समस्या से निपटने के लिए शुरू किया गया है।
- **मिशन इंद्रधनुष:** इस मिशन के तहत BCG का टीका लगाया जाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की पहल

- **#ENDTB रणनीति: इसके लक्ष्य हैं-**
  - 2015 की तुलना में 2035 तक टीबी से होने वाली मौतों की संख्या में 95% की कमी करना।
  - 2015 की तुलना में 2035 तक टीबी के मामलों में 90% की कमी करना।
  - 2035 तक टीबी के कारण किसी भी परिवार को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े।
- **टीबी वैक्सीन एक्सेलरेटर काउंसिल:** यह परिषद टीबी के नए टीकों के विकास, परीक्षण, प्रमाणन और उपयोग को गति प्रदान करने के लिए बनाई गई है।

7.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

7.6.1. हबल टेंशन (Hubble Tension)

- हालिया अध्ययन के अनुसार, वैज्ञानिक हबल टेंशन को समझाने के लिए एक नए मॉडल की खोज कर रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले वैज्ञानिक **Λ (लैम्ब्डा) कोल्ड डार्क मैटर या लैम्ब्डा CDM मॉडल** से इसे समझाने में विफल रहे हैं।
  - **लैम्ब्डा CDM** ब्रह्मांड की विविध विशेषताओं की व्याख्या करता है। इसमें बिग बैंग का अवशेष विकिरण आदि शामिल है।
- **हबल टेंशन के बारे में**
  - हबल टेंशन **दो अलग-अलग मान्य तरीकों से प्राप्त ब्रह्मांड के विस्तार की दर की माप के बीच असंगति** को व्यक्त करता है।
    - ब्रह्मांड का विस्तार **हबल स्थिरांक (Hubble Constant)** द्वारा मापा जाता है।
  - **ब्रह्मांड के विस्तार के मापन की दो विधियां निम्नलिखित हैं:**
    - **कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड:** यह बिग बैंग घटना के बाद छोड़े गए सी ऑफ फोटोन्स पर आधारित है।
    - **कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर:** यह उन पिंडों की दूरी मापने के लिए तकनीकों का उपयोग करता है, जो पृथ्वी के नजदीक हैं या थोड़ी दूर और बहुत दूर हैं।

7.6.2. आर्यभट्ट की लॉन्चिंग के 50 वर्ष पूरे हुए (50th Year of Aryabhata Launch)

- इसरो ने **आर्यभट्ट उपग्रह की लॉन्चिंग की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य** में 19 अप्रैल को **उपग्रह प्रौद्योगिकी दिवस (STD)** मनाया।
  - गौरतलब है कि आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण 19 अप्रैल, 1975 को किया गया था।
- **आर्यभट्ट उपग्रह के बारे में**
  - यह **भारत का पहला उपग्रह** था। इसका नाम 5वीं शताब्दी के महान भारतीय खगोलशास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था।
  - इस उपग्रह का **निर्माण इसरो** ने किया था। इसका **प्रक्षेपण सोवियत कॉसमॉस-3M रॉकेट से कपुस्तिन यार (रूस) से** किया गया था।
  - इसका उद्देश्य **एक्स-रे खगोल विज्ञान, एरोनॉमिक्स और सौर भौतिकी** क्षेत्र में प्रयोग (Experiments) करना था।

7.6.3. ड्रैगनफ्लाई मिशन (Dragonfly Mission)

- नासा ने **2028 में शनि के विशाल चंद्रमा टाइटन के लिए ड्रैगनफ्लाई मिशन लॉन्च** करने की घोषणा की है।
    - यह नासा के **न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम** का चौथा मिशन है। इस प्रोग्राम के अन्य **तीन मिशन हैं:** न्यूहोराइजन्स, जूनो और ओसिरिस-रेक्स (और ओसिरिस-एपेक्स/ OSIRIS-APEX भी)।
- **ड्रैगनफ्लाई मिशन के बारे में**
    - **लक्ष्य:** यह टाइटन के बड़े क्षेत्र को कवर करते हुए उसकी सतह के कई स्थलों का अध्ययन करेगा तथा उनके **रसायन विज्ञान और वास योग्य दशाओं** का पता लगाएगा।
        - इससे जानकारी प्राप्त हो सकेगी की टाइटन वास योग्य है या नहीं।
    - यह मिशन प्रक्षेपण के बाद **2034 में टाइटन** तक पहुंचेगा।
- टाइटन सौरमंडल का **एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह** है, जो **सघन वायुमंडल** से घिरा हुआ है और इसकी सतह पर **तरल रूप में समुद्र मौजूद** है।

7.6.4. तियांतोंग-1 ने स्मार्टफोन से सीधे सैटेलाइट कॉल करना संभव बनाया (Tiantong-1 Allows Smartphones to Make Direct Satellite Calls)

- इसके लिए चीन के वैज्ञानिकों ने **सैटेलाइट सीरीज (तियांतोंग-1)** विकसित किया है। यह दुनिया की पहली ऐसी सैटेलाइट सीरीज है जिसकी मदद से **बेस ट्रांसीवर स्टेशन (BTS) या सेलुलर टावर्स जैसी ग्राउंड-बेस्ड अवसंरचना के बिना** स्मार्टफोन से कॉल किया जा सकता है।
- **चीन की उपग्रह आधारित संचार प्रौद्योगिकी (SCT) के बारे में:**
    - **तियांतोंग-1 श्रृंखला में तीन उपग्रह** शामिल हैं। इन उपग्रहों को पृथ्वी से लगभग 36,000 कि.मी. की ऊंचाई पर भू-तुल्यकालिक (Geosynchronous) कक्षा में स्थापित किया गया है। ये उपग्रह मध्य पूर्व (Middle East) से लेकर प्रशांत महासागर तक संपूर्ण एशिया-प्रशांत क्षेत्र को कवर करते हैं।
        - **भू-तुल्यकालिक कक्षा** में स्थापित उपग्रह का कक्षीय झुकाव कम होता है, जिससे पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। यह पृथ्वी से एक निश्चित उंचाई पर एक विशेष स्थिति है जो किसी ऑब्जेक्ट को हमारे ग्रह के घूर्णन के साथ तालमेल बनाए रखने में योगदान करता है।
    - पृथ्वी के ऊपर **भू-तुल्यकालिक कक्षा** में स्थापित उपग्रह पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं।
    - सितंबर, 2023 में **हुआवेई टेक्नोलॉजीज** नामक कंपनी ने सीधे **तियांतोंग उपग्रहों की मदद से सैटेलाइट कॉल वाला** दुनिया का पहला स्मार्टफोन बनाया था।
- **SCT से निम्नलिखित लाभ होंगे:**
    - **पहुंच:** इससे सुदूर, ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए संचार सेवाओं की सुगम पहुंच सुनिश्चित होगी।
    - **आपदा के दौरान उपयोग:** यह प्राकृतिक आपदाओं या अन्य आपात स्थितियों के चलते क्षतिग्रस्त स्थलीय नेटवर्क के दौरान काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
    - **सैन्य और रक्षा उपयोग:** यह सुरक्षित और विश्वसनीय संचार, नेविगेशन, निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्र करने में लाभदायक साबित हो सकता है।
- **SCT से जुड़ी कुछ चिंताओं पर एक नज़र:**
    - अंतरिक्ष मलबा और पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों का जमावड़ा;
    - अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और दायित्व जैसे मुद्दों के कारण विनियामक एवं गवर्नेंस संबंधी चुनौतियां;
    - जैमिंग, स्पूफिंग आदि जैसे साइबर खतरे इत्यादि। (इंफोग्राफिक देखें)

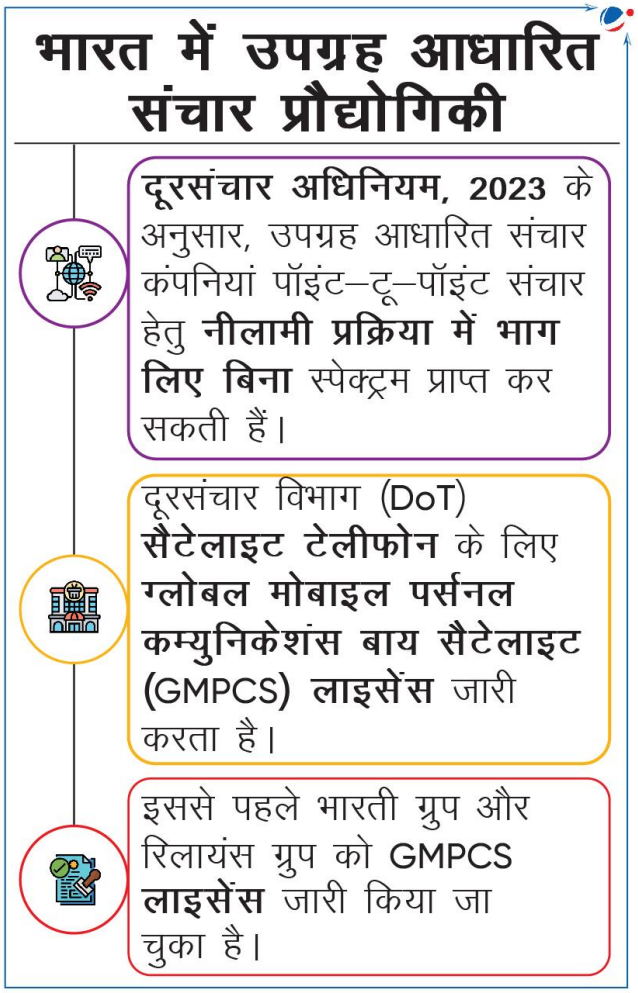

7.6.5. टाटा सैटेलाइट-1A (TSAT-1A)

- टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और सैटेलॉजिक ने अंतरिक्ष में TSAT-1A की सफल स्थापना की घोषणा की है।
- **TSAT (टाटा सैटेलाइट)-1A के बारे में**
  - यह निजी क्षेत्र में भारत का पहला **स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित उपग्रह** है, जो **सब-मीटर रिज़ॉल्यूशन ऑप्टिकल इमेजिंग** में सक्षम है।
  - यह **मल्टीस्पेक्ट्रल और हाइपरस्पेक्ट्रल दोनों इमेजिंग क्षमताओं** से लैस है।
  - यह तकनीक **TSAT-1A को विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के भीतर विविध तरंग दैर्ध्य में डेटा एकत्र** करने में सक्षम बनाती है। इस डेटा से भूमि, जल और विविध प्राकृतिक संसाधनों के बारे में गहरी समझ प्राप्त हो सकती है।
  - उपग्रह द्वारा एकत्र किए गए डेटा से **कृषि, आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन और पर्यावरणीय निगरानी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रगति** लाई जा सकती है।

7.6.6. कलाम-250 (KALAM-250)

- **स्काईरूट एयरोस्पेस ने विक्रम-1 अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के स्टेज-2 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण** किया है। इस इंजन को **कलाम-250** नाम दिया गया है।
  - स्टेज-2 इंजन इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह **उपग्रहों को पृथ्वी के सघन वायुमंडल से आउटर स्पेस के डीप वैक्यूम** में भेजता है।
  - विक्रम-1 **तीन स्टेज वाला व ठोस ईंधन आधारित रॉकेट** है।
- **कलाम-250 के बारे में**
  - यह **उच्च शक्ति वाली कार्बन कंपोजिट रॉकेट मोटर** है। यह मोटर ठोस ईंधन और उच्च प्रदर्शन वाले **एथिलीन-प्रोपलीन-डायने टेरपॉलीमर्स (EPDM) थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम** का इस्तेमाल करती है।
  - कलाम-250 में **ठोस प्रणोदक को नागपुर प्रतिष्ठान में सोलर इंडस्ट्रीज** ने संसाधित किया है।
  - इससे पहले स्काईरूट ने विक्रम-1 के **तीसरे स्टेज इंजन कलाम-100 का परीक्षण** किया था। यह सफल परीक्षण 2021 में किया गया था।

7.6.7. नेटवर्क-एज-ए-सर्विस (Network-as-a-Service: NaaS)

- **भारत में NaaS का बाजार** 2024 के 1.18 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2029 तक 7.32 बिलियन डॉलर हो जाने का अनुमान है।
- **NaasS के बारे में**
  - यह एक **क्लाउड सर्विस मॉडल** है। इसके तहत ग्राहक **क्लाउड प्रदाताओं से नेटवर्किंग सेवाएं किराए** पर लेते हैं।
    - व्यवसाय की जरूरतों में बदलाव के अनुसार जितनी सेवा का उपयोग किया जाता है, यह उतने का ही **भुगतान करने का विकल्प** प्रदान करता है।
  - यह ग्राहकों को अपने **स्वयं के नेटवर्किंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता के बिना** नेटवर्क्स संचालित करने की सुविधा देता है।
    - गौरतलब है कि पारंपरिक नेटवर्क मॉडल में **स्विच, राउटर और लाइसेंसिंग के साथ भौतिक नेटवर्क के लिए पूंजीगत व्यय (CapEx)** की आवश्यकता होती है।

7.6.8. शैलोफेक (Shallowfake)

- **संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति** का एक **शैलोफेक वीडियो** वायरल हुआ है।
- शैलोफेक के तहत **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक की बजाय किसी पारंपरिक और वहनीय तकनीक से किसी व्यक्ति की तस्वीर, वीडियो एवं वॉइस क्लिप को एडिट** करके अलग रूप में दर्शाया जाता है।
  - इसके विपरीत, **डीपफेक (Deepfake) AI द्वारा बनाई गई संश्लेषित छवियां, वीडियो और अन्य मीडिया** होते हैं।
- शैलोफेक को **चीपफेक (cheapfake)** भी कहा जाता है।

7.6.9. बिटकॉइन हैल्विंग (Bitcoin Halving)

- विशेषज्ञ उम्मीद कर रहे हैं कि बिटकॉइन हैल्विंग की घटना जल्द ही होगी।
- **बिटकॉइन हैल्विंग के बारे में**
  - यह बिटकॉइन माइनर्स को दिए जाने वाले **रिवॉर्ड में 50% की कटौती** है।
    - **बिटकॉइन माइनर्स अन्य लोगों के क्रिप्टोकरेंसी लेन-देन** को सफलतापूर्वक प्रोसेस करते हैं। इससे वे **पब्लिक डिजिटल लेजर (बहीखाता)** से जुड़ जाते हैं। पब्लिक डिजिटल लेजर को **ब्लॉकचेन** कहा जाता है।
  - बिटकॉइन हैल्विंग **हर चार साल** में घटित होती है।
  - हैल्विंग नीति को **बिटकॉइन माइनिंग एल्गोरिदम** में समेकित गया है। इसका उद्देश्य बाजार में बिटकॉइन की कमी को बनाए रखते हुए मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना है।
    - सैद्धांतिक तौर पर, बिटकॉइन जारी करने की गति में कमी का मतलब है कि अगर मांग समान रही तो कीमत बढ़ जाएगी।

7.6.10. एक्सोस्केलेटन (Exoskeleton)

- हाल ही में, DRDO ने **'एक्सोस्केलेटन के लिए नई प्रौद्योगिकियां और चुनौतियां'** विषय पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की।
- **एक्सोस्केलेटन के बारे में**
  - यह एक **चलायमान मशीन** है। इसमें मुख्य रूप से एक व्यक्ति द्वारा पहने जाने वाला बाहरी फ्रेमवर्क या कवच होता है।
    - यह फ्रेमवर्क वास्तव में कीट के **बहि:कंकाल (Exoskeleton)** के समान होता है।
  - यह मोटर्स, हाइड्रोलिक्स या न्यूमेटिक्स के एक सिस्टम द्वारा संचालित होता है। यह सिस्टम **अंगों की गतिविधियों के लिए शक्ति प्रदान** करता है।
  - **उपयोग:** दिव्यांग जनों के लिए सहायक है, सैनिकों को भारी वजन उठाने में मदद करेगा, कारखानों और असेंबली लाइनों में मदद करेगा आदि।

7.6.11. स्वदेशी कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर (CAR) T- सेल थेरेपी लॉन्च हुई {Indigenous Chimeric Antigen Receptor (CAR) T-CELL Therapy Launched}

- राष्ट्रपति ने कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी (CAR-T सेल थेरेपी) लॉन्च की।
- इसे **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे; टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और इम्यूनो ACT** के बीच सहयोग के माध्यम से विकसित किया गया है।
- **कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स (CAR) T-सेल थेरेपी के बारे में**
  - **CAR-T** सेल थेरेपी **सेलुलर इम्यूनोथेरेपी इलाज** का एक नया प्रकार है। इसमें उपचार के लिए **T-कोशिकाओं का उपयोग** किया जाता है। इस उपचार विधि में **T-कोशिकाओं** को प्रयोगशाला में **आनुवंशिक रूप से परिवर्तित** किया जाता है। इसके बाद ये परिवर्तित कोशिकाएं **कैंसर कोशिकाओं की पहचान करके उन्हें प्रभावी ढंग से नष्ट** कर देती है।
    - **T-सेल्स प्रतिरक्षी श्वेत रक्त कोशिकाएं** होती हैं। ये **संक्रमण पैदा करने वाले रोगजनकों** (वायरस, बैक्टीरिया, कवक और परजीवी) तथा **कैंसर कोशिकाओं** जैसी हानिकारक कोशिकाओं व **साइटोटॉक्सिक** कोशिकाओं को पहचानकर उन पर **हमला** करती हैं।
  - इस उपचार विधि में T-कोशिकाओं को **रोगी के रक्त** से लिया जाता है। फिर, प्रयोगशाला में T-कोशिकाओं में **आनुवंशिक संशोधन** के जरिए **कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स (CAR)** प्रवेश कराया जाता है। इसके बाद ये कोशिकाएं **CAR-T कोशिकाएं** उत्पन्न करने लगती हैं। CAR-T कोशिकाओं का फिर रोगी के शरीर में वापस प्रवेश करा दिया जाता है।
    - CAR **प्रोटीन** होते हैं। ये T-कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं पर मौजूद एक विशिष्ट प्रोटीन या एंटीजन को पहचान कर और उनसे जुड़ने में मदद करते हैं।
  - इसके बाद CAR-T कोशिकाओं रोगी के शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है।
- **CAR-T सेल थेरेपी के लाभ:**
  - **लंबे समय तक कैंसर का उपचार** किया जा सकता है।
  - इसमें **विशिष्ट प्रकार के कैंसर रोगों को पूरी तरह से ठीक करने की क्षमता** है।
  - इस तरह के **उपचार में कम समय लगता है और रोगी अधिक तेजी से ठीक होने** लगता है।
- **चुनौतियां:**
  - किसी एक प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए प्रयुक्त CAR-T सेल थेरेपी **अन्य प्रकार के कैंसर के इलाज में उपयोगी सिद्ध नहीं** होती है,
  - **तंत्रिका तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव** पड़ सकता है,
  - **संक्रमण का खतरा** हो सकता है आदि।

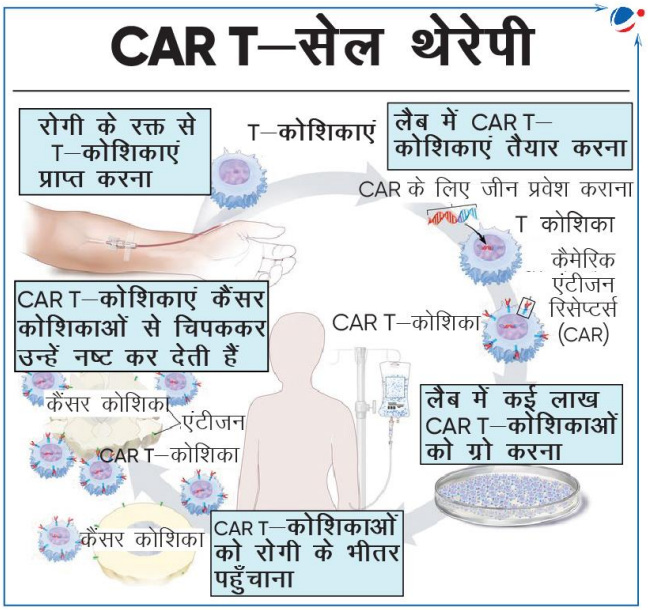

7.6.12. मैग्नेटिक रेज़ोनेंस इमेजिंग (MRI) प्रौद्योगिकी {Magnetic Resonance Imaging (MRI) Technology}

- दुनिया के सबसे शक्तिशाली MRI स्कैनर 'इज़ोल्ट' (Iseult) ने मानव मस्तिष्क की पहली तस्वीर ली है
- 'इज़ोल्ट' स्कैनर **मानव मस्तिष्क की संरचना** के बारे में हमारी समझ को और अधिक बढ़ाने में मदद कर सकता है।

- इस स्कैनर से **अल्जाइमर** जैसी बीमारियों या **अवसाद** अथवा **सिजोफ्रेनिया** जैसे मनोवैज्ञानिक विकारों के बारे में विस्तृत समझ प्राप्त हो सकेगी।

- **इज़ोल्ट MRI के बारे में**
  - **इज़ोल्ट** में 11.7 टेस्ला की शक्ति है। इससे यह आम उपयोग वाले MRI स्कैनर की तुलना में **10 गुना अधिक सटीकता के साथ मस्तिष्क की छवियों को स्कैन** कर सकता है।
    - टेस्ला (Tesla) **चुंबकीय क्षेत्र के बल का मापन** है। MRI मशीन के भीतर मरीज, मशीन के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में आ जाता है।
- **मैग्नेटिक रेज़ोनेंस इमेजिंग (MRI) प्रौद्योगिकी के बारे में**
  - MRI एक **नॉन-इनवेसिव मेडिकल इमेजिंग टेस्ट** मशीन है। यह मशीन मानव शरीर के भीतर की प्रत्येक संरचना की विस्तृत तस्वीर ले सकती है।
  - यह मशीन शरीर के भीतर की तस्वीर लेने के लिए **बड़ी चुंबकीय और रेडियो तरंगों** का उपयोग करती है। जहां **एक्स-रे** के दौरान **आयनीकृत रेडिएशन** उत्सर्जित होता है, वहीं, **MRI टेस्ट** के दौरान ऐसा **रेडिएशन उत्सर्जित नहीं** होता है।
  - क्रॉस-सेक्शनल तस्वीरें प्राप्त करने के लिए यह **शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, रेडियो तरंगों और हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ अंतर्क्रिया** करता है।
- **MRI के उपयोग**
  - **MRI** द्वारा स्कैन की गई तस्वीरों में शरीर के **अंगों, हड्डियों, मांसपेशियों और रक्त वाहिकाओं** को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
  - **मस्तिष्क के विकारों, हृदय रोगों, कैंसर** जैसी बीमारियों के चिकित्सा निदान और उपचार में MRI का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
  - **फंक्शनल MRI (fMRI),** एक विशेष प्रकार की MRI मशीन है। यह मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में रक्त प्रवाह की तस्वीरें लेती है। इससे मस्तिष्क की सर्जरी में मदद मिलती है।

7.6.13. कोरोनावायरस नेटवर्क (CoViNet) {Coronavirus Network (CoViNet)}

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने एक नया **CoViNet** लॉन्च किया है।
- **CoViNet के बारे में**
  - यह मानव, जंतु और पर्यावरणीय कोरोना वायरस निगरानी में विशेषज्ञता वाली **ग्लोबल लैबोरेट्रीज** का एक नेटवर्क है।
  - इसमें वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के **सभी 6 क्षेत्रों के 21 देशों की 36 लैबोरेट्रीज** शामिल हैं।
    - इनमें **भारत की तीन लैबोरेट्रीज** हैं।
  - इसका उद्देश्य **सार्स-CoV-2, मर्स-CoV और लोक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नोवल कोरोना वायरस का त्वरित व सटीक तरीके से पता लगाने, निगरानी करने और आकलन करने** के लिए वैश्विक विशेषज्ञता को सुविधाजनक बनाना तथा समन्वय स्थापित करना है।

7.6.14. यूविकोल-S (Euvichol-S)

- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कॉलेरा (हैजा) के लिए यूविकोल-S वैक्सीन** को प्रीक्वालिफाइड कर दिया है।
  - यह **ओरल कॉलेरा वैक्सीन (OCV) यूविकोल-प्लस का एक सरलीकृत फॉर्मूलेशन** है।
  - इसमें **कम सामग्रियों** का उपयोग किया गया है। यह **अपने पुराने संस्करण की तुलना में सस्ता** है। साथ ही, इसे **अधिक शीघ्रता** से बनाया भी जा सकता है।
- **कॉलेरा के बारे में:**
  - यह एक गंभीर **डायरिया रोग** है। यह **विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया** के कारण होता है। यह बैक्टीरिया **मनुष्य की आंत** को प्रभावित करता है।
  - यह रोग **दूषित भोजन या जल के सेवन** से होता है।
  - इसके सर्वाधिक मामले **मध्य-पूर्व और अफ्रीका** में दर्ज किए गए हैं।

7.6.15. वजन घटाने वाली दवाएं (Weight Loss Drugs)

- हाल ही में हुए एक शोध से पता चला है कि मोटापे से निपटने के लिए बनाई गई दवाएं कई अन्य बीमारियों के इलाज में भी फायदेमंद हो सकती हैं।
- **वजन घटाने वाली दवाइयां कैसे काम करती हैं?**
  - वजन घटाने वाली दवाएं, **ग्लूकागन-लाइक पेप्टाइड 1 (GLP-1)** नामक आंत्र हार्मोन (Gut hormone) के कार्यों की नकल करती हैं।
  - **ग्लूकागन-लाइक पेप्टाइड (GLP-1) मनुष्यों में तीन प्रमुख ऊतकों यथा आंत की एंटरोएंडोक्राइन L-कोशिकाओं, अग्न्याशय की α कोशिकाओं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से स्रावित होता है।**
    - GLP-1 इंसुलिन (हार्मोन जो रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है) के उत्पादन को बढ़ाता है और ग्लूकागन (जो रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है) के उत्पादन को कम करता है।
    - ये भूख की इच्छा को रोकते हैं और पाचन क्रिया को धीमा कर देते हैं। इससे लोगों को जल्दी और लंबे समय

तक पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिससे भोजन का सेवन कम हो जाता है।
    - GLP-1 शरीर में एंजाइम्स द्वारा बहुत तेजी से विखंडित हो जाता है, इसलिए यह केवल कुछ ही मिनटों तक अपने मूल रूप में रहता है।
- **वसा कम करने वाली दवाओं के अन्य लाभ:** टाइप 2 मधुमेह को नियंत्रित करना, दिल के दौरे जैसी हृदय संबंधी समस्याओं को कम करना, आदि।

7.6.16. स्नेल म्यूसिन (Snail Mucin)

- स्नेल म्यूसिन ने चेहरे को सुंदर रखने की चाह वाले व्यक्तियों और विशेषज्ञों दोनों का ध्यान समान रूप से आकर्षित किया है।
- **स्नेल म्यूसिन के बारे में:**
    - यह एक चिपचिपा स्राव है, जो **स्नेल्स (घोंघा) के रेंगने** के दौरान उत्पन्न होता है।
    - यह स्नेल्स को **कटने और घाव होने** से बचाता है।
    - इसका उपयोग **सीरम, मॉइस्चराइज़र और घाव भरने वाले पदार्थ** के रूप में किया जा सकता है।

QUIZ **SMART QUIZ**	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

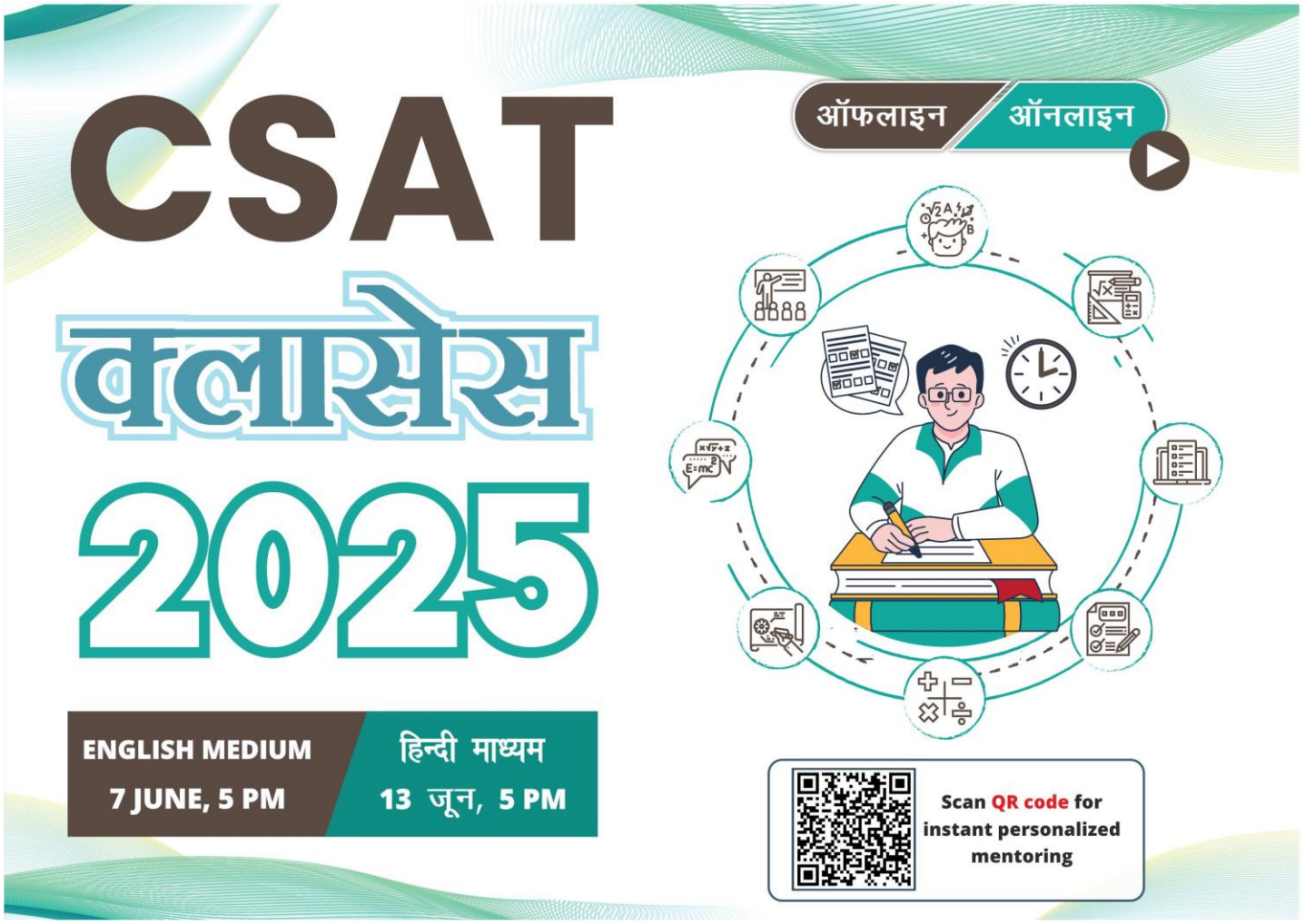

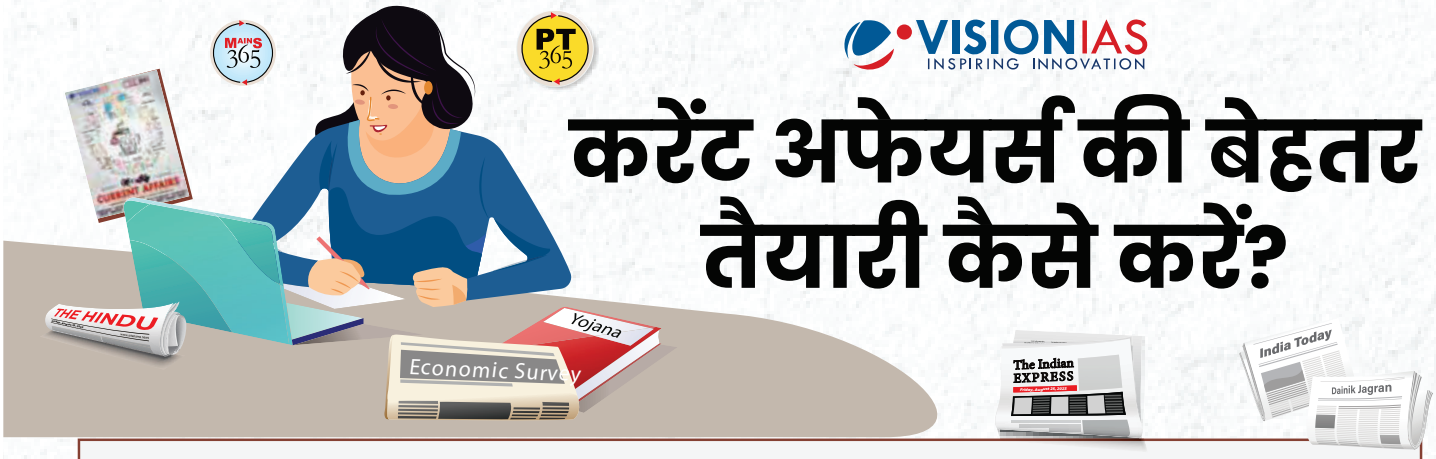

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

करेंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी कैसे करें?

करेंट अफेयर्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की आधारशिला है, जो प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीनों चरणों में जरूरी होता है। परीक्षा के प्रश्न डायनेमिक स्रोतों से तैयार किए जा रहे हैं। ये प्रश्न सीधे वर्तमान की घटनाओं से जुड़े होते हैं या स्टैटिक कंटेंट तथा वर्तमान की घटनाओं, दोनों से जुड़े होते हैं। इस संदर्भ में, करेंट अफेयर्स से अपडेट रहना अभ्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा के नए ट्रेंड को समझने में सक्षम बनाता है। सही रिसोर्सेज और एक रणनीतिक दृष्टिकोण के जरिए अभ्यर्थी इस विशाल सेक्शन को अपना सकारात्मक पक्ष बना सकते हैं।

करेंट अफेयर्स के लिए दोहरी स्तर वाली रणनीति

करेंट अफेयर्स के लिए दोहरी स्तर वाली रणनीति

अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना

न्यूज़पेपर पढ़ना: फाउंडेशन

वैश्विक और राष्ट्रीय घटनाओं की व्यापक समझ हेतु न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए प्रतिदिन एक घंटा समर्पित करना चाहिए।

न्यूज़ टुडे: संदर्भ की सरल प्रस्तुति

न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ-साथ, न्यूज़ टुडे भी पढ़िए, जिसमें लगभग 200 या 90 शब्दों में करेंट अफेयर्स का सारांश प्रस्तुत किया जाता है। यह रिसोर्स अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण न्यूज़ की पहचान करने, तकनीकी शब्दों और घटनाओं को समझने में मदद करता है।

मासिक समसामयिकी मैगजीन: गहन विश्लेषण

व्यापक कवरेज और घटनाओं के विस्तृत विश्लेषण के लिए मासिक समसामयिकी मैगजीन आपकी जरूरत पूरी कर सकती है। इससे अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न घटनाओं के संदर्भ, महत्त्व और निहितार्थ को समझने में सुविधा होती है।

तैयारी और रिविजन में महारत हासिल करना

वीकली फोकस: फाउंडेशन को मजबूत करना

किसी टॉपिक के बारे में अपनी समझ को मजबूत करने के लिए वीकली फोकस का संदर्भ लीजिए। इसमें किसी प्रमुख मुद्दे के विभिन्न पहलुओं और आयामों के साथ-साथ स्टेटिक तथा डायनेमिक घटकों को शामिल किया जाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के हाईलाइट्स तथा सारांश

इसमें आसानी से समझ के लिए जटिल जानकारी को एक कॉम्पैक्ट प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट के सारांश डाक्यूमेंट्स से आप महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

PT 365 और Mains 365: परीक्षा में प्रदर्शन बढ़ाना

पूरे वर्ष के करेंट अफेयर्स की तैयारी के लिए PT 365 और Mains 365 का उपयोग कीजिए। इससे प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों के लिए रिविजन में भी मदद मिलेगी।

ब्रोशर पढ़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

Vision IAS का त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट उन छात्रों के लिए उपयोगी रिसोर्स है, जो 2-3 महीनों से मंथली अपडेट पढ़ने से चूक गए हैं। यह प्रमुख घटनाक्रमों का सारांश प्रदान करके लर्निंग में निरंतर सहायता प्रदान करता है।

"याद रखिए, करेंट अफेयर्स को केवल याद ही नहीं रखना होता है, बल्कि घटनाओं के व्यापक निहितार्थों और अंतर्संबंधों को समझना भी होता है। जिज्ञासा के साथ आगे बढ़िए; समय के साथ, यह बोझ कम होता जाएगा और यह एक ज्ञानवर्धक अनुभव बन जाएगा।"

8. संस्कृति (Culture)

8.1. स्मारकों को संरक्षित सूची से हटाना (Delisting of Monuments)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने **24 "लुप्त"** (Untraceable) स्मारकों में से **18** स्मारकों को **"स्मारकों की केंद्रीय संरक्षित सूची" से हटाने की घोषणा की** है।

अन्य संबंधित तथ्य

- गौरतलब है कि ASI ने कुछ समय पहले उन स्मारकों की एक सूची जारी की थी जो गायब या लुप्त हो गए हैं। ASI का मानना है कि इन **स्मारकों का अब राष्ट्रीय महत्त्व नहीं** रह गया है। इन्हीं **स्मारकों में** से 18 स्मारकों को संरक्षित सूची से हटाने का निर्णय लिया गया है।
- लुप्त हो गए स्मारक ASI द्वारा संरक्षित स्मारक थे। कई वजहों से **इन स्मारकों की सटीक अवस्थिति और दशा** का निर्धारण करना संभव नहीं हो पा रहा था। इन वजहों में तीव्र शहरीकरण, दूरदराज की जगह पर स्थित होने के कारण पता लगाने में कठिनाइयां, घने वनों में गुम होना आदि शामिल हैं।
- जिन स्मारकों को केंद्रीय संरक्षित सूची से हटाया जाना है उनमें शामिल हैं; मध्यकालीन राजमार्ग पर मील के पत्थर स्थापित **हरियाणा के मुजेसर गांव में स्थित कोस मीनार नंबर 13 (कोस मी),** झांसी जिले में **गनर बुर्किल के मकबरे,** वाराणसी में **तेलिया नाला बौद्ध खंडहर,** आदि।
  - मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल के दौरान बनी कोस-मीनारें भारतीय इतिहास में 'सड़क पर मील के पत्थर' के आरंभिक उदाहरणों में शामिल हैं।
  - जहांगीर से पहले **मुगल बादशाह अकबर ने 1575 ई. में प्रशासनिक सुविधा और यात्रियों** के आराम के लिए कोस-मीनार का निर्माण कराया था।
- ASI ने यह निर्णय केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा **"भारत में लुप्त स्मारक और स्मारकों के संरक्षण से संबंधित मुद्दे"** शीर्षक से संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया है।

केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची से स्मारकों को हटाने के बारे में

- किसी स्मारक को केंद्रीय संरक्षित सूची से हटाने का अर्थ है कि उसका अब ASI द्वारा संरक्षण, परिरक्षण और रख-रखाव नहीं किया जाएगा।
  - एक बार जब किसी स्मारक को इस सूची से हटा दिया जाता है, तो स्मारक के आसपास के क्षेत्र में नियमित निर्माण कार्य और शहरीकरण संबंधी गतिविधियां फिर से आरंभ की जा सकती हैं।
- केंद्रीय सूची से हटाने का कार्य **प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष, (AMASR)[131] अधिनियम, 1958** की धारा 35 के अनुसार किया जाता है।
  - यह धारा **केंद्र सरकार को यह घोषित** करने का अधिकार देती है कि कोई **प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष राष्ट्रीय महत्त्व** का नहीं रह गया है।
- गौरतलब है कि **AMASR अधिनियम में "लुप्त स्मारक"** नामक किसी शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। स्मारकों के लिए इस शब्दावली का पहली बार इस्तेमाल नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (CAG) की ऑडिट टीम ने अपनी रिपोर्ट में किया था।
- भारत के संविधान का अनुच्छेद 49 राज्य को **देश भर में राष्ट्रीय महत्त्व वाले कलात्मक या ऐतिहासिक स्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण करने का निर्देश** देता है।

[131] Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains

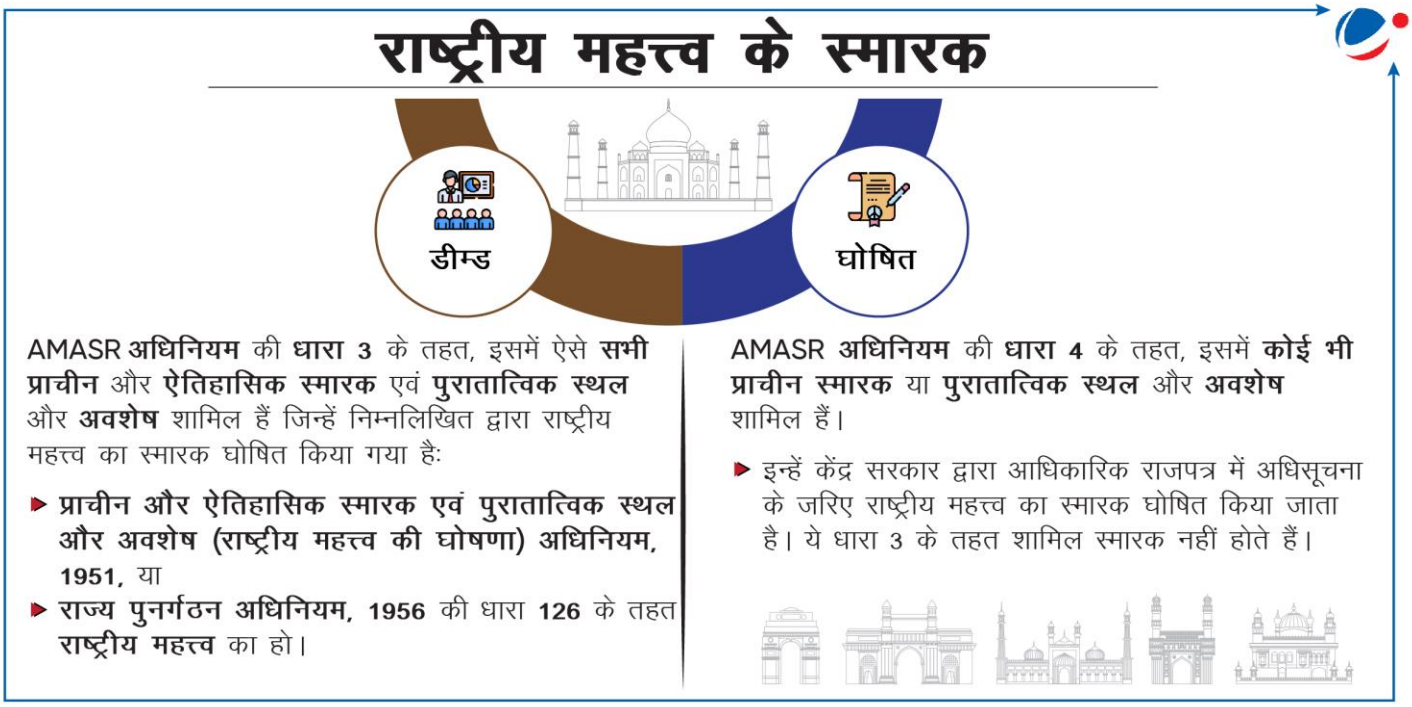

प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष, (AMASR) अधिनियम, 1958

- यह कानून **राष्ट्रीय महत्त्व के प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों एवं अवशेषों के संरक्षण** का प्रावधान करता है।
- यह **पुरातात्विक उत्खनन का विनियमन तथा मूर्तियों, नक्काशी और अन्य वस्तुओं की सुरक्षा का भी प्रावधान** करता है।
- इस अधिनियम की धारा 4 केंद्र सरकार को प्राचीन स्मारकों आदि को **राष्ट्रीय महत्त्व का स्थल** घोषित करने का अधिकार देती है।
- **AMASR (संशोधन और मान्यता) अधिनियम, 2010** के तहत **राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NAM) की स्थापना** की गई है। यह प्राधिकरण केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
    - यह प्राधिकरण **केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के आसपास निषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के प्रबंधन करके स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित** करता है।
    - यह **निषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में निर्माण संबंधी गतिविधि** के लिए **आवेदकों को भी** अनुमति भी देता है।

स्मारकों की सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां

- **एक जैसा प्रतिबंध:** AMASR अधिनियम सभी स्मारकों के आसपास **एक ही जैसा निषिद्ध (100 मीटर) और विनियमित क्षेत्र (200 मीटर)** का प्रावधान करता है, भले ही स्मारक विशिष्ट या महत्वपूर्ण ही क्यों न हो। इस प्रावधान के कारण पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित नहीं हो पाते हैं, विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्मारकों के मामले में।
- **लघु स्मारकों की उपेक्षा:** राष्ट्रीय या राज्य सूची में शामिल नहीं होने वाले **लघु स्मारकों के लिए कानूनी सुरक्षा का अभाव है।** इस कारण **इस तरह के स्मारक विकास के दबाव का सामना करते हैं और उपेक्षा के शिकार** हो जाते हैं।
- **ASI की सीमित शक्तियां: अतिक्रमण हटाने के लिए स्थानीय प्रशासन पर निर्भरता और स्मारक को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित करने संबंधी अधिसूचनाओं के प्रकाशन में देरी** की वजह से ASI स्मारकों का प्रभावी तरीके से संरक्षण नहीं कर पाता है।
- **संरक्षण के लिए मानव संसाधन की कमी:** ASI के पास अधिक संख्या में **कर्मचारी नहीं है, और उसका बजट भी काफी कम** है। इसके चलते स्मारकों का सही से संरक्षण नहीं हो पाता है। इन वजहों से स्मारक के भीतर मौजूद दुर्लभ वस्तुएं चोरी हो जाती हैं या स्मारकों को क्षति भी पहुंचाई जाती है।
    - केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, **3693 संरक्षित स्मारकों में से केवल 248 पर गार्ड तैनात** हैं।

सिफारिशें:

- **अलग-अलग स्मारकों के लिए संरक्षण हेतु अलग-अलग उपाय:** सभी संरक्षित स्मारकों के लिए अलग-अलग आकार के निषिद्ध और विनियमित क्षेत्र का प्रावधान करने हेतु एक फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है। इससे स्मारकों की उनकी विशिष्ट जरूरत के अनुसार संरक्षण सुनिश्चित हो सकेगा।

- **संरक्षण एजेंसियों में नियुक्ति मानदंड में लचीलापन: राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA)** में पदों पर नियुक्तियों से जुड़े मानदंड में संशोधन की जरूरत है ताकि ASI या संस्कृति मंत्रालय के अनुभवी पेशेवरों को भी इनमें नियुक्त किया जा सके।
- **संवैधानिक प्रावधान हेतु संशोधन:** "राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्मारकों के अलावा अन्य प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों" को **समवर्ती सूची में शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन किया** जाना चाहिए।
    - इससे केंद्र सरकार को संघ सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं होने वाले स्मारकों और स्थलों के संरक्षण हेतु प्रावधान करने के लिए सक्षम बनाएगा।
- **ASI को सशक्त बनाना:** संसदीय स्थायी समिति ने संस्कृति मंत्रालय को राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारक की अंतिम **अधिसूचना प्रकाशित करने के लिए ASI के लिए समय-सीमा निर्धारित करने की सिफारिश** की है।
    - स्मारकों के नजदीक **अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए भारतीय वन अधिनियम, 1927** के तहत अतिक्रमण के प्रावधानों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

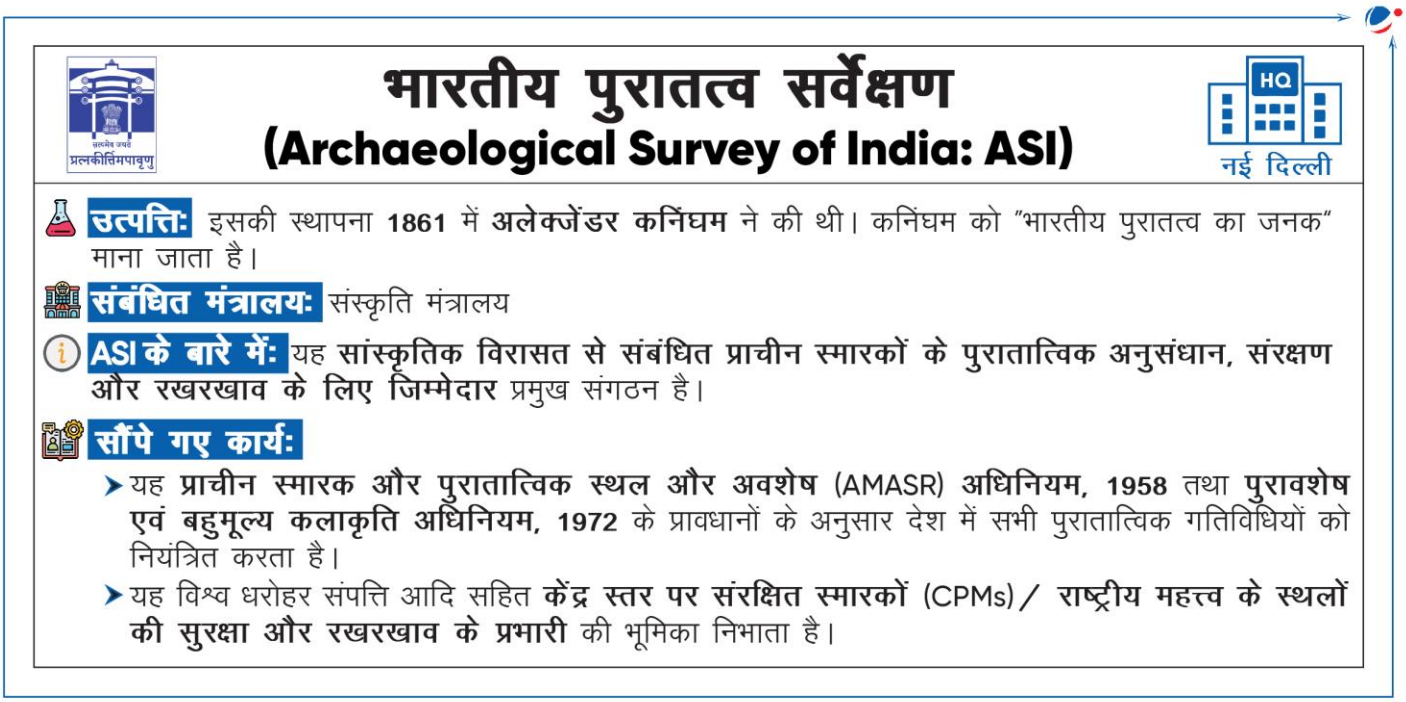

8.2. भगवान महावीर जैन की शिक्षाओं की वर्तमान में प्रासंगिकता (Contemporary Relevance of Teachings Of Mahavir Jain)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **प्रधान मंत्री ने** महावीर जयंती के अवसर पर **भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव** का उद्घाटन किया।

महावीर स्वामी के बारे में

- महावीर स्वामी जैन धर्म **के 24वें तीर्थंकर** थे। उन्हें जैन धर्म को मौजूदा स्वरूप देने का श्रेय दिया जाता है। **उनका जन्म छठी शताब्दी** ई.पू. में हुआ था।
    - वे महात्मा बुद्ध के समकालीन थे।
- **जन्म: महावीर स्वामी** का **जन्म कुंडग्राम** (आधुनिक बिहार में वैशाली के करीब) में **इक्ष्वाकु वंश के राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के शाही क्षत्रिय परिवार** में हुआ था। उनके बचपन का नाम वर्धमान था।
- **गृह त्याग:** उन्होंने **30 वर्ष की आयु में** अपना राजसी जीवन, परिवार और सांसारिक संपत्ति का त्याग करके **संन्यास का रूप धारण** कर लिया था।

- **कैवल्य (ज्ञान की प्राप्ति):** कई वर्षों के गहन ध्यान, तपस्या और आत्म-संयम के बाद, **महावीर स्वामी को 42 वर्ष की आयु में कैवल्य ज्ञान (पूर्ण ज्ञान)** की प्राप्ति हुई। कैवल्य की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी **'जिन'** कहलाए।

भगवान महावीर की शिक्षाओं की समसामयिक प्रासंगिकता

- **संघर्षों के समाधान में:** महावीर स्वामी की शिक्षाओं को अपनाकर मौजूदा संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सकता है तथा हिंसा, सशस्त्र संघर्ष एवं युद्ध को टाला जा सकता है।

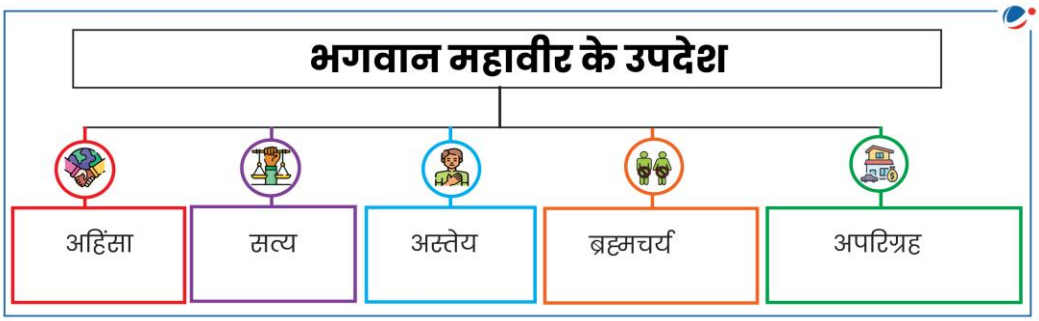

    - भगवान महावीर की शिक्षा के पंचमहाव्रत का **"अहिंसा" सिद्धांत** सभी प्रकार की हिंसा से दूर रहने तथा लोगों को मन, वचन और कर्म से हिंसा का त्याग करने की वकालत करता है।
    - पंचमहाव्रत का **अस्तेय** (चोरी नहीं करना) सिद्धांत दूसरों की संपत्ति और विचारों का सम्मान करने तथा मानवता के कल्याण को बढ़ावा देने वाले अधिकारों का समर्थन करता है।
- **उपभोक्तावाद पर अंकुश लगाने में:** भगवान महावीर की शिक्षाएं सरल और सादगी भरा जीवन व्यतीत करने का संदेश देते हुए अनावश्यक विलासिता की वस्तुओं के प्रति आसक्त होने से बचाती है। इसके अतिरिक्त, प्रकृति और पर्यावरण के प्रति श्रद्धा की शिक्षा जलवायु परिवर्तन के मौजूदा दौर में अत्यधिक जरूरी है।
    - पंचमहाव्रत का **"अपरिग्रह (धन का संग्रह नहीं करना)" सिद्धांत**, आधुनिक समय में भौतिकवाद, लालच जैसी समसामयिक बुराइयों को दूर कर सकता है।
- **माइंडफुलनेस या सचेतनता को बढ़ावा देने में:** महावीर स्वामी ने आत्म-अनुशासन, आत्म-सजगता और आंतरिक शांति पर बल दिया है। ये सब शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देंगे और माइंडफुलनेस, आत्म-संयम और आंतरिक संतुलन को बढ़ावा देंगे।
    - पंचमहाव्रत का **ब्रह्मचर्य** (इन्द्रियों को वश में करना) सिद्धांत आत्म-संयम, आत्म-सजगता और आंतरिक शांति पर बल देता है। इसके पालन से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और तनाव संबंधी विकार कम होते हैं।
- **व्यवसाय में नैतिकता का पालन:** महावीर स्वामी ने लोगों को अपने **सभी कार्यों और व्यवहार में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता का पालन करने की शिक्षा** दी है। यदि इन्हें अपना लिया जाता है तो यह व्यवसाय में नैतिकता का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करेगी जो अंततः सामाजिक जिम्मेदारी, पारदर्शिता आदि स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगी।
    - पंचमहाव्रत का **"सत्य"** सिद्धांत संवाद और कार्यों में **ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता को प्रोत्साहित** करता है तथा विश्वास निर्माण और स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
- **सामाजिक सहिष्णुता:** वर्तमान में, अलग-अलग धर्मों के बीच विचारधाराओं में अंतर समाज में मौजूदा कई अपराधों जैसे ईशनिंदा, मॉब लिंचिंग, धार्मिक दंगे आदि का कारण बन रहे हैं।
    - **जैन दर्शन का अनेकांतवाद (वस्तु के अनेक गुणधर्म) सिद्धांत सत्य को अनेक या विविध कोणों या विचारों से परखने पर बल देता है।** वास्तव में यह अलग-अलग विचारधाराओं की महत्ता स्वीकारता है और आमजन को उन सभी विचारों का सम्मान करने की सलाह देता है।

8.3. वायकोम सत्याग्रह (Vaikom Satyagraha)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **वायकोम सत्याग्रह की 100वीं वर्षगांठ** मनाई गई। यह अस्पृश्यता और जाति-आधारित भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ चलाया गया भारतीय इतिहास एक महत्वपूर्ण आंदोलन था।

वायकोम सत्याग्रह के बारे में

- यह **मंदिर में प्रवेश** के लिए शुरू किया गया एक **ऐतिहासिक अहिंसक सत्याग्रह** था। यह सत्याग्रह **30 मार्च, 1924 को त्रावणकोर** रियासत (वर्तमान **केरल**) के एक शहर वायकोम में शुरू हुआ था।
  - यह सत्याग्रह हिंदू धर्म में **"निम्न समझे जाने वाली जातियों"** को **वायकोम के भगवान महादेव मंदिर में** प्रवेश नहीं देने के खिलाफ शुरू हुआ था।
  - शैक्षिक स्थिति और आर्थिक दर्जे में सुधार के बावजूद निम्न समझे जाने वाली जातियों, विशेषकर एझावा को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। इसी वजह से यह सत्याग्रह आरंभ हुआ था।

- सत्याग्रहियों ने **तीन समूह बनाकर मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास** किया, परंतु पुलिस ने उन्हें रोक दिया और गिरफ्तार कर लिया।
  - खादी वस्त्र और खादी टोपी पहनकर **गोविंद पणिक्कर (नायर), बहुलेयन (एझावा) और कुंजप्पु (पुलाया) ने** मंदिर में प्रवेश के **निषेधाज्ञा का उल्लंघन** किया।
  - मंदिर प्रवेश का यह आंदोलन पूरे भारत में लोकप्रिय हो गया और इसे देश के अलग-अलग हिस्सों से समर्थन प्राप्त हुआ।
    - **पंजाब के अकालियों ने सत्याग्रहियों को भोजन उपलब्ध** कराया।
    - **ईसाई और मुस्लिम नेताओं ने भी सत्याग्रह का समर्थन** किया
- **गांधी और त्रावणकोर** के तत्कालीन **पुलिस आयुक्त डब्ल्यू.एच पिट के** बीच विचार-विमर्श के बाद **30 नवंबर, 1925 को वायकोम सत्याग्रह** आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया गया।

- **वायकोम सत्याग्रह का नेतृत्व टी.के. माधवन, के.पी. केशव मेनन और के. केलप्पन** जैसे अग्रणी एवं अनुभवी नेताओं ने किया था। के. केलप्पन को **केरल के गांधी** के नाम से भी जाता है।
  - मंदिर प्रवेश का मुद्दा सबसे पहले एझावा नेता टी.के. माधवन ने 1917 में अपने अखबार **'देशाभिमानी'** के संपादकीय में उठाया था।
  - 1921 में, **टी.के. माधवन के नेतृत्व में त्रावणकोर कांग्रेस कमेटी ने मंदिर में प्रवेश पर लगे प्रतिबंध** को हटाने के लिए एक अभियान चलाया।
  - **1923 में कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन में**, केरल प्रांतीय कांग्रेस समिति ने **अस्पृश्यता-विरोध को एक प्रमुख मुद्दे के रूप में अपनाने के लिए एक संकल्प अपनाया** था।
- केरल के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी **जॉर्ज जोसेफ** ने केशव मेनन की अनुपस्थिति में मंदिर प्रवेश सत्याग्रह का नेतृत्व किया था।
- **ई. वी. रामास्वामी नायकर (पेरियार) वायकोम सत्याग्रह के प्रमुख नेताओं में शामिल** थे। इन्हें **'वायकोम वीरार'** भी कहा जाता है। नायकर ने स्वयंसेवकों को संगठित किया और अपने भाषणों के जरिए जनता का समर्थन प्राप्त किया। गौरतलब है कि वायकोम सत्याग्रह में गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों में से **केवल पेरियार को ही कठोर कारावास की सजा दी गई थी।**

- इस सत्याग्रह में **महात्मा गांधी ने 1921 में भाग** लिया। इस दौरान गांधीजी ने मंदिर में प्रवेश के लिए माधवन के नेतृत्व में एक जन आंदोलन का समर्थन किया था।
- **श्री नारायण गुरु, मन्नातु पद्मनाभन, ई. वी. रामास्वामी नायकर** आदि ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया।
- **नागम्मई (पेरियार की पत्नी), कन्नम्मल जैसी महिला आंदोलनकारियों ने महिलाओं को सशक्त बनाने** और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उठाने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थीं।

वायकोम सत्याग्रह के परिणाम

- **कानूनी सुधार और पहलें:**
  - **सत्याग्रह से बने दबाव के बाद** निम्न समझे जाने वाली जातियों के लिए **मंदिर प्रवेश उद्घोषणा 1936** जारी की गई। यह निम्न समझे जाने वाली जातियों के मंदिरों में प्रवेश देने के इतिहास में एक ऐतिहासिक कानूनी जीत थी।
  - **त्रावणकोर लोक सेवा आयोग** की स्थापना भी की गई, ताकि सरकारी रोजगारों (भूमिकाओं) में निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।
- **राजनीतिक जागृति:** इसने हाशिए पर स्थित समुदायों में **राजनीतिक जागरूकता और सक्रियता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई**।
- **राष्ट्रीय प्रभाव:** इस सत्याग्रह का प्रभाव केरल से बाहर अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई दिया। इससे जाति-आधारित भेदभाव के खिलाफ पूरे भारत में इसी तरह के विरोध और अभियानों को गति मिली।
- **महात्मा गांधी और पेरियार के बीच मतभेद:** वायकोम सत्याग्रह ने **गांधीजी और पेरियार के बीच मतभेद को भी उजागर** किया।
  - जहां **गांधीजी ने वायकोम सत्याग्रह को हिंदू सुधारवादी आंदोलन** के रूप में देखा, वहीं पेरियार ने इसे "जाति-आधारित अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई" के रूप में देखा।
  - दरअसल **पेरियार इस सत्याग्रह से मिली आंशिक सफलता** से खुश नहीं थे, क्योंकि मंदिर तक जाने वाली चार सड़कों में से केवल 3 सड़कें सभी जातियों के लिए खोली गई थीं। कुछ महीनों बाद पेरियार ने **कांग्रेस की सदस्यता भी त्याग दी**।

भारत में अन्य जातीय-आंदोलन

वर्ष	आंदोलन	नेतृत्वकर्ता	विवरण
1873	सत्यशोधक आंदोलन	ज्योतिबा फुले	ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के विरुद्ध निम्न जातियों, अछूतों और विधवाओं की मुक्ति का आंदोलन
1916	जस्टिस पार्टी आंदोलन	टी.एम. नायर, पी. त्यागराज चेट्टी, सी.एन मुदलियार	सरकारी नौकरी, शिक्षा और राजनीति में ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ आंदोलन
1924	डिप्रेस्ड क्लासेज मूवमेंट	बी. आर. अम्बेडकर	दलित वर्गों का उत्थान, अस्पृश्यता के विरुद्ध आवाज, 'बहिष्कृत भारत' नामक मराठी समाचार पत्र का प्रकाशन (1927)
1925	आत्म-सम्मान आंदोलन (सेल्फ-रिस्पेक्ट मूवमेंट)	ई. वी. रामास्वामी नायकर (पेरियार)	जाति व्यवस्था और ब्राह्मण वर्चस्व के खिलाफ आंदोलन, 'कुडी अरासु' पत्रिका का प्रकाशन (1910)

8.4. कला के विभिन्न रूप और डिजिटल प्रौद्योगिकियां (Digital Technology on Art Forms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल के वर्षों में, तेजी से बदलते डिजिटल युग में कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी नाटकीय बदलाव दिखाई दे रहे हैं।

विभिन्न कला-रूपों में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका

- **रचनात्मकता का लोकतंत्रीकरण:** इंटरनेट ने रचनात्मकता का लोकतंत्रीकरण करके कलात्मक अभिव्यक्ति को अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोगों के लिए आसान बना दिया है।
  - महत्वाकांक्षी कलाकार **आसानी से उपलब्ध सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गैलरी का उपयोग** करके अपनी कला को दुनिया भर के लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं।
  - डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने **अलग-अलग संस्कृतियों के बीच संपर्क** को काफी आसान बना दिया है। इसके परिणामस्वरूप यूजर्स अब **अन्य संस्कृतियों के लोगों** से आसानी से संवाद स्थापित कर सकते है और एक-दूसरे के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं।
- **कला का वर्चुअल प्रदर्शन (Virtual Projection of Art):** गैलरीज एवं म्यूजियम्स ने वर्चुअल प्रदर्शनियों और वर्चुअल पर्यटन की सुविधा प्रदान करना शुरू कर दिया है।
  - **इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया टूल्स; 2D, 3D या 4D प्रोजेक्शन; वर्चुअल रियलिटी (VR) या ऑगमेंटेड रियलिटी (AR)** एवं अन्य आधुनिक तकनीकों ने कला की उत्कृष्ट कृतियां बनाने और उन्हें लोकप्रिय बनाने की अपार संभावनाएं उत्पन्न की हैं।
  - **भारतीय डिजिटल विरासत (IDH)[132] परियोजना,** भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) की एक अनूठी पहल है। यह हमारी मूर्त और अमूर्त विरासत के डिजिटल दस्तावेजीकरण और उनकी व्याख्या करने के लिए प्रौद्योगिकी तथा मानविकी विषयों के क्षेत्र में शोधकर्ताओं के बीच सहयोगी परियोजनाओं का समर्थन करती है।
- **मूल्य सृजन: नॉन-फंजिबल टोकन (NFTs)** ने कला के क्षेत्र को नया रूप दिया है। NFTs ने कलाकारों को उनकी डिजिटल कृतियों को **वास्तविक दुनिया के अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए** विशिष्ट परिसंपत्ति के रूप में बेचने या किराये पर देने की सुविधा प्रदान की है।
  - **NFT के जरिए** कलाकार अपनी कलात्मक कृतियों को भौतिक दुनिया के अलावा वर्चुअल वर्ल्ड में भी बेच सकते हैं या किराया पर दे सकते हैं।
- **लाभ (अवार्ड) में बढ़ोतरी:** डिजिटल प्रौद्योगिकी ने कई तरीकों से कलाकारों की आय या रिवार्ड्स को बढ़ाया है, जैसे- डिजाइन के क्षेत्र में नवाचार, अधिक लोगों तक पहुंच, कार्य को सहज बनाना, अपनी कृतियों को कम समय में ही दुनिया भर में साझा करना, कार्य क्षमता में वृद्धि, व्यापक पहुंच आदि।
- **पारंपरिक कलाओं का संरक्षण:** डिजिटलीकरण, मेटाडेटा मैनेजमेंट एवं डिजिटल आर्काइव जैसी डिजिटल संरक्षण तकनीकें पारंपरिक कलाओं का लंबे समय तक संरक्षण कर सकती हैं।
  - प्रौद्योगिकी ने **मधुबनी पेंटिंग, छऊ नृत्य एवं कला के ऐसे ही कई अन्य रूपों को** फिर से लोकप्रिय बनाने में काफी मदद की है।

विभिन्न कला रूपों के संबंध में डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़ी चिंताएं

- **मूल कृतियों और नकली कृतियों में अंतर करना:** जिस तरह से मौजूदा दौर में डिजिटल मैनिपुलेशन तकनीकें तेजी से उन्नत होती जा रही हैं, उसके चलते मूल कलाकृतियों तथा डिजिटल जालसाजी या प्रतिकृतियों के बीच अंतर करना काफी कठिन होता जा रहा है।
  - डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके बनाई गई कलाकृतियों के ऑनलाइन प्रसार से इनकी गुणवत्ता और प्रामाणिकता की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। इससे **भरोसे एवं विश्वसनीयता** से जुड़ी कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
- **केवल कुछ कलाकारों को लाभ मिलना:** डिजिटल टूल्स की मदद से कलाकृतियां तैयार करने के लिए डिजिटल टूल्स एवं सॉफ्टवेयर में दक्षता की आवश्यकता होती है। ऐसे में जिन कलाकारों के पास **समुचित प्रशिक्षण या संसाधन नहीं है,** वे इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं।

---

[132] The Indian Digital Heritage

- **डेटा की गोपनीयता से जुड़े मुद्दे:** व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने और संग्रहीत करने, वित्तीय लेन-देन करने, तथा रचनात्मक सामग्री को ऑनलाइन साझा करने से साइबर क्राइम का शिकार होने का खतरा बढ़ जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए **मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों और डेटा संरक्षण प्रोटोकॉल की आवश्यकता** है।
- **नैतिक मुद्दे:** जिस तरह से प्रौद्योगिकियां कला के क्षेत्र को बदलती जा रही है, उसी तरह इनसे जुड़े नैतिक मुद्दे भी प्रासंगिक होते जा रहे हैं। इसके अलावा, **स्वामित्व, कॉपीराइट और डिजिटल आर्ट के मूल्य** से संबंधित नैतिक प्रश्न भी सामने आ रहे हैं।

निष्कर्ष

डिजिटल तकनीक ने कला के निर्माण, वितरण और संरक्षण के तरीके को बदल दिया है। इस क्रम में मनोरंजन उद्योग में डिजिटल युग की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए अनुकूलन एवं नवाचार को अपनाना महत्वपूर्ण है।

8.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

8.5.1. वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी (Worldcraft City: WCC)

- वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (WCCI) ने **श्रीनगर** को **वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में शामिल होने हेतु** अंतिम रूप से नामांकन दाखिल करने से पहले उसके क्राफ्ट क्लस्टर्स का मानचित्रण करने के लिए चुना है।
    - श्रीनगर के स्थानीय शिल्प में **पश्मीना शॉल, अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी, हाथ से बुने हुए कालीन, कानी शॉल, खतमबंद (छतों की डिजाइन), सोजनी शिल्प (सुई से की गई कढ़ाई), जलकडोजी (कढ़ाई किए हुए गलीचे), नमदा (हस्तनिर्मित गलीचा), बसोहली चित्रकला (वैष्णव धर्म से संबंधित), पेपर मेशी आदि** शामिल हैं।
- **वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी (WCC) के बारे में**
    - इस कार्यक्रम को **WCCI ने 2014** में शुरू किया था।
    - यह दुनिया भर में सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में **स्थानीय प्राधिकारियों, शिल्पकारों और समुदायों की भूमिका को मान्यता** प्रदान करता है।
    - यह **रचनात्मक अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के अनुरूप, दुनिया भर में शिल्प (क्राफ्ट) शहरों का एक परिवर्तनशील नेटवर्क** तैयार करता है।
- 2021-24 के कार्यकाल के लिए WCCI का मुख्यालय कुवैत में स्थापित किया गया है। WCCI का मुख्यालय अलग-अलग कार्यकालों के अनुसार बदलता रहता है। यह **दुनिया भर में पारंपरिक शिल्प को मान्यता प्रदान करने** और उनका **संरक्षण** करने का कार्य कर रहा है।

8.5.2. पड़ता बेट (Padta Bet)

- पुरातात्विक उत्खनन से **गुजरात के कच्छ के पड़ता बेट में 5,200 साल पुरानी हड़प्पा युगीन बस्ती का पता** चला है।
    - यह बस्ती एक **प्राक्-हड़प्पा कब्रिस्तान जूना खटिया** के नजदीक स्थित है। जूना खटिया दरअसल एक सामूहिक शवाधान स्थल था।
- **प्राक्-हड़प्पा से लेकर उत्तर-हड़प्पा काल तक के पुरातात्विक साक्ष्य:**
    - **मृदभांड** में नए प्रकार की **सिरेमिक कलाकृतियां** शामिल हैं। उदाहरण के लिए- जार, छोटी कटोरिया, खाना परोसने की प्लेट्स आदि।
    - **कार्नीलियन और गोमेद से बने कम कीमती मनके, टेराकोटा से बनी तकलियां (Spindle whorls), तांबा, पत्थर से बने उपकरण** आदि कलाकृतियां शामिल हैं।
    - उत्खनन में **मवेशी व भेड़ या बकरी की हड्डियों और खाने योग्य शंख के अवशेष** मिले हैं। इनकी प्राप्ति से जानवरों को पालतू बनाने का संकेत मिलता है।

8.5.3. तेलंगाना में नए पुरातत्व स्थल (New Archaeological Sites in Telangana)

- पुरातत्वविदों ने **तेलंगाना में तीन नए पुरातात्विक स्थलों** की खोज की है।
- **नये पुरातत्व स्थलों में शामिल हैं:**
    - **ओरागुट्टा:** यह लौह युग का एक **महापाषाण** स्थल है।
    - भद्राद्री कोठागुडम जिले के गुंडाला मंडल के **दमराटोगु में दो नए शैल-कला स्थल।**
        - **देवरलबंद मुला:** यहां से केवल जानवरों के चित्र मिले हैं। मनुष्य या हथियार का कोई चित्र नहीं मिला है।

- आमतौर पर इस क्षेत्र में विशेष प्रकार के महापाषाण स्मारक पाए जाते हैं, जिन्हें **'डोलमेनॉइड सिस्ट्स'** के नाम से जाना जाता है।
    - **डोलमेनॉइड सिस्ट्स कक्ष युक्त शवाधान संरचनाएं** हैं, जो अर्ध-भूमिगत हैं।
- महापाषाण (मेगालिथ) के तीन मूल प्रकार हैं: कक्ष युक्त कब्रें, बिना कक्ष वाली कब्रें, तथा ऐसे महापाषाण जो शवाधान से संबंधित नहीं हैं।

8.5.4. केसरिया स्तूप (Kesariya Stupa)

- केसरिया स्तूप **विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप** है।
- **केसरिया स्तूप के बारे में**
    - यह **बिहार** के **पूर्वी चंपारण** जिले में स्थित है।
    - इसकी आकृति **गोलाकार** है। इसे **ईंट, मिट्टी और चूने के मोर्टार** से बनाया गया है।
    - इसकी **ऊंचाई 104 फीट** है। इस तरह यह **जावा (इंडोनेशिया) में स्थित विश्व धरोहर स्मारक "बोरोबुदुर स्तूप"** से भी ऊंचा है।
    - भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्रियों में **फाह्यान (5वीं शताब्दी ईस्वी)** और **ह्वेन त्सांग (7वीं शताब्दी ईस्वी)** ने भी इस स्तूप का उल्लेख किया है।
    - इस **स्तूप का निर्माण तीसरी** शताब्दी ईसा पूर्व में **मौर्य सम्राट अशोक** ने करवाया था। **अशोक** ने भारतीय उपमहाद्वीप में **बौद्ध धर्म के प्रसार** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
    - ऐसा माना जाता है कि इस स्तूप का निर्माण उस स्थान की याद में किया गया था, जहां **भगवान बुद्ध ने अपना 22वां उपदेश** दिया था। इसी जगह पर उन्होंने **अपनी मृत्यु (महापरिनिर्वाण) की भविष्यवाणी** की थी।
    - जब बुद्ध केसरिया की यात्रा पर आये थे तब उन्होंने घोषणा की थी कि वे पूर्व जन्म में **'चक्रवर्ती सम्राट'** थे। इस घोषणा का अंकन केसरिया स्तूप पर है।
    - इसी दौरान बुद्ध ने लिच्छिवियों को **"भिक्षापात्र"** देकर उन्हें वैशाली लौट जाने के लिए भी कहा था।

8.5.5. सोलिगा जनजाति (Soligas Tribe)

- सोलिगा जनजाति **एक अलग-थलग रहने वाला जनजातीय समुदाय** है। यह जनजाति केवल **कर्नाटक और तमिलनाडु** विशेष रूप से बिलिगिरी रंगना पहाड़ियों और माले महादेश्वर पहाड़ियों में निवास करती है।
    - यह समुदाय **सोलिगा/ शोलिगा/ सोलिगारू** के नाम से भी लोकप्रिय है।
    - इन्हें **'बांस के बच्चे" भी कहा जाता** है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस शब्द का अर्थ है कि इनकी उत्पत्ति बांस से हुई है।
    - इनकी बस्तियों को **'हाड़ी'** और **'पूडू'** के नाम से जाना जाता है।
    - ये लोग **"सोलिगा"** बोलते हैं जो कि एक **द्रविड़ भाषा** है।
- **अनुष्ठान और त्यौहार:** वे **सूखे के दौरान वर्षा के देवता का आह्वान** करने के लिए अनुष्ठान करते हैं एवं भोग के रूप में ताजा शहद चढ़ाते हैं।
    - उनके पारंपरिक त्यौहार **रोट्टी हब्बा, होसा रागी हब्बा, मारी हब्बा** एवं **गौरी हब्बा** आदि हैं।
    - वे **प्रकृति के प्रति अटूट श्रद्धा के साथ हिंदू धर्म का पालन** करते हैं।
- **व्यवसाय और जीवनशैली:**
    - वे जंगल के मौसमी चक्र के अनुरूप **खेती और शिकार करते** हैं।
    - सोलिगा का मुख्य **व्यवसाय लघु वन उत्पादों जैसे गोंद, शहद, साबुन नट, जड़ और कंद, इमली आदि को इकट्ठा करना** है।
    - सोलिगा **विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए 300 से अधिक जड़ी-बूटियों का उपयोग** करते हैं।
- **अन्य जानकारी:**
    - **जैव विविधता एवं संरक्षण प्रयासों में सोलिगा समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका** को मान्यता देने के लिए, ततैया की एक नई प्रजाति, **'सोलिगा एकरिनाटा'** का नाम सोलिगा समुदाय के नाम पर रखा गया है।
    - **सोलिगा** वस्तुतः टाइगर रिजर्व के अंदर रहने वाला **पहला ऐसा आदिवासी समुदाय** हैं जिसे 2011 में वन पर कानूनी अधिकार प्रदान किया गया।

8.5.6. शोम्पेन जनजाति (Shompen Tribe)

- शोम्पेन जनजाति ने पहली बार लोक सभा चुनाव में वोट डाला है।
- **शोम्पेन जनजाति के बारे में**
    - यह **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह** (PVTG)[133] है।

[133] Particularly Vulnerable Tribal Group

- यह जनजाति **ग्रेट निकोबार द्वीप** के सघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में निवास करती है।
- यह जनजाति **मंगोलॉइड नृजातीय समूह** से संबंधित है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार शोम्पेन जनजाति की **अनुमानित जनसंख्या 229** है।
- वे **शिकारी और खाद्य संग्राहक** हैं। वे जंगली सूअर, अजगर, मॉनिटर छिपकली, मगरमच्छ आदि का शिकार करते हैं।
- वे **अर्ध-खानाबदोश जीवन** जीते हैं और किसी परिभाषित आरक्षित वन में **एक ही जगह पर बस्तियां बनाकर नहीं** रहते हैं।

QUIZ **SMART QUIZ**	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **संस्कृति** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

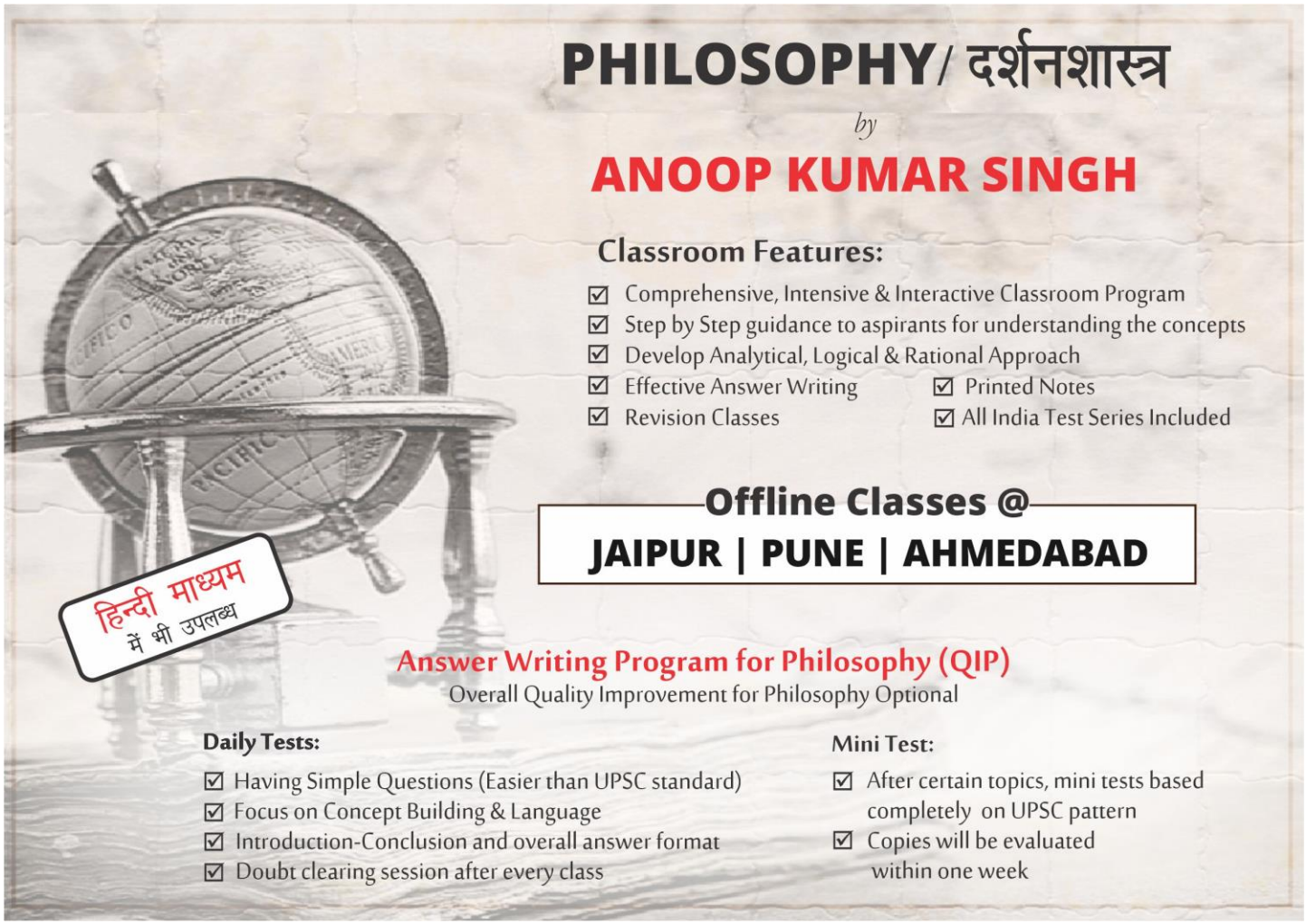

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

समसामयिकी त्रैमासिक रिवीजन

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की **पृष्ठभूमि, आयु, वर्किंग शेड्यूल और पारिवारिक जिम्मेदारियां अलग-अलग होती हैं।**

इसे ध्यान में रखते हुए हमने **समसामयिकी: त्रैमासिक रिवीजन** डॉक्यूमेंट को तैयार किया है। इससे उन अभ्यर्थियों को तैयारी में काफी सहायता मिलेगी, जिनका शेड्यूल अधिक व्यस्त होता है, जिन्हें मासिक समसामयिकी मैगजीन को पढ़ने व रिवीजन करने के लिए कम समय मिलता है और सिलेबस के बारे में बुनियादी एवं थोड़ी बहुत समझ होती है।

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट को काफी सावधानीपूर्वक और बारीकी से तैयार किया गया है। इससे आपको **सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक लर्निंग एवं रिवीजन के लिए मजबूत आधार मिलेगा।**

इस डॉक्यूमेंट में हमने विगत तीन माह की मासिक समसामयिकी मैगजीन से सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को कवर किया है। इससे महत्वपूर्ण टॉपिक्स का रिवीजन करने के लिए आपको एक समग्र और सटीक रिसोर्स मिलेगा।

डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की कुछ मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

कम समय में रिवीजन करने के लिए: इसे पिछले तीन महीने के करेंट अफेयर्स को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि कम समय में भी रिवीजन किया जा सके।

और अधिक जानकारी के लिए अवश्य पढ़ें: इससे आपको करेंट अफेयर्स को स्टैटिक मटेरियल से जोड़कर समझने तथा टॉपिक के बारे में अपनी समझ को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसमें NCERTs सहित बेसिक रीडिंग मटेरियल से संबंधित अध्याय के बारे में बताया गया है।

प्रश्नोत्तरी: हर भाग के अंत में 5 MCQs और मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस हेतु 2 प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न आपको अपनी समझ का आकलन करने और प्रमुख अवधारणाओं/तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में मदद करेंगे।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि: प्रत्येक आर्टिकल से संबंधित एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि दी गई है, जिससे आपको संबंधित आर्टिकल को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक मजबूत आधार मिलेगा।

विश्लेषण और महत्वपूर्ण तथ्य: इससे आपको महत्वपूर्ण नज़रिए और अलग-अलग पहलुओं से जुड़ी जानकारी तथा तथ्यों के बारे में पता चलेगा।

स्पष्ट एवं संक्षिप्त जानकारी: इसमें इन्फॉर्मेशन को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे क्विक और इफेक्टिव रिवीजन में मदद मिलेगी।

हमें पूरी उम्मीद है कि यह त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट समसामयिकी घटनाक्रमों के लिए काफी फायदेमंद होगा। PT 365 और Mains 365 डाक्यूमेंट्स के साथ-साथ इसे पढ़कर UPSC CSE की तैयारी की राह में आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ जाएगा।

स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए। "त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट" कुशल, टार्गेटेड और प्रभावी रिवीजन के लिए सबसे बेहतर साथी है। इसकी मदद से अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की राह में आगे बढ़िए।

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. खाद्य सेवा और सुरक्षा की नैतिकता (Ethics of Food Service and Safety)

प्रस्तावना

हाल ही में, हांगकांग, सिंगापुर और मालदीव में MDH और एवरेस्ट के कई मसालों में **कार्सिनोजेनिक अर्थात् कैंसरकारी कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड** पाए गए। यह भी पाया गया कि **नेस्ले इंडिया** भारत में **शिशुओं को दिए जाने वाले दूध में चीनी** का मिश्रण करता है, लेकिन यूरोप में नहीं। ये उदाहरण खाद्य उद्योग में अपर्याप्त मानकीकरण और कंपनियों की ओर से नैतिक पहलूओं की अनदेखी जैसे मुद्दों को उजागर करते हैं।

खाद्य उत्पादन और उपभोग में शामिल विभिन्न हितधारक

हितधारक	भूमिका/ हित
उपभोक्ता	• स्वास्थ्य और कल्याण (अधिक वजन, मोटापा और NCDs) • खाद्य सुरक्षा, खाद्य कीमतें और खाद्य संरक्षण • खाद्य सेवाओं में समानता, सामाजिक न्याय और निष्पक्षता
कंपनियां/ व्यवसाय/ लघु-स्तरीय उत्पादक/ प्रोसेसर	• भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा, • लागत दक्षता, लाभ और संधारणीयता • ग्राहकों की संतुष्टि, विश्वास और निष्ठा • सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक सहभागिता • प्रतिष्ठा
सरकार/ नियामक	• सार्वजनिक नीति एवं विनियमन • यह सुनिश्चित करना कि परोसा गया भोजन उच्च गुणवत्ता वाला तथा पौष्टिक हो और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा में योगदान दे।
सोसायटी/ NGO	• संधारणीय खाद्य उत्पादन और खपत • यह सुनिश्चित करना कि खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में नैतिक प्रथाओं का पालन किया जाता हो • भोजन की वहनीयता और पहुंच सुनिश्चित करना • विनियामक अनुपालन और समर्थन
अंतर्राष्ट्रीय संगठन	• खाद्य सुरक्षा उपाय • पशु कल्याण, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय • वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण • उपभोक्ता अधिकार और पारदर्शिता

खाद्य नैतिकता (Food Ethics) क्या है?

खाद्य नैतिकता **खाद्य उत्पादन और उपभोग की नैतिकता** से संबंधित है। खाद्य सेवा की नैतिकता में ऐसे नैतिक सिद्धांत और मानक शामिल हैं जो खाद्य सेवा उद्योग और खाद्य मूल्य श्रृंखला में अपनाए जाने वाले आचरण हेतु मार्गदर्शन करते हैं।

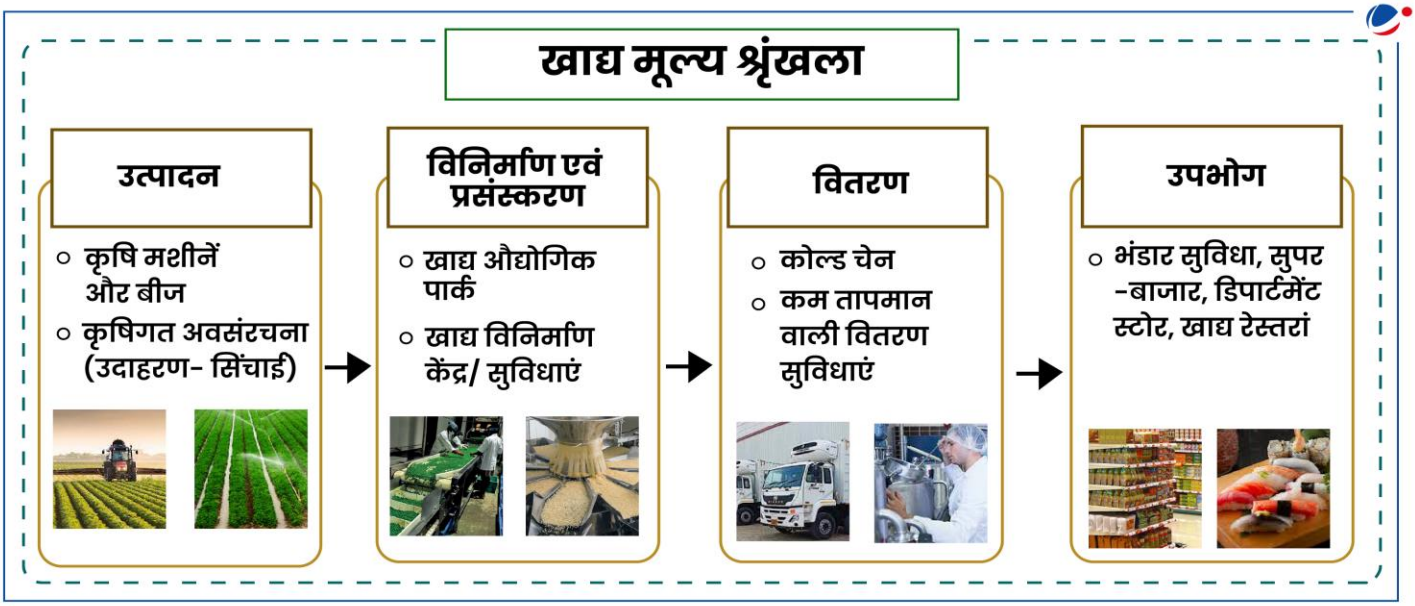

खाद्य सेवा नैतिकता के प्रमुख सिद्धांत

- **न्याय: सामाजिक न्याय** के दृष्टिकोण से, खाद्य सुरक्षा की नैतिकता में खाद्य प्रदाताओं के साथ-साथ उपभोक्ताओं के लिए भी न्याय शामिल है।
  - **खाद्य प्रदाताओं के लिए न्याय:** खाद्य सेवा कर्मियों को अक्सर कम वेतन, खाद्य असुरक्षा, निम्न जीवन स्तर जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ता है।
  - **उपभोक्ताओं के लिए न्याय:** उपभोक्ता के दृष्टिकोण से सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक पहुंच, सुरक्षा और वहनीयता ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।
- **स्वायत्तता (Autonomy):** इसे निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है:
  - खाद्य उत्पादन और वितरण के तरीके को चुनने की स्वतंत्रता (आपूर्ति श्रृंखलाओं में स्वायत्तता) रखना,
  - साथ ही, उपभोक्ताओं को अपने निर्णय लेने की क्षमता (लेबल के माध्यम से पारदर्शिता) का सम्मान करना।
- **गैर-दुर्भावना (Non-maleficence):** खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में, गैर-दुर्भावना में शामिल हैं-
  - संदूषण और खाद्य जनित बीमारियों को रोकने के लिए कदम उठाना,
  - हानिकारक प्रथाओं, जैसे- असुरक्षित एडिटिव्स, कीटनाशकों के उपयोग आदि से बचना,
  - सुरक्षा संबंधी चिंताओं को पहचान करते हुए उन्हें दूर करना,
  - खाद्य स्रोतों और उत्पादन की विधियों आदि के बारे में पारदर्शी होना।
- **जवाबदेही और पारदर्शिता:** इसमें खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना, ग्राहकों से मिले फीडबैक का समाधान करना और हितधारकों के साथ संचार करना शामिल हैं।

खाद्य उत्पादों की नैतिकता और गुणवत्ता के लिए नियामक प्रणालियां		
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)[134] **FSSAI** भारत में **खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता का विनियमन तथा पर्यवेक्षण** करते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और उसे बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है।	**कोडेक्स एलिमेंटेरियस** यह खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों, दिशा-निर्देशों और कोड ऑफ प्रैक्टिस का एक संग्रह है। इसे **कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (CAC)** द्वारा विकसित किया गया था।	**राज्य सरकारें** ये खाद्य सुरक्षा पर नियमों के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

नोट: *खाद्य सुरक्षा के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, जून, 2022 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 7.3. देखें।*

[134] Food Safety and Standards Authority of India

खाद्य सेवा और सुरक्षा में शामिल नैतिक दुविधाएं

- **सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपना:** खाद्य जनित रोगों और प्रकोप को रोकने तथा नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किसे लेनी चाहिए?
  - WHO के अनुसार, असुरक्षित खाद्य पदार्थों से हर साल 600 मिलियन लोग बीमार पड़ते हैं और 4,20,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है।
- **वित्तीय बाधाएं बनाम खाद्य सुरक्षा:** विशेष रूप से छोटे पैमाने के उत्पादकों और प्रसंस्करणकर्ताओं के समक्ष यह सवाल उठता है कि **खाद्य सुरक्षा उपायों की लागत तथा लाभों को कैसे संतुलित किया जाए** और साथ ही खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन कैसे किया जाए।
- **अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग विकल्प:** अलग-अलग स्वाद या रुचियों वाले उपभोक्ताओं की **स्वायत्तता और प्राथमिकताओं का सम्मान कैसे किया जाए।**
- **वास्तविक हितधारकों की रक्षा करना:** सार्वजनिक हित या जवाबदेही से समझौता किए बिना, खाद्य जनित घटनाओं में शामिल **व्यक्तियों या व्यवसायों की निजता और गोपनीयता की रक्षा करना।**
- **सुरक्षा मानकों को सार्वभौमिक रूप से लागू करना:** यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि **खाद्य सेवाएं और सुरक्षा उपाय निष्पक्ष तथा न्यायसंगत हों** एवं सामाजिक आर्थिक स्थिति, संस्कृति या भौगोलिक स्थिति के आधार पर कुछ समूहों के खिलाफ भेदभाव न किया जाए। यह भी एक अन्य महत्वपूर्ण नैतिक मुद्दा है।

आगे की राह

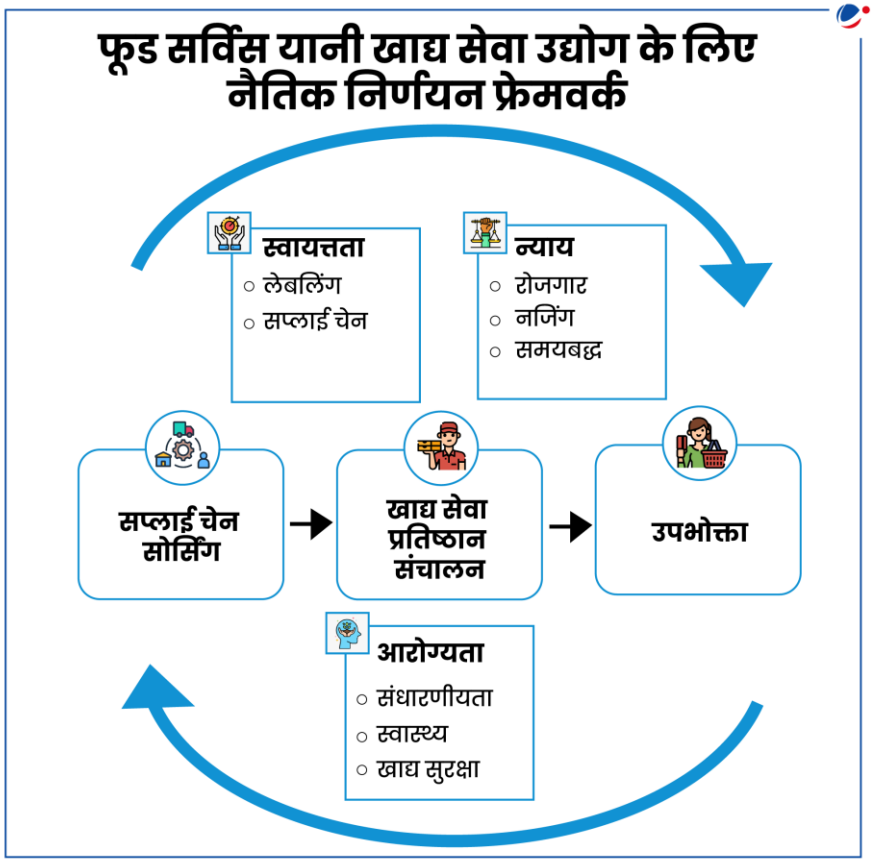

- **उपभोक्ताओं को प्रेरित करना:** इसके तहत निर्णय या "चॉइस आर्किटेक्चर" वाले परिवेश (**उदाहरण के लिए- कैफेटेरिया, रेस्तरां मेनू, आदि में विकल्पों को दर्शाना**) में छोटे बदलाव किए जा सकते हैं। ये बदलाव व्यक्तियों को ऐसे विकल्प चुनने में मदद करते हैं, जिन्हें लाभकारी माना जाता है, जैसे- **ईट राइट इंडिया** अभियान।
- **हितधारकों का दृष्टिकोण:** पर्यावरणविदों, उपभोक्ताओं और पशु उद्योगों सहित अन्य हितधारकों के दृष्टिकोण नैतिक निर्णय में महत्वपूर्ण होते हैं।
- **लेबलिंग:** बेहतर संचार के लिए लेबल पर सूचना के कंटेंट और फ्रेमिंग में सुधार की आवश्यकता है (उदाहरण के लिए- सरल ग्राफिकल जानकारी)।
  - इसके अलावा, उपभोक्ताओं को इस जानकारी को समझने के लिए शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से बेहतर जानकारी दी जानी चाहिए।
- **खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और शिक्षा:** खाद्य संदूषण और खाद्य जनित बीमारियों के प्रकोप को रोकने के लिए खाद्य सेवा से जुड़े प्रतिष्ठानों हेतु खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण तथा शिक्षा महत्वपूर्ण है।
- **ट्रिपल बॉटम लाइन (TBL) ढांचा:** यह संधारणीयता को मापने के लिए एक फ्रेमवर्क है, जिसमें प्रदर्शन के तीन आयामों- सामाजिक, पर्यावरणीय और वित्तीय पर विचार किया जाता है।

खाद्य सेवा और सुरक्षा में नैतिक मानकों को सुनिश्चित करना **उपभोक्ताओं के कल्याण, व्यवसायों की संधारणीयता और हमारे समाज के स्वास्थ्य** के लिए सर्वोपरि है। **पारदर्शिता, जवाबदेही और हितधारक से जुड़ाव** को अपनाकर, सभी के लिए एक स्वस्थ और अधिक न्यायसंगत खाद्य प्रणाली को बढ़ावा देते हुए खाद्य उद्योग की नैतिक जटिलताओं का समाधान किया जा सकता है।

अपनी नैतिक योग्यता का परीक्षण कीजिए:

एक भारतीय बहुराष्ट्रीय खाद्य और पेय प्रसंस्करण कंपनी ने एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य उत्पाद तैयार किया है। कंपनी ने घोषणा करते हुए कहा कि वह जल्द ही यही उत्पाद अफ्रीकी बाजार में भी पेश करेगी। तदनुसार उत्पाद को सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया और अफ्रीकी बाजार में पेश किया गया। हालांकि, बाद में अंतर्राष्ट्रीय जाँच से पता चला कि अफ़्रीकी बाज़ार में पेश किए गए उत्पाद में कैंसरकारी तत्व मौजूद था, जो निर्धारित स्थानीय खाद्य मानकों का उल्लंघन करता था। इस जांच से खाद्य कंपनी की प्रतिष्ठा और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके अलावा, यह पहला ऐसा मामला नहीं है, पहले भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कई भारतीय खाद्य उत्पादों में कैंसरकारी तत्व के पाए जाने के उदाहरण सामने आए हैं।

उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- इस प्रकरण में शामिल विभिन्न हितधारकों और संबंधित नैतिक दुविधाओं का परीक्षण कीजिए।
- संकट को हल करने के लिए खाद्य कंपनी के पास कार्रवाई के क्या विकल्प उपलब्ध हैं?
- भारतीय अधिकारियों को खाद्य कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए?

9.2. राजनीतिक नैतिकता और हितों का टकराव (Political Ethics and Conflict of Interest)

प्रस्तावना

हाल ही में, कलकत्ता हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश और पश्चिम बंगाल के एक वरिष्ठ आई.पी.एस. अधिकारी ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और वे राजनीतिक दलों में शामिल हो गए। इससे एक बार फिर संवैधानिक प्राधिकारियों और नौकरशाही के स्वतंत्र काम-काज तथा उनके कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान हितों के टकराव को लेकर कुछ प्रश्न उठाए गए हैं।

विभिन्न हितधारक और संबंधित नैतिक चिंताएं

हितधारक	भूमिका/ हित	नैतिक चिंताएं
न्यायाधीश/ नौकरशाह	व्यक्तिगत अधिकारों का प्रयोग, राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति, लोक सेवा की इच्छा, आदि।	निष्पक्षता बनाए रखना, हितों के टकराव से बचना, अपने पदों की शुचिता को बनाए रखना।
राजनीतिक दल	शासन संबंधी ज्ञान के साथ अनुभवी व्यक्तियों को शामिल करना, न्यायाधीशों/ नौकरशाहों की सार्वजनिक छवि का लाभ उठाकर विश्वसनीयता बढ़ाना, आदि।	यह ध्यान रखना कि कोई अनुचित प्रभाव या पक्षपात न हो, सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास बढ़ाना, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखना, आदि।
नागरिक	उचित और निष्पक्ष न्याय प्रणाली, कुशल और राजनीतिक रूप से तटस्थ नौकरशाही, उनके अधिकारों की सुरक्षा, आदि।	विधि के शासन को लागू करने में पक्षपात या तरफदारी की धारणा, संस्थानों में विश्वास का क्षरण, आदि।
सरकार	अपनी नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन, संस्थानों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना, स्वतंत्र नीति निर्माण की क्षमता रखना, आदि।	हितों के संभावित/ वास्तविक टकराव को रोकना, उचित और निष्पक्ष न्याय निर्णयन/ प्रशासन सुनिश्चित करना, शक्तियों का पृथक्करण सुनिश्चित करना, आदि।
नागरिक समाज	सार्वजनिक हित की रक्षा करना, शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, आदि।	लोक अधिकारियों के बीच नैतिक आचरण सुनिश्चित करना, हितों के संभावित टकराव के बारे में जागरूकता बढ़ाना, आदि।

न्यायाधीशों और नौकरशाहों के राजनीति में शामिल होने के नैतिक निहितार्थ

हालांकि, राजनेताओं और नौकरशाहों के राजनीति में शामिल होने पर कोई संवैधानिक प्रतिबंध नहीं है। इसमें आलोचकों का तर्क है कि ऐसे मामले न्यायिक स्वतंत्रता व नौकरशाही की तटस्थता के आवश्यक सिद्धांतों और इन संस्थाओं में जनता के विश्वास को खतरे में डालते हैं।

- **शक्तियों का पृथक्करण:** शक्तियों का पृथक्करण लोकतांत्रिक शासन में एक मौलिक सिद्धांत है। इसमें सत्ता के संकेन्द्रण को रोकने और संतुलन बनाए रखने के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखा जाता है।
- **हितों का टकराव:** राजनीतिक आकांक्षाओं वाले न्यायाधीश या नौकरशाह अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते समय राजनीतिक विचारों से प्रभावित हो सकते हैं। इससे उनकी स्वायत्तता और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता बाधित हो सकती है।
    - चूँकि, **न्यायालयों में सरकार के खिलाफ ही सबसे अधिक मुकदमें लंबित हैं,** इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद अन्य पदों पर नियुक्तियों की संभावनाओं के मद्देनज़र न्यायाधीश मामलों में सरकार के खिलाफ़ फैसला देने में संकोच कर सकते हैं।
- **न्यायिक निष्पक्षता:** न्यायपालिका की विश्वसनीयता जनता के समक्ष पारदर्शिता और निष्पक्षता की धारणा पर ही निर्भर करती है। ऐसे में **सेवानिवृत्ति के बाद किसी राजनीतिक दल से संबद्धता न्यायाधीश द्वारा पक्षपात की धारणा को प्रबल बनाती** है, भले ही पूर्व में न्यायाधीश के **वास्तविक इरादे कुछ भी रहे हों।**
    - न्यायाधीशों को बिना **किसी भय या पक्षपात, मोह या दुर्भावना से ग्रसित होकर कानून को बनाए रखने की शपथ दिलाई** जाती है, जिसमें उन्हें केवल तथ्यों और कानूनी सिद्धांतों के आधार पर ही निर्णय देना होता है।
- **नौकरशाही तटस्थता:** लोक सेवकों की राजनीतिक संबद्धता लोक सेवाओं के राजनीतिकरण और नीतियों के कार्यान्वयन में विकृतियों को जन्म दे सकती है। इससे नीतियों के उद्देश्य और परिणाम कमज़ोर हो सकते हैं।
- **जनता के विश्वास का क्षरण:** न्यायपालिका/ नौकरशाही के सदस्यों के राजनीति में लगातार शामिल होने से यह धारणा बन सकती है कि ये पद राजनीतिक करियर के लिए एक सीढ़ी की तरह हैं। इससे संस्थाओं में जनता का विश्वास कम होता है।

न्यायपालिका का मार्गदर्शन करने वाले नैतिक सिद्धांत

- **संवैधानिक शपथ:** न्यायाधीश बनने वाले व्यक्ति को संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेनी होती है कि वह बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के अपने कर्तव्यों का पालन करेगा।
- **बेंगलुरु प्रिंसीपल्स ऑफ ज्यूडीशियल कंडक्ट (2002):** ये न्यायाधीशों के नैतिक आचरण के लिए मानक स्थापित करने और न्यायिक आचरण को विनियमित करने के लिए न्यायपालिका को एक फ्रेमवर्क प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में **"न्यायिक जीवन के मूल्यों की पुनरावृत्ति[135]"** को अपनाया था। बाद में इसे 1999 में मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में अनुमोदित भी किया गया था। इसमें **बेंगलुरु प्रिंसीपल्स ऑफ ज्यूडीशियल कंडक्ट** के जैसे मूल्य भी शामिल हैं।

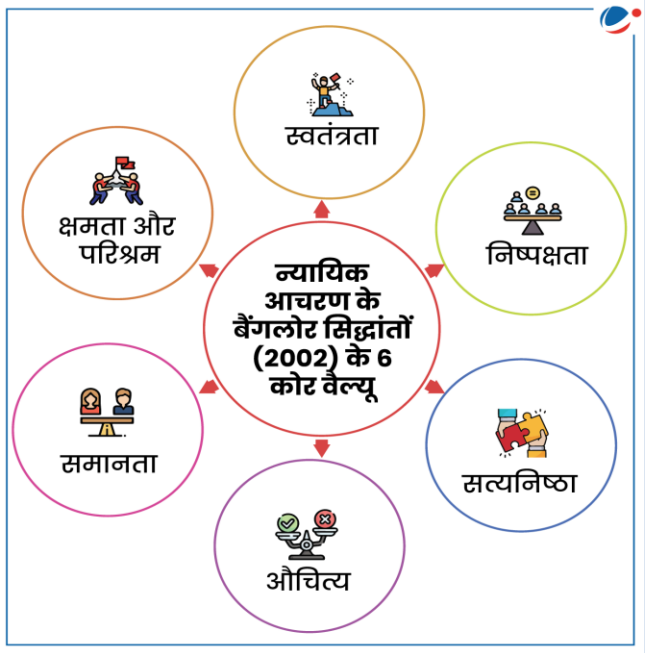

आगे की राह

- **कूलिंग-ऑफ अवधि:** यह सुझाव दिया जाता है कि सेवानिवृत्ति और राजनीतिक/ अन्य नियुक्तियों में शामिल होने के बीच **कम-से-कम दो साल की कूलिंग-ऑफ अवधि** होनी चाहिए।
    - चुनाव आयोग ने 2012 में केंद्र सरकार से सिफारिश की थी कि सेवानिवृत्ति के बाद शीर्ष नौकरशाहों के लिए राजनीतिक दलों में शामिल होने और चुनाव लड़ने से पहले कूलिंग-ऑफ अवधि की शर्त रखी जाए। हालांकि, सरकार ने इस सिफारिश को खारिज कर दिया था।

[135] Restatement of values of Judicial Life

    - वर्तमान में, **अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवा समूह 'ए' में सेवारत नौकरशाह** एक वर्ष की कूलिंग-ऑफ अवधि के बाद किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में शामिल हो सकते हैं।
  - सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित करने ज़िम्मेदारी विधायिका पर छोड़ दिया था कि सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में शामिल होने से पहले नौकरशाहों के लिए कूलिंग-ऑफ अवधि की आवश्यकता है या नहीं। वर्तमान में, व्यावसायिक नियोजन में शामिल होने की इच्छा रखने वाले नौकरशाहों के लिए भी एक वर्ष की कूलिंग-ऑफ अवधि का प्रावधान है **{केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021}।**
- **नौकरशाहों के लिए आचार संहिता:** द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सिफ़ारिश की गई आचार संहिता निर्धारित की जानी चाहिए। इसमें लोक प्राधिकारियों के लिए अच्छे व्यवहार और शासन के व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत शामिल होने चाहिए।
- **हितों के टकराव का समाधान:** लोक प्राधिकारियों और न्यायाधीशों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उत्पन्न होने वाले हितों के टकराव का समाधान सुनिश्चित करना चाहिए। इसे त्याग, पारदर्शिता और प्रकटीकरण[136] के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिए- जब भी किसी मामले में हितों के टकराव की संभावना हो, तो न्यायाधीश उस मामले से हट सकते हैं। यह प्रथा विधि की सम्यक प्रक्रिया के प्रमुख सिद्धांत- **नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ** (*nemo judex in causa sua*) से उपजी है, यानी कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता।
    - न्यायिक सुनवाई से खुद को अलग करने के सिद्धांत से यह सुनिश्चित होता है कि- **"न्याय न केवल होना चाहिए, बल्कि न्याय होते हुए भी दिखना चाहिए"।**
- **नीदरलैंड** आचार संहिता या मानकों के कोड के ज़रिए हितों के टकराव को नियंत्रित करता है, जबकि फ्रांस **कानूनों और संहिताओं के मिश्रण** के ज़रिए इसे नियंत्रित करता है।

> "न्यायपालिका के सदस्य एक सभ्य समाज के रोल मॉडल और भरोसेमंद आदर्श बन जाते हैं। यही वह चीज़ है जिसके लिए हमें प्रयास करना है, जिसे प्राप्त करना है और बनाए रखना है।"
>
>
>
> **— डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम**

कूलिंग-ऑफ अवधि के पक्ष में तर्क

- **सार्वजनिक विश्वास को बढ़ावा देना:** कूलिंग-ऑफ अवधि जनता के विश्वास और तटस्थता बनाए रखने के लिए एक बफर अवधि की अनुमति देती है। यह सुनिश्चित करती है कि जब न्यायाधीश या नौकरशाह सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद राजनीति में शामिल होते हैं, तो हितों का प्रत्यक्ष टकराव या अनुचित प्रभाव पैदा न हो।
- **संस्थागत शुचिता की रक्षा करना:** कूलिंग-ऑफ उनकी भूमिकाओं और राजनीतिक गतिविधियों के बीच एक स्पष्ट अंतर बनाकर **क्विड प्रो क्वो (किसी चीज़ के लिए कुछ)** प्रणाली की धारणा को कम करता है।
- **नैतिक मानकों को बनाए रखना:** कूलिंग-ऑफ के रूप में इंतज़ार की यह अवधि उन लोगों के लिए निष्पक्षता के मूल सिद्धांतों को मजबूत करती है जो पहले प्राधिकार और शक्ति के पदों पर थे।

कूलिंग-ऑफ अवधि के खिलाफ तर्क

- **कोई संवैधानिक प्रतिबंध नहीं:** न्यायाधीशों के राजनीति में शामिल होने या सेवानिवृत्ति के बाद अन्य पदों पर नियुक्तियां पाने पर कोई स्पष्ट संवैधानिक प्रतिबंध नहीं है।
- **लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ:** लोकतंत्र की एक आवश्यक विशेषता यह है कि प्रत्येक नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है और योग्य व्यक्तियों के चुनाव लड़ने के अधिकार को प्रतिबंधित करना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ जाता है।
- **वैध वर्गीकरण नहीं:** यह तर्क दिया जाता है कि सेवानिवृत्ति के बाद निजी नौकरी में शामिल होने वाले वरिष्ठ नौकरशाह पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध हितों के टकराव से बचने के लिए समझदारीपूर्ण अंतर पर आधारित होते हैं।
  - हालांकि, अधिकारियों के चुनाव लड़ने पर लगाई जाने वाली ऐसी रोक संभवत: तर्कसंगत वर्गीकरण नहीं हो सकती है और यह संगठन बनाने के मौलिक अधिकार के अनुरूप भी नहीं होगी।
- **"भय या पक्षपात" का सिद्धांत:** यह सिद्धांत पहले से ही कानून में मौजूद है। न्यायाधीश पहले से ही उन मामलों से खुद को अलग कर सकते हैं जहां हितों का टकराव हो।

[136] Recusal, divestiture, and disclosure

अपनी नैतिक योग्यता का परीक्षण कीजिए

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने लोक सभा का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। संबंधित न्यायाधीश ऐसे प्रमुख निर्णयों से जुड़े थे, जिनमें सत्तारूढ़ सरकार के कार्यों को उचित ठहराया गया था। इससे विपक्षी दलों ने न्यायाधीश के न्यायिक आचरण को लेकर चिंता जताई।

उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के सत्तारूढ़ राजनीतिक दल में शामिल होने से उत्पन्न होने वाले नैतिक मुद्दों की व्याख्या कीजिए।
- न्यायाधीशों के राजनीति में शामिल होने के पक्ष और विपक्ष में तर्कों का मूल्यांकन कीजिए, इसके लाभ और जोखिम की तुलना कीजिए।
- न्यायिक संस्था में जनता के विश्वास और न्यायाधीशों के कार्यों के बीच संतुलन सुनिश्चित करने के लिए अपनाए जा सकने वाले तरीकों पर चर्चा कीजिए।

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

10.1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Schemes: MGNREGS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए मनरेगा, 2005 के तहत अकुशल मैनुअल श्रमिकों के लिए **नई मजदूरी दरें (राज्य-दर-राज्य 3-10% की वृद्धि)** अधिसूचित की है।

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में **कम-से-कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी आधारित रोजगार** उपलब्ध कराना, जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं। • **टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण करना।**	• **मंत्रालय:** ग्रामीण विकास मंत्रालय • **प्रारंभ:** 2005 • **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है। • **लाभार्थी:** ग्रामीण परिवार के 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी सदस्य। • **कवरेज:** 100% शहरी आबादी वाले जिलों को छोड़कर संपूर्ण देश। • **मजदूरी दरों का आधार:** मनरेगा मजदूरी **CPI-AL (कृषि श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक)** में बदलाव के आधार पर तय की जाती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति को दर्शाता है। **अलग-अलग राज्यों में मजदूरी की दरें अलग-अलग हैं।** • 15 दिनों के भीतर **काम मांगने और प्राप्त करने का अधिकार:** ○ योजना के तहत सूखे, प्राकृतिक आपदा की दशा में और कुछ अनुसूचित जनजाति परिवारों को एक **वित्तीय वर्ष में 50 दिन का अतिरिक्त अकुशल मजदूरी रोजगार** प्राप्त करने का पात्र माना गया है। ○ मांग के **15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं देने की स्थिति में व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का हकदार** माना गया है। • **कार्यस्थल पर सुविधाओं का अधिकार:** इसके अतिरिक्त, श्रमिकों को कार्यस्थल पर चिकित्सा सहायता, पेयजल और छाया जैसी सुविधाएं पाने का अधिकार है। • **निर्मित परिसंपत्तियों की जियोटैगिंग:** राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC), इसरो और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक परियोजना, **GeoMGNREGA** के माध्यम से जियोटैगिंग की जा रही है। • **मनरेगा की प्रमुख प्रक्रियात्मक विशेषताएं:** ○ **ग्राम पंचायत स्तर पर** मजदूरी और निर्माण सामग्री का **अनुपात 60:40** होना चाहिए। ○ कार्यक्रम में किसी भी तरह की मशीनरी और **ठेकेदार को नियुक्त किए बिना मैन्युअल** कार्य का प्रावधान किया गया है। ○ लाभार्थियों में **कम-से-कम एक तिहाई महिलाएं** होनी चाहिए जिन्होंने इस अधिनियम के तहत **पंजीकरण कराया हो और काम करने का अनुरोध किया हो।**

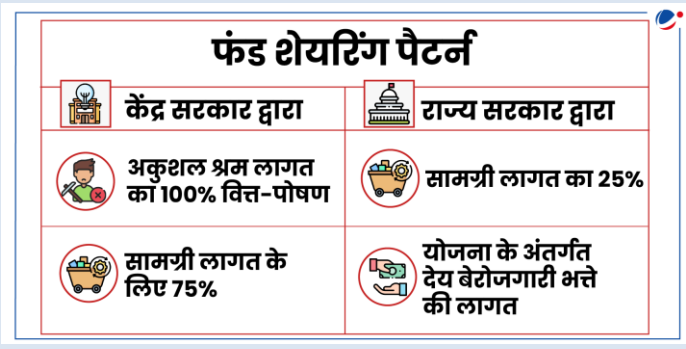

	• **अन्य प्रमुख विशेषताएं:** ○ **सामाजिक लेखा-परीक्षण:** ग्राम सभा योजना के तहत ग्राम पंचायत के भीतर शुरू की गई सभी परियोजनाओं का नियमित सामाजिक लेखा-परीक्षण करने के लिए अधिकृत है। ○ **जनमनरेगा:** यह नागरिकों से मनरेगा परिसंपत्तियों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने का साधन है। ○ **प्रोजेक्ट 'उन्नति':** इसका उद्देश्य मनरेगा लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे उन्हें अंशकालिक रोजगार से पूर्णकालिक रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

सुर्ख़ियों में रहे स्थलः भारत

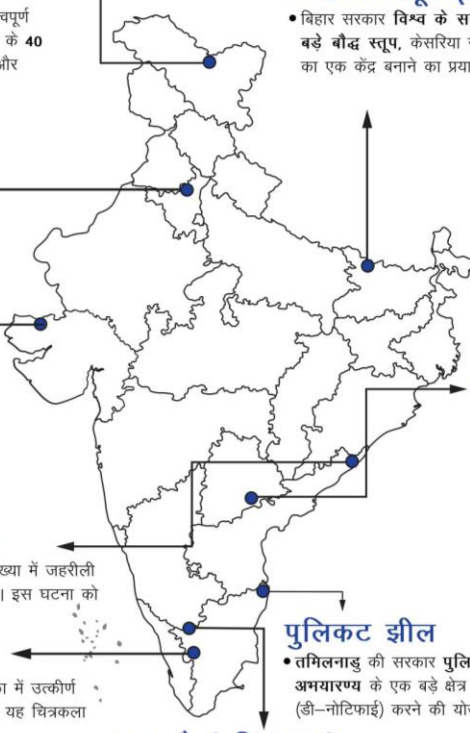

सियाचिन ग्लेशियर (लद्दाख)

- **ऑपरेशन मेघदूत** के तहत सामरिक रूप से महत्वपूर्ण **सियाचिन ग्लेशियर** को भारतीय नियंत्रण में लेने के **40 वर्ष** पूरे हुए। इस अवसर पर भारतीय थल सेना और भारतीय वायु सेना ने समारोह आयोजित किए।

कलेसर वन्यजीव अभयारण्य (KWS) (हरियाणा)

- सुप्रीम कोर्ट ने **हरियाणा के यमुनानगर जिले** में अवस्थित कलेसर वन्यजीव अभयारण्य के भीतर चार प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी है।

गुजरात

- पुरातात्विक उत्खनन से **गुजरात के कच्छ के पड़ता बेट में 5,200 साल पुरानी हड़प्पा युगीन बस्ती का पता** चला है।
- पुरातत्वविदों को **गुजरात के कच्छ में पानंधो लिग्नाइट खदान में एक विशाल शिकारी सांप** का जीवाश्म मिला है। इसे **वासुकी इंडिकस** नाम दिया गया है।

विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश)

- **विशाखापत्तनम तट** पर अचानक बहुत अधिक संख्या में जहरीली पर्पल जेलीफिश की उपस्थिति की सूचना मिली है। इस घटना को **जेलीफिश ब्लूम** कहा जाता है।

पथिमलाई गुफा (तमिलनाडु)

- **तमिलनाडु** के कुमित्तिपति में शरारती तत्वों ने एक गुफा में उत्कीर्ण शैल चित्रों को नुकसान पहुंचाया है। माना जाता है कि यह चित्रकला **3000 साल पुरानी है।**

केसरिया स्तूप (बिहार)

- बिहार सरकार **विश्व के सबसे ऊंचे और सबसे बड़े बौद्ध स्तूप**, केसरिया स्तूप को वैश्विक टूरिज्म का एक केंद्र बनाने का प्रयास कर रही है।

टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य (अरुणाचल प्रदेश)

- हाल ही में, **दुर्लभ तितली प्रजाति नेप्टिस फ़िलारा को भारत में पहली बार अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले** में खोजा गया है।

मेघालय

- **मेघालय** में सिकाडा की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। यह **जीनस बेक्वार्टिना** से संबंधित है।

फणीगिरी (तेलंगाना)

- तेलंगाना के हेरिटेज विभाग ने **सूर्यापेट जिले (तेलंगाना) के फणीगिरी स्थल पर इक्ष्वाकु काल** से संबंधित सिक्कों का भंडार खोजा है।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)

- **नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप** चीतल हिरणों की आक्रामक रूप से बढ़ती आबादी का सामना कर रहा है।

ग्रेट निकोबार द्वीप

- शोम्पेन जनजाति ने पहली बार लोक सभा चुनाव में वोट डाला है। यह जनजाति **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) है।**

पुलिकट झील

- **तमिलनाडु** की सरकार **पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य** के एक बड़े क्षेत्र को गैर-अधिसूचित (डी-नोटिफाई) करने की योजना बना रही है।

मुदुमलै (तमिलनाडु)

- **मुदुमलै टाइगर रिज़र्व** में एशियाई जंगली कुत्तों में **मैंगे** नामक बीमारी का प्रकोप फैल गया है।

सुर्ख़ियों में रहे स्थलः विश्व

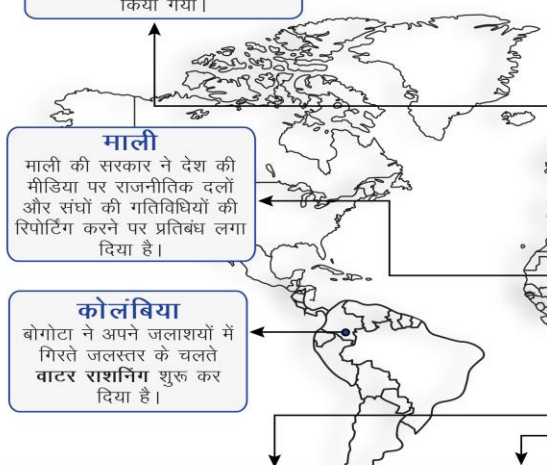

स्वीडन

- स्वीडन, आर्टेमिस एकॉर्ड्स में शामिल होने वाला 38वां देश बना।

इजरायल

- इजरायल ने गाजा में दूसरे देशों द्वारा अधिक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए **इरेज क्रॉसिंग** को फिर से खोलने की अनुमति दी है। **इरेज क्रॉसिंग** को **बीट हनौन** के नाम से भी जाना जाता है।

अजरबैजान

- नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र से रूसी शांति सैनिक वापस लौटना शुरू कर चुके हैं। **अजरबैजान ने इस विवादित क्षेत्र को आर्मेनियाई अलगाववादियों से वापस अपने कब्जे** में ले लिया है। इसी वजह से शांति सैनिक लौट रहे हैं।

बेल्जियम

विश्व के पहले 'परमाणु ऊर्जा सम्मेलन' का ब्रुसेल्स में आयोजन किया गया।

दक्षिण कोरिया

- दक्षिण कोरिया ने अपना दूसरा सैन्य जासूस (टोही) उपग्रह कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया।
- परमाणु संलयन में **कोरिया सुपरकंडक्टिंग टोकामक एडवांस्ड रिसर्च (KSTAR) फ्यूजन रिएक्टर** ने नया रिकॉर्ड बनाया है।

माली

माली की सरकार ने देश की मीडिया पर राजनीतिक दलों और संघों की गतिविधियों की रिपोर्टिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

म्यांमार

म्यांमार के करेन नृजातीय अल्पसंख्यक गुरिल्ला लड़ाकों ने दावा किया है कि वे शीघ्र ही **थाईलैंड की सीमा से लगे एक प्रमुख व्यापारिक शहर पर अधिकार** कर लेंगे।

कोलंबिया

बोगोटा ने अपने जलाशयों में गिरते जलस्तर के चलते **वाटर राशनिंग** शुरू कर दिया है।

अफानसी-निकितिन (AN) सीमाउंट

भारत ने हिंद महासागर के सीबेड (समुद्र तल) में एक्सप्लोरेशन के अधिकार हेतु **इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी** के पास आवेदन किया है। **मध्य हिंद महासागर में अफानसी-निकितिन (AN) सीमाउंट** पर भारत कोबाल्ट-समृद्ध **फेरोमैंगनीज क्रस्ट** का एक्सप्लोरेशन करना चाहता है।

अंटार्कटिका

- माउंट एरेबस से प्रतिदिन क्रिस्टलीकृत (बारीक कण) स्वर्ण से भरी गैस और धूल निकल रही है। प्रतिदिन निकलने वाली सोने की इस मात्रा की कीमत लगभग 6,000 डॉलर आंकी गई है।
- **इंडिया पोस्ट** ने **अंटार्कटिका** में भारत के रिसर्च स्टेशन **"भारती"** पर एक **पोस्ट-ऑफिस** खोला है।

ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे

अल नीनो जनित सूखे के कारण **करिबा झील में उसकी कुल क्षमता के केवल 13%** जल रह गया है।

अफ़ार ट्रायंगल

भूवैज्ञानिकों ने **हॉर्न ऑफ अफ्रीका** में स्थित अफ़ार ट्रायंगल पर एक **नए महासागर के उभरने** की संभावना व्यक्त की है। अफ़ार ट्रायंगल को **अफ़ार डिप्रेशन** भी कहा जाता है।

सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व

व्यक्तित्व	के बारे में	व्यक्तित्व द्वारा प्रदर्शित नैतिक मूल्य
 धीरन चिन्नामलै (1756 – 1805)	• 17 अप्रैल को देशभर में धीरन चिन्नामलै की जयंती मनाई गई। • **धीरन चिन्नामलै के बारे में** ▸ उनका जन्म वर्तमान **तमिलनाडु के तिरुपुर जिले** में हुआ था। उनके बचपन का नाम **तीर्थगिरि** था। ▸ वे **गुरिल्ला युद्ध की सभी कलाओं में निपुण** थे। ▸ वे एक **पलायकारर (पोलिगर) और सरदार** थे। वे **कोंगु नाडु** क्षेत्र के शासक थे। ▸ अंग्रेजों ने उन्हें **तमिलनाडु के संकागिरी किले** में फांसी दी थी। • **प्रमुख योगदान** ▸ उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में **टीपू सुल्तान की मदद** की थी। साथ ही चित्तेश्वरम, मड़वल्ली और श्रीरंगपट्टनम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।	**साहस और देशभक्ति** • गुरिल्ला युद्ध में उनकी भागीदारी और अंग्रेजों के खिलाफ टीपू सुल्तान का साथ देने से आजादी की लड़ाई में उनके साहसिक व्यक्तित्व का पता चलता है। • ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनके संघर्ष और अंततः शहादत ने उनकी देशभक्ति की भावना और अपने देश के प्रति समर्पण को रेखांकित किया है।
 तामा डोरा	• **तामा डोरा के बारे में:** ▸ उनका जन्म **कोया समुदाय** में हुआ था। • **योगदान** ▸ उन्होंने **ओडिशा के मलकानगिरी** के आदिवासियों विशेषकर **'कोया जनजाति'** के साथ मिलकर **कोरापुट के राजा और अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण एवं दमनकारी नीतियों के खिलाफ विद्रोह** का नेतृत्व किया था। ▸ उन्होंने **मलकानगिरी** की ब्रिटिश पुलिस टुकड़ी को पराजित किया था। ▸ हालांकि, **कर्नल मैकॉइड** के नेतृत्त्व में हैदराबाद से पुलिस टुकड़ी, पराजित टुकड़ी की सहायता के लिए जरूर आई थी, लेकिन उसे भी कोया जनजाति के भीषण हमले के चलते निराशा हाथ लगी थी।	**नेतृत्व और सहानुभूति** • अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ उनके विद्रोह ने उनके मजबूत नेतृत्व कौशल को प्रदर्शित किया। • अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ उनके संघर्ष ने आदिवासियों की पीड़ा के प्रति उनके सहानुभूतिपूर्ण व्यक्तित्व को दर्शाया।
 ठाकुर रणमत सिंह	• हाल ही में, **जनजातीय कार्य मंत्रालय** ने स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर रणमत सिंह के योगदान को रेखांकित किया। • **रणमत सिंह के बारे में** ▸ उन्होंने **रीवा (मध्य प्रदेश)** के महाराजा की सेवा में **सरदार** का पद ग्रहण किया था। ▸ **प्रमुख योगदान** ✓ उन्होंने **मध्य प्रदेश के सतना में 1857 के विद्रोह** को भड़काने में अहम भूमिका निभाई थी। ✓ जंगल से ही उन्होंने संपूर्ण सैन्य संगठन का कार्य किया था। ✓ उन्होंने **नागौद** की ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला कर दिया था। इस हमले से डरकर वहां का रेजिडेंट भाग गया था। ✓ **भेलसांय** के मैदान में अंग्रेजों और केसरी सिंह बुंदेला की संयुक्त सेना के साथ उनका युद्ध हुआ था, जिसका उन्होंने डटकर मुकाबला किया था।	**वीरता और नेतृत्व** • 1857 के विद्रोह सहित अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाकर उन्होंने बहादुरी का परिचय दिया। • एक सैन्य संगठन स्थापित करके अंग्रेजों के खिलाफ महत्वपूर्ण लड़ाई का नेतृत्व करना उनके नेतृत्व क्षमताओं को दर्शाता है।

 कंदुकूरि वीरेशलिंगम (16 अप्रैल 1848 से 27 मई 1919)	• वीरेशलिंगम की जयंती पर उन्हें याद किया गया। • **कंदुकूरि वीरेशलिंगम के बारे में** ▸ इनका जन्म **आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी** में हुआ था। ये एक समाज सुधारक और राष्ट्रवादी थे। इन्हें **तेलुगु पुनर्जागरण आंदोलन का जनक** माना जाता है। • **इनका योगदान:** ▸ इन्होंने **हरिजनों के पुनरुत्थान के लिए कार्य किया था; विधवा पुनर्विवाह का समर्थन** किया था तथा अन्य सामाजिक सुधार कार्य किए थे। ▸ इन्होंने **दौलेश्वरम में कन्या विद्यालय** की स्थापना की थी। ▸ इन्होंने आंध्र प्रदेश में **'ब्रह्मो मंदिर'** नाम से एक मंदिर और **'हितकारिणी विद्यालय'** की स्थापना की थी। ▸ इनके उपन्यास **'राजशेखर चरित्रामु' को तेलुगु साहित्य का प्रथम उपन्यास** माना जाता है। ▸ इन्होंने **'विवेक वर्धिनी'** नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था।	**न्याय और साहस** • उन्होंने सामाजिक सुधारों के लिए आवाज उठाई थी। इससे न्याय और समानता को लेकर उनकी प्रतिबद्धता को बल मिला। • उन्होंने बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। इस प्रकार सामाजिक मानदंडों को चुनौती देकर उन्होंने साहस का प्रदर्शन किया था।
 श्यामजी कृष्ण वर्मा (1857 – 1930)	• प्रधान मंत्री ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी **श्यामजी कृष्ण वर्मा** की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। • **श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में** ▸ इनका जन्म **गुजरात के मांडवी** में हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के प्रसार के लिए **लंदन में इंडियन होमरूल सोसाइटी और इंडिया हाउस** की स्थापना की थी। ▸ उन्होंने **'द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट'** नामक पत्रिका में अपने लेखों के माध्यम से भारत की आजादी का प्रचार किया था। ▸ **1905 में इनर टेम्पल नामक एक संस्था ने उन्हें वकालत करने से प्रतिबंधित** कर दिया था। दरअसल औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लिखने के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया था। इस वजह से इनर टेम्पल ने उन्हें प्रतिबंधित कर दिया था। ✓ **इनर टेम्पल** लंदन में बैरिस्टर्स के लिए एक पेशेवर संस्था थी।	**देशभक्ति और निःस्वार्थता** • स्वतंत्रता के विचारों से प्रेरित होकर, उन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए काम करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने का निर्णय लिया।
 पंडिता रमाबाई (1858–1922)	• हाल ही में, **पंडिता रमाबाई सरस्वती की 166वीं जयंती** मनाई गई। • **पंडिता रमाबाई के बारे में** ▸ रमाबाई एक **समाज सुधारक, शिक्षिका और स्वतंत्रता सेनानी** थी। ▸ वे **1889 के कांग्रेस अधिवेशन की दस महिला प्रतिनिधियों** में शामिल थीं। • **मुख्य योगदान** ▸ उन्होंने 1889 में बालिका वधुओं के लिए चैरिटी संगठन **'शारदा सदन'** की स्थापना की थी। ▸ रमाबाई ने **हंटर कमीशन** के समक्ष महिला शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। ▸ उन्होंने **'स्त्री धर्म नीति'** पुस्तक का प्रकाशन किया था। ▸ उन्हें 1919 में **'कैसर–ए–हिंद'** मेडल से सम्मानित किया गया था।	**मानवता एवं समाज सुधार** • उन्होंने "स्त्री धर्म नीति" का प्रकाशन किया था। इसने समाज में महिलाओं की नैतिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया।

 नरसिम्हा गोपालस्वामी आयंगर (1882–1953)	• हाल ही में, **मद्रास सिटी कोऑपरेटिव बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड** ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए। उल्लेखनीय है कि नरसिम्हा गोपालस्वामी आयंगर इस **सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष** थे। • **नरसिम्हा गोपालस्वामी आयंगर के बारे में** ▸ वे एक सुयोग्य **प्रशासक, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ** थे। ▸ वे 1905 में मद्रास सिविल सेवा में नियुक्त हुए थे। वे 1937 में **जम्मू और कश्मीर के दीवान (प्रधान मंत्री)** नियुक्त हुए थे। ▸ **श्री आयंगर के योगदानः** ✓ वे **कॉउंसिल ऑफ़ स्टेट्स** में निर्वाचित (1943–47) हुए थे। ✓ वे भारतीय संविधान निर्माण की **7 सदस्यीय प्रारूप समिति** के सदस्य थे। ▪ उन्होंने **अनुच्छेद 370 के सृजन** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ✓ उन्होंने 1949 में **'सरकारी तंत्र के पुनर्गठन पर रिपोर्ट'** प्रस्तुत की थी। ✓ वे स्वतंत्र भारत के **रक्षा, रेलवे और परिवहन मंत्री** भी रहे थे।	**धर्मनिरपेक्षता और निष्पक्षता** • भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में उनकी भूमिका थी। इससे सभी धर्मों के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करने की उनकी प्रतिबद्धता का पता चलता है। • सरकार के पुनर्गठन पर उनकी रिपोर्ट में कुशल और निष्पक्ष प्रशासन के महत्व पर जोर दिया गया।
 डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1888–1975)	• हाल ही में, देश ने डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी **49वीं पुण्यतिथि** पर पर याद किया। • **डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में** ▸ वे वह एक महान **विद्वान, दार्शनिक और राजनेता** थे। ▸ **प्रमुख योगदानः** ✓ वे भारत के **दूसरे राष्ट्रपति** (1962–1967) और **प्रथम उपराष्ट्रपति** (1952–1962) थे। ✓ वे **संविधान सभा** के लिए भी चुने गए थे। ▸ **साहित्यिक कृतियांः** द प्रिंसिपल उपनिषद्स, द हिन्दू व्यू ऑफ लाइफ, धम्मपद आदि। ▸ **पुरस्कार एवं सम्मानः** नाइटहुड (1931) एवं भारत रत्न (1954)। ▸ शिक्षा और दर्शन में **डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के** योगदान के लिए उनके **जन्मदिन (5 सितंबर) को 'शिक्षक दिवस'** के रूप में मनाया जाता है।	**नेतृत्व और विद्वता** • उन्होंने पश्चिमी आदर्शवादी दार्शनिकों की सोच को भारतीय चिंतन में प्रस्तुत किया। उन्होंने भारतीय दर्शन को विश्व मानचित्र पर स्थापित किया। • वह एक शिक्षक थे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1940–49) की रिपोर्ट शैक्षिक सोच और व्यवहार में सबसे बड़ा योगदान है।
 लक्ष्मण नायक (1899–1943)	• **जनजातीय कार्य मंत्रालय** ने स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मण नायक के योगदान का उल्लेख किया है। • **लक्ष्मण नायक भूमिया के बारे में** ▸ वे **ओडिशा के भूमिया** समुदाय के आदिवासी नेता थे। ▸ वे **सत्य, अहिंसा और शांतिपूर्ण असहयोग के गांधीवादी सिद्धांतों में विश्वास** करते थे तथा उनका पालन करते थे। इसलिए, वे **मलकानगिरी क्षेत्र के गांधी** के रूप में लोकप्रिय थे।	**अहिंसा और साहस** • अहिंसा के गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने स्वतंत्रता संघर्ष में शांतिपूर्ण प्रतिरोध के नैतिक महत्त्व पर जोर दिया था।

	• **योगदान** ▸ उन्होंने **1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह** में भाग लिया था। ▸ भारत छोड़ो आंदोलन (1942) के दौरान, उन्होंने अपने साथी आदिवासियों से गांधीजी के **'करो या मरो'** के नारे के लिए बढ़–चढ़ कर काम करने का आह्वान किया था। ▸ उन्होंने घर–घर जाकर लोगों से **चरखे** का इस्तेमाल करने का आग्रह किया था। इससे **स्वराज के सिद्धांत** को मजबूती मिली।	• भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके नेतृत्व में साहस के मूल्य का पता चलता है। साथ ही, उन्होंने आदिवासियों को स्वतंत्रता की लडाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया।
 कमलादेवी चट्टोपाध्याय (1903–1988)	• हाल ही में, देश ने कमलादेवी चट्टोपाध्याय की जयंती मनाई है। • उनका जन्म **मैंगलोर** में हुआ था। वे एक **स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, कला प्रेमी और राजनीतिज्ञ** थीं। • **प्रमुख योगदानः** ▸ उन्होंने **अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (AIWC)** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ▸ भारत में विधायी सीट के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली महिला थी। उन्होंने **मद्रास प्रांतीय चुनाव** में भाग लिया था। ▸ उन्होंने 1930 के **नमक सत्याग्रह में महिलाओं को समान अवसर देने के लिए महात्मा गांधी को मनाया था।** ▸ वे **सेवा दल** से जुड़ गई थीं और महिला कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया था। ▸ **1936** में वे **कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष** बनी थीं।	**सामाजिक न्याय** • एक समाज सुधारक के रूप में, उन्होंने भारतीय महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में मदद करने के लिए हस्तशिल्प, रंगमंच और हथकरघा को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। • दांडी नमक मार्च के दौरान, उन्होंने गांधीजी को महिलाओं को मार्च में सबसे आगे रहने का समान अवसर देने के लिए राजी किया था।
 रुक्मिणी देवी अरुंडेल (1904-1986)	• हाल ही में, **'रुक्मिणी देवी अरुंडेलः आर्ट्स रिवाइवलिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डर'** नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है। • **रुक्मिणी देवी के बारे में** ▸ इनका जन्म **मदुरै (तमिलनाडु)** में हुआ था। ▸ ये एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थीं। साथ ही, **थियोसोफिकल आंदोलन** की सक्रिय सदस्य भी थीं। • **प्रमुख योगदानः** ▸ उन्हें **भरतनाट्यम के पुनरुत्थान** को उत्प्रेरित करने के लिए जाना जाता है। ✓ इससे पहले, भरतनाट्यम को मंदिर नर्तकियों **(देवदासियों)** तक ही सीमित माना जाता था और समाज में इसे हेय दृष्टि से देखा जाता था। ▸ वे **कलाक्षेत्र फाउंडेशन, मद्रास (चेन्नई) की संस्थापिका** थी। इसका उद्देश्य युवाओं को कला की सच्ची भावना प्रदान करना था। ✓ उन्होंने **पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960** को अधिनियमित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। • **उपलब्धियांः** ▸ वे **1952 में राज्य सभा के लिए नामांकित होने वाली पहली महिला** थीं। ▸ उन्हें **1956 में पद्म भूषण और 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप** से सम्मानित किया गया था।	**करुणा और बुद्धिवाद** • पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के लिए उनके समर्थन ने पशु अधिकारों की रक्षा के नैतिक महत्त्व पर प्रकाश डाला। • उन्होंने भरतनाट्यम का पुनरुद्धार करके समकालीन समाज के लिए पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं को संरक्षित करने और तर्कसंगत बनाने के महत्त्व पर जोर दिया।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

अपनी तैयारी से जुड़े रहिए सोशल मीडिया पर फॉलो करें

http://bit.ly/3ueP7T7

VisionIASHindi

/VisionIAS_UPSC

vision_ias_hindi

/Vision_IAS

/visionias.upsc

www.visionias.in

लाइव / ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स 2025

प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों

दिल्ली	अवधि
11 जून	9 AM	12–14 महीने

VisionIAS ऐप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

निःशुल्क काउंसिलिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

डेली MCQs और अन्य अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स में GS मेन्स के सभी चारों पेपर, GS प्रीलिम्स, CSAT और निबंध के सिलेबस को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अभ्यर्थियों के ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव एवं ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि वे किसी भी समय, कहीं से भी लेक्चर और स्टडी मटेरियल तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
- इस कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है।
- 2025 के प्रोग्राम की अवधि: 12–14 महीने
- प्रत्येक कक्षा की अवधि: 3–4 घंटे, सप्ताह में 5–6 दिन (आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

नोट: अभ्यर्थी फाउंडेशन कोर्स की लाइव वीडियो कक्षाएं घर बैठे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। साथ ही, अभ्यर्थी लाइव चैट के जरिए कक्षा के दौरान अपने डाउट्स और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने डाउट्स और प्रश्न को नोट कर दिल्ली सेंटर पर हमारे क्लासरूम मेंटर को बता सकते हैं, जिसके बाद फोन/ मेल के जरिए अभ्यर्थियों के प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

GS फाउंडेशन कोर्स की अन्य मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मूल्यांकन

अभ्यर्थियों को नियमित ट्यूटोरियल, मिनी टेस्ट एवं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्यक्तिगत व अभ्यर्थी के अनुरूप और ठोस फीडबैक दिया जाता है

सभी द्वारा पढ़ी जाने वाली एवं सभी द्वारा अनुशंसित

विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा तैयार की गई मासिक समसामयिकी मैगजीन, PT 365 और Mains 365 डॉक्यूमेंट्स तथा न्यूज़ टुडे जैसी प्रासंगिक एवं अपडेटेड अध्ययन सामग्री

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन

इस कोर्स के तहत अभ्यर्थियों के डाउट्स दूर करने और उन्हें प्रेरित रखने के लिए नियमित रूप से फोन/ ईमेल/ लाइव चैट के माध्यम से "वन–टू–वन" मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़

प्रत्येक 3 सफल उम्मीदवारों में से 2 Vision IAS की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को चुनते हैं। Vision IAS के पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के तहत टेस्ट पेपर में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का विस्तार से विश्लेषण एवं समीक्षा की जाती है। यह अपनी गलतियों को जानने एवं उसमें सुधार करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है।

कोई क्लास मिस ना करें

प्रत्येक अभ्यर्थी को एक व्यक्तिगत "स्टूडेंट पोर्टल" उपलब्ध कराया जाता है। इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी किसी भी पुराने क्लास या छूटे हुए सेशन और विभिन्न रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने प्रदर्शन का सापेक्ष एवं निरपेक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं।

बाधा रहित तैयारी

अभ्यर्थी VisionIAS के क्लासरूम लेक्चर्स एवं विभिन्न रिसोर्सेज़ को कहीं से भी तथा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और वे इन्हें अपनी जरुरत के अनुसार ऑर्गनाईज कर सकते हैं।

Heartiest Congratulations

to all Successful Candidates

Aditya Srivastava

79 in **TOP 100** Selections in **CSE 2023**

from various programs of **Vision IAS**

Animesh Pradhan

Ruhani

Srishti Dabas

Anmol Rathore

Nausheen

Aishwaryam Prajapati

हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में

= हिंदी माध्यम टॉपर =

मोहन लाल

अर्पित कुमार

विपिन दुबे

मनीषा धार्वे

मयंक दुबे

देवेश पाराशर

UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें

Animesh Pradhan

TOPPERS' TALK

मोहन लाल

TOPPERS' TALK

अर्पित कुमार

TOPPERS' TALK

UPSC 2025 के लिए व्यापक रणनीति

HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station

DELHI

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /visionias.upsc /vision _ias VisionIAS_UPSC

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे रांची